पेज नम्बर

रेलवेः—

पेज नम्बर

पेज नम्बर

डाक और तारः—

म्युनिसिपैलिटी, ट्राफिक एवं पुलिस :—

पेज नम्बर

विविधः—

॥ श्रीगणेशायनमः ॥

मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स

नं १४३, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता।

— की —

सन् १६४० की वार्षिक रिपोर्ट

४०वें वार्षिक अधिवेशन की कार्यवाही

उपस्थिति

गत ता० ३१ अगस्त सन् १९४० को दिन के ३ बजे मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स का ४० वां वार्षिक अधिवेशन चेम्बर के स्थान नं० १४३, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता में चेम्बर के अध्यक्ष श्रीयुक्त शिवकृष्ण जी भट्टड़ के सभापतित्व में हुआ, जिसमें निम्नलिखित सज्जनों के अतिरिक्त बहुतेरे अन्य सज्जन भी उपस्थित थे :—

	नाम	फर्म का नाम
१	श्रीयुक्त मिरजामल जी सरावगी	मेसर्स मिरजामल सरावगी
२	,, नागरमल जी वजाज	,, गंगाबक्स गोविन्दप्रसाद
३	,, बैजनाथ जी भिवानीवाला	,, लखमीचन्द बैजनाथ
४	,, गोकुलदास जी मोहता	,, छोटेलाल लक्ष्मीनारायण
५	,, राधाकृष्ण जी नेवटिया	,, उमाशंकर कम्पनी, लि०
६	,, गंगाविष्णु जी स्वाइका	,, रामदास महादेवप्रसाद
७	,, बिलासरायजी केजड़ीवाल	,, बिलासराय रामकुमार
८	,, द्वारकाप्रसाद जी झुंझुनवाला	,, विश्वेसरलाल बृजलाल
९	,, तोलाराम जी जालान	,, तोलाराम चम्पालाल

१०	श्रीयुक्त रामनाथ जी बगड़िया	मेसर्स रामनाथ बगड़िया
११	,, गौरीशंकर जी गोयनका	,, गौरीशंकर पुरुषोत्तमलाल
१२	,, बाबूलाल जी राजगढ़िया	,, बाबूलाल एण्ड कम्पनी लि०
१३	,, मुरलीधर जी सोन्थलिया	,, एम०डी० सोन्थलिया एंड कं०
१४	,, मंगतूराम जी जैपुरिया	,, आनन्दराम गजाधर
१५	,, पुरुषोत्तमदास जी केजड़ीवाल	,, विश्वनाथ श्यामसुन्दर
१६	,, दुर्गाप्रसाद जी सोन्थलिया	,, ओंकारमल बंशीधर
१७	,, सीताराम जी केड़िया	,, बोहितराम जुगलकिशोर
१८	,, कालीचरण जी खेमका	,, हरदेवदास रामरिखदास
१९	,, नन्दलाल जी	,, नन्दलाल झुंझुनवाला
२०	,, काशीनाथ जी गुटगुटिया	,, अर्जुनदास गुलाबराय
२१	,, नाथूराम जी गोयल	,, नाथूरामगोयल इस्टैब्लिशमेंट्स
२२	,, पीताम्बरलाल जी अग्रवाल	,, पीताम्बर लाल अग्रवाल
२३	,, किशोरीलाल जी ढांढनियां	,, रामेश्वरलाल डेडराज
२४	,, इन्द्रचन्द्र जी भुवालका	,, बिसेसरलाल चिम्मनलाल
२५	,, वंशीधर जी पोद्दार	,, गुलाबराय महादेव
२६	,, श्रीचन्द जी मोदी	,, श्रीचन्द शंकरलाल
२७	,, उग्रसेन जी गोयल	,, आर०के० पूनमचंद एन्ड कं०
२८	,, झावरमल जी	,, रायब० मदनगोपाल रामगोपाल
२९	,, नानूमल जी सुराना	,, धनसुखदास किसनचन्द
३०	,, बिसेसरलाल जी	,, खेतसीदास रामचन्द्र
३१	,, गंगाधर जी नेवटिया	,, बंशीधर सूरजमल
३२	,, महालीराम जी बजाज	,, महालीराम बजाज
३३	,, बाबूलाल जी सराफ	,, आनन्दराम मुरलीधर
३४	,, अर्जुनलाल जी अग्रवाला	,, बींजराज सुखदेवदास
३५	,, दानमलजी पोद्दार	
३६	,, हरिकिसनदास जी जालान	,, कमलाप्रसाद जगमोहन

३७ श्रीयुक्त देवकीनन्दन जी तोदी मेसर्स वंशीधर द्वारकादास
३८ „ खेतसीदास जी हरलालका „ सुखदेवदास शिवनाथ
३९ „ पूरणमल जी मूंधड़ा „ उदयचन्द श्रीराम
४० „ पूरणमल जी जाजोदिया „ हरिबक्स पूरणमल
४१ „ रामरतनदास जी बागड़ी „ चांदरतनदास बागड़ी
४२ „ वद्रीदास जी मोहता „ रायब० मदनगोपालरामगोपाल
४३ „ तोलाराम जी ठरड़ „ रामविलास सागरमल
४४ „ ओंकारमल जी सराफ „ गुरुमुखराय हरमुखराय
४५ „ अनन्तराम जी थरड़ „ सुखदेवदास रामबिलास
४६ „ गजाधर जी बगड़िया „ जी० बगड़िया
४७ „ रतनलाल जी पेरीवाल „ रतनलाल पेरीवाल
४८ „ आर० डी० अजमेरा „ एच० डी० अजमेरा एन्ड कं०
४९ „ एन० एम० भुवालका „ दि काजोरा सिलेक्टेड कोलियरी कं०
५० „ वासुदेव जी ढांढनियां
५१ „ गिरधारीलालजीचाँदगोठिया „ नारायणदास गिरधारीलाल
५२ „ अर्जुनदास जी खेमका „ नाथूराम वद्रीदास
५३ „ देवचन्द जी मन्त्री „ पुरुखचंद लखमीचंद
५४ „ विश्वनाथ जी जैपुरिया „ द्वारकादास काशीप्रसाद
५५ „ रामचन्द्र जी सिंघी „ सन्तोषचन्द सदासुख सिंघी
५६ „ प्यारेलाल जी रेवाड़ीवाला „ गौरीदत्त हीरालाल
५७ „ बनारसीलाल जी सराफ „ रामनारायण बासुदेव
५८ „ हरिकिसन जी मूंधड़ा „ जगन्नाथ हरिकिसन
५९ „ दामोदरदास जी अग्रवाल „ कन्हैयालाल फूसाराम
६० „ महादेवलाल जी बिन्नानी „ जुहारमल गोरधनदास
६१ „ चांदरतन जी तैनाती „ भीषमचन्द प्रयागदास
६२ „ बद्रीप्रसादजी पोद्दार „ कलकत्ता क्रेडिट कार्पोरेशन लि०

६३ श्रीयुक्त विहारीलाल जी लाहोटी मेसर्स कमीशन एजेन्ट्स लिमिटेड
६४ „ भॅवरलाल जी केला „ रामदेव सत्यनारायण
६५ „ मंगतूराम जी जालान „ मटरूमल मंगतूराम
६६ „ कुन्दनमल जी गोयल
६७ „ मोतीलाल जी „ पुरुपचन्द लखमीचन्द
६८ „ पुरुषोत्तमदास जी मोहता „ रामकिसन जैकिसन
६९ „ सोहनलाल जी वरेड़िया
७० „ मानिकचन्द जी सरावगी „ रामवल्लभ रामेश्वर
७१ „ कन्हैयालाल जी मनौत „ सोहनलाल मोहनलाल
७२ „ मदनलाल जी झुंनझुनवाला „ रामदेव लक्ष्मीनारायण
७३ „ सूरजमल जी „ वखतमल सूरजमल
७४ „ जैचंद लाल सुराना „ मानमल कन्हैयालाल
७५ „ „ शिवकिसन सीताराम।

मीटिंग बुलाई जाने के नोटिस को पढ़ा हुआ समझा जाने के बाद चेम्बर के सभापति श्रीयुक्त शिवकृष्ण जी भट्टड़ ने अपना भाषण पढ़ाः—

सभापति का भाषण।

सज्जनो !

इस चेम्बर के वार्षिक अधिवेशन पर आज फिर मुझे आपके स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गत वर्ष जब हम यहां एकत्रित हुए थे तब से लेकर अबतक संसार के रंगमंच पर बड़ी-बड़ी घटनायें हो चुकी हैं और शायद यह वर्ष विश्व के इतिहास में सब से अशुभ वर्ष माना जायगा। आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस समय प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान वर्त्तमान युद्ध की

तरफ आकृष्ट हो गया है। गत कुछ महीनों में और खास करके मई मास के आरम्भ में जो घटनायें घटी हैं वे बिलकुल अप्रत्याशित थीं। एक देश के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार कई देश जर्मनी के आक्रमण के शिकार हो चुके हैं। पहला नम्बर पोलैण्ड का दूसरा नार्वे का—इसके पश्चात् क्रमशः हालैंड, वेल्जियम, फ्रांस की वारी आई। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि फ्रांस का इस प्रकार अकस्मात् पतन हो जायगा। इस समय समस्त विश्व का आर्थिक ढांचा छिन्न-भिन्न हो चुका है तथा अकेला बृटेन अपने साम्राज्य के साथ गणतन्त्र और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए दुश्मन से मोर्चा ले रहा है।

हमारा देश भी क्रियात्मक रूप से युद्ध में बृटेन की सहायता कर रहा है, लेकिन तब भी कनाडा और आस्ट्रेलिया की तरह हमलोग पूरी सहायता नहीं दे रहे हैं। सज्जनो! मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वैधानिक संकट के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ढुलमुल नीति के कारण हमलोगों द्वारा दी जानेवाली सहायता पूर्णतया प्रभावशाली नहीं हो रही है। इसमें संशय नहीं कि इस समय युद्धोपकरण के उत्पादन में काफी वृद्धि हो रही है एवं दिल्ली में होनेवाली Empire Resources Conference में सर अलेक्जेन्डर रोजर के नेतृत्व में जो एक मिशन भेजने का प्रस्ताव है उससे भी परिस्थिति में काफी सुधार होगा। इतना होते हुए भी मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि उद्योग सम्बन्धी प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण होने के कारण हमारे देश को जो स्थान प्राप्त करना चाहिये वह स्थान अभी तक हमें नहीं प्राप्त हो सका है। एक बात यह भी है कि राजनीतिक वातावरण शान्त न होने तथा आपसी मतभेद होने के कारण भी उद्योग-धन्धों की प्रगति में वाधा पड़ती है। भारत के वायसराय महोदय की अन्तिम घोषणा पहले की घोषणाओं से अपेक्षाकृत बहुत अच्छी है, फिर भी भारत की प्रमुख

राजनीतिक संस्था कांग्रेस ने हाल में ही वर्धा में होनेवाली वर्किङ्ग कमेटी की मीटिंग में इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय राजनीतिज्ञों को सन्तुष्ट करने का महत्व इस बात से बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वीय गोलार्द्ध में युद्ध-क्रिया के लिये यही देश सर्वोपयुक्त है तथा मध्यपूर्व में सेनाओं को युद्धोपकरण तथा खाद्य-सामग्री भेजने की समस्या केवल इसी देश के द्वारा सन्तोषपूर्वक सुलझायी जा सकती है। गत कुछ सप्ताहों में इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है तथा शस्त्रास्त्रों एवं अन्य युद्ध-सम्बन्धी सामग्रियों के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। गत महायुद्ध में शस्त्रास्त्रों के उत्पादन की जो रफ्तार थी उससे कहीं अधिक तेजी से शस्त्रास्त्र निर्माण हो रहे हैं तथा युद्धोपकरण के निर्माण की जो वर्तमान प्रगति है उसे आश्चर्यजनक कहा जा सकता है।

मुझे खेद है कि उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में मुझे सरकारी नीति की आलोचना करनी पड़ती है। युद्ध को प्रारम्भ हुए इतने दिन हो गए लेकिन अबतक सरकार ने नये उद्योग-धन्धों को चालू करने की समस्या पर विचार नहीं किया है। नये कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। श्री वालचन्द हीराचन्द ने कलकत्ते में जहाज बनाने की फैक्टरी स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। बड़ी कठिनाइयों के वाद उनको विजगापट्टम के बन्दरगाह के पास उपरोक्त फैक्टरी निर्माण करने के लिए स्थान मिला है। बड़े दुःख की वात है कि कलकत्ता पोर्ट के अधिकारीगण तथा यूरोपियन व्यापारियों ने इस सम्वन्ध में श्री वालचन्द हीराचन्द को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। हवाई जहाज वनाने के लिए फैक्टरी निर्माण करने का प्रश्न अभीतक भारत-सरकार के विचाराधीन ही है। इस सम्बन्धमें सरकारएवं इस योजना के पुरस्क-

र्त्ताओं में एकमत हो जाने का जो सम्वाद था उसका खण्डन कर दिया गया है तथा कहा जाता है कि अभी तक इस सम्बन्ध में वार्त्तालाप जारी है। पश्चिमी प्रेसिडेन्सी में भी आटोमोबाइल इन्डस्ट्री प्रारम्भ की जानेवाली है।

भारतीय उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में सरकार की यह अदूर-दर्शितापूर्ण नीति वर्तमान समय में बहुत हानिकर सावित हो रही है। जहाज बनाने की सुविधा न होने के कारण यह देश साम्राज्य के अन्य देशों के समान युद्ध में भाग नहीं ले सकता एवं जहाजों के आभाव में देश का व्यापार भी चौपट होता जा रहा है। विदेशी व्यापार की तो वात ही छोड़ दीजिये क्योंकि यह व्यापार तो पूर्णतया विदेशी शीपिंग कम्पनियों के हाथ में है। हमें तो अपने देशान्तर्गत व्यापार के लिये भी काफी जहाज नहीं मिल रहे हैं। देश की रक्षा सम्बन्धी समस्याओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखने के कारण हमारा देश आसानी से शत्रु का शिकार हो सकता है तथा वर्तमान सैनिक परिस्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रक्षा की दृष्टि से भारतवर्ष बृटिश साम्राज्य के सभी देशों से कमजोर है। मुझे आशा है कि दिल्ली में होनेवाली कान्फरेन्स में इन सभी समस्याओं पर पूर्णतया विचार करके सन्तोषजनक निर्णय किया जायगा।

व्यापार और उद्योग पर युद्ध का प्रभाव

प्रारम्भ काल में युद्ध का सभी चीजों के भाव पर अनुकूल प्रभाव पड़ा तथा थोड़े ही समय में शेयरों तथा अन्य सभी चीजों के भाव में काफी तेजी आई। केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भाव थोड़ा वहुत घट गया किन्तु समय पाकर इसकी स्थिति में भी मामूली सुधार हुआ। युद्ध सम्बन्धी सामग्रियों के लिये बड़े-बड़े आर्डर मिले एवं इसी कारण बाजार में फाटकेवाजी का जोर रहा।

लोगों को आशायें होने लगां कि गत महायुद्ध में जो परिस्थिति थी वही परिस्थिति इस बार भी हो जायगी। युद्ध के प्रारम्भ काल में जहाजों में काफी जगह मिलने के कारण निर्यात व्यवसाय भी खूब चमका, किन्तु यह तेजी अल्पकाल तक ही रही और इस वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में बाजार एकदम बैठ गये। यद्यपि उस समय भी भाव काफी ऊँचे थे तब भी दाम तेज होने तथा मांग की कमी के कारण व्यापारियों के दिल दहल गये। फरवरी मास के बाद जो घटनायें हुई, उनको यहां वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही कह देना काफी है कि बाजार की हालत सुधरने के बजाय गिरती ही चली गई।

जर्मनी के प्रभाव की वजह से विदेशी बाजारों के हमारे हाथ से निकल जाने तथा आर्थिक प्रतिबन्ध के (Economic Blocade) कारण हमारे निर्यात-व्यवसाय में ३२ करोड़ रुपयों की कमी हुई एवं युक्त साम्राज्य (United Kingdom) में माल भेजने के लिये जो कन्ट्राक्ट हुए थे उनके लिए अब जहाजों की कमी हो गई है। जो जहाज हैं उनपर बृटिश सरकार का नियन्त्रण लगा हुआ है। हैसियन और बोरों का बहुत बड़ा स्टाक पड़ा हुआ है, जिसको बाहर भेजने के लिए जहाज नहीं मिलते तथा बम्बई में खली और तेलहन का पूरा स्टाक हो गया है। इस प्रकार समस्त निर्यात-व्यवसाय अस्त-व्यस्त सा हो गया है तथा सभी बाजारों में एक प्रकार से काम काज बहुत कम हो गया है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि निर्यात-व्यवसाय की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। ग्रेगरी-मीक मिशन भारतीय माल के लिए बाजार ढूंढ़ने के लिये अमेरिका भेजा गया है और अब हमें देखना है कि यह प्रयत्न कहां तक सफल होता है। उपरोक्त मिशन में भारतीय व्यवसायियों का एक भी प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। अतः जिन लोगों को व्यापार का वास्तविक

अनुभव है उनके सहयोग के बिना पूर्ण सफलता मिलना बहुत कठिन है। इस सम्बन्ध में हमारे जो विचार हैं उनसे जनता पूरी तौर से वाकिफ है।

अब हम उद्योग-धन्धों की तरफ दृष्टिपात करते हैं। युद्ध के प्रारम्भिक काल में जूट इन्डस्ट्री ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। बालू के बोरों (Sand bags) के बड़े-बड़े आर्डर आने के कारण भाव अत्यधिक ऊँचे हो गये। जूट की चीजों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ी कि मिलों को ६० घंटे प्रति सप्ताह काम करना पड़ा लेकिन दाम इतना अधिक ऊँचा होने के कारण खरीदार हिचकने लगे। बालू के बोरों (Sand bags) के आर्डर जब आने बन्द हो गये एवं विदेशों में मांग कम हुई तो भाव फिर गिर गये। फाटकेबाजी का बाजार गर्म होने के कारण फाटकियों को खूब नुकसान देना पड़ा। मैं आप लोगों का ध्यान फाटकेबाजी से होनेवाली बुराइयों की तरफ आकर्षित करता हूं। "अति सर्वत्र वर्जयेत"—वाली कहावत बिलकुल सच्ची है। सट्टेबाजों को हाल में ही जो धक्का लगा है उसका घाव अभी तक ताज़ा होगा। यद्यपि भाव गिरते-गिरते युद्ध के पूर्वकालीन भावों के करीब करीब समान हो गये हैं, फिर भी बाजार की स्थिति अच्छी नहीं मालूम होती। युद्ध के प्रारम्भ काल में काफी मुनाफा उठाने के बाद इस समय जूट मिलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस अगस्त की १९ तारीख से मिल चलाने का समय घटा कर केवल ४५ घंटा प्रति सप्ताह कर दिया गया है तथा यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि तीन मास तक एक महीने में एक सप्ताह मिलें बन्द रहें। जूट मिलें यह चाहती हैं कि सरकार और इन्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन में जूट की चीजों का जो भाव समझौते द्वारा स्थिर हुआ है उससे भी भाव कुछ ऊँचा उठे किन्तु जूट के सम्बन्ध में लोगों के निराशाजनक रुख तथा बाजार की वर्तमान परिस्थिति के कारण बाजार में सुधार नहीं हो रहा है।

जब जूट के उद्योग का यह हाल है तो काटन मिलों की स्थिति सुधरने की आशा कैसे की जा सकती है। गत वर्ष के अगस्त मास तक पीसगुड्स का व्यवसाय काफी गिर चुका था। परिस्थिति यहां तक खराब हो गई थी कि लोग यह आवश्यक समझने लगे थे कि आपस में समझौता करके उत्पादन पर नियन्त्रण किया जाय। युद्ध के कारण बाजार में तेजी आई और मिलों में जो माल इकट्ठा हो गया था वह बिक गया। युद्ध सम्बन्धी जो आर्डर आये उनके कारण भी स्थिति में सुधार हुआ किन्तु इस वर्ष के जनवरी मास में इस बात का पता चला कि वास्तव में खपत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, केवल युद्ध के कारण व्यवसायियों ने अन्धाधुन्ध माल लेना शुरू किया और इसीसे बाजार में थोड़ी तेजी दिखलाई दी और अन्त में भाव गिर जाने के कारण व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। रूई का भाव गिर जाने के कारण कपड़े का भाव भी काफी गिर गया और इस समय यह व्यवसाय गिरी हुई हालत में ही है। जिन लोगों ने माल लेकर जमा कर रखा था उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। पीसगुड्स के बाजार की वर्त्तमान अवस्था के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस व्यवसाय के सम्बन्ध में जो नियम हैं वे व्यापारियों के हितों के विरुद्ध हैं तथा मिलों और व्यापारियों का, जो कि इस शहर के अधिकांश मारवाड़ी हैं, सम्बन्ध कभी प्रेमपूर्ण नहीं रहा। अब समय आ गया है कि ऐसी परिस्थिति का अन्त कर दिया जाय और कन्ट्राक्ट की जो वर्तमान शर्तें हैं उनमें संशोधन कर दिया जाय।

कपड़े के व्यवसाय की मन्दी का यह भी एक कारण है कि जापानी की प्रतिद्वन्दिता अभी तक कम नहीं हुई है। जापान से और खास करके चीन के उस प्रदेश से जो जापान के अधिकार में है आनेवाले माल में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि अब इस बात के लिये एक प्रकार का आंदोलन खड़ा हो गया है कि जापान द्वारा

अधिकृत चीन के उन प्रदेशों पर भी ड्यूटी लगा दी जाय। मैंने समय-समय पर सरकार को इस चेम्बर के विचारों से अवगत कराया है। दुर्भाग्यवश भारत और जापान में होनेवाले व्यापारिक समझौते के सम्बन्ध में बातचीत चलते इतने दिन हो गये लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सन्तोषजनक समझौता नहीं हो सका है। जापान भारत से और भी अधिक रियायत लेने के लिये चेष्टा कर रहा है और मालूम हुआ है कि मांगें बहुत ज्यादा हैं। यह बात भारत के व्यापारिक हितों के बहुत प्रतिकूल हैं, अतः इस समस्या पर पूर्णतया विचार होना चाहिये। कुछ वर्ष पहले तक भारत और जापान का व्यवसाय भारत के ही पक्ष में रहता था और इस समय ऐसा बहुत कम होता है। अगर जापान को और भी अधिक रिया-यतें दी जायँगी तो भारतीय कपड़े के व्यवसाय का बलिदान हो जायगा। इस बात की तरफ भी सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं होता कि भारतीय व्यवसाय पर जापान का प्रभाव होने से भारत में बृटिश व्यवसाय को भी धक्का लगेगा।

इस प्रकार भारत के दो प्रधान उद्योगों ने युद्ध के कारण थोड़े समय तक ही लाभ उठाया किन्तु जूता, चपड़ा, काग़ज़, रसायन, स्टील और ऊन के उद्योगों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। चमड़े और स्टील के कारखाने अभीतक सरकारी कन्ट्रा-क्टों को पूरा कर रहे हैं एवं जबतक युद्ध चलता रहेगा तबतक वे सन्तोषजनक ढंग से चलते रहेंगे। विदेशी प्रतिद्वन्द्विता के अभाव में काग़ज़ की मिलों की अवस्था सन्तोषजनक है। आपलोग यह बात भलीभांति जानते हैं कि भारतीयों ने कई नयी मिलें खोली थीं और हमारे मारवाड़ी समाज ने, अन्य व्यवसायों की तरह इसमें भी दिलचस्पी ली, किन्तु शुरू-शुरू में अनुचित प्रतिद्वन्द्विता तथा अधिक उत्पादन के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युद्ध के कारण काग़ज़ का आयात बन्द हो जाने से भारतीय

मिलों का माल पूरी तरह से खपने लगा और अब हमारी यह अवस्था है कि यदि हम प्रयत्न करें तो कागज़ का निर्यात भी कर सकते हैं। आस्ट्रेलिया और मलाया से काफी मांग आई है किन्तु निर्यात पर प्रतिबन्ध लगे रहने के कारण व्यापार में बाधा पड़ती है।

युद्ध के कारण चानी के उद्योग ने किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाया। वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि इस उद्योग को जिसमें अधिकांश भारतीय पूंजी लगी है तथा जिसके मालिक भारतीय हैं, अपनी शैशवावस्था में ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। प्रान्तीय सरकारों के हस्तक्षेप के कुपरिणाम के बारे में कई बार कहा जा चुका है। यू० पी० और बिहार की सरकार तथा इन्डियन सूगर सिन्डिकेट में मतभेद होने के कारण सरकार ने गत जून में अपनी स्वीकृति (Recognition) वापिस ले ली है। गन्ने के भाव में वृद्धि होने के कारण चीनी के मूल्य में भी वृद्धि हुई और इसके परिणाम स्वरूप खपत भी कम पड़ गयी। दूसरी बात यह हुई कि गन्ने का उत्पादन भी बहुत बढ़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि मिलों के पास ऊंचे भाव के माल का पूरा स्टाक हो गया। भारत सरकार के हाथ बहुत ही कम दामों में चीनी बेचने की बात अभी समयानुकूल नहीं है। काफी वादानुवाद चलने के बाद सुगर सिन्डिकेट को सरकार की स्वीकृति (Recognition) फिर मिल गयी है किन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि मिलों पर सरकार का नियन्त्रण और भी अधिक कठोर हो गया है। एक सूगर कमीशन की नियुक्ति होनेवाली है जिसमें सरकार द्वारा नामज़द सदस्य रहेंगे और उनका सर्वाधिकार रहेगा। यह कहा जाता है कि यू० पी० और बिहार की सरकार चीनी के उद्योग की उन्नति के लिये प्रयत्न कर रही है, किन्तु अभीतक अवस्था में सुधार नहीं हो सका है। उपरोक्त उदाहरण से यह शिक्षा मिलती है कि केवल सरकारी हस्तक्षेप से ही उद्योग-धन्धों

की तरक्की नहीं होती एवं अत्यधिक हस्तक्षेप का तो विरोध ही करना चाहिये। प्रान्तीय धारा सभाओं में उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में क़ानून बनाते समय अन्य प्रान्तों के कारखानों और मिलों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। यदि इसके सम्बन्ध में पूर्णतया विचार नहीं किया जायगा तो बिहार और यू० पी० का चीनी के मिलों के कारण जो महत्व है, वह जाता रहेगा।

भाव नियन्त्रण (Price control)

उद्योगधन्धों में सरकारी हस्तक्षेप पर विचार करने के बाद हम भाव नियन्त्रण (Price control) पर विचार करेंगे। अत्यधिक मुनाफा प्रवृत्ति से जनता की रक्षा करने तथा रुपये की क्रय शक्ति को स्थिर रखने के लिये खाद्य सामग्री एवं अन्य जीवन की आवश्यक वस्तुओं का भाव निश्चित कर दिया गया। सन् १९३९ अगस्त मास में बंगाल सरकार ने एक आर्डिनेन्स जारी करके जूट का कम से कम मूल्य निर्धारित कर दिया। किन्तु युद्ध के कारण भाव अपने आप अत्यधिक ऊँचा उठ गया तथा जूट आर्डिनेन्स द्वारा कम से कम दर निश्चित करने का महत्त्व जाता रहा। फरवरी मास में एकाएक बाजारों के गिर जाने के कारण सरकार को कम से कम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर पुनः विचार करना पड़ा। काश्तकारों की दशा सुधारने के लिये बङ्गाल सरकार ने ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा भाव निर्धारित करने का निश्चय किया। सट्टेवालों के बेचने तथा मिलों द्वारा खरीदे जाने के कारण जूट का भाव गिर गया और इस परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने पुराने जूट के स्टाक को खरीदना प्रारम्भ कर दिया किन्तु यूरोप की घटनाओं से जनता भयभीत हो उठी और सरकार के द्वारा पूरा प्रयत्न किये जाने पर भी जूट का भाव ऊंचा नहीं उठा। इस नीति की असफलता का कारण यह नहीं है कि सरकार

अपने प्रयत्न में पूर्णतया तत्पर नहीं रही, वास्तविक बात तो यह है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसपर नियन्त्रण करना अत्यन्त कठिन था। मिनिस्टरों ने जो कई घोषणायें इस सम्बन्ध में की हैं उनकी आलोचना कई व्यक्तियों ने की है तथा उन घोषणाओं द्वारा सट्टेवालों ने जो लाभ उठाया है उसकी भी चर्चा है किन्तु वास्तविक वात तो यह है कि अगर कम से कम भाव निश्चित नहीं किया जाता तो मूल्य और भी अधिक गिर जाता। यदि अन्य प्रान्तीय सरकारें भी इसी प्रकार करतीं तो आज बाजारों में जो मन्दी दिखाई दे रही है उसका असर कम होता।

भारत सरकार ने एक आर्डिनेन्स जारी करके जो कमोडिटी रिस्क इन्स्योरेन्स (Commodity Risk Insurance Scheme) की घोषणा की है वह उत्साहवर्धक है। इस योजना के अनुसार भारत सरकार युद्ध के खतरे के लिये उन सभी स्टाकिस्टों के माल की वीमा करेगी जिनके पास २००००) या उससे ज्यादा का माल है। इस सम्बन्ध में हमारे चेम्बर ने यह सुझाव दिया था कि मुफस्सिल केन्द्रों को इस प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया जाय। सरकार ने इस सुझाव को अमान्य घोषित करते हुए कहा कि ऐसा करना पक्षपात पूर्ण होगा तथा वस्तु के स्वतन्त्रता पूर्वक इधर उधर आने जाने में बाधा पड़ेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अग्नि के बीमा (Fire Insurance) के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध को आवश्यक नहीं रखा गया है।

नये क़ानून

अतिरिक्त-आय-कर विल (Excess Profit Tax Bill) इस वर्ष के प्रारम्भ में ही पास कर दिया गया था। इस विल का वहुत अधिक विरोध हुआ। व्यापार की मैंने आपको जो अवस्था बतलाई है उसको देखते हुए यह बात विलकुल स्पष्ट हो जाती है कि इस

बिल को पास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि व्यापारियों को अतिरिक्त आय हुई ही नहीं। इसके कारण व्यापार मन्दा पड़ गया तथा नये उद्योग-धन्धे खोलने में लोग हिचकने लगे। यद्यपि मैं टैक्स लगाने के सिद्धान्त का विरोधी नहीं हूं किन्तु मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि उपरोक्त टैक्स असामयिक था तथा उद्योग और व्यवसाय पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा।

बैङ्कों के सम्बन्ध में क़ानून बनाने की आवश्यकता अभी तक ज्यों की त्यों है। रिज़र्व बैङ्क ने जो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में रखे हैं वे बहुत ही कड़े हैं तथा उनसे छोटे बैङ्कों पर बुरा असर पड़ेगा एवं भारत में इस व्यवसाय की प्रगति को ठेस लगेगी। युद्ध प्रारम्भ होने के कारण बैङ्कों की जो दुरवस्था हो गई है उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बिल पर बिचार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

मनी मार्केट (Money Market)

इस समय मनी मार्केट की स्थिति अच्छी है। इस वर्ष के प्रारम्भ में रुपये की मांग ज्यादा थी एवं चीजों का भाव बढ़ जाने के कारण सिक्के की मांग भी बढ़ी। नोटों के व्यवहार में काफी वृद्धि हुई। केन्द्रीय सरकार को अल्पकाल के लिये बहुत ऊंचे व्याज पर रुपया लेना पड़ा। निर्यात बिल (Export Bill) भी तेज रहे। एक्सचेञ्ज मार्केट शुरू से लेकर आखिर तक मजबूत रहा।

चीजों के भाव गिर जाने, स्टाक एक्सचेञ्ज में काम-काज कम होने तथा निर्यात कम हो जाने के कारण सिक्के की अधिकता मालूम पड़ने लगी। गत कुछ सप्ताहों में नोटों के व्यवहार में कुछ कमी हुई है तथा मनी मार्केट की परिस्थिति ठीक हो जाने के कारण सरकार को भी कुछ सुविधायें मिल गई हैं। ३ प्रतिशत व्याज पर ६ वर्ष के लिए जो डिफेन्स बान्ड (Defence Bond) निकले हैं उनकी काफी बिक्री हुई है और इससे अबतक करीब १८

करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। सन् १९४०-४३ में जो ५ प्रतिशत ऋ चुकाया जानेवाला है वह आसानी से दे दिया जायगा। सरकार को ऋण और भी ज्यादा मिलता लेकिन रिज़र्व बैङ्क की नीति तथा रुपये की अत्यधिक मांग के कारण ऐसा नहीं हो रहा है।

फ्रान्स का पतन हो जाने के बाद सरकारी सिक्योरिटी का भाव बहुत गिरा। रुपया लगानेवाली जनता को एक प्रकार का संशय-सा हो गया तथा नाना प्रकार की झूठी अफवाहों के कारण रुपये की मांग बढ़ती चली गयी। शुरू-शुरू में जो भी व्यक्ति रुपया मांगता उसे मिल जाता था, किन्तु जब सरकार ने देखा कि जनता में जो खलबली मची है वह घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है तब लोगों को आवश्यकतानुसार रुपया दिया जाने लगा। बम्बई की तरह कलकत्ते में भी चेञ्ज डिपो (Change Depot) खोल दिये गये और जनता को मालूम हो गया कि सरकार की आर्थिक परिस्थिति अच्छी है। एक रुपये के नोट जारी होने के बाद जनता में खलबली कुछ कम हो गयी क्योंकि जून मास से ही १) के नोट जारी करने की मांग होने लगी थी। अब मैं यह कह सकता हूं कि परिस्थिति अच्छी तरह काबू में आ चुकी है एवं मुद्रा की स्थिति के बारे में चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है। शायद रुपया इस समय संसार के सबसे ज़्यादा मज़बूत सिक्कों में गिना जाता है।

धन्यवाद

सज्जनो! मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया है तो भी विषय अधिक और समय कम होने के कारण सभी समस्यायों पर विचार नहीं हो सका है। इस सभा में आने की कृपा करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे समाज ने युद्ध में जो सहयोग दिया है वह प्रशंसनीय है। हम अपने देश की सेवा करते रहेंगे ऐसा करने से केवल हमारी जाति का ही नहीं किन्तु हमारे

देश का भी गौरव बढ़ेगा। चेम्बर के उत्साही अवैतनिक मन्त्री श्री किशोरीलाल जी ने अपने उत्साह और लगन से जो प्रशंसनीय कार्य किया है उससे चेम्बर की व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं उप-सभापति बा० मंगतूराम जी जैपुरिया, बाबूलाल जी राजगढ़िया, बैजनाथ जी भिवानीवाला और बाबू गदाधर जी बगड़िया तथा संयुक्त मन्त्री श्री पीताम्बरलाल जी अग्रवाल तथा सहायक मंत्री श्री मानिकलाल जी बिन्नानी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी विनम्रता, उत्साह एवं कार्यदक्षता सराहनीय है। आपलोगों ने मुझे जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं आप लोगोंको और खास कर श्री मदनलाल जी खेमका, श्री रूपनारायण जी गग्गड़ और श्री आनन्दीलालजी पोद्दार और राधाकृष्ण जी नेवटिया को धन्यवाद देता हूं, जिनके अदम्य उत्साह एवं जन-सेवा-व्रत के कारण यह चेम्बर आपकी सेवा करके आपका प्रियपात्र बन सका है।

चेम्बर की सन् १९३९ की वार्षिक रिपोर्ट

सभापति महोदय ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा :—सज्जनो ! आपके पास चेम्बर की सन् १९३९ की रिपोर्ट पहले ही भेज दी जा चुकी है। आपने उसे पूर्ण रूप से देखा होगा। अगर आप सज्जनों में से किसी को रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करना या कोई बात जाननी हो तो कृपया जान सकते हैं। पुनः आपने कहा कि इस रिपोर्ट में पेज नं० ३०३ में आडीटर्स रिमार्क हैं, जिनका संशोधन कर दिया जाय।

श्री बाबूलालजी सराफ —चेम्बर के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन की धारा ६९ के अनुसार चेम्बर का वार्षिक अधिवेशन

वर्ष के तीसरे महीने के अन्दर ही हो जाना चाहिये। फिर इतनी देर क्यों हुई ? क्या इसके लिये कमेटी ने स्वीकृति दे दी थी ?

श्री किशोरीलाल जी ढांढनियां—हां, इसके लिये कमेटी ने स्वीकृति दे दी थी।

श्री बाबूलाल जी सराफ—इस रिपोर्ट में सन् १९४० में जो सदस्य बने हैं उनके नाम भी सम्मिलित किये गये हैं। क्या यह नियमानुकूल है ?

सभापति—हां, यह दस्तूर मुताबिक़ ही है। रिपोर्ट छपने तक जितने सदस्य बने हैं उनके नाम इसमें दिये गये हैं।

श्री बाबूलाल जी सराफ—इस तरह सन् १९३९ ईस्वी की रिपोर्ट में सन् १९४० ई० में बने हुए सदस्यों का नाम नहीं आना चाहिये। मेरी समझ में यह अनियमित है।

सभापति—यह अनियमित नहीं है।

श्री बाबूलाल जी सराफ—रिपोर्ट में आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में पेज नं० २३ में लिखा गया है कि चेम्बर के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में कुछ संशोधन हुए हैं। वे क्या क्या हैं ?

श्री किशोरीलाल जी ढांढनियां—इस रिपोर्ट में परिवर्तित व संशोधित मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन छपे हुए हैं।

श्री बाबूलाल जी सराफ—सार्वजनिक संस्थाओं में चेम्बर के प्रतिनिधि विषय के अन्तर्गत कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी के संबंध में एक जगह लिखा है कि मि० डी० सी० मन्त्री चेम्बर के प्रतिनिधि हैं और दूसरी जगह लिखा है कि श्री मुरलीधर जी सोन्थलिया हैं सो इन दोनों में से किस सज्जन ने उपरोक्त कमेटी में यथार्थ में चेम्बर का प्रतिनिधित्व किया है ?

श्री किशोरीलाल जी ढांढनियां—यह छपाई की भूल है और कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी में श्रीयुक्त देवचन्दजी मन्त्री ही चेम्बर के प्रतिनिधि थे।

श्री बाबूलाल जी सराफ :—इसी विषय के अन्तर्गत आगे छपा है कि तारकेश्वर स्टेट मैनेजमेंट कमेटी से चेम्बर ने पूछा है कि कब इस कमेटी का पुर्नानर्माण होगा। यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है।

श्री गदाधर जी बगड़िया—तारकेश्वर स्टेट मैनेजमेन्ट कमेटी में मैंने स्वयं मंत्री महोदय से कहा था कि मुझे इस कमेटी के कार्यों में बड़ी तकलीफ और असुविधा होती है, अतः मेरी जगह वे दूसरा प्रतिनिधि चुन दें।

श्री बाबूलाल जी सराफ—रिपोर्ट अंगरेज़ी में सदस्यों को वितरण कराई गई है और हमारे अधिकांश सदस्य हिन्दी जाननेवाले हैं।

श्री किशोरीलाल जी ढांढनियां—रिपोर्ट हिन्दी में भी कमेटी के निश्चयानुकूल छपी है तथा सदस्यों में बांट दी गयी है।

श्री राधाकृष्ण जी नेवटिया—हिन्दी की रिपोर्ट जिस रूप में आनी चाहिये थी, उस रूप में नहीं आयी।

सभापति—अगले वर्ष हिन्दी की विस्तृत रिपोर्ट छपाई जानी चाहिये एवं सदस्यों में कुछ दिन पहले ही वितरण करा देनी चाहिये।

श्री किशोरीलाल जी ढांढनियां—हमारे पास चेम्बर में हिन्दी में कार्य करने के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण इस वर्ष देरी हुई थी। लेकिन एक हिन्दी टाईपराईटर मशीन श्रीयुक्त बाबू आनन्दीलाल जी पोद्दार ने प्रदान की है, और भविष्य में रिपोर्ट हिन्दी में छपने में तकलीफ न होगी।

श्री बाबूलाल जी सराफ—आय के हिसाब में जो बाकी चन्दा सम्मिलित किया गया है, वह बिलकुल अनुचित और ग़ैर कानूनी है।

सभापति—यह आय-व्यय का हिसाब तारीख ३१ दिसम्बर सन् १९३९ ईस्वी तक का है और इसमें कई सदस्यों का चन्दा बाकी रहना साधारण-सी बात है और जो चन्दा बाकी रहा है, उसे आय में क़ानूनन शामिल किया गया है।

श्री काशीनाथ जी गुटगुटिया—यह चेम्बर इस सम्बन्ध में एक लिमिटेड संस्था के सदृश्य है। अतः आय में आउट स्टैन्डिग चन्दा शामिल करना न्याय संगत है और इस वर्ष चेम्बर का हिसाब मर्केन्टाइल बेसिस पर जांच किया गया है। इसमें जो आपत्ति उठायी गई है, वह बिलकुल असंगत है।

श्री रामनाथ जी बगड़िया—इसमें आउट स्टैन्डिङ्ग सब्स-क्रीप्शन १०७३) दिखाया गया है। इसकी कौन गारन्टी लेता है कि रुपये वसूल हो जायेंगे ?

श्री मंगतूराम जी जैपुरिया—इसमें १०७३) रक्खा गया है वह बिलकुल ठीक है

श्री रामनाथ जी बगड़िया—मंत्री महोदय कृपया ये बतायें कि पिछले वर्षों में जो चन्दा बाकी रहा वह क्यों नहीं वसूल हुआ और जो चन्दा इस बार बाकी दिखाया गया है वह वसूल हुआ कि नहीं ?

श्री मंगतूराम जी जैपुरिया—मंत्री ने इस वर्ष से मर्कन्टाइल बेसिस पर हिसाब-किताब रखने का निश्चय किया है।

श्रीकिशोरीलाल जी ढांढनियां—सन् १९३९ ई० के बकाया चन्दे में से अधिकांश वसूल हो चुका है और बाकी है उसको भी प्रयत्न करके वसूल किया जा रहा है और जो चन्दा वसूल न होगा, वह कमेटी के सम्मुख पेश कर दिया जायगा।

श्री बाबूलाल जी सराफ—आउट स्टैन्डिङ्ग वेतन चुकाना बाकी दिखाया सो क्या बात है ?

सभापति—यह बिलकुल ठीक है। तारीख ३१ दिसम्बर सन् १९३९ ई० के दिन चेम्बर की जो-जो देन थी वे सब इसमें दिखाई गयी हैं।

श्री बाबूलालजी सराफ—फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री के नावें डेलीगेशन फी ६०) है, वह चेम्बर ने क्यों दी ?

श्री किशोरीलाल जी ढांढनियां—यह चेम्बर की तरफ से फीस दी गयी थी। परन्तु डेलीगेट्स नहीं जा सके इसलिये वह नावें रह गयी।

श्री बाबूलाल जी सराफ—१०१) कलकत्ता-वस्त्र-व्यवसायी संघ को जो दिया गया था, क्यों दिया गया था ?

श्री किशोरीलाल जी ढांढनियां—कमेटी के निश्चयानुसार।

सभापति—किसी और सज्जन को कोई बात पूछनी या जाननी हो तो पूछें।

किसी के कुछ न कहने पर सभापति ने प्रस्ताव किया कि सन् १९३९ ईस्वी की रिपोर्ट और आय-व्यय का हिसाब मय संशोधन के साथ पास कर दिया जाय।

प्रस्ताव मय संशोधनके सर्व सम्मतिसे पास हुआ।

सन् १९४० के लिये चेम्बर के पदाधिकारियों का चुनाव

सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि श्रीयुक्त मंगतूराम जी जैपुरिया सन् १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर के सभापति बनाये जायं।

श्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्दार ने समर्थन तथा श्रीयुक्त राधाकृष्ण जी नेवटिया ने अनुमोदन किया। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि रायसाहेब चन्दनमल जी करनानी सन् १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर के उप-सभापति बनाये जायं।

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने इसका समर्थन एवं श्री वाबूलाल जी राजगढ़िया ने इसका अनुमोदन किया तथा श्री वाबूलाल जी सराफ ने विरोध किया। सभापति ने नियमानुकूल इस पर मत मांगे तद[illegible]ल में चार भोट विरोध में आने के कारण प्रस्ताव वहुमत से स्व[illegible] हुआ।

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्री वावूलाल जी राजगढ़िया सन् १९४० ईस्वी के लिये उप-सभापति वनाये जायं।

श्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्दार समर्थन किया। प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्री वैजनाथ जी भिवानीवाला सन् १९४० ईस्वी के लिये उप-सभापति वनाये जायं।

श्री मिरजामल जी सरावगी ने प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका आगामी वर्ष के लिये चेम्वर के उप-सभापति वनाये जायं।

श्री आनन्दी लाल जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्री किशोरीलाल जी ढांढनियां आगामी वर्ष के लिये चेम्वर के अवैतनिक मंत्री चुने जायं।

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्री पीताम्वर लाल जी अग्रवाल आगामी वर्ष के लिये अवैतनिक संयुक्त-मंत्री चुने जायं।

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्री मानिकलाल जी विन्नानी आगामी वर्ष के लिये चेम्वर के अवैतनिक-सहायक-मंत्री चुने जायं।

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

सभापति ने प्रस्ताव किया कि श्री काशीनाथ जी गुटगुटिया आगामी वर्ष सन् १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर के अवैतनिक हिसाब-परीक्षक चुने जायं।

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने समर्थन किया और प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

सभापति महोदय ने कहा कि कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों के नामों का जो सुझाव रिटायरिंग कार्यकारिणी कमेटी से आये हैं, सो मैं आप लोगों को पढ़ सुनाता हूं तथा ये सज्जन आगामी वर्ष सन् १९४० ईस्वी की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य स्वीकार किये जायं।

श्री इन्द्रचन्द जी भुवालका ने सुझाव दिया कि इनमें कतिपय नामों के बदले नये नाम सम्मिलित किये जाने चाहिये।

तदन्तर श्रीयुक्त बाबूलाल जी सराफ ने भी सभापति जी से अनुरोध किया कि कुछ और नये नामों का सुझाव पेश किया जाय। बहुत वाद-विवाद के बाद श्री इन्द्रचन्द जी भुवालका और श्री बाबूलाल जी सराफ ने अपने सुझाव वापिस ले लिये।

सन् १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों का चुनाव

तदन्तर सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि निम्नलिखित सज्जन सन् १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य चुने जायं।

१	श्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्दार	मेसर्स जयनारायण जी रामचन्द्र
२	„ भैरूदान जी कोठारी	„ रावतमल जी भैरूदान

३	श्रीयुक्त द्वारकाप्रसाद जी झुनझुनवाला	मेसर्स बिसेसरलाल जी बृजलाल
४	,, गोकुलदास जी मोहता	,, छोटेलाल जी लक्ष्मी-नारायण
५	,, गंगाधर जी नेवटिया	,, बंशीधर जी सूरजमल
६	,, इन्द्रचन्द जी केजड़ीवाल	,, कनीराम जी हजारीमल
७	,, जीवनराम जी पेरीवाल	,, जीवनराम जी पेरीवाल
८	,, झुमरमल जी दफ्तरी	,, श्रीचन्द जी गणेशदास
९	,, खेतसीदास जी हरलालका	,, सुखदेव जी शिवनाथ
१०	,, किसनचन्द जी कोठारी	,, किसनचन्द जी कोठारी
११	,, लूणकरण जी भीमाणी	,, जीवनराम जी गंगाराम
१२	,, मोतीलाल जी तापड़िया	,, गोपीराम जी गोविन्दराम
१३	,, मुरलीधर जी सोन्थलिया	,, एम० डी० सोन्थलिया एन्ड कम्पनी
१४	,, मोहनलाल जी जालान	,, सूरजमल जी नागरमल
१५	,, मानिकचन्द जी जैन	,, रामवल्लभ जी रामेश्वर
१६	,, मिरजामल जी सरावगी	,, मिरजामल जी सरावगी
१७	,, मदनलाल जी झुनझुनवाला	,, रामदेव जी लक्ष्मीनारायण
१८	,, नेमीचन्द जी जैन	,, मदनचन्द जी नेमीचन्द
१९	,, नाथूराम जी गोयल	,, नाथूराम गोयल्स एस्टेब्लिस्मेंटस
२०	,, पुरुषोत्तमदास जी मोहता	,, रामकिसन जी जैकिसन
२१	,, रूपनारायण जी गग्गड़	,, रूपनारायण जी गग्गड़
२२	,, राधाकृष्ण जी नेवटिया	,, उमाशंकर एन्ड कम्पनी लि०
२३	,, रामनारायणजी भोजनगरवाला	,, गिरधारीलाल जी लक्ष्मी-नारायण
२४	,, रामकुमार जी सरावगी	,, महादेव जी रामकुमार

२५ श्रीयुक्त रामनाथ जी बगड़िया मेसर्स रामनाथ जी बगड़िया
२६ „ रणछोड़दास जी अजमेरा „ एच० डी० अजमेरा एन्ड कं०
२७ „ रामनारायण जी डागा „ जैसिंहदास जी डागा
२८ „ शिवकृष्ण जी भट्टड़ „ एस० के० भट्टड़ एन्ड कंपनी
२९ „ श्यामाप्रसाद जी जैपुरिया „ द्वारकाप्रसादजीकाशीप्रसाद
३० „ सोहनलाल जी मुरारका „ इन्डियन कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड
३१ „ सुन्दरलालजी डागा एम०एल०ए०,„ सुन्दरलालजी डागा
३२ „ उग्रसेन जी गोयल „ आर०के० पूनमचन्द एन्ड कं०

श्री बद्रीप्रसाद जी पोद्दार ने प्रस्ताव का समर्थन किया। श्री-पुरुषोत्तमदास जी केजड़ीवाल ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

सन् १९४० ईस्वी के लिये चेम्बर के पंचायत बोर्ड का चुनाव

सभापति महोदय ने प्रस्ताव किया कि चेम्बर के सन् १९४० ई० के पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी कमेटी के जो सदस्य चुने गये हैं वे ही सन् १९४० ई० के लिये चेम्बर के पंचायत बोर्ड के सदस्य चुने जायं तथा कमेटी को यह अधिकार रहे कि यह और १० आदमी आवश्यकतानुसार निर्वाचित कर ले एवं सन् १९४० ई० के लिये श्री काशीनाथ जी गुटगुटिया बी० काम०, आर० ए०, एफ० आर० ई० एस०, ए० एस० ए० ए० पंचायत बोर्ड के रजिस्ट्रार चुने जायं।

श्री आनन्दीलाल जी पोद्दार ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

सभापति श्रीयुक्त मंगतूराम जी जैपुरिया का भाषण

सभापति महोदय और महनुभावो !

आज के कार्य की समाप्ति के पहले हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपने गत वर्ष के सभापति श्री शिवकृष्ण जी भट्टड़ को धन्यवाद दें। आपने मुझे चेम्बर का सभापति बनाकर जिन जिम्मेवारियों का भार मेरे निर्बल कंधों पर डाल दिया है, उनसे मैं पूर्ण अवगत हूं। इस देश के व्यापार और उद्योग-धंधों के संरक्षण के लिये चेम्बर का उद्योग आगे की ओर बढ़े यह प्रयास मैं अवश्य करूँगा, और मुझे आशा है कि समस्त कार्यों में आपका सहयोग अवश्य ही मिलेगा।

हमारे सभापति महोदय ने गत तीन वर्षों की प्रगति और वर्तमान परिस्थिति की विशेषताओं पर काफी प्रकाश डाला है। उद्योग-धन्धों और वाणिज्य पर जिन समस्याओं का प्रभाव पड़ता है, उसके सिंहावलोकन से उनसे संबंध रखनेवाले कितने ही विषयों में सरकार की नीति का परिवर्तन और सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है।

भारतवर्ष में इस समय एक नया युग आता दिखाई पड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने नयी समस्याओं का जन्म दिया है और उसमें दिन प्रतिदिन जो प्रगति हो रही है उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को पूर्णरूप से निर्धारित करने के लिये उन प्रगतियों पर खूब मनन करना चाहिये। इस समय यूरोप में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके पूर्व की ओर फैलने के आसार दिखाई पड़ने लगे हैं और उनसे यह भी मालूम हो गया है कि हमारा देश इस युद्ध में कितना बड़ा भाग ले सकता है। इस बात को अब सभी महसूस करने लगे हैं कि भारतीय उद्योग-धन्धों को पूर्णरूप से पनपाने का अभी उपयोग ही नहीं किया गया है, और

विशेषतया देश की रक्षा में काम आनेवाले उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में तो बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अस्त्र-शस्त्र निर्माण करनेवाली फैक्टरियों की वृद्धि और मशीनगन, टैंक, हवाई जहाज आदि बनानेवाली कम्पनियों का इस दिशा में बड़ा हाथ होगा। विदेशों से आनेवाली बहुत सी आवश्यक वस्तुओं पर जो नियन्त्रण कर दिया गया है उसके कारण भी इस देश में अन्य कितने ही उद्योग-धन्धों की उन्नति का निर्देश हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि हमलोग इन अनुभवों से लाभ उठावेंगे, और हमारा देश विदेशी वस्तुओं के संबन्ध में स्वावलम्बी बन जायेगा।

रिटायरिङ्ग सभापति तथा अन्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद

श्रीयुक्त रूपनारायण जी गग्गड़ एम० ए०, बी० काम, बी० एल०, ने चेम्बर के रिटायरिङ्ग सभापति श्रीयुक्त शिवकृष्ण जी भट्टड़ को धन्यवाद देते हुए कहा कि—"आपने सदा चेम्बर को सहयोग दिया है, और इसका पथ-प्रदर्शन जिस योग्यता के साथ किया है, उससे चेम्बर के समस्त सदस्य अवगत हैं। इसलिये मैं कुछ विशेष न कहकर श्रीयुक्त भट्टड़ जी को पुनः धन्यवाद देते हुए आशा करता हूं कि वह चेम्बर के सभापति के पद से पृथक होने पर भी कमेटी के सदस्य की हैसियत से चेम्बर को पूर्ण सहयोग देंगे।"

पुनः गग्गड़ जी ने चेम्बर के नये सभापति श्रीयुक्त मंगतूराम-जी जपुरिया को धन्यवाद दिया। गग्गड़ जी ने चेम्बर के अवैतनिक मंत्री श्रीयुक्त किशोरीलाल जी ढांढनियां की सेवाओं की बहुत प्रशंसा की और इसके लिये उन्हें धन्यवाद दिया।

अन्त में गग्गड़ जी ने रिटायरिङ्ग कमेटी के सदस्यों और अन्य उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद दिया।

धन्यवाद के पश्चात् सभा विसर्जित हुई।

मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स की सब कमेटियां

---

१ इन्डस्ट्रीज़ सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त सेठ मंगतूराम जी जैपुरिया—चेयरमैन
२ रायसाहेब चन्दमल जी करनानी
३ श्रीयुक्त बाबूलाल जी राजगढ़िया, एफ० आर० एस० ए०
४ ,, मोहनलाल जी जालान
५ ,, गंगाविष्णु जी स्वाइका
६ ,, माणिकलाल जी बिन्नानी (अवै० सहायक मंत्री)
—संयोजक

२ जूट एवं गनी सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त बाबूलालजी राजगढ़िया, एफ०आर०एस०ए०—चेयरमैन
२ ,, मोहनलाल जी जालान
३ ,, हरखलाल जी लोढ़ा
४ ,, केदारनाथ जी बाजोरिया
५ ,, बाबूलाल जी सेठिया
६ ,, मुरलीधर जी सोन्थलिया
७ ,, माणिकलाल जी बिन्नानी (अवैतनिक सहायक मंत्री)
—संयोजक

३ एग्रिकल्चर एण्ड प्रोड्यूस सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त इन्द्रचन्द्र जी केजड़ीवाल—चेयरमैन
२ „ राधाकृष्ण जी नेवटिया, 'विशारद'
३ „ उग्रसेन जी गोयल, बी० ए०, बी० एल०
४ „ बनवारीलाल जी लाठ
५ „ पीताम्बरलाल जी अग्रवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री)
—संयोजक

४ सूगर सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त मंगतूराम जी जैपुरिया—चेयरमैन
२ „ मोहनलाल जी जालान
३ „ इन्द्रचन्द्र जी केजड़ीवाल
४ „ आनन्दीलाल जी पोद्दार
५ „ गंगाविष्णु जी खाइका
६ „ माणिकलाल जी बिन्नानी (अवैतनिक सहायक मंत्री)
—संयोजक

५ माइनिंग सब कमेटी :—

१ रायसाहेब चन्दनमल जी करनानी—चेयरमैन
२ रायबहादुर रामप्रसाद जी राजगढ़िया
३ श्रीयुक्त रणछोड़दास जी अजमेरा
४ „ रूपनारायण जी गग्गड़
५ „ नथमल जी भुवालका
६ „ किशोरीलाल जी ढांढनियां (अवै० मंत्री)
—संयोजक

६ इम्पोर्टर्स सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त जीवनराम जी पेरीवाल—चेयरमैन
२ „ लूणकरन जी मीमाणी

३ श्रीयुक्त रामनाथ जी बगड़िया
४ „ शान्तिलाल जी खरवार
५ „ बनारसीलाल जी सराफ
६ „ पीताम्बरलाल जी अग्रवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री)
—संयोजक

७ होशियारी मर्चेन्ट्स सब कमेटी :—

१ खान शेख़ मुहम्मदजान बहादुर, एम० एल० सी०—चेयरमैन
२ श्रीयुक्त झाबरमल जी मोदी
३ „ कस्तूरचन्द जी जैन
४ मास्टर ए० रहमान
५ श्रीयुक्त श्रीचन्द जी मोदी
६ शेख़ नूर इलाही

८ ला एन्ड लेजिस्लेशन सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका एटर्नी एट ला—चेयरमैन
२ " काशीनाथ जी गुटगुटिया, बी० काम०, आर० ए०, ए० एस० ए०, ए० एफ० आर० ई० एस० (लन्दन)
३ " रूपनारायणजी गग्गड़, एम०ए०,बी०काम०;बी०एल०,
४ " गंगाविष्णु जी स्वाइका
५ " किशोरीलाल जी ढांढनियां (अवै० मंत्री)—संयोजक

९ ट्रांसपोर्ट एन्ड कम्यूनिकेशन सब कमेटी:—

१ श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका, एटर्नी-एट-ला—चेयरमैन

२ श्रीयुक्त सोहनलाल जी मुरारका
३ " रूपनारायण जी गग्गड़, एम० ए० बी० काम, बी० एल०
४ " गंगाविष्णु जी स्वाइका
५ " श्यामाप्रसाद जी जैपुरिया
६ " पीताम्बरलाल जी अग्रवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री)
—संयोजक

१० म्युनिसिपल सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त राधाकृष्ण जी नेवटिया, विशारद—चेयरमैन
२ " आनन्दीलाल जी पोद्दार, कौंसिलर, कार्पोरेशन आफ कलकत्ता
३ " गोकुलदास जी मोहता, कौंसिलर कार्पोरेशन आफ कलकत्ता
४ " रूपनारायण जी गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल
५ " माणिकलाल जी बिन्नानी (अवैतनिक सहायक मंत्री)
—संयोजक

११ कस्टम्स, टेरिफ एन्ड पोर्ट कमिश्नर्स सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त जीवनराम जी पेरीवाल—चेयरमैन
२ " लूणकरन जी मीमाणी
३ " रामनाथजी बगड़िया
४ " उग्रसेन जी गोयल, बी० ए०, बी० एल०
५ " पीताम्बरलाल जी अग्रवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री)
—संयोजक

१२ जैनरल परपसेज सब कमेटी :—

१ श्रीयुक्त सेठ मंगतूराम जी जयपुरिया—चेयरमैन

२ श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका, एटर्नी एट ला
३ ,, बाबूलाल जी राजगढ़िया, एफ० आर० एस० ए०
४ ,, रूपनारायण जी गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी०एल
५ ,, गंगाविष्णु जी स्वाइका
६ ,, पीताम्बरलाल जी अग्रवाल (अवैतनिक संयुक्त मंत्री)

—संयोजक

मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स

१४३, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता।

सार्वजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व

—:o:*:o:—

बी० एन० रेलवे की लोकल एडभाइज़री कमेटी

बी० एन० रेलवे ने २ दिसम्बर १९३९ को चेम्बर के पास लिखा था कि कलकत्ते की वर्तमान एडभाइज़री कमेटी की अवधि का काल दिसम्बर १९३९ के शेष होते समाप्त हो जायगा। इसलिये उसने चेम्बर की तरफ से नई कमेटी में प्रतिनिधित्व करने के लिये एक नया प्रतिनिधि भेजने के लिये लिखा था। चेम्बर ने श्रीयुक्त मदनलालजी खेमका, एटर्नी-एट-ला, को कमेटी में चेम्बर का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना।

कमर्सियल म्युजियम और कलकत्ता कार्पोरेशन के स्वास्थ्य-प्रचार-विभाग की एडभाइज़री कमेटी

चेम्बर ने कलकत्ता कार्पोरेशन के सेक्रेटरी के पास २९ दिसम्बर १९३९ को कमर्सियल म्युजियम और स्वास्थ्य-प्रचार-विभाग में चेम्बर का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक नया उम्मेदवार भेजने के लिये लिखा था। इसको उन्होंने मंजूर कर लिया तो चेम्बर ने उक्त संस्था की कमेटी में प्रतिनिधित्व करने के लिये श्रीयुक्त राधाकृष्णजी नेवटिया (मेसर्स उमाशंकर कम्पनी लिमिटेड) को नियुक्त किया।

ट्राफिक एडभाइज़री बोर्ड

ट्राफिक एडभाइज़री बोर्ड में चेम्बर का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां (मेसर्स रामेश्वरलाल डेड-

राज) का २४ मई १९४० का लिखा हुआ पत्र चेम्बर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इसका कारण ढांढनियांजी ने यह बतलाया था कि वह ढाई वर्ष से बोर्ड में चेम्बर का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं, और विशेष कार्यवश भविष्य के लिये अवकाश लेना पसन्द करेंगे। ढांढनियांजी का पत्र पाकर चेम्बर ने २३ जून १९४० को एक सभा की, और उनके बदले में एक साल के लिये बोर्ड में चेम्बर का प्रतिनिधित्व करने के लिये कलकत्ता कार्पोरेशन के कौंसिलर श्रीयुक्त आनन्दीलालजी पोद्दार (मेसर्स जयनारायण रामचन्द्र) को नियुक्त किया।

टेरिफ कान्फरेन्स

कमर्सियल इन्टेलिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स के डायरेक्टर जेनरल ने अपने ६ मार्च १९४० के पत्र-द्वारा चेम्बर को सूचित किया था कि वह टेरिफ क्लासिफिकेशन्स एन्ड वेल्यूज़ (आयात-निर्यात-कर-सूची का वर्गीकरण और उसकी दर) के सम्बन्ध में जो आवश्यक परिवर्तन करने होंगे, उसके लिये चेम्बर की सलाह लेंगे। इसके लिये उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रत्येक साल नवम्बर या दिसम्बर में होनेवाली टेरिफ कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये चेम्बर को आमन्त्रित किया था और कान्फरेन्स में ५ प्रतिनिधियों को भेजने का अनुरोध किया था। टेरिफ वेल्यूज़ में आवश्यक संशोधन करने के लिये एक अर्द्ध-वार्षिक कान्फरेन्स करने की आवश्यकता आ पड़ी। इस कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये डायरेक्टर जेनरल ने चेम्बर को प्रतिनिधि भेजने के लिये लिखा था। चेम्बर का ओर से श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां (मेसर्स रामेश्वरलाल डेडराज), श्रीयुक्त मानिकलाल जी विन्नानी (मेसर्स शिवदास गिरधरदास) और श्रीयुक्त एन० एम० भुवालका (मेसर्स बिसेसरलाल चिम्मनलाल) ने कान्फरेन्स में भाग लिया।

मेडिकल कालेज के अस्पताल-विभाग की भिज़िटिंग कमेटी

वंगाल गवर्नमेन्ट ने ८ अप्रैल १९४० को चेम्बर के पास लिखा था कि मेडिकल कालेज के अस्पताल-विभाग की भिज़िटिंग कमेटी का १९४०-४१ के लिये पुनर्निर्माण होगा, और उसने नई कमेटी में प्रतिनिधित्व करने के लिये चेम्बर से एक उम्मेदवार भेजने का अनुरोध किया था। चेम्बर ने उक्त कमेटी में भाग लेने के लिये श्रीयुक्त मानिकलालजी बिन्नानी (मेसर्स शिवदास गिरधरदास) को अपना प्रतिनिधि चुना।

बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज़

चेम्बर ने १० अप्रैल १९४० को वंगाल गवर्नमेन्टके कृषि और औद्योगिक विभाग में एक पत्र भेजा। इसमें बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज़ में चेम्बर का एक प्रतिनिधि लेने के सम्बन्ध में जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उसका ज़िक्र किया गया था। वंगाल गवर्नमेन्ट ने अपने २३ अप्रैल १९४० के पत्र में चेम्बर का अनुरोध स्वीकार करने की असमर्थता प्रकट की थी। चूंकि बोर्ड में मारवाड़ी-समाज का प्रतिनिधित्व था, इसलिये चेम्बर का प्रतिनिधित्व नहीं स्वीकार किया गया।

बंगाल टेक्सटाइल इन्स्टीच्यूट श्रीरामपुर की प्रबंधकारिणी कमेटी

चेम्बर ने वंगाल गवर्नमेन्ट को १ दिसम्बर १९३९ को वगाल टेक्सटाइल इन्स्टीच्यूट श्रीरामपुर की प्रबंधकारिणी कमेटी में चेम्बर की ओर से एक सदस्य लेने के लिये पत्र लिखा था। इसमें चेम्बर ने अपने विभिन्न हितों के सम्बन्ध में, जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है, लिखा था; और इसलिये इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि चेम्बर से एक प्रतिनिधि ज़रूर लिया जाय। गवर्नमेन्ट ने चेम्बर

का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए लिखा कि चेम्बर से एक प्रतिनिधि ज़रूर लिया जायगा बशर्ते कि चेम्बर के सदस्यों के पास जब नौकरियां खाली हों, तो पहले उक्त संस्था के विद्यार्थियों को सुयोग दिया जाय। कमेटी में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये चेम्बर ने श्रीयुक्त नाथूरामजी गोयल को चुना।

रेलवे की इनफार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग

रेलवे की इनफार्मल कार्टर्ली मीटिंग में चेम्बर का प्रतिनिधित्व है। तीन मीटिंगों में जो क्रमशः ता० २६ जून, २५ सितम्बर, और २० दिसम्बर १९४० को हुईं, चेम्बर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त रूपनारायणजी गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०, ने किया।

रेलवे रेट्स एडभाइज़री कमेटी

उक्त कमेटी में चेम्बर की ओर से सर्व श्री एस० के० भट्टड़, जी० बगड़िया, एटर्नी-एट-ला, एम० आर० जैपुरिया (मेसर्स आनंदराम गजाधर), बी० एन० भिवानीवाला (मेसर्स लखमीचन्द बैजनाथ) और एच० आर० लोढा (मेसर्स छगनमल तोलाराम) प्रतिनिधित्व करते रहे।

कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी

कलकत्ता-कार्पोरेशन के कौन्सिलर श्रीयुक्त गोकुलदासजी मोहता ने कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी में चेम्बर का प्रतिनिधित्व किया।

सियाल्दह कैम्बेल अस्पताल की भिज़िटिंग कमेटी

चेम्बर ने बंगाल गवर्नमेन्ट के सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय-स्वायत्त-शासन-विभाग में कैम्बेल अस्पताल की भिज़िटिंग कमेटी में चेम्बर का एक प्रतिनिधि लेने के लिये लिखा था। पत्र में चेम्बर के सदस्यों की देश-सेवाओं का ज़िक्र करते हुए उक्त संस्था में चेम्बर का एक प्रतिनिधि रखना आवश्यक बतलाया गया था। इस पर

गवर्नमेन्ट ने चेम्बर को सूचित किया कि चूकि इस साल के लिये कमेटी का निर्माण हो चुका है, इसलिये चेम्बर अपना अनुरोध पुनः मार्च १९४१ के प्रारम्भ में रख सकता है।

मेयो अस्पताल की प्रबन्धकारिणी कमेटी

१६ अगस्त १९४० को मेयो अस्पताल के अधिकारियों के पास चेम्बर ने अपना एक प्रतिनिधि अस्पताल की प्रबन्धकारिणी कमेटी में रखने का आग्रह किया। इसमें यह बतलाया गया था कि मारवाड़ी-समाज अस्पताल के कार्यों में केवल दिलचस्पी ही नहीं लेता, बल्कि इसने अस्पताल की उन्नति के लिये पर्याप्त सहायता भी की है। अधिकारियों ने अपने ३० नवम्बर १९४० के जवाब में खेद प्रकट करते हुए लिखा था कि उक्त प्रतिनिधित्व अस्पताल की नियमावली के अनुसार मंजूर नहीं किया जा सकता।

कलकत्ता-वार-कमेटी

हिज़ एक्सिलेन्सी गवर्नर बंगाल ने २० जून को बंगाल-लेजिस्लेटिव चेम्बर में कलकत्तावासियों की प्रतिनिधि सभा का सभापतित्व किया। युद्ध की परिस्थिति पर वादविवाद करने तथा एक युद्ध-कमेटी बनाने के लिये सभा बुलायी गयी थी। गवर्नर महोदय ने चेम्बर से सभा में ५ प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया था। इसपर चेम्बर ने निम्नलिखित सज्जनों को चुना :—

सर्वश्री (१) एस० के० भट्टड़, (२) बाबूलालजी राजगढ़िया, एफ० आर० एस० ए० (मेसर्स बाबूलाल एण्ड कम्पनी लि०), (३) मंगतूरामजी जैपुरिया, (मेसर्स आनन्दराम गंगाधर), (४) सुन्दरलालजी डागा, एम० एल० ए० (सेन्ट्रल), (५) किशोरीलालजी ढांढनियां (मेसर्स रामेश्वरलाल डेडराज)।

चेम्बर के सभापति श्रीयुक्त एस० के० भट्टड़ कलकत्ता-युद्ध-कमेटी के एक सदस्य चुने गये।

दार्जिलिंग जूट कान्फरेन्स

बङ्गाल गवर्नमेंटने ४ मई १९४० को जूट का भाव निश्चित करने के लिये दार्जिलिंग में एक कान्फरेन्स बुलायी। इसमें प्रतिनिधि भेजने के लिये चेम्बर को भी आमन्त्रित किया गया था। चेम्बर की तरफ से श्रीयुक्त मदनलालजी खेमका, एटर्नी-एट-ला, और श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०, ने कान्फरेन्स में भाग लिया। चेम्बर के इन प्रतिनिधियों के सुझाव अन्य डेलि॰ गेटों को वहुत पसन्द आये और गवर्नमेन्ट ने भी इनका महत्व दिया।

१९४० के एक्सेस प्रोफिट-टैक्स-एक्ट-सम्बन्धी बोर्ड आफ रेफरीज़

भारत सरकार ने १९४० के एक्सेस प्रोफिट-टैक्स-एक्ट की धारा ३ की उपधारा (५) तथा धारा ६ की उपधारा (३) के अनुसार दरख्वास्तों की सुनवाई तथा धारा २ की उपधारा (५) के अनुसार अपील की सुनवाई के लिये बोर्ड आफ रेफरीज़ स्थापित करने का बिचार किया। भारत सरकार ने फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बस आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़ के पास ५ ऐसे सभी बड़े प्रान्तों के नन-आफिसियल सदस्यों के नाम, जिन्हें व्यापारिक अनुभव प्राप्त हों, तथा सभी छोटे प्रान्तों के ३ ऐसे नन आफिसियल सदस्यों के नाम, जिन्हें व्यापारिक अनुभव प्राप्त हों, और जो उक्त बोर्ड में काम कर सकें, पेश करने के लिये लिखा। फेडरेशन ने सभी प्रान्तों की सदस्य संस्थाओं को उक्त सदस्यों की संख्या चुनने के लिये निमन्त्रित किया। वोट होने पर बोर्ड में कार्य करने के लिये मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स से श्रीयुक्त आनन्दीलालजी पोद्दार (मेसर्स जयनारायण रामचन्द्र) ५ में से एक सदस्य चुने गये।

प्रान्तीय ट्रांसपोर्ट बोर्ड

चूकि बङ्गाल गवर्नमेंट ने प्रान्तीय ट्रांसपोर्ट बोर्ड में चेम्बर को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इसलिये चेम्बरने इस सम्बन्ध में आवश्यक कारवाई की। बङ्गाल लेजिस्लेटिव कौंसिल में मोटर वेहिकिल्स क़ानून के विषय के वादविवाद के सिलसिले में श्रीयुक्त भूपेन्द्रनारायण सिनहा वहादुर ने चेम्बर को शामिल करने के लिये एक संशोधन पेश किया। यद्यपि अग्रगण्य सदस्यों-द्वारा इसका बड़ा ज़बर्दस्त समर्थन हुआ, फिर भी गवर्नमेन्ट इस सुझाव से सहमत नहीं हुई। इस सम्बन्ध के बहस-मुबाहिसे के सिलसिले में उत्तर देते हुए आनरेबुल ख्वाजा सर नाज़ीमुद्दीन ने अपनी अनभिज्ञता के कारण चेम्बर के सम्बन्ध में कुछ अरुचिकर टिप्पणी की। इसलिये चेम्बर की कमेटी ने आनरेबुल मिनिस्टर के पास बड़ा ही ज़ोरदार प्रतिनिधित्व किया और उन्हें चेम्बर के सम्बन्ध में वास्तविक बातें बतलायीं। कमेटी ने इस सम्बन्ध की कारवाई जारी रखी।

तारकेश्वर स्टेट की प्रबन्धकारिणी कमेटी

श्रीयुक्त जी० बगड़िया, एटर्नी-एट-ला ने, जो उक्त संस्था में चेम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस साल इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर कमेटी में प्रतिनिधित्व करने के लिये चेम्बर ने श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए० बी० एल०, को नया प्रतिनिधि चुना।

फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़ का तेरहवां अधिवेशन

चेम्बर ने सर्वश्री मंगतूरामजी जैपुरिया, सुन्दरलालजी डागा, एम० एल० ए० (सेन्ट्रल), मदनलालजी खेमका, एटर्नी-एट-ला, और आर० एन० गग्गड़, एम० ए० बी० काम० बी० एल०, का फेडरेशन के तेरहवें अधिवेशन में, जो दिल्ली में ३० और ३१ मार्चको हुआ था, भाग लेने के लिये प्रतिनिधि चुना।

एक्सपोर्ट एडभाइज़री कौंसिल की कलकत्ता-पोर्ट-कमेटी

एक प्रेस-सूचना-द्वारा मालूम हुआ कि भारत-सरकारने व्यापार-विभाग में एक एक्सपोर्ट एडभाइज़री कौन्सिल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। उक्त संस्था में चेम्बर का प्रतिनिधित्व स्वीकार करने के लिये चेम्बर ने भारत-सरकार के पास तार-द्वारा अनुरोध किया। फलतः सरकार ने चेम्बर के सभापति का उपरोक्त कौंसल की कलकत्ता-पोर्ट-कमेटी में प्रतिनिधित्व स्वीकार किया।

सभायें और मुलाकातें

—**********—

रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड के सदस्य मि० जे० एच० एफ० रैपर

१९ अप्रैल १९४० को चेम्बर की कमेटी ने रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड के सदस्य मि० जे० एच० एफ० रैपर से चेम्बर के कार्यालय में भेंट की। मि० रैपर के साथ माल तथा मुसाफिरों का किराया, हवड़ा और कानपुर के दरम्यान पीसगुड्स के भाड़े की दर, हूकों तथा वर्षा के कारण पीसगुड्स की नुक़सानी, नाजायज़ घूसखोरी और रेलवे-दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वादविवाद हुआ। रेलवे के माल के भाड़े की दर में क्रमशः १२॥ तथा ६ प्रतिशत वृद्धि होने के सम्बन्ध में कमेटी ने यह बतलाया कि भाड़े की दर बढ़ाने की वजह वाणिज्य-व्यवसाय को, जो बड़ी संकटापन्न परिस्थिति से गुजर रहा है, अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। इसके पश्चात् कमेटी ने यह कहा कि माल के भाड़े की दर बढ़ जाने के ही कारण रूई तथा अन्य वस्तुओं का भाव फौरन गिर गया। इस सम्बन्ध में कमेटी ने अपनी राय दी कि उद्योग-धन्धों के ऊपर बोझ डाल कर रेलवे का कोष बढ़ाना अच्छी नीति नहीं। पुनः कमेटी ने कहा कि उम्मीद थी कि

वाणिज्य-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये रेलवे १ जून १९४० से भाड़े की दर कम कर शुरू की दर निर्धारित करेगी। पर कार्य इसके विपरीत हुआ। कमेटी ने इस सम्बन्ध में जो बेपरता भाड़ा निश्चित किया गया था, उसपर प्रकाश डाला। कमेटी ने यह कहा कि कानपुर से हवड़े तक का पीसगुड्स का भाड़ा, जिसमें जिम्मेदारी माल के मालिक की रहती है, प्रति मन एक रुपया एक आना लगता है, और इसके बावजूद उसी शर्त पर हवड़ा से कानपुर का भाड़ा दो रुपया, एक आना पांच पाई प्रति मन लगता है। इसके पश्चात् कमेटी ने यह भी बतलाया कि बंगाल के कपड़े की मिलों तथा करघे से तैयारी वस्त्रों के लिये ज़्यादा भाड़ा का परिणाम बड़ा घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन वस्तुओं को बाज़ार में विकट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में वर्षा के कारण पीसगुड्स की क्षति का ज़िक्र करते हुए कमेटी ने यह सुझाव पेश किया कि वर्षा में पीसगुड्स भेजने के लिये खास तरीके के डब्बों का प्रयोग किया जाय, या यदि इस कार्य के लिये रुपये खर्च करना रेलवे की नियमावली के अनुसार जायज़ न हो तो पीसगुड्स की बोझाई के पहले डब्बों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिये और माल बोझाई हो जाने पर दरवाजों को तिरपाल से बिलकुल ढक देना चाहिये। कमेटी ने यह सुझाव भी पेश किया कि यदि आवश्यक समझा जाय तो पीसगुड्स की पैकिंग के नियमों में भी संशोधन किया जाय, ताकि क्षति कम हो। कमेटी ने आगे चल कर बताया कि माल चढ़ाने-उतारने के समय रेलवे कुली बिलकुल लापरवाही से काम करते हैं। खास कर हूकों का प्रयोग बड़ी असावधानी के साथ किया जाता है, जिसके कारण पीसगुड्स को क्षति पहुंचती है। कमेटी ने यह सम्मति भी दी कि सभी रेलवे को कुलियों-द्वारा हूकों का प्रयोग बन्द कराना चाहिये, और इसके लिये कड़ी कारवाई करनी चाहिये। व्यापारी-वर्ग को

जो प्रायः नाजायज़ रिश्वत देनी पड़ती है, इसकी जांच करने के लिये कमेटी ने एक खास इन्कायरी कमेटी नियुक्त करने की सम्मति दी, जो इस मामले की पूरी जाँच-पड़ताल कर, इस हानिकर प्रथा को रेलवे से दूर करने के लिये आवश्यक सुझाव पेश कर सके। रेलवे-दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए कमेटी ने वतलाया कि जनता का आतंक दूर करने के लिये दुर्घटनाओं का वन्द करना आवश्यक है। इसके लिए रेलवे वोर्ड के अन्तर्गत खास सी० आई० डी० विभाग स्थापित करना तथा योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर अपराधियों का पता लगाना कमेटी-द्वारा अत्यन्त आवश्यक वतलाया गया। कमेटी ने राय दी कि इस विषय की कारवाई के लिये गवर्नमेंट पर ही निर्भर रहना ठीक नहीं। इसके पश्चात् कमेटी ने कहा कि ई० आई० आर० और ई० वी० आर० के कलकत्ता के लोकल एडभाइज़री वोर्ड में चेम्वर का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इसकी वावत वादविवाद भी हुआ, जिसमें कमेटी ने युक्तिपूर्ण तर्कों-द्वारा सिद्ध कर दिया कि उक्त वोर्डों में चेम्वर का प्रतिनिधि रखना जायज़ और ज़रूरी है। कमेटी ने कहा कि वी०एन०आर० ने अपने कलकत्ता की लोकल एडभाइज़री कमेटी में चेम्वर के प्रतिनिधित्व की ज़रूरत महसूस की, लेकिन ई० आई० आर० और ई० वी० आर० ने यह वतलाते हुए कि और प्रतिनिधि शामिल करने से उनके सदस्यों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा हो जायगी, चेम्वर के अनुरोध को ठुकरा दिया। कमेटी ने यह भी वतलाया कि पीसगुड्स के वाज़ार में चेम्वर का आधिपत्य है और इसके रेवेन्यू से रेलवे को अत्यधिक लाभ है; फिर भी यह खेद की वात है कि उक्त दोनों रेलवे की लोकल एडभाइज़री कमेटी में चेम्वर का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? मि० रैपर ने उत्तर में यह विश्वास दिलाया कि वह चेम्वर के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार करेंगे। उन्होंने अन्य आपत्तियों के ऊपर ध्यान देने का भी वचन दिया। मि० रैपर ने नाजायज़ घूसखोरी के सम्वन्ध में यह कहा कि इस सम्वन्धके

सच्चे मामले की सूचना सम्बन्धित रेलवे को देना चाहिये और साथ ही इस प्रथा के विरुद्ध सार्वजनिक मत संग्रह करना भी आवश्यक है।

नार्थ डिवीजन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर मि० के० एफ० सुभान, आई० पी०, जे० पी०

बड़े बाज़ारमें होनेवाले अपराधों तथा अन्य घृणित बुराइयों को रोकने के लिये और उनका पता लगाने के लिये आवश्यक मार्ग और उपाय निर्धारित करने के निमित्त मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स के सदस्य तथा अन्य कई प्रमुख नागरिकों ने २० अप्रैल १९४० को चेम्बर के कार्यालय में डिप्टी पुलिस कमिश्नर मि० सुभान से मुलाक़ात की। कई अन्य पुलिस अफसर भी उपस्थित थे। चोरी और सेंध आदि अपराधों के विरुद्ध सम्मिलित काररवाई करने की आवश्यकता पर विचार-विनिमय हुआ। उपस्थित महानुभावों में मि० के० एफ० सुभान के अतिरिक्त डिप्टी पुलिस कमिश्नर (साउथ कलकत्ता), रायबहादुर बनबिहारी मुकर्जी, असिस्टैंट पुलिस कमिश्नर खां साहेब इस्माइल, मि० अवनी गुप्त, (अफसर इन्चार्ज जोड़ासांकू थाना) मि० डी० भट्टाचार्य, (पोर्ट पुलिस के डिप्टी कमिश्नर) मि० आर० एन० गुप्ता, (इन्चार्ज बड़ाबाजार थाना) श्रीयुक्त बंशीधर जालान, श्रीयुक्त एस० आर० ढड्ढा, रायबहादुर श्रीयुक्त रामदेव चोखानी, श्रीयुक्त के० पी० खेतान, बार-एट-ला, श्रीयुक्त आर० एन० सूर, श्रीयुक्त एम० एल० खेमका, श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, श्रीयुक्त जी० बसु, श्रीयुक्त एस० आर० विश्वास, प्रमुख व्यक्ति थे। चेम्बर के सभापति श्रीयुक्त एस० के० भट्टड़ ने अपने भाषण में बड़े बाज़ार की चोरी बन्द करने पर ज़ोर दिया था। उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके भाषण को श्रीयुक्त मदनलालजी खेमका ने पढ़कर सुनाया। उक्त भाषण में पुलिस अधिकारियों का ध्यान क्लाइव स्ट्रीट, क्रास स्ट्रीट तथा बड़े बाज़ार के अन्य व्यापारिक केन्द्रों में सशस्त्र

पुलिस रखने के लिये आकर्पित किया गया था। भाषण में बड़े बाज़ार के लिये रात को स्पेशल कान्स्टेबलों की नियुक्ति की सलाह दी गयी थी। गंगा-स्नानार्थी स्त्रियों की रक्षा के लिये खासकर ४ वजे रात से लेकर ८ वजे दिनतक सड़कों पर स्पेसल कान्स्टेवलों की तैनाती आवश्यक बतायी गयी थी। मि० सुभान ने इस सम्बन्ध में जनता के सहयोग की आवश्यकता वतलायी और उन्होंने उक्त रचनात्मक सुझाव के लिये चेम्बर को धन्यवाद दिया। चोरी और सेंध के अभियोगों के सम्बन्ध में मि० सुभान ने वतलाया कि इस तरह के काम प्रायः नौकरों की सहायता से ही होते हैं और इसलिये नौकर वहाल करने के पहले मालिकों को चाहिये कि वे उनकी चाल-चलन का पता ज़रूर लगा लें। मि० सुभान ने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिये उन्होंने स्थानीय अफसरों को हुक्म दिया है कि यदि कोई आदमी नौकर वहाल करना चाहे और उसकी वावत आवश्यक पूछताछ करे, तो वे उस हालत में उसकी मदद करें। इस आक्षेप के सम्बन्ध में कि गंगा स्नान के लिये रास्ते में आते-जाते समय स्त्रियों के गहने लूटे गये हैं, मि० सुभान ने कहा कि लगभग चार हज़ार स्त्रियां प्रतिदिन सवेरे गंगा स्नान के लिये जाती हैं, जिनके साथ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहती और पुलिस के लिए यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक स्त्री की रक्षा का समुचित प्रवन्ध कर सके। मि० सुभान ने इस सम्वन्ध में सम्मति दी कि चेम्बर स्वयंसेवकों का एक दल संगठित करे जो पुलिस के सहयोग से काम करे। पुलिस की गश्ती लगाने के सम्वन्ध में उन्होंने कहा कि रात के ४ वजे से लेकर ८ वजे सवेरे तक के लिए उन्होंने इसकी व्यवस्था कर दी है। पुनः मि० सुभान ने एक और दिक्कत पेश की कि जिन स्त्रियों के जेवर लूटे जाते हैं, वे अदालत में गवाही देने के लिए जाना स्वीकार नहीं करतीं, जिसकी वजह अभियुक्तों के नाम पुलिस की रिकार्ड में लाने में कठिनाई होती है। उन्होंने विश्वास

दिलाया कि फरियादी स्त्रियां यदि अपनी गवाही अदालत में देना स्वीकार करें, तो उनके लिए पर्दे की व्यवस्था की जा सकती है। भिक्षुक-समस्या के सम्बन्ध में मि० सुभान ने यह कहा कि यह मसला तभी हल हो सकता है जब गवर्नमेंट और कार्पोरेशन कलकत्ते में एक भिक्षुक-गृह की स्थापना करें और उसका खर्च वहन करें। बड़े बाजार की सड़कों में घूमनेवाले सांडों के सम्बन्ध में जो प्रायः चलने-फिरने का मार्ग रोक रखते हैं, जिसकी वजह से आदमियों को आने-जाने में कठिनाई पड़ती है, मि० सुभान ने यह राय दी कि यह तक़लीफ तभी दूर हो सकती है जब शहर के बाहर सांड़ों के रहने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाय, जहां उनकी देख-रेख हो सके। सभा के अन्त में चेम्बर के अवैतनिक मंत्री श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां (मेसर्स रामेश्वरलाल डेडराज) ने अतिथियों को नाश्ता-पानी कराया।

डाक्टर हुसेन, पी० एच० डी० (हेडेलबर्ग) सेक्रेटरी इम्प्लायमेंट ब्यूरो, ढाका युनिवर्सिटी

ढाका युनिवर्सिटी के इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो के सेक्रेटरी डाक्टर हुसेन पी० एच० डी० (हेडेलबर्ग) ने अपने १० मई १९४० के पत्र में चेम्बर को सूचित किया कि ढाका युनिवर्सिटी की कार्यकारिणी समिति की अनुमति से वह युनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और अन्डर-ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए विभिन्न वाणिज्य-व्यवसाय तथा शिल्प की शिक्षा के विषय में चेम्बर से विचार-विमर्श करना चाहते हैं। चेम्बर के कार्यालय में चेम्बर के अवैतनिक मंत्री श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां (मेसर्स रामेश्वरलाल डेडराज) ने ७ जून १९४० को मि० हुसेन से भेंट की और उनके साथ उक्त विषय पर क़ाफी देरतक बातचीत की। डाक्टर हुसेन ने चेम्बर से इसके ख़ास-ख़ास सदस्यों की सूची भेजने के लिए अनुरोध किया, जिससे वह

ग्रेजुएटों को काम देने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप में मिल सकें। उन्होंने यह उत्सुकता प्रकट की कि वह चाहते हैं कि विद्यार्थियों को व्यवसायी फर्मों में अपरेन्टिस के बतौर काम मिल जाय, ताकि उन्हें व्यापार-सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके। डाक्टर हुसेन ने यह सम्मति भी दी कि जब-कभी चेम्बर के सदस्यों के यहां नये आदमियों की दरकार हो तो चेम्बर को सूचित करें, और जब चेम्बर के पास इस तरह की खबर मिले, तो वह ढाका युनिवर्सिटी के इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो को सूचना दे, जिससे योग्य उम्मेदवारों के नाम पेश किये जा सकें। चेम्बर के मन्त्री महोदय ने डाक्टर हुसेन को विश्वास दिलाया कि उन्हें इस सम्बन्ध में चेम्बर का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त होगा।

सर जेम्स बी० टेलर के० सी० आई० ई०, गवर्नर, रिज़र्व बैंक

चेम्बर की तरफ से एक डेपुटेशन रिज़र्व बैंक के गवर्नर सर जेम्स बी० टेलर के० सी० आई० ई० से रुपये तथा छोटे सिक्कों की कमी के कारण उत्पन्न बाज़ार की परिस्थिति पर बातचीत करने के लिये मिला। डेपुटेशन में सर्वश्री आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम० बी० एल०, मदनलालजी खेमका, एटर्नी-एट-ला, कलकत्ता कार्पोरेशन के कौन्सिलर आनन्दीलालजी पोद्दार तथा चेम्बर के अवैतनिक मन्त्री श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां मौजूद थे। बाज़ार में सिक्कों की कमी के कारण व्यवसाइयों को जो असुविधायें हो रही थीं, उस पर चेम्बर ने प्रकाश डाला, और रिज़र्व बैंक को इसे दूर करने के लिये आवश्यक काररवाई करने की सम्मति दी। सर जेम्स ने कहा कि रिज़र्व बैंक के पास रुपये तथा छोटे सिक्के क़ाफी हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार दिया जा सकता है। उन्होंने सिक्कों की कमी का कारण यह बतलाया कि कुछ लोगों ने सिक्का दबा रखने

का अव्यावसायिक तरीक़ा अख़्तियार कर रखा है, जिससे व्यापार की प्रगति अवरुद्ध होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिक्कों को रोक रखने की वजह केवल वाणिज्य-व्यवसाय को ही नहीं धक्का पहुंचेगा, बल्कि देश के हित की दृष्टि से यह प्रवृत्ति घातक सिद्ध होगी। डेपुटेशन ने कहा कि यद्यपि चेम्बर ने जनता को आवश्यकता से अधिक सिक्के जमा करने की मनाही की है, फिर भी परिस्थितिवश ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है, जिससे चेम्बर के सदस्यों को क्षति उठानी पड़ रही है। तब सर जेम्स ने यह राय दी कि चेम्बर प्रतिदिन बीस हज़ार रुपये तथा दस हज़ार छोटे सिक्के भुनाने की व्यवस्था कर सकता है। चेम्बरने यह राय मंजूर की और वादा किया कि इस सम्बन्धमें आवश्यक काररवाई की जायगी।

मि० एम० एम० स्टुअर्ट, आई० सी० एस०, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हवड़ा

१७ जुलाई १९४० को चेम्बर का डेपुटेशन, जिसमें सर्वश्री एम० आर० जैपुरिया, मदनलालजी खेमका, एटर्नी-ऐट-ला, आर० एन० गग्गड़, एम० ए० बी० काम० बी० एल०, आनन्दीलालजी पोद्दार तथा चेम्बर के अवैतनिक मंत्री किशोरीलालजी ढांढनियां सम्मिलित थे, हवड़ा के जिला मजिस्ट्रेट मि० एम० एम० स्टुअर्ट से मिला। भारतीय रक्षा-कानून के अन्तर्गत हवड़ा स्टेशन में, रुपया तथा छोटे सिक्के जमा कर कलकत्ते के बाहर ले जाने के अभियोग में जितनी तलाशियां और गिरफ्तारियां हुई थीं, उसके सम्बन्ध में बातचीत हुई। जिला मजिस्ट्रेट डेपुटेशन से बड़ी विनम्रता से मिले। उन्होंने कहा कि रुपये तथा छोटे सिक्के एकत्र कर कलकत्ते से बाहर ले जानेवाली घातक प्रवृत्ति समस्त देशके लिये और विशेषतः वाणिज्य-व्यवसाय के लिये कितनी हानिकारक है, चेम्बर को इसे महसूस करना चाहिये। डेपुटेशन ने यह बतलाया कि चेम्बर इस काम

के लिये लागों को मना करता आ रहा है, फिर भी इस विषय में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वे बड़ी अनुचित और आपत्तिजनक हैं। डेपुटेशन ने यह सुझाव भी दिया कि चेम्बर मुसाफिरों के बक्स अच्छी तरह जांच कर आवश्यकता से अधिक सिक्के नहीं पाने पर सील कर सकता है, ताकि उन्हें स्टेशन पर दिक़त न उठानी पड़े। डेपुटेशन ने यह सलाह भी दी कि चेम्बर के स्वयंसेवक आनरेरी मजिस्ट्रेट के सहयोग में मुसाफिरों के माल-असबाब की तलाशी ले सकते हैं। महिला-यात्रियों के माल-असबाब की तलाशी लेने के लिये चेम्बर ने स्त्री-टिकट-कलक्टरों की सहायता लेने की राय दी। अन्त में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डेपुटेशन ने सर्कूलर निकाल कर जनता को आवश्यकता से अधिक सिक्के कलकत्ते के बाहर ले जाने की मनाही करने का वचन दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी चेम्बर के सुझावों को मंजूर कर लिया।

कलकत्ते के मेयर मि० ए० आर० सिद्दीकी

२१ जुलाई १९४० को चेम्बर के संयुक्त मन्त्री श्रीयुक्त पीताम्बरलाल जी अग्रवाल-द्वारा चेम्बर के हालमें कलकत्ते के मेयर मि० ए० आर० सिद्दीकीसे मुलाक़ात करने के लिये एक चाय-पार्टी दी गई। कमेटी के कतिपय सदस्यों के अतिरिक्त कई अफसर तथा अन्य लोग एकत्र थे। चेम्बर का निमन्त्रण स्वीकार करने की उदारता के लिये चेम्बर के सभापति श्रीयुक्त एस० के० भट्टड़ ने मेयर को धन्यवाद दिया। इसके पश्चात् सभापति ने कई नागरिक विषयों की चर्चा की और असेसमेन्ट के नियमों में संशोधन करने की राय दी। कलकत्ता के नार्थ डिवीजन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर मि० सुभान ने, ए० आर० पी० के संगठन की चर्चा की। उत्तर में मेयर ने कहा कि इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये वह अपनी शक्ति भर कार्य करेंगे। पर इस योजना को सफल बनाने के लिये मेयर ने चेम्बर तथा जनता के सहयोग की अपील की।

मि० जे० एफ० शीही, सी० एस० आई०, आई० सी० एस०

२९ जुलाई १९४० को चेम्वर का एक डेपुटेशन सेन्ट्रल वोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य मि० जे० एफ० शीही, सी० एस० आई०, आई० सी० एस० से मिला, जिसमें सर्वश्री वावूलाल राजगढ़िया, (चेम्वर के उप-सभापति), नाथूराम गोयल रघुपति घटक और चेम्बर के अवैतनिक मन्त्री के० एल० ढांढनियां सम्मिलित थे। डेपुटेशन ने यह सुझाव पेश किया कि जब कभी अधिक तथा आपत्तिजनक टैक्स की मांग की जाय और उसके विरुद्ध अपील की जाय, तो अपील देखने वाले असिस्टेन्ट कमिश्नर को यह अधिकार दिया जाय कि जब तक अपील का फैसला न हो जाय, तबतक वह टैक्स की वसूली मुलतवी रखने की वावत दिये गये अर्जीदावे पर विचार करे। सदस्य महोदय ने उत्तर में कहा कि इण्डियन इनकमटैक्स एक्ट की धारा ४५ के अनुसार इस तरह के अर्जीदावे के विचार का अधिकार क़ानूनन इनकमटैक्स आफिसर को है, असिस्टेन्ट कमिश्नर को नहीं। इस विषय पर सदस्य महोदय ने चेम्बर का ध्यान इनकमटैक्स मैनुअल (७ वां संस्करण) के नोटिस एण्ड इन्सट्रक्शन्स के पैराग्राफ ११५ में दी गई इनकमटैक्स विभाग की हिदायत की ओर आकर्षित किया, जो निम्नलिखित है :—

"जब इनकमटैक्स आफिसर देखे कि अर्जीदावा जायज़ है, तो उसे राय देते समय टैक्स के विवादग्रस्त हिस्से की वसूली, धारा ४५ के अनुसार मुलतवी कर देनी चाहिये, और करदाता को सिर्फ उसी हिस्से की वसूली का हुक्म देना चाहिये, जो विवादग्रस्त न हो; क्योंकि उसकी वसूली में देर नहीं की जा सकती।" इसके वाद सदस्य महोदय ने डेपुटेशन को विश्वास दिलाया कि इसके अलावा यदि कोई कठिनाई आवे. तो उसे करदाता इनकमटैक्स

आफिसर को सूचित कर, उनकी मदद ले सकता है। डेपुटेशन ने इस पर भी प्रकाश डाला कि इनकमटैक्स के अधिकारी नये कर-दाताओंका अनुसन्धान करने के लिये एक्ट की धारा ३ के अनुसार वही-खाते मंगा लेते हैं। अतः डेपुटेशन की ओर से कहा गया कि अधिक दिन तक वही-खाते रोक रखने के कारण व्यवसायियों के कामकाज में कठिनाई होती है, और उन्हें अनावश्यक झंझट उठाना पड़ती है। उत्तर में सदस्य महोदय ने कहा कि इनकमटैक्स एक्ट के चतुर्थ परिच्छेद की आवश्यकताओं के अनुसार इनकमटैक्स अधि-कारी कोई भी जरूरी वही धारा ३९ के मुताविक़ नहीं, वल्कि धारा ३७ के मुताविक़, पेश करने के लिये कह सकते हैं। वही देखते समय यदि इनकमटैक्स आफिसर, किसी और जरूरत से, उसमें का कोई हिसाव उतारना चाहे, तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। सदस्य महोदय ने कहा कि अफसरों को इनकमटैक्स महकमे से हिदायत दी जा चुकी है कि वे अपनी इन्कायरी के समय करदाताओं को अनावश्यक झंझट-वखेड़े में न डालें। जिस करदाता के हिसाव के वही-खाते की संख्या वहुत अधिक हो, उसे वहियों के निरीक्षण के लिये अपने आफिसमें आनेके लिये वाध्य न कर, करदाता के अनुरोध करने पर स्वयं इनकमटैक्स-आफिसर, करदाता के आफिस में जाकर उसकी वहियोंका निरीक्षण कर सकता है।

चेम्बर के डेपुटेशन ने राय दी कि अपील सुननेवाले न्यायालय के सदस्य वोर्ड आफ रेवेन्यू के वदले स्वतन्त्र न्यायालयों के, जैसे फेडरल कोर्ट आफ इन्डिया तथा प्रान्तीय हाईकोर्ट के, होने चाहिये। इसके उत्तर में सदस्य महोदयने कहा कि न्यायालय का निर्माण अदालती तथा एकाउन्ट-विभाग के सदस्यों को ही लेकर किया जायगा, जिसके लिये वोर्ड ने हाईकोर्ट को वहांके योग्य सदस्यों के नाम पेश करने के लिये लिखा है। एकाउन्टेन्ट सदस्यों के सम्बन्ध में सदस्य महोदयने कहा कि शीघ्र ही आवेदनपत्र लिये जायेंगे और

उम्मेदवारों का चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन-द्वारा किया जायगा और चुने हुए उम्मेदवारों में से सेन्ट्रल गवर्नमेंट सदस्य चुनेगी।

कलकत्ता-कार्पोरेशन के कमर्सियल म्युज़ियम में व्यापारियों की कान्फरेन्स

२२ सितम्बर १९४० को कलकत्ता-कार्पोरेशन के कमर्सियल म्युज़ियम में व्यवसायियों की एक कान्फरेन्स हुई। कान्फरेन्स का उद्देश्य था विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में काम करनेवाले व्यवसायियों के अन्दर पारस्परिक सद्भाव और ऐक्य स्थापित करना। कान्फरेन्स में भाग लेनेवाले व्यापारियों की संख्या पर्याप्त थी। चेम्बर ने कान्फरेन्स में प्रमुख भाग लिया और इसके आयोजकों को हर तरह की मदद दी।

मिनिस्ट्री आफ सप्लाई मिशन के लीडर सर अलेकजैन्डर रोजर

कलकत्ते के व्यापारी-समाज से सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से मिनिस्ट्री आफ सप्लाई मिशन के नेता सर अलेकजेन्डर रोजर ने १ सितम्बर १९४० को ग्रेट इस्टर्न होटल में कई व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की। इस अवसर पर चेम्बर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त सुन्दरलालजी डागा, एम० एल० ए० (सेन्ट्रल) ने किया। भारतीय व्यापारिक संस्थाओं के सदस्यों ने अपनी कई असुविधाओं का उल्लेख किया और सम्मति दी कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया के सप्लाई डिपार्टमेन्ट और व्यापारी-समाज के बीच सहयोग स्थापित करने की ज़रूरत है। उन लोगों ने भारत में हवाई जहाज, जहाज तथा रसायनिक पदार्थ के कारखाने स्थापित करने की भी राय दी।

मि० ई० एस० कृष्णमूर्ति, एम० ए०, एल० एल० बी०, इन्डियन गवर्नमेन्ट ट्रेड कमिश्नर,

१० सितम्बर १९४० को चेम्बर की कमेटी ने चेम्बर के कमेटी रूम में जापानी विभाग का कार्य देखने के लिये नियुक्त इन्डियन गवर्नमेंटके ट्रेड कमिश्नर मि० कृष्णमूर्ति एम० ए०, बी० एल०, से मुलाक़ात की। इन्डो-जापानी व्यापार-सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ। (१) जापान में भारत की निर्यात-वृद्धि की सम्भावनायें। (२) जापानी शीपरों-द्वारा शीपमेन्ट में विलम्ब होने पर क्षतिपूर्ति न करना। (३) भारतीय और जापानी शीपरों के साथ व्यवहार में पक्षपात। (४) जापान से भारत के लिये भेजे जानेवाले पीसगुड्स के शीपमेन्ट के दोष तथा (५) इम्पोर्टरों की ज़रूरत के स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े) और अन्य जानने योग्य विषयों पर वाद-विवाद हुआ।

बंगाल गवर्नमेन्ट के इम्प्लायमेन्ट एडवाइज़र, मि० कीथ काटन राय, आई० सी० एस०

बंगाल गवर्नमेंट के इम्प्लायमेन्ट एडभाइज़र मि० कीथ काटन राय, आई० सी० एस० ने १४ सितम्बर १९४० को चेम्बर के कमेटी रूम में चेम्बर की कमेटी से मुलाक़ात की। मुख्यतः, इन्डियन आर्मी के आर्डनेन्स डिपार्टमेन्ट के लिये टेकनिसियनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में तथा कारखानों में बंगाली युवकों को नौकरी देने के सम्बन्ध में बातचीत हुई। बातचीत के सिलसिले में मि० राय ने कहा कि चेम्बर के सदस्यों के फर्मों में यदि कल-कारखाने-सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी हों और वे आर्मी के आर्डनेन्स डिपार्टमेन्ट में नौकरी करना चाहें, तो उनके नाम गवर्नमेंट के पास

भेजे जा सकते हैं। मि० राय ने बंगाली युवकों की नौकरी की समस्या पर बोलते हुए कहा कि चेम्बर के सदस्यों का कारबार प्रायः सभी तरह के व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसलिये वे तीन-चार बंगाली युवकों को वर्कशाप और फैक्टरी में बहाल कर उन्हें काम सिखलावें। चेम्बर की कमेटी ने मि० राय को पूर्ण सहायता देने का वचन दिया और चेम्बर के कई सदस्यों के पास सूचना-पत्र भेजकर उक्त कार्य में बंगाल गवर्नमेंट को सहयोग देने का अनुरोध किया। सदस्यों ने सन्तोषप्रद उत्तर दिया।

भारत-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग के सदस्य माननीय सर ए० रामास्वामी मुदालियर

२५ सितम्बर १९४० को चेम्बर की कमेटी ने भारत- सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग के सदस्य माननीय सर ए० रामास्वामी मुदालियरसे मुलाकात की। कई विषयोंपर वाद-विवाद हुआ। मुख्यतः एक्सपोर्ट एडभाइज़री कौन्सिल, खनिज-शिल्प की समस्या, अवरक-व्यवसाय और शिल्प, देश के प्रमुख उद्योग-धन्धों का संगठन, अमेरिका से डालर देकर रसायनिक पदार्थ खरीदने, शत्रु फर्म और उनकी सम्पत्ति, भारतीय उत्पादन की खपत के लिये नया बाज़ार ढूंढ़ना, ट्रेड कन्ट्रोलरों और इन्सपेक्टरों का हुक्म मानना, तथा रूई-सम्बन्धी इन्डो-जापानी समझौते पर वाद-विवाद हुआ। वाद-विवाद में जितने प्रश्न उठाये गये, कमेटी के सदस्यों ने उनके हर पहलू की पूरी व्याख्या की, और उक्त विषयों के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की स्थिति स्पष्ट की। सर रामास्वामी ने चेम्बर को विश्वास दिलाया कि चेम्बर ने जिन असुविधाओं का उल्लेख किया है, उनके सम्बन्ध में आवश्यक काररवाई की जायगी, और उन्हें कम करने की कोशिश की जायगी।

नियम-कानून

दि बंगाल शोप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेन्ट्स बिल

बंगाल गवर्नमेंट के व्यापार और श्रम विभाग ने १९दिसम्बर १९३९ को चेम्बर के पास एक पत्र लिखा था। इस पत्र में गवर्नमेंट ने शोप्स एन्ड इस्टैब्लिशमेन्ट्स बिल पर चेम्बर की सम्मति मांगी थी। दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा जनता के आमोद-प्रमोद के स्थानों में काम करनेवाले कर्मचारियों की छुट्टियां, काम के घन्टे, वेतन चुकाना आदि निश्चित करने के लिये गवर्नमेंट-द्वारा उक्त बिल पेश किया गया था। बिल पर जनता की सम्मति लेने के लिये गवर्नमेंट ने इसे ६ दिसम्बर १९३९ के कलकत्ता गज़ट के असाधारण संस्करण में प्रकाशित कराया था। बिल पेश करने का उद्देश्य और कारण यह बतलाया गया था कि दुकानदारों की स्वेच्छापूर्ण प्रतियोगिता (खास कर म्युनिसिपेलिटी के भीतर) की वजह दुकानें अनुचित समय तक खुली रखी जाती हैं, और कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य को खतरे में रख कर अनिश्चित घन्टों तक काम करना पड़ता है। इसलिये गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि कर्मचारियों की तकलीफ दूर करने के लिये दुकानदारों और विक्रेताओं के कार्य के समय पर नियन्त्रण रखना ज़रूरी है। इसलिये बिल में रात के ८ बजे दुकान बन्द करने तथा कर्मचारियों के सप्ताह भर के काम के निश्चित घन्टे निर्धारित करने का नियम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दुकान में सप्ताह में एक दिन की पूरी और एक दिन की आधी बन्दी रखने का भी नियम रखा गया था। बिल में व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, और मनोविनोद के स्थानों के लिये ख़ास नियम बनाया गया था। बिल में आकस्मिक छुट्टी, वेतन चुकाने तथा अतिरिक्त काम की मज़दूरी के लिये भी नियम थे।

उक्त बिल बंगाल लेजिस्लेटिव कौन्सिल में पेश किया गया था, और ३१ जनवरी १९४० के अन्दर जन-मत लेने के लिये सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया था। बिल चेम्बर के सदस्यों के विभिन्न हितों से सम्बन्धित था, इसलिये चेम्बर ने इस विषय में प्रमुख भाग लिया। चेम्बर ने बिल पर अन्य प्रान्तों के मत संग्रह करने का आयोजन किया। चेम्बर ने बिल के सम्बन्ध में देश की विभिन्न वाणिज्य-व्यवसाय-विषयक संस्थाओं की राय संग्रह की और इस सम्बन्ध की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। फलतः, २५ जनवरी १९४० को इस चेम्बर के अन्तर्गत वाणिज्य-व्यवसाय-विषयक विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स हुई। कान्फरेन्स ने यह प्रस्ताव पास किया कि बिल पर जन-मत लेने के लिये गवर्नमेंट ने जो ३१ जनवरी १९४० तक समय दिया है, वह २९ फरवरी १९४० तक बढ़ा दिया जाय। पुनः कान्फरेन्स ने निश्चय किया कि समय बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट से अनुरोध किया जाय। चूंकि बिल व्यवसायियों के सम्बन्ध में था, और वह अंगरेज़ी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जो व्यापारी-समाज का बहुमत नहीं समझ सकता था, इसलिये जनमत लेने के लिये कान्फरेन्स ने उसका बंगला, उर्दू तथा हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित कराने के लिये गवर्नमेंट से अनुरोध करना निश्चित किया।

उक्त प्रस्तावों की नकल बंगाल गवर्नमेंट के पास भेज दी गई। बंगाल गवर्नमेंट ने बिल पर जन-मत लेने के लिये २९ फरवरी १९४० तक समय बढ़ा दिया। इस बीच चेम्बर की कमेटी ने बिल के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिये कलकत्ते तथा बाहर की प्रायः सभी व्यापारिक संस्थाओं से सम्पर्क रखा। चेम्बर ने बिल का संक्षिप्त संस्करण हिन्दी में प्रकाशित करवाया, और उसे कलकत्ते तथा बाहर के व्यवसायी-समुदाय में वितरण किया गया

सर्व प्रथम चेम्बर की कमेटी ने ही चेम्बर की ओर से ३१ जनवरी १९४० को बंगाल गवर्नमेंट के पास बिल-सम्बन्धी मेमोरेन्डम पेश किया। मेमोरेन्डम में कमेटी ने पहले इस बात पर प्रकाश डाला था कि गवर्नमेंट ने कर्मचारियों के लाभार्थ जो बिल-रूपी नुस्ख़ा पेश किया है, वह रोग का इलाज करने की अपेक्षा हानिकारक अधिक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त कमेटी ने यह युक्ति पेश की थी कि कारखानों और दुकानों के कर्मचारियों की तुलना एक समान करना उचित नहीं। स्थानीय सरकार को जो यह अधिकार दिया गया था कि कुछ अवसरों पर वह सूचना निकाल कर एक्ट के एक या सभी नियमों के कार्यक्रम स्थगित कर सकती है, इस सम्बन्ध में कमेटी ने ऐसे अवसरों की सूची तैयार कर लेने की राय दी थी। कमेटी ने यह सुझाव भी पेश किया था कि एक्ट के नियमों से मुक्त दुकानों की सूची में, मिठाई, पंसारी, जलपान, लकड़ी, पेटोल तथा मोटर के कल-पुर्जे बिक्री करने वाली दुकानें तथा फल की दुकानें भी शामिल होनी चाहिये।

आगे चलकर कमेटी ने गोदाम के दरवानों, पिउनों, मोटर ड्राइवरों, नौकरों, रसोइयों को भी एक्ट के नियमों से वंचित कर देने की राय दी थी, क्योंकि इनकी सेवाओं की ज़रूरत हमेशा ही रहा करती है। कमेटी ने दुकान एकदम बन्द किये जाने का भी विरोध किया था, क्योंकि बहुत सी दुकानों के मालिक तथा कर्मचारी दुकान में ही रहा करते हैं। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी कमेटी को मंजूर थी, लेकिन कमेटी आधे दिन की अतिरिक्त छुट्टी के पक्ष में नहीं थी। कमेटी ने यह संशोधन भी पेश किया था कि दुकान की 'बन्दी' शब्द की व्याख्या 'ग्राहकों को माल न बिक्री करने के लिये बन्दी' के अर्थ में करनी चाहिये। कमेटी ने दुकान बन्द करने के लिये निर्धारित समय को बहुत ही असुविधाजनक बतलाया था और ८ बजे रात के बदले ९ बजे रात को बन्द करने

की व्यवस्था करने की सम्मति दी थी। विल के इस नियम के सम्बन्ध में कि किसी दुकान में काम करनेवाले कर्मचारी से एक दिन में १० घन्टे से अधिक तथा एक सप्ताह में ५६ घन्टे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता, कमेटी ने यह परिवर्तन करने की राय दी थी कि साप्ताहिक कार्य के ५६ घन्टे को बढ़ाकर ६० घन्टे कर दिया जाय और भोजन तथा जलपान के लिये समय न दिया जाय। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह उपधारा जोड़ने का प्रस्ताव रखा था कि–"किसी महीने में आवश्यकतानुसार स्टाक लेने, हिसाव-किताव तैयार करने या हिसाव मुक़ाविला करने के लिये अथवा ऐसे अन्य कामकाज के लिये कर्मचारी को दुकान में एक दिन में १० घन्टे से अधिक या सप्ताह में ६० घन्टे काम करने की स्वीकृति दी जायेगी वशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त काम के कुल घन्टे एक साल में १२० से अधिक न हों।"

चूंकि विल व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में था, इसलिये कमेटी ने उक्त संशोधन आवश्यक वतलाया।

कर्मचारियों के लिये विश्राम-अवकाश के नियम के सम्बन्ध में कमेटी ने यह टिप्पणी की थी कि ऐसे नियम की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक्ट के नियमानुसार दुकानदार-द्वारा रजिस्टर, रिकार्ड और नोटिस रखने के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव पेश किया था कि इस प्रकार के कागज़ात, जो दुकानदार जो भाषा जानता हो, उसी भाषा में रखने की स्वीकृति दी जानी चाहिये। एक्ट के अन्तर्गत इन्सपेक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि ऐसे पद पर योग्य और इमानदार व्यक्तियों को ही रखना चाहिये, क्योंकि इनके जिम्मे बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जायगा। विलमें इन्सपेक्टरों को जो अधिकार प्राप्त थे, ये प्रायः वैसे ही थे, जैसे किसी मजिस्ट्रेट को मुक़दमा देखने का अधिकार प्राप्त रहता है। इसलिये कमेटी ने बिल के ऐसे नियम का

घोर विरोध करते हुए यह संशोधन पेश किया था कि इन्सपेक्टरों को अकारण ही वाणिज्य-व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। एक्ट के दण्ड-विधान के नियम की आलोचना करते हुए कमेटी ने इस नियम में यह परिवर्तन आवश्यक वतलाया था कि इसमें उल्लिखित कारावास दन्ड रद्द कर दिया जाय, और जुर्माने की रक़म भी कम कर दी जाय। अन्त में कमेटी ने यह राय दी थी कि एक्ट के अन्तर्गत जो नियम वनाये जायं, वे इस सम्वन्ध में पूर्व प्रकाशित नियमों के ही अनुसार होने चाहिये, और इन्हें सरकारी गज़ट में प्रकाशित होना चाहिये।

अन्त में घोर विरोध होने पर भी विल लेजिस्लेचर-द्वारा पास हो ही गया। हालां कि विलमें वहुत से अरुचिकर तथा आपत्तिजनक नियम रह ही गये, फिर भी कमेटी के लिये यह सन्तोष और प्रसन्नता की वात है कि कमेटी-द्वारा पेश किये गये वहुतेरे संशोधन सिलेक्ट कमेटी तथा वङ्गाल गवर्नर ने स्वीकार कर लिये।

वङ्गाल लेजिस्लेटिव कौंसिल से विल पास हो जाने के वाद इस पर विचार-विनिमय करने के लिये चेम्वर ने विभिन्न वाणिज्य-व्यवसाय-सम्वन्धी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स करने का विराट आयोजन किया। फलतः ४ सितम्वर १९४० को श्रीयुक्त रामनारायणजी भोजनगरवाला के सभापतित्व में चेम्वर के मीटिंगहाल में कान्फरेन्स हुई। कान्फरेन्स ने विल के कई विधानों की आलोचना की, और वंगाल गवर्नमेंट तथा वंगाल लेजिस्लेटिव असेम्वली से विल में आवश्यक सुधार करने का अनुरोध किया। इस सम्वन्ध में कान्फरेन्स ने यह संशोधन पेश किया कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन की छुट्टी रहनी चाहिये। दुकान वन्द करने के सम्वन्ध में कान्फरेन्स ने यह राय दी कि दुकानें रात के ९ वजे के वाद खुली न रखी जायं, पर उन ग्राहकों के कार्य के लिये जो दुकान वन्द करने के समय के अन्दर दुकान में पहुंचें, आध घन्टा अतिरिक्त समय

स्वीकृत होना चाहिये। कर्मचारियों की विश्राम-छुट्टी के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए कान्फरेन्स ने यह राय दी कि काम-काज के समय या किसी भी कार्य के दिन इस तरह की छुट्टी देने का नियम रखना आवश्यक नहीं। जुर्माने के सम्बन्ध में कान्फरेन्स ने यह निश्चय किया कि एक्ट के अनुसार दोषी पाये जाने पर दुकानदार को प्रथम अपराध के लिये १०) दस रुपया और दूसरे तथा क्रमशः अधिक अपराधों के लिये ५०) पचास रुपया जुर्माना होना चाहिये।

कान्फरेन्स के प्रस्ताव बंगाल लेजिस्लेटिव असेम्बली के पास भेज दिये गये। इस सम्वन्ध में आवश्यक काररवाई करने के लिये कान्फरेन्स-द्वारा एक स्पेशल स्टैन्डिङ्ग कमेटी निर्माण की गई, जिसमें श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०, (मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स) मि० एम० एस०, भवदा, (मुस्लिम चेम्बर आफ कामर्स) श्रीयुक्त दयालदास (सिन्धी मर्चेन्ट्स एसोसिएशन) श्रीयुक्त रघुनाथदत्त (बंगाल मिल ओनर्स एसोसिएशन) और श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां, (अवैतनिक मन्त्री,— मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स) सदस्य चुने गये।

दुकान-कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी का बिल

बंगाल गवर्नमेंट ने अपने २९ नवम्बर १९४० के पत्र के साथ दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेन्ट तथा थियेटर में काम करने वाले कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी-सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के बिल की एक प्रति, चेम्बर की सम्मति लेने के लिये भेजी। बिल हू-ब-हू वैसा ही था, जैसा बंगाल-गवर्नमेंट द्वारा बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल में रखा गया था। कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी कमेटी ने प्रस्तावित बिल हानिकारक बतलाया; क्योंकि इससे हर प्रान्त के व्यापार की प्रगति अवरुद्ध होने की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त बिल के कारण कर्मचारियों और मालिकों के

बीच पारस्परिक मनोमालिन्य होने का भी भय था, जो दोनों के ही हक में लाभदायक नहीं था। कमेटी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि कर्मचारियों को देश जाने के लिये तथा अन्य अवसरों पर यों ही क़ाफी छुट्टी मिल जाती है, और अब जो मालिकों पर क़ानूनी दबाव डाल कर कर्मचारियों को छुट्टी दिलाने की व्यवस्था की जा रही है, इसका नतीजा उल्टे कर्मचारियों के लिये खराब ही होगा, और यह मानी हुई बात है कि कर्मचारियों को वर्तमान सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। इसके पश्चात् कमेटी ने यह मत दिया था कि यह बिल पास हो जाने पर प्रांतीय प्रतिबन्धों की संख्या कम होने के बजाय उल्टे बढ़ जायगी, और ऐसे क़ानून यदि देश भरके लिये न बनाये जायं और सभी प्रान्तों में विभिन्न क़ानून बनें, तो एक अजीब उलझन पैदा हो जायगी। फिर भी कमेटी ने यह सुझाव रखा था कि यदि इस तरह के बिल का कार्यान्वित होना सम्भव जान पड़े, तो इसे सेन्ट्रल असेम्बली में रख दिया जाय, और जो इस सम्बन्ध में विभिन्न बिल विभिन्न प्रान्तों में पास हो गये हों उनकी कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। कमेटीने बतौर चेतावनी यह लिखा था कि इस तरहका प्रतिबन्ध लगाने का परिणाम होगा व्यावसायिक क्षेत्र का समूल नाश, और अलावे इसके ऐसे प्रतिबन्ध के कारण अनावश्यक झंझटें भी आ खड़ी होंगी। पुनः कमेटी ने यह बतलाया था कि बिल लागू होने पर खुदरा माल बिक्री करने वाले दुकानदारों को तो बहुत ही क्षति उठानी पड़ेगी; क्योंकि उनकी इतनी शक्ति तो है नहीं कि वे दो-तीन कर्मचारियों से अधिक संख्या बढ़ाने का खर्च वहन कर सकें। डावांडोल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर ध्यान देते हुए, जिससे उद्योग-धन्धों की परिस्थिति यों ही खराब हो चली है, कमेटी ने राय दी थी कि यदि बिल एकदम स्थगित कर दिया जाय तो अच्छा हो।

रविवार को दुकान बन्द करने का आर्डिनेन्स

१९ अप्रैल १९४० को बंगाल-गवर्नमेंट के व्यापारिक और श्रमिक विभाग ने चेम्बर को लिखा कि गवर्नमेंट को यह सुझाव दिया गया है कि १९३९ के बंगाल-दुकान-प्रतिष्ठान बिल के पास होने और इसे क़ानून का रूप देने में क़ाफी विलम्ब होगा इसलिये गवर्नमेंट आर्डिनेन्स जारी कर अभी से रविवार के दिन दुकानें बन्द कराने की व्यवस्था करे। गवर्नमेंट ने प्रस्तावित आर्डिनेन्स पर चेम्बर की राय लेने के लिये उक्त पत्र भेजा था।

प्रस्तावित आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में विचार करते हुए कमेटी ने यह राय दी थी कि जब बिल सिलेक्ट कमेटी में पेश कर ही दिया गया है तो इस तरह के आर्डिनेन्स की आवश्यकता ही क्या हो सकती है ? कमेटी ने यह युक्ति भी पेश की थी कि इस परिस्थिति में जब कि बिल-सम्बन्धी मामला सिलेक्ट कमेटी में विचारार्थ पड़ा है और सर्वसाधारण को इस सम्बन्ध की अबतक की कार्यवाहियों का कुछ भी पता नहीं, तब बिना किसी आकस्मिक परिस्थिति के प्रस्तावित आर्डिनेन्स जारी करने का कोई अर्थ नहीं। पुनः कमेटी ने यह स्पष्ट किया था कि रविवार के अतिरिक्त अन्य भिन्न-भिन्न दिन को भी दुकानें बन्द रहा करती हैं, इसलिये आर्डिनेन्स द्वारा ख़ास रविवार के ही दिन सभी दुकानें बन्द करने का प्रतिबन्ध मतभेद का विषय होगा, इसलिये ऐसे विवादास्पद विषय को आर्डिनेन्स का रूप देना श्रेयस्कर भी नहीं। कमेटी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि युद्ध की परिस्थिति से व्यापार की अवस्था यों ही शोचनीय हो गई है, तिसपर अनावश्यक आर्डिनेन्स का बोझ लाद देने से नित्य-नैमित्तिक व्यापारिक मार्ग में काफी रुकावटें आ पड़ेंगी। अन्त में कमेटी ने प्रस्तावित आर्डिनेन्स का घोर विरोध किया था।

वंगाल-सेल्स-टैक्स-विल

वंगाल गवर्नमेंट ने प्रस्तावित वंगाल सेल्स-टैक्स-विल के सम्बन्ध में एक सर्कूलर (नं० डी० ओ० २३९ [१०] एफ) अपने १३ सितम्बर १९४० के नोट के साथ प्रकाशित कराया। सर्कूलर में लिखा था कि कुछ अपवादों को छोड़कर माल विक्री पर १ प्रतिशत या १॥ प्रतिशत सेल्स टैक्स लगेगा। सर्कूलर के अनुसार खुदरा विक्रीपर सेल्स टैक्स लगाने के लिये ही विल पेश किया गया था। विल पेश करने का तात्पर्य्य व्यापारिक क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु की खरीद-विक्री से नहीं था। विल में वस्तुओं का तात्पर्य्य था सभी तरह के हुन्डी, पुर्जे, स्टाक, शेयर, सिक्योरिटी आदि को छोड़कर, सभी तरह की चालू वस्तुओं से। चालू वस्तुओं की व्याख्या में सभी सामान, गल्ला-माल तथा ऐसे टिकट जो किसी सामान या गल्ला-माल से परिवर्तित किये जायं, सम्मिलित समझे गये थे। प्रस्तावित विल के अनुसार एक खास निर्धारित रक़म से अधिक माल विक्री करनेवाले व्यापारियों को अपने फर्म गवर्नमेंट में रजिस्टर कराना आवश्यक वतलाया गया था, और केवल रजिस्टर्ड फर्मों से ही सेल्स टैक्स वसूल करने का नियम रखा गया था। विल के नियमानुसार प्रत्येक व्यवसायी को निर्धारित समय के अनुसार अपनी कुल विक्री तथा इसका मूल्य और टैक्स लगनेवाली रक़म का विवरण दाखिला-पत्र में लिखकर भेजने का आदेश था, और दाखिला-पत्र भेजने के पहले मासिक टैक्स चुकाना भी आवश्यक वतलाया गया था। इसलिये कि कोई व्यापारी गवर्नमेंट को धोका न दे सके, विल-सम्बन्धी शासन-सञ्चालन के लिये ऐसे अफसरों की नियुक्ति की योजना रखी गई थी, जिन्हें यह अधिकार प्राप्त होगा कि आवश्यकतानुसार वे किसी भी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाकर खाता-वही तथा रजिस्टर आदि कागज़ात देख सकें, या किसी भी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान की तलाशी ले सकें।

कमेटी ने उक्त सर्कूलर की नकल चेम्बर के सदस्यों के पास भेज दी और इस सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों में जो प्रस्ताव तथा प्रतिबन्ध पेश किये गये थे, उसका पूर्ण विवरण एकत्र किया। इसके पश्चात् कमेटी ने बंगाल गवर्नमेंट के अर्थ-विभाग को प्रस्तावित बिल-सम्बन्धी पहला मेमोरेन्डम ६ नवम्बर १९४० को पेश किया। मेमोरेन्डम में सर्व प्रथम कमेटी ने यह लिखा था कि बिलपर विचार करते हुए पहला सवाल जो हल करना है वह यह है कि क्या वास्तव में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि प्रस्तावित बिल की योजना गवर्नमेंट द्वारा आवश्यक समझी गई ? इस सम्बन्ध में कमेटीने यह साफ लिखा था कि व्यवसायी समुदाय यह सोच सकने में सर्वथा असमर्थ है कि सरकारी बजट पास होने के साथ ही साथ टैक्स सम्बन्धी इस तरह का सनसनीखेज बिल पेश कर गवर्नमेंट ने उनके प्रति लेशमात्र भी न्यायोचित व्यवहार किया है। पुनः कमेटी ने राय दी थी कि प्रस्तावित बिल पास हो जाने पर वाणिज्य-व्यवसाय की परिस्थिति बड़ी ही नाजुक हो जायगी और कम पूंजीवाले व्यापारियों की अवस्था तो और भी संकटापन्न हो जायगी।

टैक्स की दर के सम्बन्ध में कमेटी ने यह संशोधन पेश किया था कि यदि सेल्स टैक्स लगाना गवर्नमेंट ने बहुत ज़रूरी महसूस किया है, तो ऐसे टैक्स की दर आधा प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, क्योंकि आखिर यह बोझ इस देश की ग़रीब जनता के ही सिर पड़ेगा।

इस प्रस्ताव का कि कतिपय अपवादों के अलावे सभी वस्तुओं पर सेल्स टैक्स लगेगा, कमेटी ने जोरदार विरोध करते हुए यह सुझाव पेश किया था कि किन-किन वस्तुओं पर टैक्स लगेगा, इसकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कमेटी ने आगे चलकर यह राय दी थी कि प्रान्त में खपत होनेवाली मुख्य वस्तुओं

पर ही टैक्स लगना चाहिये और देश की ग़रीब जनता के नित्य-नैमित्तिक जीवन में व्यवहार होनेवाली वस्तुओं को टैक्स से बरी कर देना चाहिये।

टैक्स वसूली का कार्य सुचारु रूप से सञ्चालित करने के लिये कमेटी ने यह राय दी थी कि जितनी खुदरा विक्री हो उसी पर टैक्स वसूल होना चाहिये, वर्ना यह निश्चय करना सम्भव नहीं होगा कि व्यापारी ने कुल टैक्स चुका दिया।

फिर कमेटी ने यह राय दी थी कि यदि प्रस्तावित बिल पास हो गया, और कार्यरूप में परिणित हुआ तो प्रान्त भर के व्यापारी शिकस्ती में पड़ जायँगे, और आश्चर्य नहीं कि इसका भविष्य परिणाम इतना बुरा हो कि वाणिज्य-व्यवसाय एकदम मटियामेट हो जाय। इसलिये कमेटी ने सम्मति दी थी कि बिलका रूप ऐसा होना चाहिये कि इसका व्यावहारिक रूप देने से व्यापारियों तथा गरीब जनता को ज्यादा शिकस्त न होना पड़े।

कमेटी ने प्रस्तावित बिल के विरुद्ध वंगाल प्रान्त भर में व्यापक आन्दोलन किया। इस सम्बन्ध में कलकत्ते और मुफ्फस्सिल में कई सभायें हुईं, जिनमें प्रस्तावित बिल का घोर विरोध किया गया।

२२ दिसम्बर १९४० को चेम्बर के मीटिङ्ग-हाल में श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका, एटर्नी-एट-ला, (मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स के उप-सभापति) के सभापतित्व में कलकत्ते की वहुतेरी प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं के व्यापारियों की एक सभा हुई, जिसमें विल का विरोध करने के लिये प्रस्ताव रखा गया। सभा में यह प्रस्ताव पास किया गया कि विल के प्रतिवादस्वरूप २७ दिसम्बर १९४० को पूर्ण हड़ताल मनाई जाय। यह हर्ष की बात है कि उक्त स्मरणीय सभा का फैसला कलकत्ते शहर के कोने-कोने में व्यापारियों के बीच दावानल की तरह फैल गया, और उन्होंने निश्चित दिन को पूर्ण हड़ताल मनाकर बिल के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रदान की।

अन्त में कमेटी ने क्रमशः २३ तथा २८ दिसम्बर १९४० को वंगाल गवर्नमेंट के अर्थ-विभाग में पत्र लिख कर व्यापारियों के बीच विल के कारण जो उथल-पुथल और घवराहट मची हुई थी, उसका जिक्र करते हुए गवर्नमेंट को सलाह दी कि जब तक परि· स्थिति शान्त न हो जाय, विल-सम्बन्धी काररवाई स्थगित कर दी जाय। इस बीच कमेटी ने अन्य चेम्बरों और एसोसिएशनों के सह-योग से विल के सम्बन्ध में जन-मत एकत्र करने का संगठनात्मक कार्य जारी रखा।

एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स बिल

गज़ट आफ इन्डिया के २७ जनवरी १९४० के अंक में एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स विल प्रकाशित हुआ था। विल अतिरिक्त लाभ की रक़म पर ५० प्रतिशत टैक्स लगाने के विचार से पेश किया गया था। १ अप्रैल १९३९ के वाद की आय पर जिसका विल मे 'स्टैन्डर्ड प्रोफिट्स' नाम रखा गया था, टैक्स लगाना निश्चित किया गया था। यह 'स्टैन्डर्ड प्रोफिट्स' १ अप्रैल १९३६ के पहले के कारबार अथवा अन्दाज़ १९३५ से १९३८ तक के कारबार के हिसाव-किताव के सम्बन्ध में था। विल युनाईटेड किंगडम के १९३९ के फायनेन्स एक्ट (नं० २) के आधार पर तैयार किया गया था, और यह किसी कारवार का मूल-धन और लाभ आंकने के उद्देश्य से ही पेश किया गया था।

विल के कारण व्यापारी-समाज को यथेष्ट क्षति उठानी पड़ती, इसलिये चेम्बर की कमेटी ने अन्य चेम्बरों और एसोसिएशनों के साथ इस सम्बन्ध में आवश्यक काररवाई शुरू की। इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स के भवन में विभिन्न चेम्बरों और एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स हुई, जिसमें उक्त टैक्स विल का वड़ा जोरदार विरोध किया गया। कान्फरेन्स ने जो टैक्स विल का विरोध किया, उसकी सूचना सम्मिलित-तार-द्वारा

भारत-सरकार को देने का निश्चय किया गया। फलतः इस चेम्बर ने तथा इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स, दि बंगाल मिलओनर्स एसोसिएशन, दि इन्डियन सुगर मिल्स एसोसिएशन, दि इन्डियन कोलियरी ओनर्स एसोसिएशन, दि इन्डियन पेपर मिल्स एसोसिएशन और दि इन्डियन केमिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भारत सरकार को तार भेजा। तार में, बिल के कारण व्यापारिक क्षेत्र में जो आतंक और तहलका मचा हुआ था, उसका जिक्र करते हुए इस चेम्बर ने तथा अन्य उक्त संस्थाओं ने इस बातपर प्रकाश डाला था कि इस तरह की आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई है कि गवर्नमेन्ट द्वारा टैक्स बिल पेश करने की ज़रूरत महसूस की जाय। इसके अतिरिक्त तार में यह भी उल्लेख किया गया था कि सरकारी बजट असेम्बली में पेश होने के पहले ही टैक्स बिल का प्रस्ताव रखना आवश्यक नहीं। पुनः यह सुझाव पेश किया गया था कि जबतक बजट असेम्बली में न रखा जाय, और गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति स्पष्ट न मालूम हो जाय, तबतक गवर्नमेंट बिल-सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित रखे।

६ फरवरी १९४० को श्रीयुक्त मोहनलाल लल्लूभाईके सभापतित्व में चेम्बर के कार्यालय में उक्त बिल पर विचार करनेके लिये कलकत्ते की विभिन्न व्यापारिक-संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स हुई। कान्फरेन्स ने बिल का घोर विरोध करते हुए यह राय दी कि ऐसे बिल के कारण देश के वाणिज्य-व्यवसाय को ही नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि इससे भारतीय उद्योग-धन्धों का प्रसार भी अवश्य ही रुक जायगा और परिणाम यह होगा कि मूलधन का साधारण लाभ भी कम हो जायगा। कान्फरेन्स में सर्वश्री सर बद्रीदासजी गोयनका, बंशीधरजी जालान, एस० के० भट्टड़, मंगतूरामजी जैपुरिया मोतीलालजी तापड़िया, आर० एन० गग्गड़ और चेम्बरके अवैतनिक मन्त्री किशोरीलालजी ढांढनियां उपस्थित थे। कान्फरेन्स में

जो प्रस्ताव पास हुआ, उसकी नकल भारत सरकार के अर्थ-सचिव के पास भेज दी गई।

६ फरवरी १९४० को जब एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स बिल केन्द्रीय असेम्बली में पेश किया गया, तो इसके विरोधस्वरूप इस चेम्बर के आदेशानुसार, बड़ेबाजार की कपड़े तथा अन्य वस्तुओं की दुकानें बन्द कर पूर्ण हड़ताल मनाई गई।

चेम्बर की कमेटी ने भारत सरकार को एक मेमोरेन्डम भेजा जिसमें एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स बिल के कारण व्यापारी समुदाय में जो असन्तोष और खलबली मची हुई थी उसका उल्लेख किया गया था। मेमोरेन्डम में बिल के विभिन्न विधानों के विरोध के कारण भी उल्लिखित थे। कमेटी ने मेमोरेन्डम में इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि भारत सरकार ने बिल पेश करने का कोई भी कारण नहीं बतलाया। पुनः उल्लेख किया गया था कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि गत दस साल से भाव गिर जाने की वजह से तथा खासकर कई चीजों में विदेशी माल की प्रतियोगिता के कारण भारतीय उद्योग-धन्धा यों ही मन्दा पड़ गया है, गवर्नमेंट को ऐसा प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं। पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि वर्तमान परिस्थिति में गवर्नमेन्ट को चाहिये कि वह भारतीय उद्योग-धन्धों को मौका दे कि ये युद्ध की अवश्यम्भावी प्रतिक्रिया से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकें। फिर कमेटी ने यह राय दी थी कि बिल लागू करने की एक सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिये और एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स उन्हीं उद्योग-धन्धों पर लगना चाहिये जिनकी आमदनी युद्ध की वजह से कारबार बढ़ जाने से औसतन अधिक हो गई हो। कमेटी ने यह सम्मति भी दी थी कि केन्द्रीय सरकार का वार्षिक बजट निकलने के ही समय टैक्स सम्बन्धी मामले पर विचार होना चाहिये, ताकि प्रत्येक साल ऐसे टैक्स जारी करने की आवश्यकता पर विचार

किया जा सके। बिलमें कम से कम बीस हजार की आय पर टैक्स लगने की योजना पेश की गई थी। कमेटी ने इतनी कम वार्षिक आय पर टैक्स लगाने की नीति का घोर विरोध किया। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह लिखा था कि इससे पहले गत महायुद्ध के समय जब व्यापारियों ने बहुत ज्यादा मुनाफा किया था, तो भी एक्सेस प्रोफिटस टैक्स लगनेवाली कम-से-कम रकम तीस हज़ार रुपये थी, इसलिये वर्तमान प्रतिकूल परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए टैक्स लगने वाली रक़म चालीस हजार रुपया होना चाहिये। कमेटी ने यह भी सुझाव पेश किया कि आय-व्यय का वार्षिक हिसाब करदाता के वार्षिक हिसाब के नियत समयके अनुसार होना चाहिये, नहीं तो बड़ी उलझनें पैदा हो जायँगी। इसके अतिरिक्त कमेटी ने यह व्यवस्था करने की भी राय दी थी कि भारत सरकार को इस बातका भी आश्वासन देना चाहिये कि जब ऐसा समय आ जाय कि इस पिछड़े हुए देशका उद्योग-धन्धा विदेशी प्रतियोगिता या अन्य कारणोंसे मन्दा पड़ जाय, तो वह इसकी रक्षा की व्यवस्था करेगी।

पुनः बिल पर विचार करने के लिये बंगाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्स के तत्वाधान में २८ फरवरी १९४० को विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं की एक सम्मिलित कान्फरेन्स हुई। कान्फरेन्स का सभापतित्व डाक्टर एन० एन० लाहा ने किया। चेम्बर की ओर से कान्फरेन्सका प्रतिनिधित्व सर्वश्री बाबूलालजी राजगढ़िया, आनन्दीलालजी पोद्दार, रूपनारायणजी गग्गड़, काशीनाथजी गुटगुटिया और चेम्बर के अवैतनिक मन्त्री किशोरीलालजी ढांढनियां ने किया।

कान्फरेन्स ने श्रीयुक्त मोहनलाल लल्लूभाई शाह और श्रीयुक्त जी० बसु को, लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों को, और खास करके सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों को, जिनके पास उक्त बिल पेश किया गया था, बिल के प्रति कलकत्ते की भारतीय व्यापारिक संस्थाओं की राय ज़ाहिर करने के लिये, दिल्ली जाने के लिये नियुक्त किया।

अन्त में कुछ संशोधनों के बाद बिल पास हो गया और एक्ट १३ अप्रैल १९४० से लागू हो गया। गवर्नमेंट ने एक्ट की धारा ३ की उपधारा (५) के सम्बन्ध में रेफरीज बोर्ड की स्थापना की और फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज को, ५ ऐसे ननआफिसियल सदस्यों के नाम, जिन्हें सभी बड़े प्रान्तों का पूर्ण व्यापारिक अनुभव प्राप्त हो, तथा ३ ऐसे ननआफिसियल सदस्यों के नाम, जिन्हें सभी छोटे प्रान्तों का पूर्ण व्यापारिक अनुभव प्राप्त हो, पेश करने के लिये लिखा। इसके लिये सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें बंगाल से रेफरीज़ बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिये सर्वश्री आनन्दीलालजी पोद्दार, जी० बसु, डी० पी० खेतान, ए० वी० गुहा और सर हरिशंकर पाल चुने गये।

ड्राफ्ट बैंक बिल

५ जनवरी १९४० को भारत सरकार के अर्थ-विभाग ने चेम्बर को एक पत्र भेजा। पत्र के साथ रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया की १ नवम्बर १९३९ के पत्र की नकल और उसके साथ की बैंकिंग क़ानून बनाने की बाबत बैंक के प्रस्तावों की नकल भी थी। भारत सरकार की ओर से प्रस्तावोंपर कोई विचार नहीं किया गया था, और इस पर जनता से राय और सुझाव लेना उचित समझा गया था। चेम्बर से प्रस्तावोंपर अपनी राय रिजर्व बंक आफ इन्डिया के पास तथा उसकी नकल गवर्नमेंट के फायनेन्स विभाग के पास लिख भेजने का अनुरोध किया गया था।

भारत सरकार के पास लिखे गये रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के पत्र से यह जान पड़ा कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया बैंकों में जमा की जानेवाली रक़म की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये उत्सुक है। यह प्रस्ताव रखा गया था कि किसी बैंकिंग व्यवसाय करनेवाली कम्पनी का चुकती मूल-धन कम से कम एक लाख रुपया हो, तभी वह कारबार शुरू करे। यदि कोई बैंक कलकत्ता या बम्बई में

कारवार करे, तो उसका चुकती मूल-धन पांच लाख रुपया होना चाहिये। यदि कोई बैंक एक लाख से अधिक आबादीवाले नगर में कारबार करे, तो उसका चुकती मूल-धन प्रत्येक ऐसे स्थान में कारबार करने के लिये दो लाख रुपया होना चाहिये। जो बैंक अपने हेड आफिस के स्थान के अलावे किसी अन्य प्रान्त या स्टेट में कारबार करे, उसका चुकती मूल-धन कम से कम बीस लाख रुपया होना चाहिये। आगे चलकर यह प्रस्ताव किया गया था कि प्रत्येक बैंक को नगद या ट्रस्टी सिक्योरिटी के रूप में अपनी सामयिक मांग या देन की ३० प्रतिशत रक़म तैयार रखना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह नियम संबंधित किया गया था कि गवर्नमेंट को यह अधिकार रहेगा कि वह रिज़र्व बैंक की सलाह पर कुछ सीमित काल के लिये किसी एक खास या सभी बैंकों के प्रति उक्त एक्ट की काररवाई स्थगित कर दे ताकि संकट काल में रिज़र्व बैंक बैंकों की मदद कर सके। यह भी नियम रखा गया था कि बृटिश भारत में बैंकिंग व्यवसाय करनेवाली कम्पनियों को यहां की देन का वाजिब हिस्सा यहां की सम्पत्ति में ही लगाना चाहिये। इसके लिये ७५ प्रतिशत बृटिश भारत की सम्पत्ति में लगाने का सुझाव दिया गया था।

चेम्बर की कमेटी ने उक्त प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर विचार किया और रिज़र्व बैंक के गवर्नर के पास अपना जवाब ३ जुलाई १९४० को भेज दिया। इसकी एक नकल भारत सरकार के अर्थ-विभाग के पास भी भेजी गई। कमेटी ने पहली बात यह लिखी थी कि व्यापारी-समाज, तथा बैंकों में रुपये जमा करनेवाले लोग, किसी ऐस प्रबन्ध का, जिससे बैंकों में रुपये जमा करनेवाली जनता की रक़म सुरक्षित रहे, सदा स्वागत करेंगे। फिर कमेटी ने यह सुझाव पेश किया था कि बैंकिंग कम्पनियों का तात्पर्य्य ज्वायन्ट स्टाक कम्पनियों या लिमिटेड कम्पनियों से है, और इनमें

स्वदेशी बैंकों को भी शामिल कर लेना चाहिये, जिन्हें स्थापित हुए क़ाफी दिन हो चुके, और जिनमें जनता चालू खाता खोलती है, और फिक्स्ड डिपोजिट जमा करती है। आगे चलकर कमेटी ने यह सुझाव पेश किया था कि स्वदेशी बैंकों को भी रिज़र्व बक से सम्बन्धित कर लेना चाहिये। पुनः कमेटी ने अपनी यह राय ज़ाहिर की थी कि बैंकिग का काम करनेवाली कम्पनियों के कार्य सञ्चालन के लिये मैंनेजिंग एजेन्टों को नहीं रखना चाहिये, और किसी भी बैंक के सञ्चालन का भार ऐसे लोगों को सुपुर्द करना चाहिये जिनका उसमें निजी स्वार्थ हो, और जो बैंकिंग का कारवार चलाने में निपुण हों। बैंकों के कारबार शुरू करने के नियन्त्रणों के सम्बन्ध में कमेटी ने यह प्रकाश डाला था कि उक्त प्रस्ताव में निर्धारित मूलधन की रक़म बहुत अधिक हो जातो है, और इससे आधुनिक स्वदेशी बैंकों की उन्नति रुक जायगी। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव पेश किया था कि चुकती मूल-धन कम से कम एक लाख रुपया न रखकर पचास हजार रुपया कर दिया जाय, और कलकत्ता तथा बम्बई में कारबार करनेवाली बैंकों का चुकती मूल-धन निर्धारित करने के सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि किसी एक प्रान्त में कारवार करने के लिये बैंक का चुकती मूलधन पांच लाख रुपया होना चाहिये और अपने हेड आफिस के प्रान्त के अलावे अन्य प्रान्तों या स्टेटों में कारवार करनेवाली बैंकों का चुकती मूलधन वीस लाख रुपया न रखकर दस लाख रुपया निर्धारित करना चाहिये। पूंजी का कुछ निश्चित हिस्सा हमेशा तैयार रखने के नियम के सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि बैंकों में जमा की जानेवाली रक़म की सुरक्षा के लिये यह नियम उचित है; पर इस सम्बन्ध में कोई कड़ा प्रतिवन्ध लगाना बैंकों के लिये लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हाल में ही गवर्नमेंट पेपर का भाव गिर जाने की वजह

से जनता का रुख बहुत बदल गया है। पुनः कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाला था कि यदि नयी बैंकों को विभिन्न कारबार में रुपये लगाने की सुविधा से वञ्चित कर दिया जाय, तो उनकी उन्नति में काफी रुकावट पड़ जायगी। इसलिये कमेटी ने यह सुझाव पेश किया था कि स्वीकृत सिक्योरिटी में जो ३० प्रतिशत रक़म लगाने का नियम रखा गया है, इसके अन्तर्गत इन्स्योरेन्स, शेयर, बैंक शेयर, इन्डस्ट्रियल कम्पनियों के कुछ सीमित समय के लिये जारी किये गये डिबेञ्चर तथा निजी मकान भी शामिल कर लेना चाहिये। कमेटी ने अन्य विषयों की भी विस्तृत आलोचना की थी, और अन्त में यह सुझाव दिया था कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया तथा भारत सरकार को चाहिये कि वे भारत के बैंकिंग व्यवसाय को सुदृढ़ता के ढंग पर चलाने के लिये आवश्यक उपाय काम में लायें, ताकि ये उन्नतिशील बन सकें।

बंगाल मोटर भेहिकिल्स रूल्स

२३ फरवरी १९४० को बंगाल मोटर भेहिकिल्स रूल्स १९४० पर विचार करने के लिये बंगाल आटोमोबिल एसोसिएशन ने अपने हेड क्वार्टर पर एक सम्मिलित कान्फरेन्स का आयोजन किया। कान्फरेन्स में चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त मदनलालजी खेमका, एटर्नी-एट-ला और श्रीयुक्त रूपनारायणजी गगगड़, एम० ए०, बी० काम, बी० एल० ने प्रतिनिधित्व किया। कान्फरेन्स में यह निश्चय किया गया कि बंगाल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के अडिशनल सेक्रेटरी से मुलाक़ात करने के लिये कुछ प्रतिनिधि नियुक्त किये जायं, जो नियमों में संशोधन करने के लिये कान्फरेन्स के प्रतिनिधियों के विचार उनके पास रखें। कान्फरेन्स में जो वाद-विवाद हुआ, उसमें भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी संस्थाओं के विचार पेश किये। कान्फरेन्स ने यह राय दी कि

रेजिस्ट्रेशन का कार्य देखनेवाले अधिकारी के सीनियर आफिसर को अपील की सुनवाई का काम सौंपना वहुत ही अनुचित नीति है। एक ओनर का नाम वदल कर दूसरे ओनर का नाम जारी करने के लिये जो फीस लगती है, उस रक़म को कान्फरेन्स ने वहुत ज़्यादा वतलाया। पुनः कान्फरेन्स ने यह राय दी कि रूल ६० (४) में दिया गया प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार संस्थाओं को ही होना चाहिये। जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व स्वीकृत किया गया था, उसको कान्फरेन्स ने नाजायज़ वोझ डालना वतलाया। ड्राफ्ट के नियमों में जो प्रत्येक महकमें के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की योजना रखी गई थी, इसका कान्फरेन्स ने ज़ोरदार प्रतिवाद किया और राय दी कि इस प्रकार के अधिकारियों की संख्या जरूरत से ज़्यादा वढ़ा दी जाती है; इसे क़ाफी कम कर देना चाहिये और इस का समय-समय पर संशोधन भी होना चाहिये। कान्फरेन्स ने यह भी आवश्यक वतलाया कि अपील की सुनवाई अदालत में ही होना अच्छा होगा और यदि इस तरह की अपीलें दाखिल करने लायक न समझी जायं तो इस हालत में कान्फरेन्स वोर्ड आफ रेवेन्यू की मध्यस्थता स्वीकार करेगी।

चेम्वर की कमेटी ने कान्फरेन्स का फैसला स्वीकार किया। यहां पर यह उल्लेख करना उचित है कि कान्फरेन्स के अधिकांश सुझावों को गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया।

कलकत्ते के मकानों के किरायेदारों के सम्वन्ध में प्रश्न

वंगाल गवर्नमेंट के सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वायत्त-शासन-विभाग के म्युनिसिपल व्राञ्च ने अपने ३० नवम्वर १९३९ के पत्र में कलकत्ते के मकानों के किरायेदारों के सम्वन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये कई प्रश्न किये थे। गवर्नमेंट इस सम्वन्ध की जान-

कारी इसलिये प्राप्त करना चाहती थी कि बंगाल लेजिस्लेटिव असेम्बली के अधिवेशन में इसकी बाबत एक प्रश्न रखा जाने को था। गवर्नमेंट ने निम्नलिखित प्रश्न किया था :—

(१) क्या कलकत्ते के मकानों के किरायेदारों का बहुमत मकान मालिकों की इच्छा पर ही मकानों में रह सकता है और १५ दिन की नोटिस पर महीना खतम होते मकान छोड़ने को बाध्य होता है?

(२) क्या प्रश्न नं० १ में उल्लिखित बेदखली की वजह कम पूंजीवाले दुकानदारों का कारबार बन्द हो जाता है?

(३) क्या कलकत्ते के कई भागोंमें जो किराया दस साल पहले लगता था, अब उससे दुगुना हो गया है, और जब किरायादार इतना अधिक किराया देना स्वीकार नहीं करता, तो उसे मकान खाली करने की नोटिस दी जाती है?

(४) क्या मध्यवित श्रेणी के बेकार नवयुवकों का बहुमत, जो दुकानें खोलकर व्यवसाय करता है, मकानों का किराया अधिक होने की ही वजह व्यापार में असफल होता है, और उनकी छोटी-मोटी दुकानों के मुनाफे की ७५ प्रतिशत रकम दुकान भाड़ा में ही चली जाती है?

(५) क्या सार्वजनिक संस्थाओं की राय में यह वान्छनीय है कि किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिये क़ानून बनाया जाय?

चेम्बर की कमेटी ने उक्त प्रश्नों का हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित कराया और वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये सदस्यों में वितरण कराया। सदस्यों के लिखित उत्तर पाने पर कमेटी ने गवर्नमेंट के प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर दिया :—

(१) बहुतेरे किरायेदार मासिक भाड़ा देते हैं, और उन्हें १५ दिन की अग्रिम नोटिस दे कर मकान से हटाया जा सकता है।

(२) प्रश्न नं० १ में जिस तरह की बेदखली का ज़िक्र किया गया है, वह यदि कार्यरूपमें परिणत हो, तो कम पूंजीवाले दुकानदार

अवश्य उजड़ जायेंगे; पर वास्तव में इस तरह के उदाहरण कम ही देखने में आते हैं।

(३) यह सच्ची बात है कि शहर के व्यापारिक केन्द्रों में साधारणतः २५ प्रतिशत किराया बढ़ गया है।

(४) प्रश्न नं० ४ में उल्लिखित बातों का कोई उदाहरण चेम्बर के सामने नहीं आया।

(५) क़ानून बनाने की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इस मामले में किरायेदारों या मकान मालिकों—किसी के लिये पक्षपात नहीं होना चाहिये।

भारतीय रियासतों में बीमा क़ानून

९ फरवरी १९४० को चेम्बर की कमेटी ने भारत-सरकार के व्यापारिक विभाग के सेक्रेटरी के पास लिखा था कि बीमा क़ानून पास होने के बाद से बहुत-सी भारतीय रियासतों ने भी इसी तरह का क़ानून बना लिया है। यहां कमेटी ने यह बतलाया था कि इस क़ानून के मुताबिक़ किसी रियासत में बीमा-व्यवसाय करनेवाली बीमा-कम्पनी को आवश्यक ज़मानत रियासत के अधिकारियों के पास या रियासत की हिदायत के मुताबिक़ अन्य रूप में, जैसा रियासत स्वीकार करे, दाखिल करनी पड़ती है। इसके अलावे बीमा कम्पनी से और भी कई शर्त्तें कराई जाती हैं। हालां कि बीमा कम्पनी का आफिस रियासत के बाहर रहता है, फिर भी बृटिश भारत के अन्तर्गत रहता है; पर उसपर रियासत द्वारा बीमा क़ानून लगाया जाता है। पुनः कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाला था कि बीमादारों के हितों की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो बीमा क़ानून बनाया गया है, उससे रियासतों के बीमादारों की रक़म की सुरक्षा की व्यवस्था भी हो जाती है, फिर रियासत में बीमा-व्यवसाय करने के लिये किसी बीमा-कम्पनी को जो अलग ज़मानत

देनी पड़ती है, यह विलकुल न्यायोचित नहीं है। इसके पश्चात् कमेटी ने गवर्नमेंट को बीमा-व्यवसाय के सम्बन्ध में रियासतों के साथ उचित प्रबन्ध करने के लिये सुझाव दिया था।

कमेटी ने गवर्नमेंट को यह भी सुझाव दिया था कि भारतीय बीमा कानून के अन्तर्गत भारतीय रियासतों या बर्मा में बीमा-व्यवसाय करने के लिये बीमा-कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। सन् १९३८ के बीमा-क़ानून की धारा ११६ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भारतीय रियासत में संस्थापित, उससे सम्बन्धित या वहां स्थायी रूप से काम करने वाली बीमा कम्पनी को जमानत-सम्बन्धी धारा २७ की उपधारा (२) के लागू होने से वञ्चित कर सकती है। इस धारा के नियमों के अनुसार भारत में व्यवसाय करनेवाली बीमा कम्पनियों को अपनी कुल पूंजी (इस सम्बन्ध में जो सुधार संशोधन होंगे, उसकी बावत सरकार सूचना निकालेगी) भारतीय सम्पत्ति में ही लगानी पड़ेगी। जैसे भारतीय रियासतों में इस धारा के नियमों के लागू होने से सरकार बीमा कम्पनियों को वञ्चित कर सकती है, ऐसा ही नियम बर्मा में संस्थापित, उससे सम्बन्धित या वहां स्थायी रूप से काम करनेवाली बीमा-कम्पनियों की बावत बनाने के लिये भी चेम्बर की कमेटी ने गवर्नमेंट को सुझाव दिया था।

देहातों के लिये प्रान्तीय ऋण-क़ानून

फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़ का रिसर्च विभाग देहातों के लिये प्रान्तीय ऋण क़ानून के संबंध में एक छोटी पुस्तक तैयार कर रहा था। फेडरेशन ने इस संबंध में प्रान्तीय क़ानून की कार्यवाहियों का आवश्यक विवरण भेजने के लिये चेम्बर से अनुरोध किया। चेम्बर की कमेटी ने इसपर विचार किया, और इस सम्बन्ध का प्राप्त-विवरण फेडरेशन के पास भेज दिया गया।

भारतीय कारखानों में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिये अस्वस्थता-बीमा

बंगाल के व्यापार और श्रम-विभाग ने भारत-सरकार के १६ मई १९४० के पत्र की नकल चेम्बर के पास भेजी थी। पत्र भारतीय कारखानों में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिये 'सिकनेस बेनिफिट फन्ड्स' स्थापित करने के सम्बन्ध में था। भारत-सरकार के पत्र की नकल भेजते हुए बंगाल गवर्नमेंट ने चेम्बर से इस सम्बन्ध में अपनी राय देने के लिये लिखा था। खासकर बंगाल गवर्नमेंट यह जानना चाहती थी कि चेम्बर इस मद में कहांतक अनिवार्य चन्दा वसूल किये जाने की नीति के पक्ष में है। उक्त पत्र में लिखा गया था कि 'सिकनेस बेनिफिट' की योजना तैयार करने के लिये, यह पहले से ही निश्चय कर लेना आवश्यक है कि कर्मचारी और मालिक इस मद में अनिवार्य चन्दा देंगे।

उक्त पत्र में कमेटी ने लिखा था कि चेम्बर अस्वस्थता-बीमा की योजना पर विचार करेगा बशर्ते कि यह समस्त देश के लिये लागू हो और गवर्नमेंट, मालिक तथा मज़दूर सभी इस मद में चन्दा देना स्वीकार करें। कमेटी ने यह भी उल्लेख किया था कि युद्ध-विस्तार के कारण इस तरह की योजना पर विचार करने की परिस्थिति नहीं।

कमेटी ने वर्तमान फैक्टरी एक्ट के नियम, कर्मचारियों के लिये क्षति पूर्ति, वेतन चुकाने का क़ानून आदि का ज़िक्र करते हुए लिखा था कि मालिकों के ऊपर इस तरह के कितने ही नियम-क़ानून का बोझ लदा है, जिससे मज़दूरों के हितों की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। अन्त में कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारतीय मज़दूरों को बहुत ही कम वेतन मिलता है, और उनके स्वास्थ्य की हालत भी अत्यन्त दयनीय है, इसलिये वे इस प्रकार की योजना में मुश्किल से भाग लेंगे।

बङ्गाल के खाद्य-पदार्थों में मिलावट-सम्बन्धी अमेन्डमेन्ट बिल

बङ्गाल की खाद्य-सामग्री में जो मिलावट रहा करती है, इसमें सुधार करने के लिये एक बिल तैयार किया गया था। बिल पर चेम्बर की सम्मति लेने के लिये उसकी एक नकल चेम्बर के पास भेजी गई थी। चेम्बर की कमेटी ने बिल के मसौदे पर विचार किया, और जो विचार निश्चित किये गये, गवर्नमेंट के पास भेज दिये गये।

बिल के पहले क्लाज के अनुसार मिलावट-खाद्य-सामग्री की परिभाषा निश्चित कर लेना आवश्यक समझा गया था। कमेटी ने इस नियम की सराहना करते हुए लिखा था कि इस तरह की घटनायें कम नहीं हैं कि मिलावट-खाद्य-सामग्री खाते ही कितने आदमी मर चुके हैं। कमेटी ने बिल के चौथे क्लाज़ में उल्लिखित नियम को बिलकुल ठीक बतलाया। यह नियम इस प्रकार है:—

"कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई मिलावट-खाद्य-पदार्थ नहीं बेच सकता, जब तक वह इन नियमों की अदूली न करे। गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में नियम बना सकती है। कोई व्यक्ति किसी बन्द बोरे के ऊपर भ्रम पैदा करनेवाली बात या शब्द लिख कर, छाप या लेबुल लगाकर, अथवा ऐसा जालसाजी का चिह्न लगाकर जो बोरे के भीतर की सामग्री के प्रकार-भेद, नसल, पौष्टिकता, विशुद्धता, तैयार करने की विधि, वज़न, उत्पादन का स्थान आदि का विज्ञापन करने के उद्देश्य से हो, कोई खाद्य-सामग्री नहीं बेच सकता। कोई व्यक्ति मिलावट घी, सरसों तेल, या कोई अन्य सामग्री, जो लोगों के खाने लायक न हो, बिना नाम बदले असली कह कर नहीं बेच सकता।"

आगे चल कर कमेटी ने इस पर भी प्रकाश डाला था कि कई दूध वेचनेवाले धूर्त लोग, क़ानूनी नियन्त्रण से वचने के लिये कह देते हैं कि उनके दूध में पानी मिसाल है, और कुछ लोग तो इरादतन मिलावट सरसों तेल, घी आदि का मनगढ़ंत नाम देकर विक्री के लिये स्टाक करके रखते हैं और जव परीक्षा करने के लिये उनसे नमूना मांगा जाता है, तो इस तरह की गलत दलील पेश करते हैं कि जिन चीजों का विज्ञापन किया गया है, वे उनके स्टाक में मौजूद नहीं। कई मौक़े पर देखा गया है कि सही नाम ठिकाना नहीं मालूम होने के कारण इस तरह के जुआचोर नहीं पकड़े जा सके।

विल के १८ वें क्लाज़ में यह प्रस्ताव किया गया था कि इस एक्ट के १९ वें क्लाज़ के वाद यह नियम जोड़ दिया जाय कि,—"कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न कोई खाद्य-सामग्री विक्री कर सकता है, और न विक्री के लिये रख सकता है। वह विक्री के लिये कोई खाद्य-सामग्री न वना सकता है, और न स्टाक कर सकता है, जव तक स्थानीय अधिकारियों-द्वारा उसे ऐसा करने के लिये लाइसेन्स न दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति लाइसेन्स की शर्तों और हिदायतों के मुताविक़ कार्य न करे, तो उसे प्रथम अपराध के लिये २००) तक जुर्माना किया जा सकता है, और दूसरे तथा अन्य अधिक अपराधों के लिये जुर्माने की रक़म १०००) तक वढ़ाई जा सकती है या तीन महीने के लिये जेल हो सकती है अथवा जुर्माना और जेल दोनों ही सजायें भुगतनी पड़ सकती हैं।" इस नियम के सम्वन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि इस तरह का कड़ा प्रतिवन्ध लगाने से छोटे-मोटे व्यापारियों को वड़ा आघात पहुंचेगा, इसलिये सिर्फ उन्हीं व्यापारियों के लिये लाइसेन्स लेने का नियम वनाया जाय, जो ऐसी खाद्य-सामग्रियां वेचते हों, जिनमें मिलावट की सम्भावना हो, और अन्य प्रकार की खाद्य-सामग्री वेचने वाले व्यापारियों को लाइसेन्स लेने के नियम से वञ्चित कर दिया जाय।

वङ्गाल नन-एग्रिकल्चरल टिनेन्सी बिल १९४०

वंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सेक्रेटरी खां बहादुर सैयद ख्वाज़ामुद्दीन हुसेन, एम० एल० सी० ने जो वंगाल नन-एग्रिकल्चरल टिनेन्सी विल पेश किया था, उसकी नकल भेजते हुए, उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। विल पेश करते हुए यह कहा गया था कि वहुसंख्यक ज़मींदार इस्तमरारी वन्दोवस्त इलाकों में भी खेती-गिरस्ती नहीं करनेवाली रैयत के साथ बड़ी निर्दयता से पेश आते हैं, और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं।

विल पर अपनी सम्मति देते हुए चेम्बर की कमेटी ने लिखा था कि यह बिल विना विचारे पेश किया गया है, और बिल पेश करने के उद्देश्य और कारण में ज़मींदारों का वास्तविक चित्रण ऐसा नहीं किया गया है, जिससे पता चले कि ज़मींदार लोग अत्याचारी हैं। कमेटी ने यह भी लिखा था कि यह सच बात नहीं मालूम पड़ती कि इस सम्वन्ध में वहुत-सी रैयतों की शिकायतें प्रामाणिक है।

पुनः कमेटी ने यह स्पष्ट किया था कि बिल पेशकर्त्ता ने यह नहीं विचार किया कि खेती-गिरस्ती करनेवाली और खेती-गिरस्ती नहीं करनेवाली रैयतों के स्वार्थों में क्या भेद है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह वतलाया था कि खेती-गिरस्ती करनेवाली रैयत कई पुश्त से खेती पर ही जीवन निर्वाह करती आ रही है, और उसे एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह जाकर बसने के साधन नहीं हैं; पर खेती-गिरस्ती नहीं करनेवाली रैयत एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा सकती है, और उसे अधिकार है कि नोटिस देकर स्थान खाली कर दे। बिल में यह प्रस्ताव रखा गया था कि जबतक खेती-गिरस्ती न करनेवाली रैयत ज़मीन का ऐसा उपयोग नहीं करे, जिससे उसकी क़ीमत घट जाय या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ज़मीन वन्दोवस्त न करे, तब तक उसे ज़मीन के अधिकार से वेद-

खल न किया जाय। इस सम्बन्धमें कमेटी ने यह राय दी थी कि इस तरह के प्रस्ताव क्रान्तिकारी परिवर्तन लानेवाले हैं, और इनकी वजह समाज की आर्थिक गठन में कुठाराघात होगा। कमेटी ने विल के सभी अन्य नियमों का विरोध करते हुए राय दी थी कि विल स्थगित कर दिया जाय; क्योंकि इससे न तो ज़मींदारों का लाभ होगा और न समाज का और इसके विपरीत इन नियमों की वजह धूर्त लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

कलकत्ता म्युनिसिपल अमेन्डमेन्ट बिल १६४०

२० जून १९४० को वंगाल गवर्नमेंट के सार्वजनिक स्वास्थ और स्वायत्त-शासन-विभाग ने कलकत्ता म्युनिसिपल अमेन्डमेन्ट विल की नकल भेजते हुए इस पर चेम्वर की राय मांगी। विल पेश करने का अभिप्राय और कारण यह वतलाया गया था कि १९२३ से लेकर यानी १६ साल से—कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट के कार्यों से यह अनुभव हुआ है कि कार्पोरेशन के शासन-सञ्चालन में राजनीतिक विचारों के लोगों का अधिकार होने के कारण शासन में दिन-व-दिन उलझनें पैदा होती आ रही हैं। इसलिये गवर्नमेंट ने यह विचार किया है कि कार्पोरेशन के चीफ एक्सक्युटिव आफिसर को कौन्सिलरों तथा एल्डरमैनों के व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त करने के लिये इस प्रकार का स्पष्ट नियम वना दिया जाय कि कार्पोरेशन के वड़े-वड़े ओहदों की नौकरियां वग़ैर एक सर्विस-कमीशन की सिफ़ारिश के न दी जायं, और यदि कार्पोरेशन में अधिकार-प्राप्र व्यक्ति अपने कर्त्तव्य से च्युत हों या अधिकारों का दुरुपयोग करें, तो और नियन्त्रण लगाया जाय। अतः उक्त विषय के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम वनाने के लिये ही विल पेश किया गया है।

चेम्वर की कमेटी ने विल के सम्बन्ध में अपनी राय २१ अगस्त १९४० को भेजी। कमेटी ने लिखा था कि यह कोई ऐसा ज्वलंत सत्य

नहीं है कि कार्पोरेशन में अधिकार-प्राप्त लोगों के राजनीतिक विचारों का कार्पोरेशन के शासन में काफी प्रभाव पड़ता है, और इस वजह दिन-ब-दिन शासन-सञ्चालन में कठिनाई आती जा रही है। पुनः कमेटी ने यह लिखा था कि देखा गया है कि कार्पोरेशन में बहुतेरे लोगों की नियुक्ति सदोष है, फिर भी जब से इसका शासन प्रजातंत्रात्मक ढंग का हुआ है, और जनता के सच्चे प्रतिनिधियों के हाथ में शासन की बागडोर आई है, तबसे कलकत्ता शहर सभी तरह से उन्नतिशील हुआ है। आगे चलकर कमेटी ने यह लिखा था कि यद्यपि गवर्नमेन्ट को सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं, फिर भी बंगाल गवर्नमेन्ट को चाहिये कि जबतक कार्पोरेशन के कार्यों में किसी मौके पर कोई त्रुटि न दिखाई दे, तबतक वह अपने किसी भी कानूनी- अधिकार का उपयोग न करे। कमेटी ने यह भी राय दी थी कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि १९३९ के संशोधित एक्ट के मुताबिक गत साधारण चुनाव के बाद से कलकत्ता कार्पोरेशन में अधिकार-प्राप्त सभी दल शासन को उन्नतिशील बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अन्य संशोधन के लिये कुछ समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। कमेटी ने इस प्रस्ताव को भी नहीं स्वीकार किया कि चीफ एक्सक्युटिव आफिसर की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार-द्वारा इन्डियन सिविल-सर्विस से की जाय। कमेटी की दृष्टि में इसका कोई कारण नहीं जान पड़ा कि कार्पोरेशन के, अपना चीफ एक्सक्युटिव आफिसर नियुक्त करने के अधिकार पर, क्यों प्रतिबन्ध लगाया जाय। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि ऐसे प्रतिबन्ध के लागू होने से कार्पोरेशन जैसी प्रजातंत्रीय संस्था की प्रतिष्ठा कम हो जायगी। पुनः कमेटी ने यह सुझाव पेश किया था कि चीफ एक्सक्युटिव आफिसर को कोई ऐसा टेन्डर अथवा इतने मूल्य का कार्य बन्दोबस्त करने का अधिकार नहीं देना चाहिये, जो दस हजार रुपये से अधिक का हो; क्योंकि इसका अर्थ

कार्पोरेशन का अधिकार कम कर देना होगा। इसलिये कमेटी ने यह राय दी थी कि यदि कार्पोरेशन जरूरी समझेगा, तो वह स्वयं चीफ एक्सक्युटिव आफिसर को इस तरह के अधिकार देगा।

कमेटी इस नियम के पक्ष में भी नहीं थी कि मताधिकार का इतना व्यापक रूप दिया जाय कि बस्ती की झोपड़ियों में रहनेवाले भी वोट दें। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि ऐसे नियमों से कार्पोरेशन की स्थिति सुधरने की कोई गुंजायश नहीं।

बंगाल-लोकल-सेल्फ-गवर्नमेन्ट-अमेन्डमेन्ट-बिल

मि० हुमायूं कबीर एम० एल० सी०—द्वारा पेश किये गये बंगाल-लोकल-सेल्फ-गवर्नमेंट बिल (बंगाल-स्वायत्त-शासन-संशोधन-बिल) १९३० की नक़ल भेजते हुए बंगाल लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सेक्रेटरी ने उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। बिल स्थानीय संस्थाओं में सरकार-द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की नियुक्ति की प्रथा का अन्त करने तथा किसी स्थानीय संस्था के इलाके में वास करनेवाले सभी बालिग लोगों को वोट देने का अधिकार देने के लिये क़ानून बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया था।

बिल पेशकर्त्ता के विचारों से सहमत होते हुए भी कमेटी ने बिल के सम्बन्ध में अपनी राय देते हुए लिखा था कि स्थानीय-स्वायत्त-शासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह शासन-सञ्चालन में अपने निजी मामलों की देख-रेख के लिये जनता को शामिल करे। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह प्रकाश डाला था कि वोट देने का अधिकार इतना व्यापक बनाना सम्भव नहीं कि किसी स्थानीय-संस्था के इलाके में वास करनेवाले सभी बालिग लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाय। कमेटी ने इसका कारण यह बतलाया था कि अभीतक लोगों को शिक्षित और विवेकशील बनाने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे वे उचित

मत देने में समर्थ हो सकें। बंगाल-स्थानीय-स्वायत्त-शासन-एक्ट की धारा ७ के अनुसार जो सरकार-द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के चुनाव का नियम है, और जिसका अन्त कर देने के लिये बिल में प्रस्ताव रखा गया था, इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि जबतक प्रतिनिधि नियुक्त किये जानेवाला व्यक्ति पूर्ण शिक्षित न हो, और जनता के हितोंकी रक्षा की व्यवस्था की पूरी योग्यता न रखता हो तबतक उसे प्रतिनिधि नहीं नियुक्त करना चाहिये। कमेटी बिल-पेशकर्त्ता के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी कि धारा ७ के नियम के अनुसार स्थानीय सरकार को जो स्थानीय संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, वह हटा दिया जाय। अन्त में कमेटी ने राय दी थी कि स्थानीय सरकार की गठन जिस लोक-प्रिय रीति के अनुसार हुई है, उसके अनुकूल स्थानीय सरकार स्थानीय-संस्थाओं के मामलों में बोल सकती है, और इसके अलावे स्थानीय सरकार ने कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हुआ हो कि वह स्थानीय-स्वायत्त-शासन की उन्नति में रुकावट डालती है।

कलकत्ता इम्प्रूभमेन्ट अमेन्डमेन्ट बिल

मि० केदार बख़्श, एम० एल० सी०-द्वारा पेश किये गये कलकत्ता इम्प्रूभमेन्ट अमेन्डमेन्ट बिल १९४० की नक़ल भेजते हुए बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सेक्रेटरी ने उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। बिल पेश करने के उद्देश्य और कारण के विवरण में बिल-पेशकर्त्ता ने यह उक्ति पेश की थी कि उन्नत ज़मीन के टुकड़ों पर किसी खास समुदाय का आधिपत्य नहीं होने पावे, और दूसरे समुदाय के लोग इस सुविधा से वञ्चित न किये जायं, इसके लिये कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है। कमेटी की राय में इस तरह के प्रमाण नहीं थे कि उन्नत जमीनपर किसी ख़ास समुदाय का आधिपत्य है, इसलिये कमेटी-द्वारा सम्पूर्ण बिल का विरोध किया गया।

बंगाल-प्राइमरी-शिक्षा-संशोधन-बिल

अपने ६ फरवरी १९४० के पत्र के साथ बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सेक्रेटरी ने मि० नूर मुहम्मद, एम० एल० सी०—द्वारा पेश किये गये बंगाल-प्राइमरी-शिक्षा-संशोधन बिल की नक़ल भेजते हुए, उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। इसके पश्चात् बंगाल सरकार ने पुनः बिल की नकल वितरण कराई थी, और ६ सितम्बर १९४० को उसकी एक प्रति चेम्बर के पास भी आयी थी। इस संशोधन-विल के पेश करने का उद्देश्य था ६ साल और १२ साल के बीच की उम्र-वाले बच्चों को एक पंच वर्षीय योजना तैयार कर पाठशालाओं में अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रवन्ध करना तथा प्राइमरी-पाठशालाओं में धर्म-शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

बिल के सम्बन्ध में अपनी निश्चित राय भेजते हुए कमेटी ने उसमें उल्लिखित संशोधनों का पूर्ण अनुमोदन किया था। कमेटी बिल में उल्लिखित इस विचार से कि अशिक्षा दूर करने के लिये प्राइमरी-शिक्षा की सख्त ज़रूरत है, खासकर इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि अब शासन का वास्तविक अधिकार जनता को सुपुर्द किया जा रहा है, पूर्ण सहमत थी। चूंकि कमेटी देश के वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति से निकटतम सम्बन्ध रखती है, इसलिये उसने बिल के सम्बन्ध में यह राय दी थी कि आधुनिक युग में विना शिक्षा के वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति नहीं हो सकती, और जबतक व्यवसायी-समुदाय अन्य देशों में प्रचलित नियमों से परिचित न हो जाय तथा इतना योग्य न हो जाय कि वह अपने अधिकारों और स्वार्थों की रक्षा कर सके, तबतक उसका कार्य सुचारु रूपसे संचालन नहीं हो सकता। कमेटी ने बिल की धारा ३ में जो यह नियम बनाने की योजना रखी गयी थी कि किसी भी म्युनिसि-पेलिटी के कौन्सिलरों को उक्त धारा के अन्तर्गत उल्लिखित

योजना तैयार करने के लिये सभी आवश्यक सूचनायें देनी होंगी, उसका सहर्ष स्वागत करते हुए राय दी थी कि जबतक इस सम्बन्ध में कड़ी नीति का अवलम्बन नहीं किया जायगा, तबतक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की योजना सफल नहीं हो सकती। धारा ९ की उपधारा २ (बी) में उल्लिखित प्रस्ताव के अनुसार जो बच्चों की कमजोरी और बीमारी की देख-रेख स्कूल-द्वारा करने की योजना बनाई गई थी, इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि स्कूल-कमेटी के कमिश्नरों को चाहिये कि वे स्कूल-कमेटी में एक चिकित्सक को भी सदस्य चुनें। इसके अतिरिक्त कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि ग्रेट ब्रिटेन और अन्य सभी देशों के स्थानीय शिक्षा-विभाग के अधिकारियों को निम्न-कक्षा की सार्वजनिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा करने तथा उनकी बीमारियोंका इलाज करने का प्रबन्ध करना आवश्यक होता है; पर इस देश में अभी यह आवश्यकता है कि शारीरिक शिक्षा को पाठशालाओं की शिक्षा का एक प्रधान विषय बनाया जाय। कमेटीने यह महसूस किया कि विद्यार्थियों की शारीरिक दुर्बलता दूर करने के लिये जबतक पाठशालाओं के अधिकारीगण चिकित्सकों की सहायता लेने का आवश्यक प्रबन्ध न कर लें, तबतक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की योजना के ज़रिये उन्नत प्रकार के नागरिक तैयार करने का ऐच्छिक उद्देश्य सफल नहीं हो सकता, इसलिये कमेटी ने स्कूल-कमेटी में एक अनुभवी चिकित्सक नियुक्त करने के लिये जोर दिया था। प्राइमरी-पाठशालाओं में जो सप्ताह में कम-से-कम तीन दिन धार्मिक शिक्षा देने की योजना रखी गई थी, उसकी आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी कमेटी ने राय दी थी कि इस तरह की धार्मिक शिक्षा अन्य रूप में दी जानी चाहिये। प्रस्तावित धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा यदि

सार्वजनिक पाठशालाओं में दी जाय, तो इससे अनावश्यक झंझट पैदा होना अनिवार्य है। पुनः धार्मिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि धार्मिक कहानियां और महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाने से यह उद्देश्य वखूबी सफल हो सकता है। आगे चलकर कमेटी ने इस बातपर जोर दिया था कि प्राइमरी-शिक्षा का व्यापक प्रचार होना चाहिये, और गवर्नमेंट को इसके लिये पूरी चेष्टा करनी चाहिये। अन्त में कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाला था कि इस देश के लिये व्यापक-शिक्षा-योजना-सम्बन्धी एक विस्तृत बिल तैयार कर गवर्नमेंट को बहुत पहले ही इस मामले में अग्रसर होना चाहिये था।

बंगाल-ग्राम्य-स्वायत्त-शासन-अमेन्डमेन्ट बिल

१ दिसम्बर १९३९ को मौलवी मुहम्मद इसराइल, एम० एल० ए० ने वंगाल ग्राम्य-स्वायत्त-शासन-अमेन्डमेन्ट विल बंगाल-लेजिस्लेटिव-असेम्वली में पेश किया था, और वंगाल-गवर्नमेंट ने इस पर चेम्बर की राय मांगी थी।

चेम्बर की कमेटी ने बिल के सम्बन्ध में अपनी राय भेजते हुए, उसके उद्देश्य और कारण के प्रति अपनी सम्मति प्रदान की थी, और लिखा था कि अनुचित प्रभाव तथा दवाव डालना रोकने के लिये यह आवश्यक है कि युनियन बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के समय गुप्त रूपसे वोट देने का तरीका अख्तियार किया जाय। कमेटी ने यह सुझाव भी दिया था कि युनियन वोर्डों को विशुद्ध प्रजातंत्रीय बनाना चाहिये, और उन्हें सभी आवश्यक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। अन्त में कमेटी ने इस वातपर प्रकाश डाला था कि जनता की राय लेकर गवर्नमेंट को भी ऐसा ही विल पेश करना चाहिये।

ड्रग्स बिल

ड्रग्स के आयात, मेन्युफेक्चर, वितरण और बिक्रीपर नियन्त्रण रखने के लिये भारत-सरकार ने एक बिल पेश किया था। बिल की एक प्रति चेम्बर के पास भेजी गई थी, और उसपर चेम्बर की सम्मति मांगी गई थी। १९३१ की ड्रग्स-इन्क्वायरी-कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय से ही व्यापारी-समुदाय विदेशों से आनेवाले ड्रग्स तथा भारत में तैयार होनेवाले ड्रग्सपर नियन्त्रण रखने के लिये कोई उपयोगी क़ानून बनाने के लिये जोर देता आ रहा था। भारत-सरकार ने १९३७ में जो बिल पेश किया था, वह केवल वृटिश भारत में विदेशों से आनेवाले ड्रग्स के ऊपर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया था; पर भारत में तैयार होनेवाले और वितरण होनेवाले ड्रग्सपर नियन्त्रण रखनेके लिये इसी तरह का कानून बनानेका प्रश्न प्रान्तीय सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया था। सिलेक्ट कमेटी के सुझाव पर बिल वापिस ले लिया गया था; और उक्त नया बिल पेश किया गया था, जो केवल विदेशों से आनेवाले ड्रग्स के ऊपर नियन्त्रण रखनेके उद्देश्य से ही नहीं तैयार किया गया था, बल्कि यह भारतमें ड्रग्स तैयार करने, वितरण करने तथा बिक्री करने पर भी नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। बिल चेम्बर की कमेटी के सम्मुख विचार करने के लिये रखा गया, और इसपर चेम्बर की ला सब कमेटी ने जो राय दी, वह भारत-सरकार के पास लिख भेजी गई।

बंगाल-मिस-डिमीनर बिल १९३९

बंगाल-लेजिस्लेटिव-असेम्बली के सेक्रेटरी ने अपने २० दिसम्बर १९३९ के पत्र के साथ डा० नालिनाक्ष सन्याल, एम० एल० ए०-द्वारा पेश किये गये बंगाल-मिस-डिमीनर-बिल १९३९ की

एक प्रति चेम्बर के पास भेजते हुए, उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। विल पेश करने के उद्देश्य और कारण के विवरण में यह वतलाया गया था कि भारत-सरकार के इन्डिया एक्ट १९३५ में कुछ अपराधों के लिये, जो इन्डिया-एक्ट १९३९ के ११ वें खन्ड में दुराचार समझे गये थे, कोई क़ानूनी-व्यवस्था नहीं की गयी है। विल में इस वातपर भी प्रकाश डाला गया था कि वर्तमान कानून से स्वतन्त्र जन-मत प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो सकी है तथा कोई अधिकारी अपने अन्दर काम करनेवाले कर्मचारियों के ऊपर वोट देने के लिये जो दवाव डालता है, इसके लिये भी किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया है। इसके पश्चात् यह उल्लेख किया गया था कि बंगाल प्रान्त की सार्वजनिक संस्थाओं में जो दुराचार, घूसखोरी और अनुचित प्रभाव से काम लेने की कुप्रथा प्रचलित है, इसपर बिल-द्वारा क़ाफी नियन्त्रण रहेगा। कमेटी ने इस वात से सहमत होते हुए कि पब्लिक आफिसों में बहुत अधिक दुराचार फैल गया है, राय दी थी कि इसको दूर करने के लिये प्रतिवन्ध लगाने के उद्देश्य से आवश्यक क़ानून वनाना चाहिये। पर इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव पेश किया था कि इस बात की सावधानी रखनी चाहिये कि किसी ऐसे व्यक्ति को दन्ड नहीं दिया जाय, जो सहायता या दान रूप में कुछ व्यय करे। पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि डाली लगाने की प्रथा को भी दुराचार क़रार न दिया जाय। विल में उल्लिखित दण्ड-विधान के सम्वन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि इस क़ानून के अन्तर्गत अपराधी सोवित हुए व्यक्तियों को एक साल के लिये जेल की सज़ा या रिश्वत ली हुई रक़म के अनुपात में जुर्माने की सज़ा मिलनी चाहिये। अन्त में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि किसी भी व्यक्ति को जिसे इस तरह के मामले की जानकारी प्राप्त हो, और जो मामला दायर करने के लिये आवश्यक प्रमाण पेश कर सके,

फ़रियादी होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये, और मामला दाखिल करने के लिये एडवोकेट जेनरल की लिखित स्वीकृति प्राप्त करने का कोई ज़रूरी नियम नहीं रखना चाहिये।

दशहरे की छुट्टी में कलकत्ते की छोटी अदालत की पूरी बन्दी का प्रस्ताव

कलकत्ता-छोटी-अदालत के चीफ जज नवाबज़ादा ए० एस० एम० लतीफ़ुर्रहमान, एम० ए० (कैन्टब) बार-एट-ला ने अपने २५ फरवरी १९४० के पत्र में चेम्बर को सूचित किया था कि दशहरे की छुट्टी में अदालत की पूरी बन्दी के प्रस्तावपर विचार हो रहा है। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि पहले यह नियम था कि दशहरे की बन्दियों में अदालत के काम का भार एक जज या रजिस्ट्रार के सुपुर्द रहता था, और काम-काज देखने के लिये कुछ कर्मचारी भी रखे जाते थे। अदालत की बन्दी के पहले जो वारन्ट निकलते थे, उन्हें कई निर्धारित शर्तों पर कुछ हद तक तामील किया जाता था। पत्र में आगे चलकर यह कहा गया था कि हाल में देखा गया है कि इधर बन्दियों में काम नहीं के बराबर हो गया है, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि गवर्नमेंट बन्दियों में काम कराने के लिये आफिसरों को रोक रखे, और अतिरिक्त खर्च वहन करे।

उत्तर में कमेटी अदालत की पूरी बन्दी के संबंध में गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुई। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह लिखा था कि हो सकता है कि बन्दियों में अदालती काम घट रहा हो, पर ज़रूरी मामलों को स्थगित नहीं रखा जा सकता, और जबतक बन्दियों में काम-काज देखने के लिये एक जज या रजिस्ट्रार-जैसा अधिकारी नहीं रखा जाय, तबतक आवश्यक

हुक्मनामे और हिदायतें नहीं दी जा सकतीं, और ऐसी व्यवस्था विना महाजनों का वकाया रुपया वसूल होने की कम उम्मीद रहेगी।

वन्दी में अदालती काम चालू रखने के लिये गवर्नमेंट को जो व्यय करना पड़ता है, उसके सम्बन्ध में राय देते हुए कमेटी ने यह लिखा था कि गवर्नमेंट को बन्दियों में जो स्टाम्प और पिउन खर्च से आमदनी होती है, वह अदालती खर्च वहन करने के लिये पर्याप्त है। अन्त में कमेटी ने यह लिखा था प्रेसिडेन्सी स्माल काज़ कोर्ट में मामला दाखिल करने के लिये जो आपत्तिजनक खर्च लगता है, और अन्य कई आकस्मिक खर्च वर्दास्त करने पड़ते हैं, मोमला लड़ने वालों को हतोत्साह करने के लिये, वे ही पर्याप्त हैं और दशहरे की छुट्टी में जो उनका काम-काज होता है, यदि वे इन सुविधाओं से भी वञ्चित कर दिये गये, तो वे अदालत में जाना पसन्द नहीं करेंगे।

भारतीय पंचायत बिल

बंगाल-गवर्नमेन्ट के ज्युडिसियल एण्ड लेजिस्लेटिव विभाग ने भारतीय-पंचायत-बिल की एक प्रति चेम्वर के पास भेजते हुए, उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। विलपर विचार-विमर्श करने के लिये चेम्बर की कमेटी ने काफ़ी समय दिया। गवर्नमेंट ने जो प्रस्तावित विल पेश किया था, वह भारत के पंचायत-सम्बन्धी क़ानून में संशोधन करने के लिये और इसे ठोस बनाने के लिये तैयार किया गया था, इसलिये कमेटी ने गवर्नमेंट के इस कार्य की सराहना की। चूकि इन्डियन आर्बीट्रेशन एक्ट और कोड आफ सिविल प्रोसीड्योर (द्वितीय शेड्यूल) जिनके मुताबिक़ भारतीय पञ्चायत का शासन संचालन होता है, क्रमशः सन् १८९९ तथा १९०८ में लागू हुए थे, और इस वीच व्यापारिक मामलों में कोफी क़ानूनी विकास हो गया है, इसलिये भारत के पंचायत-सम्बन्धी क़ानून

के सम्बन्ध में था। भारत सरकार का पत्र चम्बर की कमेटी में विचारार्थ रखा गया था।

प्रेसिडेन्सी स्माल काज़ कोर्ट अमेन्डमेन्ट बिल १६३८

५ फरवरी १९४० को बंगाल-लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सेक्रेटरी ने, मि० हमीदुलहक़ चौधरी एम० एल सी०—द्वारा पेश किये गये प्रेसिडेन्सी स्माल काज़ कोर्ट अमेन्डमेंट बिल १९३८ की एक प्रति चेम्बर के पास भेजते हुए उस पर चेम्बर की सम्मति मांगी थी। बिल पेश करने के उद्देश्य और कारण के विवरण में यह उल्लेख किया गया था कि मामला लड़नेवालों को प्रेसीडेन्सी स्माल काज़ कोर्ट के वर्तमान नियम के अन्तर्गत किसी जज के फैसले से सन्तोष नहीं होने पर मामले का नये सिरे से विचार करने के लिये स्माल काज़ कोर्ट के 'फुल बेंच' के सामने पेश करने के लिये अनुरोध किया जा सकता है, अथवा दरख्वास्त देकर पुनरावलोकन के लिये मामला हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। पर पहला प्रबन्ध तो बहुत झंझटी है और इसके लिये जनता को रुपया बर्बाद करना पड़ता है और दूसरे के लिये अत्यन्त अधिक व्यय करना पड़ता है।

७ मार्च १९४० को चेम्बर की कमेटी ने बिल के सम्बन्ध में अपनी राय भेज दी। कमेटी ने १८८२ के प्रेसिडेन्सी स्माल काज़ कोर्ट एक्ट में पूर्ण रूप से संशोधन करने का सुझाव दिया था। बिल पेशकर्ता ने जिन प्रस्तावित संशोधनों के सुझाव दिये थे, कमेटी की राय में उनसे आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती थी। पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि जब धारा ३८ के अन्तर्गत दरख्वास्त देने पर किसी मामले की सुनाई फुल बेंच के सामने होती है तो अदालत में गवाही-शहादत का रिकार्ड नहीं लिखा जाता इसलिये प्रधान जज को पहले जज के संस्मरणों पर ही बिलकुल निर्भर करना पड़ता है; क्योंकि अधिकांश मामलों में मुश्किल से कोई गवाही-शहादत

रिकार्ड में लिखी जाती है। इसलिये कमेटी ने यह राय दी थी कि जजों को चाहिये कि वे प्रत्येक विवादास्पद झमेले के सम्बन्ध में पूरी गवाही-शहादत लिख रखें, जिससे उचित न्याय होना सम्भव हो सके।

जिन्सोंके ऊपर युद्ध-जोखिम-बीमा

भारत सरकार के व्यापारिक विभाग ने १८ जुलाई १९४० को चेम्बर के पास एक पत्र लिखा था। पत्रके साथ बृटिश भारतके अन्तर्गत ज़मीनपर की जिन्सों के ऊपर युद्ध-जोखिम-बीमा-सम्बन्धी सरकार की योजना के प्रस्ताव भी थे। सरकार की यह योजना युनाईटेड किंगडम के युद्ध-जोखिम-बीमा कानून के आधार पर तैयार की गई थी। बीस हज़ार रुपये या इससे अधिक मूल्यकी जिन्सों के लिये, जिनका आगकी जोखिम के लिये बीमा हो चुका हो, अथवा उन जिन्सों के स्टाक के लिये जिनका आग की जोखिम के लिये बीमा नहीं हो या बीस हजार रुपये से कम का बीमा हो, सरकार ने अनिवार्य रूप से युद्ध-जोखिम-बीमा करने के उद्देश्य से उक्त योजना तैयार की थी। इस योजना के अन्तर्गत खड़ी फसल, कोयला, सीमेन्ट, कतिपय धातु, (जिन्हें युनाईटेड किंगडम ने स्वीकार कर लिया था) और खान से निकलने वाले सभी तरह के तेल, शामिल नहीं किये गये थे। प्रस्ताविक युद्ध-जोखिम-बीमे की किश्तकी दर $\frac{१}{८}$ प्रतिशत मासिक हिसाबसे निर्धारित की गई थी, और तीन मासके कार्यकी परीक्षा के वाद नियमोंमें आवश्यक रद्दोबदल करने की योजना निश्चित की गई थी। बीमे की सभी प्राप्त किश्तें एक फण्ड में जमा करने की व्यवस्था की गई थी, और इसी फन्डसे क्लेम चुकानेकी शर्त रखी गई थी। जव फन्डमें इतना रुपया न हो जिससे क्लेम चुकाये जा सकें, तो इस दशा में सरकारकी साधारण आय से क्लेम चुकानेकी व्यवस्था की गई थी।

भारत सरकार का पत्र तथा प्रस्तावों की नकल कमेटी ने चेम्बर के सदस्यों में वितरण कराई, और उनकी सम्मति आने के बाद, कमेटी ने भारत सरकार को तार-द्वारा अपना विचार सूचित किया। कमेटी ने यह राय दी थी कि युद्ध-जोखिम बीमा निरपेक्ष भाव से सभी जिन्सों के लिये अनिवार्यरूप से लागू होना चाहिये, चाहे वे किसी भी मूल्य की हों, और चाहे आग की जोखिम के लिये उनका बीमा हुआ हो या नहीं। किश्तों की रकम जमा करने के लिये प्रारम्भ में ही जो एक फन्ड निर्माण करने की व्यवस्था की गई थी, उसकी उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी कमेटी ने यह राय दी थी कि भारत में युनाईटेड किंगडम की अपेक्षा युद्ध का खतरा बहुत कम है, और इस देश के लिये फन्ड निर्माण करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि युद्ध-जोखिम-बीमा के संबंध में युनाईटेड किंगडम से भारत की कोई तुलना नहीं हो सकती और भारत के लिये किश्त की दर टेरिफ की दर के २५ प्रतिशत से किसी भी हालत में अधिक नहीं होनी चाहिये। पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि मुफ्फस्सिल इलाकों को अनिवार्य युद्ध-जोखिम-बीमा से बरी कर देना चाहिये, और यह केवल पोर्ट इलाकों के लिये ही अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिये।

अन्तमें भारत सरकार ने १ अक्टूबर १९४० से ज़मीन पर की जिन्सों के ऊपर युद्ध-जोखिम-बीमा लागू कर दिया, और इसके लिये आर्डिनेन्स घोषित किया। किश्त की दर प्रति मास के लिये अथवा मास के किसी हिस्से के लिये प्रतिशत ६ पाई निर्धारित की गई थी, और किश्त की एक कम-से-कम रकम भी निश्चित की गई थी।

बंगाल-दहेज-प्रथा-प्रतिरोध-बिल

अपने २३ अगस्त १९४० के पत्रके साथ बंगाल लेजिस्लेटिव असेम्बली के सेक्रेटरी ने मौलवी आफ़ताब हुसेन जोआरदार–द्वारा

पेश किये गये बंगाल-दहेज-प्रथा-प्रतिरोध बिल की एक प्रति भेजते हुये, उस पर चेम्बर की राय मांगी थी। चेम्बर की कमेटी ने बिल के हर पहलू पर विचार करने के पश्चात् उस पर अपनी राय भेज दी। कमेटी ने उक्त प्रशंसनीय बिल के प्रति हर तरह की सहानुभूति प्रकट करते हुये लिखा था कि दहेज की घृणित प्रथा दूर करने के लिये जो भी व्यावहारिक उपाय काम मे लाया जाय, कमेटी उस का पूर्ण समर्थन करेगी। पुनः कमेटी ने राय दी थी कि इस तरह का कानून लागू करने के पहले पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, वर्ना रोग से रोग का इलाज अधिक खतरनाक होने की हर सम्भावना है। अन्त में कमेटीने यह सुझाव दिया था कि पहले सरकार को जनता या विभिन्न समाजों की सम्मति लेकर, जो सभी दहेज की कुप्रथा के शिकार बने हुए हैं, इस विषय पर कोई बिल पेश करना चाहिये।

पेट्रोलियम रूल्स १९३७

बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने, भारत-सरकार-द्वारा प्रकाशित किये गये ता० ३१ अक्टूबर १९३९ के नोटिफिकेशनों की प्रतियाँ, चेम्बर के पास भेजीं। उक्त नोटिफिकेशनों में पेट्रोलियम रूल्स, १९३७ की धारा ५० में संशोधन करने के लिये अमेन्डमेन्ट्स ड्राफ्ट प्रकाशित किये गये थे। अन्य विषयों के अतिरिक्त उक्त ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव उल्लिखित था कि,—"इन नियमों-के अन्तर्गत जितनी तरह की फीस लगेगी, उसे नक़द या चेक देकर चुकाया जायगा।" भारत-सरकार ने उक्त विषय पर चेम्बर की राय माँगी थी, और चेम्बर से इस सम्बन्ध में अपने एतराज़ और सुझाव पेश करने के लिये अनुरोध किया था। चेम्बर की कमेटी ने अपनी सम्मति भेजते हुए भारत-सरकार को सूचित किया था कि यदि प्रस्तावित संशोधनों को व्यावहारिक रूप दिया जाय, तो चेम्बर को इस विषय में कोई आपत्ति नहीं।

इन्डियन इलेक्ट्रीसिटी रूल्स

बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने भारत-सरकार का एक नोटिफिकेशन, जिसमें एक ड्राफ्ट अमेन्डमेन्ट प्रकाशित हुआ था, चेम्बर की राय लेने के लिये भेजा था। उक्त ड्राफ्ट अमेन्डमेन्ट में हवाई लाइनों को बन्द करने के लिये एक धारा जोड़ने का प्रस्ताव किया था, जिसका धारा ७९ 'ए' नामकरण किया गया। कमेटी ने जवाब में लिखा था कि प्रस्तावित धारा जोड़ने के सम्बन्ध में उसे कोई आपत्ति न होगी।

इन्डियन एक्सप्लोसिभ रूल्स

बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने भारत-सरकार-द्वारा प्रकाशित ता० १७ जुलाई १९४० के नोटिफिकेशन की एक प्रति चेम्बर के पास भेजते हुए, इस पर चेम्बर की राय माँगी थी। उक्त नोटिफिकेशन संशोधित एक्सप्लोसिभ (विस्फोटक-पदार्थ) रूल्स के सम्बन्ध में, जो प्रारम्भिक सतर्कतामूलक रक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बनाये गये थे, राय लेने के लिये प्रकाशित कराया गया था। पुनः बंगाल-सरकार ने भारत-सरकार के श्रम-विभाग के १७ अगस्त १९४० के पत्र की एक नक़ल चेम्बर के पास भेजी। पत्र के साथ ड्राफ्ट एक्सप्लोसिभ रूल्स के सम्बन्ध में प्रकाशित बोधक-विवरण की एक प्रति भी आई थी। पत्र में उल्लेख किया गया था कि वर्तमान नियमों में रद्दो-बदल कर दिया गया है और आवश्यकतानुसार शब्दों में भी परिवर्तन कर दिया गया है, ताकि सन्देहात्मक बातें दूर हो जायँ, और अर्थ स्पष्ट हो जाय। विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिये पहले की निर्धारित लाइसेन्सों की संख्या घटा दी गयी थी और अधिक विस्फोटक पदार्थों के लिये लाइसेन्स मंजूर करने के प्रान्तीय अधिकारियों के अधिकार विस्फोटक-विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिये गये थे। यह परिवर्तन इसलिये

किया गया था कि विस्फोटक पदार्थों की पूरी जानकारी नहीं रखनेवाले व्यक्ति इसके स्वाभाविक खतरे का अन्दाज़ नहीं लगा सकते थे। चेम्बर की कमेटी ने प्रस्तावित संशोधनों के प्रति अपनी स्वीकृति सरकार को लिख भेजी।

विविध नियम क़ानून

बंगाल-सरकार ने निम्न-विषयों पर भी चेम्बर की राय माँगी थी, और चेम्बर की कमेटी ने इनके सम्बन्ध में बंगाल-सरकार को अपने विचार लिखे हैं :—

(१) भारतीय कोयला-खान-क़ानून-अमेन्डमेन्ट्स।
(२) बंगाल-ट्रेड-युनियन-क़ानून १९२७ (अमेन्डमेन्ट्स)।
(३) बंगाल-मातृ-हितकारी रूल्स १९४०।
(४) गैस सिलीन्डर रूल्स १९४०।

इनकम टैक्स

प्रोभिडेन्ट फन्ड रिलीफ के सम्बन्ध में इनकम टैक्स रूल्स अमेन्डमेन्ट

भारत-सरकार के अर्थ विभाग (सेन्ट्रल रेवेन्यू) ने प्रोभिडेन्ट फन्ड रिलीफ के सम्बन्ध में प्रकाशित अपने ३ अगस्त १९४० के ड्राफ्ट अमेन्डमेन्ट के नोटिफिकेशन की नकल भेजते हुए, उसपर चेम्बर की राय मांगी थी। नोटिफिकेशन में उक्त रूल्स की धारा ३ में निम्नलिखित नियम जोड़ने का प्रस्ताव किया गया थाः—

(१) उस हालत में जब कि मालिक कोई कम्पनी नहीं हो, तब जिस तारीख से कर्मचारी को प्रोभिडेन्ट फन्ड मिलने की सुविधा

प्राप्त हो, और उस तारीख से इस मद् में जितनी रक़म जमा हो, तथा उस रक़म का जो व्याज हो, यह कुल रक़म इन्डियन ट्रस्ट्स १८८२ की धारा २० की उपधारा (ए), (बी), (सी), (डी), अथवा (ई), के अनुसार निर्धारित सिक्योरिटियों में लगाना चाहिये, जिनकी असल क़ीमत तथा सूद बृटिश इन्डिया या बृटिश वर्मा में चुकायी जाय, अथवा वृटिश इन्डिया के पोस्ट आफिस के सेविंग्स वैंक एकाउन्ट में जमा करना चाहिये।

(२) उस हालत में जब मालिक कोई कम्पनी हो, तो प्रोभिडेन्ट फन्ड के मद् में जो रक़म जमा की जाय, चाहे यह रक़म मालिक जमा करे या कर्मचारी जमा करे, वह कुल रक़म और उस रक़म का व्याज, अथवा उस रक़म से अन्य प्रकार से प्राप्त रक़म, दोनों तरह की रक़म इन्डियन कम्पनीज़ एक्ट १९१३ की धारा २८२=(बी) की उपधारा (२) में लिखित शर्तों के अनुसार लगाना चाहिये, ताकि जिन सिक्योरिटियों में रक़म लगाई जाय, उनका मूलधन और व्याज वृटिश इन्डिया के अन्तर्गत प्राप्त हो सके।

उक्त अमेन्डमेन्ट के सम्वन्ध में अपनी राय देते हुए कमेटी ने सितम्बर १९४० के पत्र में भारत-सरकार को सूचित किया कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि कम्पनियों को यह सुविधा मिलती है कि वे अपनी वर्तमान सम्पत्ति में लगाई हुई रक़म दस साल के अन्दर स्वीकृत सिक्योरिटियों में तबदील कर सकती है, प्रस्तावित अमेन्डमेन्ट के सम्वन्ध में कमेटी को कोई आपत्ति नहीं है।

इनकम टैक्स की घिसाई की दर में कमी करने का प्रस्ताव

१२ अप्रैल १९४० को सेन्ट्रल वोर्ड आफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स की घिसाई दर निश्चित करने के लिये निर्मित नियम के अन्तर्गत इनकम टैक्स की दर में कमी करने की बाबत अपने संशोधित प्रस्ताव प्रकाशित कराये थे, और इन प्रस्तावों पर विभिन्न चेम्बरों की राय

मांगी गई थी। इस सम्बन्ध में यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विचारार्थ प्रकाशित किये गये सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू के इन्डियन इनकम टैक्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट १९३९ के अन्तर्गत परीक्षा के लिये तैयार किये गये इनकम टैक्स की दर में कमी करने के सम्बन्ध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिये ६ अक्टूबर १९३९ को कलकत्ता में फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़, दि इम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इन्डिया और दि आल इन्डिया आर्गेनिज़ेशन आफ इन्डस्ट्रियल इम्प्लायर्स की एक सम्मिलित कान्फरेन्स हुई थी। इस कान्फरेन्स में चेम्बर ने भी भाग लिया था। कान्फरेन्स में सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू-द्वारा विभिन्न प्रकार की औद्योगिक सम्पत्ति के लिये प्रस्तावित शेड्यूल रेट्स पर विचार किया गया, और उक्त शेड्यूल रेट्स के बदले अन्य शेड्यूल रेट्स निर्धारित करने के लिये कई प्रस्ताव पास किये गये। कान्फरेन्स-द्वारा नियुक्त स्पेशल कमेटी ने प्रस्तावित शेड्यूल रेट्स के सम्बन्ध में सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू से वाद-विवाद भी किया था। अन्त में सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू ने १२ अप्रैल १९४० को अपना संशोधित ड्राफ्ट रेट्स प्रकाशित कराया, (इसका उल्लेख इस विषय के प्रारम्भ में ही आ चुका है।), और इसपर चेम्बर की सम्मति मांगी।

चेम्बर की इनकम टैक्स सब कमेटी ने उक्त विषय पर विचार किया, और राय दी कि यद्यपि वर्तमान शेड्यूल रेट्स में पूर्ण प्रकाशित शेड्यल रेट्स स संशोधन किया गया है, पर ६ अक्टूबर १९३९ की कान्फरेन्स में जो शेड्यूल रेट्स निश्चित किया गया था, उसके अनुपात में यह बिलकुल सन्तोषप्रद नहीं। इस सम्बन्ध में राय देते हुए कमेटी ने २५ अप्रैल १९४० को सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास अपना निश्चित शेड्यूल रेट्स भेज दिया, और इसे बोर्ड-द्वारा निर्धारित शेड्यूल रेट्स के बदले में रखने का सुझाव

दियो। यह शेड्यूल रेट्स के उक्त कान्फरेन्स-द्वारा निश्चित किये गये शेड्यूल रेट्स से बहुत मिलता-जुलता हुआ था।

रेलवे

कलकत्ता से कानपुर का पीसगुड्स का भाड़ा

२९ नवम्बर १९३९ को चेम्बर की कमेटी ने ईस्ट इन्डियन रेलवे के अधिकारियों को एक पत्र लिखा था। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि पीसगुड्स का—जिसमें सूती, ऊनी, नकली रेशम आदि कपड़े शामिल हैं, और जो प्रेस की बँधी हुई लोहे की पत्ती से कसी हुई गाँठों में अथवा बक्स या पेटी में, माल के मालिक की ज़िम्मेदारी पर भेजे जाते हैं—भाड़ा, कानपुर से हवड़े तक के लिये प्रति मन एक रुपया एक आना लगता है; पर उक्त माल का उक्त शर्तों के ऊपर हवड़ा से कानपुर तक का भाड़ा प्रति मन २ रुपया १ आना ५ पाई लगता है। इसलिये कमेटी ने यह आपत्ति की थी कि भाड़े की दर इतना बेपरता नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह बंगाल के व्यवसाय के लिये बहुत ही हानिकारक है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने अधिकारियों से अनुरोध किया था कि भाड़े की दर में ऐसा परिवर्तन करना चाहिये कि कानपुर से हवड़ा और हवड़ा से कानपुर के भाड़े की दर में समानता हो, ताकि बंगाल के पीस-गुड्स के व्यवसाय को अनुचित प्रतियोगिता का सामना न करना पड़े।

रेलवे के अधिकारियों ने चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए अपने ८ जनवरी १९४० के पत्र में लिखा था कि हवड़ा से कानपुर के भाड़े की दर जिन परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की गयी है,

वे कानपुर से हवड़ा के भाड़े के लिये लागू नहीं हो सकती हैं। कानपुर से हवड़ा के भाड़े के सम्बन्ध में पत्र में यह उल्लेख कियो गया था कि वम्बई से नागपुर होकर कलकत्ते तक के लिये सामुद्रिक मार्ग की प्रतियोगिता की वजह प्रति मन १ रुपया १ आना भाड़ा लगता है, और रेलवे ने कानपुर से हवड़ा का भाड़ा १ रुपया १ आना इसलिये निर्धारित किया है कि कानपुर वम्बई के बजाय कलकत्ते से बहुत नज़दीक है, और जो सस्ते भाड़े की सुविधा वम्बई की मिलों को सुलभ है, कानपुर की मिलें भी उसकी समानता में रहें। आगे चलकर रेलवे के अधिकारियों ने यह उल्लेख किया था कि चेम्वर का प्रयास बिलकुल विपरीत है, क्योंकि जहाँ कानपुर से हवड़ा के भाड़े के लिये सवाल उठाया गया, वहाँ बम्बई के सामुद्रिक मार्ग-प्रतियोगिता अथवा विशेष सुविधा के लिये कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। पुनः रेलवे के अधिकारियों—द्वारा यह दलील पेश की गयी थी कि हवड़े से कानपुर के वर्तमान भाड़े की दर में कमी करने की वजह रेलवे की आमदनी वहुत घट जायगी, क्योंकि इस दशा में स्वभावतः बम्बई, अहमदावाद तथा कई अन्य स्थानों का भाड़ा कम करना पड़ेगा, जो केवल कानपुर भेजे जाने वाले पीसगुड्स के लिये ही नहीं, वल्कि उत्तर भारत के सभी प्रमुख केन्द्रों में भेजे जानेवाले पीसगुड्स के लिये होगा।

पर चेम्बर की कमेटी रेलवे अधिकारियों की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि कानपुर से हवड़े तक के पीसगुड्स के भाड़े में अन्तर होने का यह कारण है कि दोनों स्थानों के लिये परिस्थितियाँ परस्पर विभिन्न हैं। इस सम्बन्ध में कमेटी की यह राय हुई कि परिस्थितियों की भिन्नता का कोई सप्रमाण कारण नहीं कि उक्त दोनों स्थानों के भाड़े की दर में भिन्नता आये। पुनः कमेटी ने यह मत प्रकाश किया था कि कानपुर से हवड़े तक भेजे जाने वाले पीसगुड्स के भाड़े की दर हवड़ा से कानपुर तक के लिये

भेजे जाने वाले पीसगुड्स के भाड़े की दर से तुलना में बहुत कम होने की वजह कानपुर की मिलों को बहुत अधिक सुविधा मिलती है, और रेलवे की इस विरोधी नीति की वजह बंगाल में तैयार होने वाले पीसगुड्स को अत्यन्त क्षति हो रही है। फिर कमेटी ने सप्रमाण विवरण देते हुए यह उल्लेख किया था कि बंगाल के कपड़ों की मिलों की संख्या कानपुर के मिलों से अधिक है, और इस दिशा में उनके प्रारम्भिक प्रयास की अवस्था में, उन्हें भी भाड़े में वे सुविधायें मिलनी चाहिये, जो कानपुर की मिलों को प्राप्त हैं। इसके पश्चात् कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि बाहर माल भेजने में कलकत्ते का स्थान प्रमुख केन्द्रों में है, पर हवड़ा से कानपुर के लिये पीसगुड्स का जाना बहुत कम हो गया है, और इसका मुख्य कारण बेपरता भाढ़ा है। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था, कि हवड़ा से कानपुर भेजे जानेवाले पीसगुड्स का भाड़ा कम होने पर रेलवे की आमदनी घटने के बजाय बहुत अधिक बढ़ जायगी; क्योंकि भाड़ा घट जाने पर हवड़ा से कानपुर के लिये पीसगुड्स की रफ्तनी फौरन बढ़ जायगी।

चूंकि चेम्बर के सुझाव के अनुसार रेलवे अधिकारियों ने भाड़ा घटाने की कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिये चेम्बर की कमेटी ने अन्य चेम्बरों और एसोसिएशनों को इस सम्बन्ध की बातें बतलाई और अन्त में इस विषय को रेलवे की इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में पेश करना निश्चित किया गया।

रेलवे की चौबीसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २७ मार्च १९४० को हुई थी, चेम्बर का प्रतिनिधित्व चेम्बर के अवैतनिक मंत्री श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां (रामेश्वरलाल डेडराज) ने किया। चेम्बर के अनुरोध से भाड़ा-सम्बन्धी मामला उक्त मीटिंग में विचारार्थ पेश हुआ। इस सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों ने जो दलीलें पेश की थीं, उनका समर्थन करते हुए

रेलवे-विभाग की ओर से कहा गया कि कलकत्ते को भेजे जाने वाले माल के भाड़े की दर के सम्बन्ध में वात दूसरी है, और यह निम्न वातों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की गई है:—(१) विलायत से आने वाले उत्तम श्रेणी के पीसगुड्स और सूते। (२) भारत के तैयारी पीसगुड्स और सूते, जो खासकर बम्वई और मद्रास से सामुद्रिक मार्ग से कलकत्ते भेजे जाते हैं तथा (३) कई खास केन्द्रों से रेलवे से भेजे जाने वाले भारत के तैयार पीस-गुड्स और सूते, जिनके भाड़े की दर सामुद्रिक मार्ग की प्रतियो· गिता की वजह वहुत कम कर दी गई है। आगे चलकर रेलवे की ओर से यह कहा गया कि यदि सामुद्रिक मार्ग से कलकत्ता भेजे जानेवाले विदेशों और भारत के तैयार पीसगुड्स के सम्बन्ध में विचार किया जाय, तो संयुक्तप्रान्त से जो माल कलकत्ते जाता है, इसकी तुलना में वहुत ही कम है। उक्त दलील पेश करने के पश्चात् ईस्ट इन्डियन रेलवे ने कलकत्ता से कानपुर भेजे जानेवाले पीस-गुड्स के भाड़े की दर घटाना अस्वीकार कर दिया, और रेलवे-व्दारा इसके लिये निम्न कारण पेश किये गये:—

(१) भाड़े की दर घटाने की वजह मुख्यतः विदेशी पीसगुड्स और सूते के व्यवसाय को लाभ पहुंचेगा।

(२) कलकत्ते से कानपुर भेजे जानेवाले पीसगुड्स के भाड़े की दर कम नहीं की जा सकती, जवतक संयुक्तप्रांत के अन्य केन्द्रों को, दिल्ली को तथा नार्थ वेस्ट रेलवे के स्टेशनों को भेजे जानेवाले माल के भाड़े की दर में कमी नहीं की जाय।

(३) यदि कलकत्ता से भेजे जानेवाले माल के भाड़े की दर घटा दी जाय, तो केवल बम्वई और करांची के वन्दरगाहों से कलकत्ते भेजे जानेवाले माल की ही दर नहीं घटानी पड़ेगी, वल्कि बम्वई की भारतीय मिलों के उत्पादनों के तथा अन्य स्थानों की मिलों के उत्पादनों के, और संयुक्तप्रांत, दिल्ली, तथा पंजाव भेजे

जानेवाले माल का भाड़ा भी घटाना पड़ेगा और इस रद्दो-बदल की वजह रेलवे की आमदनी बहुत कम हो जायगी।

(४) भाड़े की दर में जो विशेष सुविधा दर मांगी गई है, उसकी वजह कलकत्ते से कानपुर के लिये भेजे जानेवाले माल के भाड़े की आमदनी वर्तमान आमदनी से ४९ सैकड़ा घट जायगी, जिसका अर्थ यह हुआ कि क्षति की पूर्ति के लिये कलकत्ते से कानपुर के माल की रफ़्तनी १०० फी सदी बढ़नी चाहिये।

चेम्बर के अवैतनिक मंत्री श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां रेलवे की दलीलों से सहमत नहीं हुये, और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन उक्तियों से ख़ास विषय के सम्बन्ध में कुछ भी खुलासा नहीं हो सका। यहां ढांढनियांजी ने यह बतलाया था कि मुख्य विषय कलकत्ते और कानपुर की मिलों के लिये भाड़े की समान सुविधा देने के सम्बन्ध में है। अन्य चेम्बरोंके प्रतिनिधियोंने मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स का समर्थन किया, और उनको भी यह उचित नहीं जंचा कि कानपुर से कलकत्ते तथा कलकत्ते से कानपुर के भाड़े की दर में जो अन्तर रखा गया है, वह न्यायोचित है। क़ाफी देर-तक वाद-विवाद होने के बाद विभिन्न चेम्बरों के जो प्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने अन्त में यह मत प्रकट किया कि जब कुछ ख़ास परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये—जैसे सामुद्रिक मार्ग की प्रतियोगिता-रेलवे के भाड़े की दर निश्चित की गई है, तो इस दशा में भारत के विभिन्न कपड़े की मिलों के केन्द्रों के लिये भी, भाड़ा निश्चित करते समय सुविधाजनक दर निर्धारित करनी चाहिये, और इसलिये कलकत्ते से कानपुर के पीसगुड्स के भाड़े की दर में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। पुनः यह सुझाव दिया गया कि ईस्ट इन्डियन रेलवे उक्त विषय की जांच-पड़ताल नये सिरे से करे।

इसके पश्चात् रेलवे का पचीसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २६ जून १९४० का हुई थी, कलकत्ते से कानपुर के पीस-

गुड्स के भाड़े के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद हुआ। उक्त मीटिंग में चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०, ने प्रतिनिधित्व किया। वाद-विवाद के सिलसिले में गग्गड़ जी इस बात पर दृढ़ रहे कि कानपुर से कलकत्ते और कलकत्ते से कानपुर के भाड़े की दर में अन्तर होने के जो कारण वतलाये गये हैं, वे सन्तोषप्रद नहीं हैं। फिर गग्गड़जी ने यह कहा था कि चेम्बर कलकत्ते से भेजे जानेवाले विदेशी तथा भारतीय दोनों ही तरह के पीसगुड्स के व्यवसाय में भाग लेता है, और यदि रेलवे भाड़ा घटा दे, तो कलकत्ते से माल की रफ़्तनी बहुत बढ़ जायगी। इस सिलसिले में गग्गड़जी ने आगे चलकर यह कहा था कि भाड़े की दर अधिक होने के कारण माल की रफ़्तनी घट गई है, और यदि भाड़ा कम नहीं किया गया, तो इसमें और अधिक कमी होने की सम्भावना है। गग्गड़जी ने वतौर उदाहरण यह भी कहा था कि पहले वंगाल नागपुर रेलवे ने वम्बई से कलकत्ते के लिये भेजे जानेवाले माल के भाड़े की दर में कमी की थी, लेकिन कलकत्ते से वम्बई भेजे जानेवाले माल के लिये भाड़ा नहीं घटाया गया था; पर इस बात के लिये प्रतिनिधित्व किया गया तो रेलवे ने कलकत्ते से बम्बई भेजे जानेवाले माल का भाड़ा भी घटा दिया, जिससे दोनों तरफ के भाड़े में सामानता आ गई। यह सव कुछ समझाने-बुझाने पर भी ई० आई० आर० ने भाड़ा घटाना स्वीकार नहीं किया। अन्त में ई० आई० आर० ने यह सुझाव दिया कि यदि चेम्बर चाहे, तो इस विषय को रेलवे रेट्स एडभाइज़री कमेटी के विचारार्थ सुपुर्द किया जा सकता है।

कालिम्पोंग से कलकत्ते का कच्चे ऊन का भाड़ा

चेम्बर के एक सदस्य के अनुरोध पर कमेटी ने १९४० की फरवरी में ईस्टर्न वंगाल रेलवे को कालिम्पोंग से कलकत्ता भेजे जाने

वाले कच्चे ऊन के भाड़े की दर के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था। कमेटी ने पत्र में यह उल्लेख किया था कि कालिम्पोंग से कलकत्ता के लिये भेजे जाने वाले खुले हुए कच्चे ऊन के भाड़े की दर आठवीं श्रेणी के अनुसार प्रति मन २ रुपया ९ आना ६ पाई है, और गेल-खोला से कलकत्ता के लिये प्रति मन २ रुपया ४ आना ६ पाई है, जो बहुत ही अधिक है, और जिसके कारण व्यापारियों को कल-कत्ता माल लाकर, गांठें बँधवाकर, विदेशों की वर्तमान बढ़ी हुई निर्यात की मांग पूरी करने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि भाड़े की दर घटा-कर द्वितीय श्रेणी के अनुसार कालिम्पोंग से कलकत्ते तक प्रतिमन १ रुपया १० आना और गेलखोला से कलकत्ते तक प्रतिमन १ रुपया ५ आना कर दिया जाय, ताकि कलकत्ता पोर्ट से तिब्बत के ऊन का व्यवसाय अधिक हो। इस सम्बन्ध में कमेटी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि रुहेलखन्ड, कुमायूं और बंगाल नार्थ रेलवे ने खुले हुये ऊन के लिये द्वितीय श्रेणी के आधार पर भाड़ा निर्धा-रित किया है, और यदि कटिहार से होकर ईस्टर्न बंगाल रेलवे-द्वारा कलकत्ता माल भेजने के लिये भी भाड़े में इसी तरह की सुविधा की गई, तो तिब्बत से आनेवाले सभी ऊन का व्यवसाय कलकत्ता पोर्ट के ज़रिये होगा। रेलवे अधिकारियों ने चेम्बर का अनुरोध स्वीकार नहीं किया, इसलिये इस विषय को रेलवे की इन्फार्मल कार्टर्ली मीटिंग में रखा गया। रेलवे की छबीसवीं इन्फा-र्मल कार्टर्ली मीटिंग में, जो २६ जून १९४० को हुई थी, उक्त विषय की चर्चा हुई। मीटिंग में चेम्बर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल० ने किया। गग्गड़ जी ने चेम्बर के भाड़ा घटाने के प्रस्तावों का पक्ष समर्थन करते हुए कई युक्तिसंगत दलीलें पेश कीं। इस सम्बन्ध में ईस्टर्न बंगाल रेलवे की ओर से यह कहा गया कि ऊन एक ऐसी चीज़ है, जो

वहुत फैली हुई होती है, और बहुत कम वज़न वोझाई होने से ही डव्वा भर जाता है, इसलिये इसके भाड़े की दर घटाने का प्रस्ताव रखना उचित नहीं। पर इस विषय पर क़ाफी वाद-विवाद होने के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि चेम्बर को इस मामले में ईस्टर्न बंगाल रेलवे के ट्राफिक मैनेजर से विचार-विमर्श करना चाहिये।

वालू के लिये स्पेशल भाड़ा

१० मई १९४० के सूचना-पत्र द्वारा ईस्ट इन्डियन रेलवे ने यह घोषित किया था कि पहले वालू के लिये, जो स्पेशल भाड़ा स्वीकृत किया गया था, वह २५ जून १९४० से रद्द कर दिया जायगा, और गुड्स ट्राफिक के लिये जो भाड़ा निर्धारित किया गया है, वालू के लिये भी वही लगेगा। वालू के व्यवसाय करनेवाले कई व्यापारियों ने इस सम्वन्ध में चेम्वर के पास प्रतिनिधित्व किया। चेम्वर ने इस विषय की आवश्यक काररवाई की। चेम्बर की कमेटी ने १४ जून १९४० को ईस्ट इण्डियन रेलवे के चीफ कमर्सियल मैनेजर के पास एक पत्र लिखा, जिसमें इस वात पर प्रकाश डाला गया था कि वालू का भाड़ा वढ़ जाने के कारण इस व्यवसाय को वड़ी क्षति पहुंचेगी; खासकर इस दृष्टि से कि सुर्खी के साथ इसकी विकट प्रतियोगिता है। कमेटी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि वालू के व्यवसायियों द्वारा डब्वों में अधिक माल बोझाई होने पर जो उनके ऊपर जुर्माना करना निश्चय किया गया है, यह विलकुल न्यायोचित व्यवहार नहीं; क्योंकि उनका कहना है कि इस मामले में वे विलकुल निर्दोष हैं, क्योंकि माल की बोझाई रेलवे के कर्मचारियों के सामने होती है, जिससे व्यापारियों का कोई सम्वन्ध नहीं।

२७ अगस्त १९४० को ईस्ट इन्डियन रेलवे के कमर्सियल मैनेजर ने चेम्वर के पत्र का उत्तर देते हुए वास्तविक स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने लिखा था कि इस मामले के सम्वन्ध में हरीपाल और

चाँदपुर के वालू के व्यवसायियों के आक्षेप का जवाव देते हुए रेलवे ने सभी वातें खुलासा कर दी हैं। चीफ कमर्सियल मैनेजर ने अपने उक्त पत्र के साथ हरीपुर और चाँदपुर के वालू के व्यवसायियों को जो उत्तर दिया गया था, उसकी नकल भी चेम्बर के पास भेजी थी। चेम्वर के पत्र का उत्तर देते हुए चीफ कमर्सियल मैनेजर ने यह भी उल्लेख किया था कि वालू के भाड़े की दर पहले के भाड़े की दर से तुलना करके वढ़ाई गयी है, और वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुये भाड़े का स्पेशल रेट ज़ारी रखना सम्भव नहीं। पुनः चीफ कमर्सियल मैनेजर ने इस वात पर प्रकाश डाला था कि अधिक माल वोझाई होने के कारण, फिर से माल का वजन करने के लिये डब्वे को रोक रखने के कारण रेलवे की आमदनी तो कम होती ही है; पर रक्षा की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अधिक माल वोझाई करने का अभ्यास वड़ी ही आपत्तिजनक है।

चेम्बर के अनुरोध से रेलवे की छबीसवीं इन्फार्मल कार्टर्ली मीटिंग में, जो २५ सितम्बर १९४० को हुई थी, उक्त विषय विचारार्थ रखा गया। इस मीटिंग में चेम्वर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम, वी० एल०, ने किया। वालू के भाड़े की रद्दोवदल के सम्वन्ध में गग्गड़ जी ने काफी वाद-विवाद किया। वाद-विवाद के सिलसिले में रेलवे की ओर से यह दलील पेश की गयी कि काफी जाँच-पड़ताल के वाद यह मालूम हुआ है कि पहले के भाड़े की दर से रेलवे को आमदनी नहीं होती थी, इसलिये भाड़ा वढ़ाया गया है। पुनः यह भी कहा गया कि रेलवे को यह विश्वास है कि जो भाड़ा वढ़ाया गया है, वह व्यापारी वर्दाश्त कर सकते हैं। अधिक माल वोझाई होने पर जो जुर्माने का नियम रखा गया था, उसके संवंध में गग्गड़ जी ने चेम्वर का पक्ष समर्थन करते हुए कहा कि जो जुर्माना निश्चित किया गया है, वह वहुत ही आपत्तिजनक है; क्योंकि माल के वजन में थोड़ा-

बहुत अन्तर आ सकता है। इसके उत्तर में रेलवे की ओर से कहा गया कि अधिक माल बोझाई करने की प्रथा का इतना अधिक विस्तार हो गया है, जिसको देखते हुए यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि ऐसा भूल से किया जाता है। इसके सम्बन्ध में रेलवे की ओर से कहा गया कि अधिक माल बोझाई होने के कारण रेलवे की आमदनी तो कम होती ही है, साथ ही इस हरकत की वजह दुर्घटनाओं की अधिक सम्भावना रहती है। पुनः माल बोझाई करने के लिये जो हिदायतें निश्चित की गयी हैं, उन विशेष हिदा-यतों में संशोधन करने में रेलवे ने अपनी असमर्थता प्रकट की। जब उक्त विषय पर और अधिक वाद-विवाद हुआ तो यह निश्चय किया गया कि इस सम्बन्ध में पुनः ईस्ट इन्डियन रेलवे के चीफ कमर्सियल मैनेजर से विचार-विमर्श किया जा सकता है।

थ्रू ट्रेनों को लक्खीसराय ठहरानेकी व्यवस्था

लक्खीसराय के व्यापारी-समुदाय के अनुरोध से चेम्बर की कमेटी ने सभी थ्रू ट्रेनों को लक्खीसराय ठहराने की व्यवस्था करने के लिये ३१ मई १९४१ को ईस्ट इन्डियन रेलवे के जेनरल मैनेजर के पास पत्र लिखकर प्रतिनिधित्व किया। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि रात को लक्खीसराय स्टेशनपर सभी मुख्य ट्रेनों का ठहरना बन्द हो जाने के कारण तथा लक्खीसराय आर किउल के बीच की नदी के पुल से होकर आदमियों के आने–जाने का रास्ता अन्धकार में बन्द हो जाने के कारण, लक्खीसराय के व्यापारी-समुदाय को बड़ी असुविधा हो रही है; क्योंकि लक्खी-सराय से आने-जाने वाले यात्रियों को या तो अन्धकार में नदी पार करना पड़ेगा या सबेरे तक किउल स्टेशन पर ठहरना पड़ेगा। इसलिये कमेटी ने उक्त पत्र में यह सुझाव दिया था कि लक्खी-सराय के व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये, सभी थ्रू ट्रेनों

को लक्खीसराय स्टेशनपर ठहराने की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

२० जून १९४० को ईस्ट इन्डियन रेलवे के चीफ आपरेटिङ्ग सुपरिन्टेन्डेन्ट ने चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए यह लिखा था कि युद्ध प्रारम्भ होने के समय से लक्खीसराय और किउल के बीच की नदी के पुलपर पहरा बैठा दिया गया है, और पुल से होकर पैदल आना-जाना भी बन्द कर दिया गया है। आगे चलकर यह उल्लेख किया गया था कि ऐसी असुविधाओं के कारण दानापुर के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने २० डाउन ट्रेन से किउल उतरने वाले मुसाफिरों को एक झुन्ड में पुलिस-पहरा के साथ पुल पार करने की व्यवस्था करने के लिये मुंगेर के जिला मजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित कराया था। १५ अप, १७ अप, १६ डाउन, २० डाउन और २४ डाउन ट्रेनों को, लक्खीसराय ठहराने के सम्बन्ध में रेलवे की ओर से यह सुझव दिया गया था कि यात्री इन मुख्य ट्रेनों से सम्बन्धित ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। इसलिये रेलवे की ओर से यह उत्तर दिया गया था कि यह सम्भव नहीं कि दूर जानेवाली एक्सप्रेस ट्रेनों को लक्खीसराय-जैसे पास-पास के स्टेशनपर रोककर उनकी रफ़्तार कम की जाय।

चेम्बर के अनुरोधपर उक्त विषय को रेलवे की छबीसवीं क्वार्टर्ली मीटिङ्ग में, जो २५ सितम्बर १९४० को हुई थी, विचारार्थ रखा गया। इस मीटिङ्ग में चेम्बर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त आर० एन गग्गड़, एम०ए०, बी० काम०, बी० एल०, ने किया। मीटिङ्ग में रेलवे के असन्तोषजनक प्रबन्ध के कारण लक्खीसराय के व्यवसायियों को जो असुविधायें हो रही थीं, उसका हवाला देते हुये, गग्गड़ जी ने लक्खीसराय स्टेशन पर मुख्य ट्रेनों को ठहराने के लिये बड़ी ही जोरदार दलील पेश की।

उक्त विषय पर रेलवे की ओर से यह कहा गया कि कुछ दिनों से रेलवे अधिकारी लक्खीसराय के व्यापारियों की असुविधा दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उन्होंने पुलिस-अधिकारियों से एक स्पेशल पुलिस गार्ड नियुक्त कर लक्खीसराय के यात्रियों को साथ लेकर पहुंचाने का प्रबन्ध करने के लिये अनुरोध किया है, और यदि पुलिस-अधिकारी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, तो १ अक्टूबर १९४० से १३ अप एक्सप्रेस को लक्खीसराय स्टेशन पर ठहराने का बन्दोबस्त किया जायगा। आगे चलकर रेलवे-विभाग की ओर से यह कहा गया कि १ अक्टूबर १९४० से २० डाउन एक्सप्रेस की जगह १६ डाउन एक्सप्रेस को, कुछ समय बढ़ाकर, लक्खीसराय स्टेशनपर ठहराने की व्यवस्था की गई है, और १ अक्टूबर १९४० से लागू होनेवाले नये टाइम टेबुल में यह परिवर्तन उल्लिखित है। पुनः गग्गड़ जी ने यह कहा कि व्यापारी लोग चाहते हैं कि २४ डाउन और २० डाउन ट्रेनों को भी लक्खीसराय रोकने की व्यवस्था की जाय। गग्गड़ जी के सुझाव पर रेलवे-विभाग की ओर से कहा गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक काररवाई की जायगी। अन्त में कुछ समय के बाद उक्त दोनों ट्रेनों को भी लक्खीसराय ठहराने की व्यवस्था की गई।

रेलवे के साथ मेसर्स लखमीचन्द बैजनाथ का भाड़ा-सम्बन्धी झमेला

चेम्बर के सदस्य मेसर्स लखमीचन्द बैजनाथ ने चेम्बर को सूचित किया कि इन्दौर से शालिमार भेजे गये रद्दी रूई के कम्बलों की १०६ गांठ के लिये उनसे जायज़ भाड़े से अधिक रक़म वसूल की गई है। उन्होंने यह बतलाया था कि इस प्रकार के माल के लिये बी० एन० रेलवे ने इन्दौर से शालिमार का भाड़ा पहले प्रति मन

१ रुपया १३ आना के हिसाब से लिया है, लेकिन इस वार प्रतिमन ३ रुपया १३ आना ८ पाई के हिसाब से वसूल किया गया है।

चेम्बर की कमेटा ने उक्त झमेले के सम्बन्ध में वी० एन० रेलवे के चीफ कमर्सियल मैनेजर को एक पत्र लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उपर्युक्त कम्बल रद्दी रूई से तैयार किये गये थे, और इन्हें सूती पीसगुड्स की श्रेणी में शामिल करना चाहिये था, और इसलिये भाड़े की जो सुविधा सूती पीसगुड्स के लिये स्वीकृति है, वहा सुविधा इन कम्बलों के लिये भी मिलनी चाहिये। पुनः चेम्बर ने पत्र में रेलवे से निर्धारित दर से अधिक वसूल किया गया भाड़ा, वापिस लौटाने का अनुरोध किया था।

चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुये बंगाल नागपुर रेलवे के कमर्सियल ट्राफिक मनेजर ने अपने ६ फरवरी १९४० के पत्र में लिखा था कि रद्दी रूई के कम्बलों के लिये प्रति मन १ रुपया १३ आना के हिसाब से रियायती भाड़ा कभी नहीं स्वीकार किया गया, और पीसगुड्स के लिये रियायती भाड़ा स्वीकृत हाने पर भी दरियों और रद्दी रूई के कम्बलों के लिये रियायती भाड़ा नहीं स्वीकार किया गया है। कमर्सियल ट्राफिक मैनेजर ने इस बात का कागज़ाती सबूत पेश करने के लिये लिखा था कि पिछले साल रूई के बने कम्बलों के लिये इन्दौर से रियायती भाड़ा स्वीकार किया है। चेम्बर ने फरियादी फर्म से इस सम्बन्ध का पूर्ण विवरण प्राप्त कर, बंगाल नागपुर रेलवे के पास भेज दिया। फिर भी रेलवे को सन्तोष नहीं हुआ। इसलिये यह झमेला रेलवे की इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग के विचारार्थ भेज दिया गया। रेलवे की छब्बीसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २५ सितम्बर १९४० को हुई थी, उक्त विषय का वाद-विवाद हुआ। वाद-विवाद के सिलसिले में चेम्बर की ओर से यह कहा गया कि रद्दी रूई के वने हुए कम्बल बहुत दिनों से पीसगुड्स के अन्तर्गत शामिल हैं, और इस सम्बन्ध में जा ज़्यादा भाड़ा

वसूल किया गया है, उसको सम्बन्धित व्यापारी को वापिस लौटाने के लिये बंगाल नागपुर रेलवे से वार-बार अनुरोध करने पर भी, ऐसा नहीं किया गया। चेम्बर की दलील का रेलवे ने यह जवाब दिया कि कम्बल तथा पीसगुड्स का श्रेणी-विभाग पृथक-पृथक किया जाता है, और कम्बल भेजते समय पीसगुड्स का नाम देकर भेजना भूल है; इसलिये इस सम्बन्ध में कोई फरियाद नहीं मंजूर की जा सकती। इसके पश्चात् रेलवे की ओर से यह सूचित किया गया कि कम्बल के लिये रियायती भाड़ा प्रति मन १ रुपया १३ आना (जो उस समय सूती पीसगुड्स के लिये निर्धारित किया गया था) की दर से १ मई १९४० से निर्धारित किया गया है, और यह माल की रफ़्तनी बढ़ाने के लिये तथा कई अन्य बातों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है; पर १ मई १९४० के पहले के भेजे गये माल के लिये भाड़े में रियायत नहीं की जा सकती।

पर अधिक वसूल की गई भाड़े की रक़म वापिस करने के लिये चेम्बर की ओर से बी० एन० आर० के पास कई बार प्रतिनिधित्व किया गया। इसके फलस्वरूप अन्त में बी० एन० रेलवे ने फरियादी मेसर्स लखमीचन्द बैजनाथ को अधिक वसूल किये गये भाड़े की रक़म ६२१ रु० ४ आना वापिस लौटाने के लिये २८ जनवरी १९४१ को अपनी स्वीकृति दे दी।

भागलपुर के कोयला डीपो के लिये ज़मीन की बन्दोबस्ती

२ अगस्त १९४० का चेम्बर की कमेटी ने भागलपुर में कोयले का कारबार करनेवाले फर्म मेसर्स बैजनाथ रामप्रसाद की ओर से ईस्ट इन्डियन रेलवे के जेनरल मैनेजर को एक पत्र लिखा। उक्त फर्म को हवड़ा के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने ज़मीन भाड़ा नहीं अदा करने की वजह भागलपुर का प्लाट नं० ७ और १५ खाली कर देने

को नोटिस दिया था। चेम्बर ने अपने पत्र में जेनरल मैनेजर से डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट की आज्ञा पर पुनः विचार करने के लिये अनुरोध किया था, और उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराया था कि फरियादी फर्म लगातार तेरह साल से रेलवे की रैयत है, और उसके विरुद्ध न कभी कोई दोषारोपण हुआ, और न उसने कभी कोई बड़ा अपराध ही किया; फिर भी सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ने ऐसी आज्ञा दी है, जिससे फ़रियादी फर्म के समस्त परिवार को जीविकोपार्जन के एकमात्र साधन से वञ्चित होना पड़ेगा। चूंकि जेनरल मैनेजर ने डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट की आज्ञा के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया, इसलिये चेम्बर ने इस मामले को रेलवे की छवीसवीं इन्फार्मल कार्टर्ली मीटिंग में, जो २५ सितम्बर १९४० को हुई थी, विचार करने के लिये भेज दिया। इस मीटिंग में जब उक्त विषय की चर्चा हुई, तो रेलवे की ओर से यह कहा गया कि फरियादी फर्म ने १९३७ के अक्टूबर महीने तक जमीन का भाड़ा बराबर समय से दिया है, लेकिन इसके बाद फर्म-द्वारा भाड़ा नहीं चुकाया गया। इस मीटिंग में, चेम्बर के प्रतिनिधि श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़ ने मेसर्स बैजनाथ रामप्रसाद का पक्ष समर्थन करते हुए कहा कि पिछले दो साल से फरियादी फर्म बड़ी शिकस्ती में है, फिर भी वह जितना भाड़ा बाकी है, उससे दूनी रक़म चुकाने के लिये तैयार है, और साधारण भाड़े की एक साल की रक़म अग्रिम देना भी स्वीकार करता है, बशर्ते कि रेलवे पुनः उसके साथ ज़मीन बन्दोबस्त करने की मिहरबानी करे। रेलवे विभाग ने इस सम्बन्ध में पुनः विचार करना मंजूर कर लिया। अन्त में मेसर्स बैजनाथ रामप्रसाद को उक्त ज़मीन की लीज़ मिल गई।

रेलवे बजट १९४०-४१

१६ फरवरी १९४० को आनरेबुल रेलवे मेम्बर ने रेलवे का १९४०-४१ का बजट पेश करते हुए बतलाया कि रेलवे की १९३९-४०

की संशोधित योजना के अनुसार रेलवे की १९३९-१९४० की आमदनी में तीन करोड़ एकसठ लाख रुपये, तथा १९४०-४१ में तीन करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद थी। चूकि निर्धारित रक़म से रेलवे, सरकार की साधारण आय में पर्याप्त रुपये नहीं दे सकती थी, इसलिये भारत-सरकार ने १ मार्च १९४० से वहुत-सी जिन्सों के लिये प्रति रुपया पर दो आना तथा मुसाफिरों के लिये प्रति रुपया पर १ आना अधिक भाड़ा वढ़ाने का प्रस्ताव किया। भारत सरकार ने दूसरा प्रस्ताव यह रखा कि अन्य जिन्सों के लिये तो १२॥ प्रतिशत वढ़ाया ही जायगा, लेकिन कोयले के भाड़े की दर १२॥ प्रतिशत से वढ़ाकर १३ अक्टूवर तक १५ प्रतिशत कर दी जायगी, और इसके वाद क्रमशः २० प्रतिशत वढ़ा दी जायगी।

१९ फरवरी १९४० को चेम्बर की कमेटी ने भारत सरकार के रेलवे विभाग के सेक्रेटरी के पास तार देकर भारत सरकार के उक्त प्रस्तावों का विरोध करते हुए उल्लेख किया था कि इस समय भाड़ा वढ़ाने का प्रस्ताव रखना कमेटी की दृष्टि में उचित तथा सामयिक नहीं जंचता, और कमेटी इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझती। आगे चलकर कमेटी ने यह प्रकाश डाला था कि इस वात को दृष्टिगत रखते हुए कि माल की विक्री में इधर कोई वृद्धि नहीं हुई है, रेलवे भाड़ा वढ़ाने के कारण व्यवसाय और शिल्प को वड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसके पश्चात् कमेटी ने उक्त तार में यह उल्लेख किया था कि भाड़ा वढ़ाने के कारण मार्ग-प्रतियोगिता और अधिक वढ़ जायगी।

२३ मई १९४० को रेलवे वोर्ड ने चेम्बर को उत्तर देते हुए लिखा था कि आवश्यकतानुसार रेलवे को माल-भाड़ा और मुसाफिर-भाड़ा में आवश्यक रद्दो-वदल करने का अधिकार दे दिया गया है। आगे चलकर रेलवे वोर्ड की ओर से यह उल्लेख किया

गया था कि गवर्नमेंट को यह विश्वास है कि प्रस्तावित भाड़ा-वृद्धि खूब सोच-विचार कर तथा सारी विपरीत परिस्थतियों का उचित वन्दोवस्त कर की गई है, और उसकी राय में इस सम्बन्ध में आगे चलकर किसी अन्य प्रवन्ध की आवश्यकता नहीं होगी।

बंगाल नागपुर रेलवे के इन्टर क्लास के डब्बे

१२ अप्रैल १९४० को चेम्बर की कमेटी ने बंगाल नागपुर रेलवे के एजेन्ट के पास एक पत्र लिखा था, जिसमें उक्त रेलवे से होकर जानेवाली बम्बई मेल के इन्टर क्लास के मुसाफिरों की असुविधाओं का उल्लेख किया गया था। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि अन्य असुविधाओं के अतिरिक्त स्थानाभाव की असुविधा विशेष उल्लेखनीय है। आगे चलकर कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि इन्टर क्लासकी सीटें बड़ी असुविधाजनक हैं, और खासकर जनानी डब्बों की सीटों का वन्दोवस्त तो विलकुल ही सन्तोषजनक नहीं।

अपने १७ मई १९४० के पत्र-व्दारा बंगाल नागपुर रेलवे के एजेन्ट और जेनरल मैनेजर ने चेम्बर को उत्तर देते हुए सूचित किया था कि वंगाल नागपुर रेलवे से होकर जानेवाली बम्बई मेल के इन्टर क्लास के साधारण डब्बों में २६ सीटों का प्रबन्ध है, और इन्टर क्लास के जनानी डब्बों में ९ सीटों का प्रवन्ध है, और अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह प्रवन्ध साधारणतया संतोषजनक है। इसके पश्चात् उक्त पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि रेलवे वोर्ड की वतायी गई डिज़ाइन के मुताविक नये प्रकार के डब्बों का निर्माण हो रहा है, और इस योजना के अनुसार इन्टर क्लास के आम डब्बों में २६ सीटें तथा जनानी डब्बों में १२ सीटें रहेंगी, और इस प्रकार के डब्बे जव तैयार हो जायंगे, तब वर्तमान डब्बों को वदल कर नये डब्बों को नागपुर से होकर जानेवाली बम्बई मेल में जोड़ दिया जायगा।

बंगाल नागपुर रेलवे के एजेन्ट और जेनरल मैनेजर के इस उत्तर से कि उक्त ट्रेन के इन्टर क्लास के डब्बों में स्थानाभाव नहीं रहता, कमेटी सहमत नहीं हुई, लेकिन इस समाचार से कि डब्बे बदले जायेंगे, कमेटी को प्रसन्नता हुई। पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया कि ई० आई० आर० के बम्बई मेल की तरह बी० एन० आर० की बम्बई मेल में भी छोटे डब्बे जोड़ना चाहिये, जो बहुत ही सुविधाजनक हैं। अन्त में कमेटी ने इस विषय की चर्चा रेलवे की स्थानीय (कलकत्ता) परामर्शदात्री समिति में करना निश्चय किया।

इन्दौर से कलकत्ता के लिये कम्बलों का भाड़ा

चेम्बर के अनुरोध से रेलवे की तेईसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो १३ दिसम्बर १९३९ को हुई थी, इन्दौर से शालिमार तथा कलकत्ते से अन्य स्टेशनों के लिये कम्बलों के लिये रियायती भाड़ा के प्रश्नपर वाद-विवाद हुआ। इस संबंध में रेलवे की ओर से कहा गया कि रेलवे हर तरह की कोशिश करेगी कि इस विषय का निर्णय जल्दी से जल्दी हो।

२ मई १९४० को बंगाल नागपुर रेलवे के रेट्स एन्ड डेवलेपमेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट ने चेम्बर को सूचित किया कि १ मई १९४० से कम्बलों के लिये इन्दौर से उज्जैनी होकर भेजने से प्रति मन १ रुपया ९ आना ११ पाई रियायती भाड़ा निश्चित किया गया है, जिसमें माल की ज़िम्मेदारी माल के मालिक की रहेगी। इस सम्बन्ध में आगे चलकर सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ने यह उल्लेख किया था कि कम्बलों के लिये इन्दौर से (उज्जैनी होकर) शालिमार, शालिमार से कलकत्ता (गार्डेन रीच) आर्मेनियन घाट, खिदीरपुर डक्स (वेस्ट डक जंकशन और ईस्ट डक से होकर), (कटनी मुन्डौरा से होकर) रियायती भाड़ा निश्चित किया गया है। पुनः सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ने इस सम्बन्ध में यह सूचित किया था कि वर्तमान समय में

प्रति मन ३ आना १ पाई के हिसाब से जो इन्दौर से (उज्जैनी होकर) बी० बी० और सी० आई० रेल्वे से माल भेजने का भाड़ा लगता है (जिसमें ज़िम्मेदारी माल के मालिक की रहती है) उसको जोड़कर कम्बलों के लिये (जिसमें जिम्मेदारी माल के मालिक की रहेगी) इन्दौर से शालिमार तक, तथा शालिमार से बी० एन० आर० के कलकत्ते के अन्य स्टेशनों के लिये प्रति मन १रुपया १३ आना पड़ जायगा, और इस हिसाब से कम्बलों का भाड़ा भी दरियों तथा पीसगुड्स (जिसमें सूती, ऊनी तथा प्रेस की बंधी कपड़े की गाठें सम्मिलित हैं) के बराबर पड़ जायगा। इसके अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ने लिखा था कि निर्धारित भाड़े के अतिरिक्त प्रति रुपया पर दो आना के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा भी चुकाना पड़ेगा।

ई० बी० आर० के चितपुर और काशीपुर के केन्द्रों में माल का ज़माव

अपने १ मई १९४० के पत्र में बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने चेम्बर को सूचित किया कि ई० बी० आर० के चितपुर और काशीपुर के केन्द्रों में नये जूट के जमाव के कारण जो असुविधायें होती हैं, उसपर बंगाल-सरकार ने विचार किया है, और वर्तमान नियमों में बिना कोई परिवर्तन किये ही ई० बी० आर० के अधिकारी इसे दूर करने के लिये प्रस्तुत हैं। आगे चलकर बंगाल-सरकार के उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि यदि सम्बन्धित जूट-मिल-प्रेस एक समझौता कर लें तो ई० बी० आर० के अधिकारी रविवार, (जिस दिन के लिये वर्तमान नियमों के अनुसार माल रखने का भाड़ा और डेमरेज बाद दिया जाता है) माल डिलेवरी देने की व्यवस्था कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने उक्त प्रस्तावपर चेम्बर की राय मांगी थी।

बंगाल गवर्नमेंट का पत्र पाकर चेम्बर की कमेटी ने उक्त विषय से सम्पर्क रखनेवाले सदस्यों की राय लेकर १९ जून १९४० को बंगाल-सरकार के पत्र का उत्तर लिखा। कमेटीने अपने पत्र में सूचित किया था कि ई० बी० रेलवे की प्रस्तावित शर्तोंपर रविवार को माल डिलेवरी लेना कमेटी को स्वीकार नहीं। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि वेलरों को रविवार को माल डिलेवरी लेने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियोंको रखकर काम लेना पड़ेगा, और इसके अतिरिक्त प्रेसो में काम करनेवाले कर्मचारियों से भी रवि-वार को काम लेना पड़ेगा, जो वेलरों के लिये लाभदायक नहीं होगा। चेम्बर की कमेटी ई० बी० रेलवे के सुझाव से सहमत नहीं हुई।

सूती कम्बलों और दरियों का वर्गीकरण

चेम्बर के अनुरोध से रेलवे की चौबीसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २७ मार्च १९४० को हुई थी, प्रचलित प्रथा के अनुसार सूती कम्बलों और दरियों का श्रेणी-विभाग अलग न कर, इन्हें भी पीसगुड्स के अन्तर्गत शामिल करने के प्रश्न पर वाद-विवाद हुआ। इस मीटिंग में चेम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व करने-वाले सदस्य श्रीयुक्त किशोरीलालजी ढांढनियां ने यह सुझाव दिया कि यह मामला इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन को भेज दिया जाय। इस सम्बन्ध में ईस्टर्न बंगाल रेलवे की ओर से यह कहा गया कि यदि कम्बलों को पीसगुड्स में शामिल किया जाय, तो उनकी गांठें प्रेस की बँधी होनी चाहिये, नहीं तो उन्हें पेटी या बक्स में बन्द कर भेजना चाहिये। बंगाल नागपुर रेलवे की तरफ से यह कहा गया कि कम्बलों को पीसगुड्स में तभी शामिल किया जायगा, जब उनकी गांठें प्रेस की बँधी हुई हों। काफी वाद-विवाद के बाद चेम्बर ने इस सम्बन्ध में सीधे सम्बन्धित रेलवे से लिखा-पढ़ी करना निश्चित किया।

पुनः रेलवे की पचीसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २६ जून १९४० को हुई थी, उक्त विषय का वाद-विवाद हुआ। क़ाफी विचार-विनिमय के वाद दरियों को पीसगुड्स में शामिल करने के प्रश्न पर विचार करना स्थगित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में रेलवे की ओर से चेम्बर को यह वतलाया गया कि कोई व्यापारी यदि सूती दरियों को रियायत भाड़े की दर में, जो पीसगुड्स के लिये स्वीकृत है, भेजना चाहे, तो उसे इसके लिये सम्बन्धित रेलवे को आवेदन-पत्र देना चाहिये। इसके पश्चात् रेलवे की ओर से यह कहा गया कि आवेदन-पत्रों का विचार क़ाफी जाँच-पड़ताल कर किया जायगा। कम्वलों के सम्वन्ध में चेम्बर की ओर से यह कहा गया कि पीसगुड्स के लिये जो रियायत भाड़ा लगता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए कम्वलों को भी पीसगुड्स में शामिल करने के प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये, ताकि इनके लिये भी जो रियायत भाड़ा पीसगुड्स के लिये लगता है, वही लगे। पुनः चेम्वर की ओर से यह कहा गया था कि रेलवे से कम्बल भेजते समय चेम्बर के सदस्य पीसगुड्स की पैकिंग के नियमों का पालन करेंगे। इसके जवाव में वंगाल नागपुर रेलवे की ओर से कहा गया कि पीसगुड्स के लिये जो रियायत भाड़ा लगता है, वही कम्वलों के लिये भी स्वीकृत हो, इसके लिये कम्वलों को पीसगुड्स के अन्दर शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं; क्योंकि यदि कम्वल भेजनेवाले व्यापारी जव कभी आवश्यकता हो, कम्वलों के लिये रियायत भाड़ा के लिये जो पीसगुड्स के लिये स्वीकृत है, रेलवे के पास आवेदन-पत्र भेजें, तो इससे भी आवश्यकता पूरी हो जायगी। अन्त में इस विषय को इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स के पास, जिसको वस्तुओं का श्रेणी-विभाग करने का अधिकार है, भेजना निश्चय किया गया। इस सम्वन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त मीटिंग में निम्नलिखित वातों को दृष्टिगत रखते हुए ई० आई० रेलवे ने उक्त

विषय को इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स के विचारार्थ भेजना निश्चित किया :—

(क) पीसगुड्स के अन्तर्गत ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़े सम्मिलित हैं।

(ख) पीसगुड्स की पैकिंग के नियमों के अनुसार ही कम्बलों की भी पैकिंग होनी चाहिये।

(ग) कम्बल चाहे ऊनी या रूई के बने हों, अथवा दोनों के मिसाल से बने हुए हों।

(घ) व्यापार के लिये यह सुविधाजनक होगा कि कम्बलों और पीसगुड्स दोनों को सम्मिलित कर पीसगुड्स नाम देकर भेजा जाय।

शालिमार में माल के गुम होने, चोरी होने तथा अदल-बदल होने की शिकायत

चेम्बर की कमेटी ने ४ मई १९४० को बंगाल नागपुर रेलवे के एजेन्ट और जेनरल मैनेजर के पास एक पत्र भेजा। पत्र में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि रेलवे अधिकारियों के सतर्क रहने पर भी, शालिमार आनेवाले पीसगुड्स के पार्सल खोने तथा अदल-बदल होने की शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिये रेलवे को इस सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध करने के लिये कमेटी ने निम्नलिखित सुझाव पेश किया था :—

(क) केवल प्रतिष्ठित और विश्वासपात्र क्लियरिंग एजेन्टों को ही शालिमार में काम करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये, और जैसे कस्टम के अधिकारियों ने एजेन्टों के लिये लाइसेन्स का नियम रखा है, वैसे ही रेलवे को भी शालिमार में काम करने वाले एजेन्टों के लिये भी लाइसेन्स का नियम रखना आवश्यक है।

(ख) रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को शालिमार के गोदाम में रहने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

(ग) माल गोदामों में कड़ा पहरा और निरीक्षण रहना चाहिये।

(घ) गेट से बाहर जानेवाली प्रत्येक लोरी या गाड़ी की तलाशी ख़ूब सावधानी से करनी चाहिये।

(ङ) स्टीमर स्टेशन पर रहनेवाले चोरों के दल का ठीक-ठीक अनुसन्धान करने के लिये सी० आई० डी० नियुक्त करना चाहिये।

(च) क्लियरिंग एजेन्टों को माल तभी देना चाहिये, जब आफिसर इन्चार्ज को पूरा सन्तोष हो जाय।

(छ) वर्तमान प्रबन्धों में सुधार करने के लिये जाँच-पड़ताल करनी चाहिये।

बंगाल नागपुर रेलवे के एजेन्ट और जेनरल मैनेजर ने चेम्बर के उक्त पत्र का जवाब १७ जून १९४० को देते हुए निम्नलिखित बातें उल्लेख कीं :—

(क) बंगाल नागपुर रेलवे क्लियरिंग एजेन्टों को लाइसेन्स नहीं देती, पर रेलवे ने यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि वह क्लियरिंग का काम करनेवाले एजेन्टों से क़ानूनन स्वीकृति लेने के लिये कह सकती है, और जब किसी ख़ास एजेन्ट को रखने में कोई आपत्ति की जाय, तो नियमानुसार रेलवे इस सम्बन्ध में एजेन्ट के सरदारों को ज़रूरी हिदायत दे देती है। कस्टम में जो एजेन्टों को लाइसेन्स लेने का नियम-क़ानून है, उसकी जाँच करने से पता चला है कि :—

(१) लाइसेन्स की संख्या परिमित है।

(२) लाइसेन्स के लिये आवेदन करनेवालों को अपनी चाल-चलन तथा आर्थिक स्थिति का सार्टिफिकेट पेश करना आवश्यक है।

(३) आवेदन करनेवाले एजेन्ट को पांच ऐसे फर्मों की चिट्ठियां पेश करनी चाहिये, जो उसे अपना काम देना स्वीकार करें।

(४) एजेन्ट के काम के लिये आवेदन करनेवालों को पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में काफी रुपया जमा करना चाहिये, और कस्टम के कलक्टर के पास पासबुक जमा कर देना चाहिये, और जितना रुपया पास बुक में जमा रहे, उतना ही और बतौर जमानत दाखिल करना चाहिये।

(५) लाइसेन्स-प्राप्त एजेन्टों को कलक्टर के निरीक्षण के लिये हिसाब-किताब रखना भी आवश्यक है।

अन्त में रेलवे की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि रेलवे कम्पनी के लिये संभव नहीं हो सकेगा कि वह उक्त नियमों या उक्त नियमों के अनुकूल अन्य नियमों के अनुसार शालिमार में व्यापारियों के काम के लिये क्लियरिंग एजेन्टों की नियुक्ति कर सके ; पर व्यापारियों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने निजी फायदे के लिये अपने निजी क्लियरिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकते हैं, और यह पहला ही मौक़ा है कि इस सम्बन्ध में बंगाल नागपुर रेलवे की कार्य-प्रणाली की शिकायत की गयी है।

(ख) रेलवे अपने कर्मचारियों, व्यापारियों और क्लियरिंग एजेन्टों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को माल गोदाम में जाने की इजाज़त नहीं देती। उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त जो लोग माल गोदाम में जाते हैं, वे व्यापारियों या उनके एजेन्टों के साथ जाते हैं। इसी कारण रेलवे ने चेम्बर के सदस्यों को गोदामों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम करने के कार्य में सहयोग देने का अनुरोध किया था।

(ग) चौकसी और निगरानी-विभाग-द्वारा माल गोदामों की देख-रेख के लिये क़ाफी कड़ाई की जाती है।

(घ) गेट से बाहर जानेवाले मालों की जांच के तरीके में सुधार करने के लिये शालिमार के स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट ने हाल में ही एक नया तरीक़ा निकाला है।

इस सम्बन्ध में शालिमार के असिस्टेन्ट कमर्सियल आफिसर ने राय दी थी कि यदि कश और डिलेवरी विभाग का काम, जो दोपहर से एक बजे दिन तक बन्द रहता है, चालू रखा जाय, तो यह अधिक अच्छा हो और सम्भवतः व्यापारियों के लिये अधिक सुविधाजनक होगा। इससे व्यापारी उक्त समय के दर्मियान भाड़ा जमा कर माल गोदाम से माल डिलेवरी और गेटपास ले सकते हैं, और मज़दूरों के काम पर लौटने के समय, यानी एक बजे दिन से, लारियों पर माल बोझाई का काम शुरू कर सकते हैं। शालिमार के असिस्टेन्ट कमर्सियल आफिसर का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है, और इस संबन्ध में हुक्मनामे भी निकल चुके हैं।

(ङ) यह नहीं समझ में आया कि स्टीमर-स्टेशन का क्या तात्पर्य है। यदि इसका मतलब शालिमार के पुलों और जेटियों से है, तो इन स्थानों में चोरों के दल के रहने की कोई गुंजायश नहीं; क्योंकि गोदामों से माल सीधे टेल्फर के ज़रिये नौकाओं में पहुंचाया जाता है।

(च) इस प्रश्न के सम्बन्ध में पैराग्राफ (घ) में उल्लिखित बातें देखिये।

(छ) इस सम्बन्ध में सावधानी से जांच की गयी है।

इस मामले को रेलवे की छब्बीसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २५ सितम्बर १९४० को हुई थी, रखा गया, और पुनः आगामी मीटिंग के विचारार्थ स्थगित कर दिया गया।

बी० एन० डबलू० से होकर बम्बई से आनेवाले पीसगुड्स

१ अप्रैल १९४० को चेम्बर की कमेटी ने बी० एन० डबलू रेलवे के ट्राफिक मैनेजर के पास एक पत्र लिखा था, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि गत कुछ समय से बी० एन० डबलू स

होकर बम्बई से आनेवाले पीसगुड्स की रफ्तनी बन्द हो जाने के कारण पीसगुड्स के व्यापार को बहुत नुक़सान पहुंच रहा है। इसके पश्चात् कमेटी ने अपने उक्त पत्र में बी० एन० डबलू० रेलवे से होकर बम्बई से आनेवाले पीसगुड्स की रफ्तनी शीघ्र ही पुनः प्रारम्भ करने का अनुरोध किया था।

बंगाल नार्थ वेस्टर्न रेलवे के ट्राफिक मैनेजर ने चेम्बर को सूचित किया कि ई० आई० रेलवे ने १६ मार्च १९४० से इलाहाबाद से होकर पीसगुडस की रफ्तनी पुनः चालू कर दी है।

बी० एन० रेलवे की निम्न-श्रेणी के डब्बों की असुविधायें

चेम्बर के गत साल की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चेम्बर की कमेटी ने बंगाल नागपुर रेलवे का ध्यान निम्न-श्रेणी के डब्बों के दरवाजों में आवश्यक सुधार करने के लिये आकर्षित कराया था। इस सम्बन्ध मे कमेटी ने बी० एन० रेलवे को यह लिखा था कि यह तरीक़ा कि दरवाजे बाहर से खोले जा सकें, और डब्बों के भीतर से नहीं खुल सकें, यात्रियों के लिये असुविधाजनक है, और ख़ासकर बरसात में तो इसकी वजह और अधिक तक़लीफ होती है। इसके पश्चात् कमेटी की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि दरवाज़ा खोलते समय शारीरिक बल की भी आवश्यकता पड़ती है और इसलिये स्त्रियों और बच्चो की सुरक्षा की दृष्टि से नये तरीके के दरवाजे निर्माण करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

रेलवे ने उत्तर देते हुये यह लिखा था कि वह डब्बों के प्रचलित ढांचे में कोई भी सुधार करने में असमर्थ है, और इस सम्बन्ध में भारत-सरकार के रेलवे विभाग के साथ लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। चेम्बर की कमेटी ने १९३९ के दिसम्बर महीने मे रेलवे बोर्ड के पास एक पत्र लिखा, जिसमें बी० एन० रेलवे की गाड़ियो के निम्न-

श्रेणी के डब्बों के दरवाज़ों के दोष दूर करने की आवश्यकता बतलायी गई थी।

चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए रेलवे बोर्ड ने २२ जनवरी १९४० को लिखा कि असावधानी से दरवाजा खोलने के कारण बच्चों तथा अन्य मुसाफिरों को गाड़ी चलते समय जो दुर्घटनाओं की सम्भावना रहती है, इसको दूर करने के लिये बी० एन० रेलवे की गाड़ियों की निम्न-श्रेणी के डब्बों के भीतर से दरवाज़ा खोलना रोकने के लिये भीतर हैन्डिल रखने का तरीक़ा बदल दिया गया है। डब्बों के भीतर से बाहर का हैन्डिल खींचकर दरवाज़ा खोलने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने यह सूचित किया था कि बहुतेरे हैन्डिलों को जांच कर देखा गया है कि उन्हें बिना शारीरिक बल-प्रयोग के ही डब्बों के भीतर से घुमाया जा सकता है। आगे चलकर रेलवे-बोर्ड ने यह लिखा था कि कम दूरीका यातायात करनेवाली कुछ गाड़ियों के दरवाजे सरकनेवाले हैं, और ऐसा इसलिये किया गया है कि जहां स्टेशनों पर गाड़ी बहुत कम समय के लिये रुकती हो, वहां मुसाफिरों को जल्दी से चढ़ने-उतरने में सहूलियत हो। पुनः रेलवे बोर्ड ने यह उल्लेख किया था कि चलती गाड़ी की हवा के झोंके से कभी-कभी दरवाज़े यों ही खुल जाते हैं, और गर्मियों में डब्बों के भीतर हवा आने के लिये भी प्रायः मुसाफिर दरवाज़ा खोलकर रखते हैं। आगे चलकर रेलवे वोर्ड ने यह लिखा था कि हवा के झोंके से दरवाज़े का खुलना रोकने के लिये, दरवाज़ा बन्द करने के लिये नये ढंग की सिटकनी तैयार की गई है, और उम्मीद है कि इन सिटकनियों के प्रयोग-द्वारा चलती गाड़ी की हवा के झोंके से दरवाज़ा खुलने के कारण मुसाफिरों को जो खतरा रहता है, वह दूर हो सकेगा। चेम्बर ने जो डब्बों के भीतर से दरवाज़ा खोलने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने सूचित किया था कि हाल में ही इस प्रकार के

दरवाज़े की व्यवस्था के लिये हुक्म दिया गया है, लेकिन इस तरह के दरवाज़े केवल ब्राडगेज और मीटरगेज लाइनों के लिये आइन्दे तैयार होनेवाली पसिन्जर गाड़ियों के लिये स्वीकृत हैं, और नज़दीक पास जानेवाली गाड़ियों के लिये सरकनेवाले दरवाज़े मंजूर किये गये हैं।

कलकत्ता तथा कलकत्ता के पड़ोस से माल ले जाने और डिलेवरी देने के प्रबन्ध में परिवर्तन

३१ अगस्त १९४० को ईस्ट इन्डियन रेलवे के चीफ कमर्सियल मैनेजर ने चेम्बर को सूचित किया कि कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण १ अक्टूबर १९४० से कलकत्ते तथा हवड़ा होकर कलकत्ते के पड़ोस से जहाँ-तहाँ से माल एकत्र करके ले जाना और डिलेवरी देना बन्द कर दिया जायगा। कमेटी ने इसकी सूचना चेम्बर के सदस्यों को दे दी।

रेलवे की छबीसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २५ सितम्बर १९४० को हुई थी, उक्त विषय पर वाद-विवाद हुआ। रेलवे की ओर से यह कहा गया कि यद्यपि वर्तमान प्रबन्धों को चालू रखना अभी सम्भव नहीं, फिर भी जल्द-से-जल्द आवश्यक सुविधा दी जायगी। ईस्ट इन्डियन रेलवे की ओर से कहा गया कि रेलवे के मोटर-विभाग के प्रबन्धों की जांच-पड़ताल की जा रही है, और कलकत्ते से माल ले आने तथा कलकत्ते में माल पहुंचाने की सम्भाव्यता पर ध्यान दिया जायगा।

ई० आई० आर० की अकबरपुर-टांडा-चब्रां-लाइन बन्द होने के सम्बन्ध में

चेम्बर के एक सदस्य के अनुरोध से चेम्बर की कमेटी ने १० नवम्बर १९४० को ईस्ट इन्डियन रेलवे के जेनरल मैनेजर के पास

एक पत्र लिखा, जो अकबरपुर-टांडा-ब्रांच-लाइन के बन्द होने की जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा गया था। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि अकबरपुर और टांडा के बीच की लाइन बन्द कर देने के कारण स्थानीय जनता और व्यापारियों को क़ाफी परेशानी उठानी पड़ेगी।

चेम्बर के उक्त पत्र के उत्तर में रेलवे विभाग ने सूचित किया कि यू० पी० गवर्नमेंट की राय लेकर भारत-सरकार ने अकबरपुर-टांडा लाइन बन्द कर देने का हुक्म दे दिया है, और हुक्म के मुताबिक लाइन बन्द कर दी गई है।

हबड़ा से अमृतसर तक पीसगुड्स के भाड़े की दर

१९४० के जनवरी महीने में चेम्बर की कमेटी ने ईस्ट इन्डियन रेलवे के चीफ कमर्सियल मैनेजर के पास एक पत्र लिखा था। पत्र में इस बातपर प्रकाश डाला गया था कि ज्यादा भाड़ा के ही कारण हबड़ा से अमृतसर भेजे जानेवाले पीसगुड्स और सूते की रफ्तनी कम हो गई है, और इसी कारण कलकत्ता तथा अमृतसर के बीच मोटर लारी से माल ढुलाई होता है, जिसका भाड़ा प्रति मन ढाई रुपया है। इसलिये कमेटी ने अपने पत्र में रेलवे से पीसगुड्स और सूते के लिये रियायत भाड़ा निर्धारित करने का अनुरोध किया था। पुनः कमेटी ने रेलवे को यह लिखा था कि भाड़ा कम होने पर केवल माल की रफ्तनी में ही वृद्धि नहीं होगी, बल्कि इससे मार्ग-प्रतियोगिता का प्रश्न भी हल हो जायगा।

इसके पश्चात् कमेटी ने १७ जनवरी १९४० को पत्र लिखकर रेलवे को सूचित किया था कि होशियारी, सूती, ऊनी और नकली रेशम के लिये, जो हबड़ा से अमृतसर तक प्रति मन २ रुपया १२ आना ११ पाई भाड़ा लगता है, यह मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के भाड़े की दर से बहुत अधिक है।

इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने के लिये रेलवे ने चेम्बर के पास इस विषय से सम्बन्धित व्यापारियों से भेंट मुलाकात करने के लिये उनका नाम-ठिकाना लिखने का अनुरोध किया था। चेम्बर की कमेटी ने रेलवे के अधिकारियों के पास इस सम्बन्ध की आवश्यक सूचना भेज दी। इसके पश्चात् रेलवे के अधिकारियों ने अपने २८ मार्च १९४० के पत्र में चेम्बर को सूचित किया कि १९४० के अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में व्यापारियों से मुलाकात करने के लिये कोई सुविधाजनक दिन निश्चित किया जा सकता है। इस विषयपर कमेटी पूर्ण ध्यान दे रही है।

व्यवसायी फर्मों के लिये माइलेज कूपन की व्यवस्था

२९ फरवरी १९४० को बी० एन० रेलवे के कमर्सियल ट्राफिक मैनेजर ने चेम्बर को पत्र लिखते हुए सूचित किया था कि बी० एन० रेलवे परीक्षा करने के उद्देश्य से व्यवसायी फर्मों के लिये माइलेज कूपन निकालना चाहती है, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में दिलचस्पी रखनेवाला प्रत्येक व्यवसायी फर्म निश्चितरूप से यह सूचित करे कि वह कितने कूपन खरीद सकता है।

रेलवे के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए चेम्बर की कमेटी ने रेलवे अधिकारियों को यह सुझाव दिया कि रेलवे कुछ दिनों के लिये माइलेज कूपन निकाल सकती है; पर जब जनता इस कूपन से अवगत हो जाय, और फिर भी इसकी क़ाफी मांग न आय, तो रेलवे इसको बन्द कर दे सकती है।

जयपुर स्टेट रेलवे की टाइमिंग

चेम्बर के कई सदस्यों के अनुरोध पर चेम्बर की कमेटी ने ११ जुलाई १९४० को जयपुर स्टेट रेलवे को एक पत्र लिखा था। कमेटी ने उक्त पत्र में, ट्रेन में अधिक विलम्ब होने के कारण दूर का

यातायात करनेवाले जयपुर शहर के यात्रियों को जो असुविधायें होती हैं, इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला था। इसके पश्चात् कमेटी ने जयपुर के रेलवे विभाग से यात्रियों की असुविधायें दूर करने का अनुरोध किया था।

अभी तक कमेटी ने इस सम्बन्ध की काररवाई जारी रखी है।

तारकेश्वर के लिये स्पेशल ट्रेन

चेम्बर की कमेटी ने तारकेश्वर स्टेट के मैनेजर तथा ई० आई० आर० के अधिकारियों के पास पत्र लिखकर ५ और १२ अगस्त १९४० को कलकत्ते और तारकेश्वर के बीच स्पेशल ट्रेनों का प्रबन्ध करने का अनुरोध किया था। ई० आई० आर० के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए सूचित किया कि ५ अगस्त और १२ अगस्त को यदि क़ाफी यात्री तारकेश्वर जाने को तैयार हों, तो स्पेशल ट्रेन छोड़ने का बन्दोबस्त किया जा सकता है।

इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन

इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स से चेम्बर को निम्नलिखित वस्तुओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध का विवरण प्राप्त हुआः—

(१) फायर सीमेन्ट (२) रंगीन पेस्टल (३) काउलाक स्कीम मिल्क पाउडर (४) इन्सुलेटर के लिये निर्मित भरमिकुलाइट (५) कृषि कार्य में व्यवहृत होनेवाले यंत्रों के कल-पुर्जे (६) ऊंट के बाल (७) तरल पैराफिन (८) वाद्य-यंत्र (९) बित्री क्लोरिनेटर (१०) कलईदार ज़ेवर (११) अम्बा हलदी (१२) कोक ब्रीज हालो ब्लाक्स (१३) प्लास्टिक मेटेरियल एन० ओ० सी० (१४) धनिया, दाल (१५) शीशे की चिमनी, ग्लोव तथा वत्तियों के अन्य प्रकार के ढक्कन (१६) आरगो आइल। (१७) ओलिभ आइल (१८) गोलियों के

वक्स (१९) लोहे के खम्भे, (ढलाई किया हुआ छोड़कर), वीमों की कड़ी, एंगिल पुरलिन्स (२०) लोहे की घन्टी।

रंगीन पेस्टल के श्रेणी-विभाग के सम्बन्ध में कमेटी ने यह प्रकाश डाला कि यह स्टेशनरी के अन्तर्गत शामिल होना चाहिये, और इसके भाड़े की दर भी इसी हिसाब से निश्चित की जानी चाहिये। कृषि-कार्य में व्यवहृत होनेवाले यंत्र तथा इसके कल-पुर्जे के श्रेणी-विभाग के सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी कि इन चीज़ों को ७ आर० आर० तथा ६ ओ० आर० के अन्तर्गत शामिल करना चाहिये। काउलाक स्कीम मिल्क के श्रेणी-विभाग के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव पेश किया कि इसको टीन में वन्द रहनेवाले कन्डेन्स्ड मिल्क की श्रेणी में रखना चाहिये, और भाड़ा भी इसी हिसाव से निश्चित होना चाहिये। इन्सुलेटर के लिये निर्मित भरमिकुलाइट के सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया कि इसका ५ आर० आर० तथा ४ ए, आर० ओ० के अनुसार पृथक विभाजन होना चाहिये। वाद्य-यंत्र के सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी कि इसका विभाजन एन० ओ० सी० के अनुसार होना चाहिये। ऊंट के खुले बाल को कमेटी ने बकरी के बाल की श्रेणी में रखने की राय दी। तरल पैराफिन को कमेटी ने ४ वी० आर० आर० और ४ ओ० आर० के अन्तर्गत वर्गीकरण करने का सुझाव दिया। कोक ब्रीज़ हालो ब्लाक्स को कमेटी ने सीमेन्ट टाइल की श्रेणी में रखने की राय दी, और इसी हिसाब से भाड़ा निर्धारित करने का सुझाव दिया। कलईदार ज़ेवरों को कमेटी ने निकेल के अन्तर्गत रखने की राय दी।

ई० आई० आर० और ई० बी० आर०-द्वारा पूजा-स्पेशल की योजना

ई० बी० आर० के पब्लिसिटी आफिसर ने २४ जून १९४० को पत्र लिखकर चेम्बर को सूचित किया कि पहले की तरह इस साल

भी ई० वी० आर० की ब्राडगेज और मीटरगेज लाइनों में पूजा के बाज़ार के लिये स्पेशल ट्रेनों का प्रवन्ध करने का विचार किया जा रहा है। इसके पश्चात् पब्लिसिटी आफिसर ने उक्त योजना को सफल बनाने के लिये चेम्बर को सहयोग देने का अनुरोध किया था।

पब्लिसिटी आफिसर के पत्र का उत्तर देते हुए चेम्बर ने उक्त योजना को सफल बनाने के लिये रेलवे को अधिक-से-अधिक सहयोग देने का वचन देते हुए यह उल्लेख किया था कि युद्ध की परिस्थिति के कारण प्रस्तावित योजना की सफलता के सम्बन्ध में चेम्बर बहुत अधिक आशावादी नहीं है।

१५ नवम्बर १९४० को ई० वी० आर० और ई० आई० आर० की ओर से रेलवे के सेन्ट्रल पब्लिसिटी आफिसर ने चेम्बर को सूचित किया कि पूजा के बाज़ार के लिये जैसे ई० वी० आर० स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करती है, उसी के अनुसार ई० आई० आर० और ई० वी० आर० ने जाड़े के बाजार के मौकेपर स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करने की सम्मिलित याजना तैयार करने का विचार किया है। इस योजना को सफल बनाने के लिये सेन्ट्रल पब्लिसिटी आफिसर ने चेम्बर से रेलवे को सहयोग देने के लिये अनुरोध किया था। सेन्ट्रल पब्लिसिटी आफिसर को सूचित कर चेम्बर की कमेटी ने उनके उक्त पत्र की नकल इस सम्बन्ध में दिलचस्पी लेनेवाले सदस्यों के पास भेज दी।

ई० आई० आर० का पाक्षिक सीज़न टिकट

चेम्बर के गत साल की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि व्यापारियों को ई० आई० आर० की लाइन के प्रमुख स्थानों में अपने कनवैसर भेजने में बहुत खर्च पड़ जाता है, इसलिये चेम्बर ने व्यापारियों के लाभार्थ ई० आई० आर० से पाक्षिक

सीज़न टिकट निकालने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में रेलवे ने तेईसवीं क्वार्टर्ली मीटिंग में निश्चय किया कि इस विषय पर पुनः विचार करने के लिये इसे कार्य-क्रम-सूचीमें रखा जायगा; और उसी समय इसका अन्तिम निर्णय होगा।

२३ फरवरी १९४० को पुनः ईस्ट इन्डियन रेलवे ने पत्र लिखकर चेम्बर को सूचित किया कि ई० बी० आर० और जी० पी० आर० में दोनों प्रकार के पाक्षिक सीज़न टिकट (जिनके सम्बन्ध में चेम्बर ने उल्लेख किया था।) हैं, जैसे, (१) ई० बी० आर० का पाक्षिक सीज़न टिकट और (२) जी० आई० पी० का तथा ई० बी० आर० का ज़ोन टिकट अथवा ट्राभेल ऐज़ यू प्लीज़ (आपकी जहां खुशी हो वहां की यात्रा करें) टिकट। पाक्षिक सीज़न टिकट के सम्बन्ध में रेलवे की ओर से यह बतलाया गया था कि यह टिकट किसी दो निर्दिष्ट स्थानों के बीच एक माह से कम समय के लिये यात्रा करनेवाले यात्रियों के उपयोग के लिये निकाला जाता है। पाक्षिक ज़ोन टिकट के सम्बन्ध में रेलवे ने यह लिखा था कि यह टिकट कुछ निर्धारित स्थानों के बीच स्थान-स्थान की यात्रा करनेवाले यात्रियों को छुट्टियों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निकाला जाता है, और इसके ज़रिये यात्री अपनी इच्छानुसार जिस निर्दिष्ट सीमा के लिये टिकट निकाला गया हो, उसके अन्तर्गत किसी भी लाइन में यात्रा कर सकता है।

अन्त में रेलवे से चेम्बर ने यह अनुरोध किया था कि उक्त दोनों टिकटों में से चेम्बर कौन सा टिकट पसन्द करता है, यह रेलवे अधिकारियों को सूचित करे, ताकि वे चेम्बर के प्रस्ताव पर समुचित विचार करने में समर्थ हो सकें। चेम्बर की कमेटी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

भिन्न-भिन्न स्टेशनों के दर्मियान पीसगुड्स के भाड़े की दर

समय-समय पर चेम्बर की कमेटी ने भिन्न-भिन्न रेलवे को पत्र लिखकर चेम्बर के सदस्यों के लाभार्थ भिन्न-भिन्न स्टेशनों के दर्मियान पीसगुड्स के लिये निर्धारित भाड़े की दर की तालिका चेम्बर के पास भेजने का अनुरोध किया था। रेलवे ने पीसगुड्स के भाड़े की तालिका चेम्बर के पास भेज दी, जिससे चेम्बर ने सदस्यों को अवगत कराया।

गवार और बिनौला के भाड़े के सम्बन्ध में विचार-विमर्श

१९४० की फरवरी में जब कम्यूनिकेशन सदस्य ने रेलवे बजट पेश करते हुए रेलवे से माल भेजने के लिये भाड़े की दर में १२॥ प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की, तो फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री की ओर से रेलवे बोर्ड से यह कहा गया कि बोर्ड ने जैसे भोजन के उपयोग में काम आनेवाले अन्न, घास-भूसा तथा खाद के लिये १२॥ प्रतिशत बढ़ा हुआ भाड़ा बाद देना निश्चित किया है, वैसे ही गवार और बिनौला पर भी ज़्यादा भाड़ा नहीं लगना चाहिये, क्योंकि ये दोनों चीजें जानवरों के चारे के उपयोग में काम आती हैं। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड की ओर से यह कहा गया कि गवार और बिनौला का ज्यादा व्यवहार 'कन्सन्ट्रेट्स' के अन्तर्गत होता है, और घास-भूसा की तुलना में, जो जानवरों के चारे के काम में आते हैं, और जिन्हें ज्यादा भाड़ा से मुक्त कर दिया गया है, गवार और बिनौला जानवरों के चारे के लिये आंशिक रूप में उपयोग में लाये जाते हैं। इसलिये रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया कि गवार और बिनौला पर ज्यादा

भाड़ा नहीं लगाने से रेलवे की आय कम हो जायगी, और इससे न तो जानवरों के मालिकों को कुछ अधिक लाभ होगा और न गवर्नमेंट को। अतः उक्त दोनों चीजों को ज्यादा भाड़ा से मुक्त करने में रेलवे बोर्ड ने अपनी असमर्थता प्रकट की।

फेडरेशन ने उक्त विषय पर चेम्बर की राय मांगी। चेम्बर की कमेटी ने फेडरेशन को उत्तर देतें हुए राय दी कि गवार और बिनौला जानवरों के चारे के लिये काम आते हैं, और इसलिये रेलवे को इनपर ज्यादा भाड़ा नहीं लगाना चाहिये।

हवड़ा से विभिन्न स्टेशनों के लिये पीसगुड्स की रफ्तनी

कलकत्ता के पीसगुड्स के व्यवसाय पर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव जानने के उद्देश्य से चेम्बर की कमेटी ने समय-समय पर हवड़ा से विभिन्न स्टेशनों को भेजे जानेवाले पीसगुड्स के आंकड़े संग्रह किये।

चेम्बर के २७ मार्च १९४० के पत्र का उत्तर देते हुए ई० आई० आर० के चीफ कमर्सियल मैनेजर ने हवड़ा तथा कलकत्ते के अन्य स्टेशनों से विभिन्न स्टेशनों को भेजे गये पीसगुड्स के चार साल के आंकड़े भेजे, जो निम्नलिखित हैं:—

स्टेशन	सन् १९३६	सन् १९३७	सन् १९३८	सन् १९३९
	मन	मन	मन	मन
रानीगंज	१३,०७१	१,५११४	१४,९६६	१६,०४०
आसनसोल	५,५२५	८,५३५	९,८१७	८,१३३
भागलपुर	२२,७१५	२२,५८२	२१,३४९	२१,३७५
हज़ारीबागरोड	१,६७९	१,६९६	८४२	८५३

स्टेशन	सन् १९३६	सन् १९३७	सन् १९३८	सन् १९३९
	मन	मन	मन	मन
वैद्यनाथ धाम	५,८६६	५,५४७	५,००६	५,६९७
लक्खीसराय	१,४०५	१,०३६	१,९३९	१,९५१
पटना जंकशन	६,९५९	६,७०९	७,१२०	७,०८५
पटना सिटी	७,९१९	४,९२५	७,२६१	८,००५
वक्सर	२,३७५	२,२८२	२,१७७	१,८२८
गया	८,०६८	१२,०८३	२२,४५३	१६,१००
डालटेनगंज	२,६६६	२,५५८	३,४७२	३,४७८
देहरी-आन-सोन	२,१४९	१,४१४	२,५६५	२,९८४
इलाहाबाद	४,३७५	२,७५८	३,४३४	३,२३५
आगरा बेलनगंज } वर्ष समाप्ति नवम्बर	२,७५७	१,३२२	१,९५१	२,१४१
हाथरस किला	१,४५३	७७१	१,३७७	१,३०९
वनारस कैन्ट	३,०९४	३,४२३	२,६८२	२,६०७
काशी	९,१५२	७,४२४	८,११५	६,७७५
बरेली	३,०७२	१,२१७	२,२७७	२,३२७
सहारन-पुर } वर्ष समाप्ति अक्टूबर	२	७५	५	१८
देहरादून } वर्ष समाप्ति अक्टूबर	—	११	८४	१०

पुनः १७ मई १९४० को ई० आई० आर० के चीफ कमर्सियल मैनेजर ने हवड़ा तथा कलकत्ते के स्टेशनों से ई० आई० आर० के अन्य कई प्रमुख स्टेशनों को भेजे गये पीसगुड्स के चार साल के आंकड़े भेजे जो नीचे दिये जाते हैं:—

स्टेशन	सन् १९३६	सन् १९३७	सन् १९३८	सन् १९३९
	मन	मन	मन	मन
मुंगेर	२,८२७	१,६५३	२,०४१	२,००८
गिरिडीह	६,२०५	६,७३२	११,३७६	८,९२९
दानापुर	३,४२४	३,२०५	२,४२४	२,७३७
शाहगंज	१,७७०	९८७	१,४५०	१,४५५
जौनपुर	२,४२६	१,२८२	१,५८९	१,९१३
फैज़ाबाद	८०४	२८४	४१०	३५०
सीतापुर सिटी	२४६	१०७	२७	४०
शाहजहांपुर	३१९	३३	३४	११२

रेलवे की चौबीसवीं, पचीसवीं, छबीसवीं और सताईसवीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग

रेलवे की २४ वीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग कलकत्ते में २७ मार्च १९४० को रेलवे अधिकारियों तथा विभिन्न चेम्बरों के प्रतिनिधियों के बीच हुई। इस मीटिंग में मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त किशोरीलाल जी ढांढनियां ने किया। चेम्बर की कमेटी ने मीटिंग में वाद-विवाद के लिये निम्न विषय भेजे थे:—

(१) कलकत्ता से कानपुर भेजे जानेवाले पीसगुड्स के भाड़े की दर कम करना। इसका पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जा चुका है।

(२) चेम्बरों को रेलवे की एडभाइज़री कमेटी की मीटिंगों का विस्तृत विवरण देने के प्रश्न पर विचार।

चेम्बर की ओर से कहा गया कि यह दलील पेश करते हुए कि एडभाइज़री कमेटी की मीटिंगों का विस्तृत विवरण एक गुप्त चीज़ है, ई० आई० आर०, ई० बी० आर० और बी० एन० आर० चेम्बरों को अपनी एडभाइज़री कमेटी की मीटिंगों का विस्तृत विवरण देना अस्वीकार करती हैं। इस सम्बन्ध में चेम्बरों की ओर से यह कहा गया कि उक्त कारण सन्तोषप्रद नहीं, और इस बात पर विचार कर कि चेम्बरों के प्रतिनिधि इन मीटिंगों में भाग लेते हैं तथा मीटिंगों की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करना चेम्बरों के लिये आवश्यक है, रेलवे को मीटिंगों का विस्तृत विवरण चेम्बरों को देना चाहिये। चेम्बरों की ओर से विश्वास दिलाया गया कि उक्त मीटिंगों का विस्तृत विवरण चेम्बरों-द्वारा गुप्त रखा जागया। इस विषय पर वाद-विवाद होने पर इस विषय की चर्चा कुछ समय के लिये स्थगित कर देना निश्चय किया गया।

(३) सूती कम्बलों और दरियों का वर्गीकरण। इस विषयका पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जा चुका है।

रेलवे की २५वीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २६ जून १९४० को हुई, चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए० बी० काम० बी० एल०, ने भाग लिया। इस मीटिंग में वाद-विवाद के लिये चेम्बर ने निम्न विषय भेजे थे :—

(१) कलकत्ता से कानपुर भेजे जानेवाले पीसगुड्स और सूते के भाड़े की दर कम करना। (इस विषय का पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जा चुका है।)

(२) सूती दरियों और कम्बलों का वर्गीकरण। इस विषय की चर्चा इस रिपोर्ट में अन्यत्र की गई है।

(३) कालिम्पोंग, गेलखोला और कटिहार होकर कलकत्ता भेजे जानेवाले खुले ऊन के लिये स्पेशल रेट। (इस विषय की चर्चा इस रिपोर्ट में अन्यत्र की जा चुकी है।)

रेलवे की २६ वीं क्वार्टर्ली मीटिंग में चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०, ने भाग लिया। इस मीटिंग में वाद-विवाद के लिये चेम्बर की ओर से निम्न विषय भेजे गये थे:—

(१) भागलपुर के कोयला डीपो के मालिकों के साथ प्लाट नं० ७ और १५ की बन्दोबस्ती।

(२) लक्खीसराय होकर जानेवाली सभी थ्रू ट्रेनों को लक्खीसराय स्टेशनपर ठहराने की व्यवस्था।

(३) १०६ गांठ सूती पीसगुड्सपर रेलवे-द्वारा वसूल किया गया ज्यादा भाड़ा वापिस लौटाने का झमेला।

(४) बालू के भाड़े की दर।

(५) शालिमार स्टेशनपर माल गायब होने, चोरी होने, और अदल-बदल होने की शिकायत। उक्त सभी विषयों का पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जा चुका है।

रेलवे की २७ वीं इन्फार्मल क्वार्टर्ली मीटिंग में, जो २० दिसम्बर १९४० को हुई, चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़, एम० ए० बी० काम०, बी० एल०, ने भाग लिया। निम्नलिखित विषय, जिनकी चर्चा गत मीटिंगों में हो चुकी थी, इस मीटिंग में विचारार्थ रखे गये थे।

(१) शालिमार स्टेशनपर माल गायब होने, चोरी होने और अदल-बदल होने की शिकायत। (इस विषय का पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जा चुका है।)

(२) सूती कम्बलों का वर्गीकरण। (इस विषय का पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया जा चुका है।)। ई० आई० आर० ने इस विषय को रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन के विचारार्थ भेज दिया। चूकि काफी कम्बलों की पैकिंग, (खासकर सस्ते दाम के कम्बल या ऐसे कम्बल, जो जेलों में व्यवहृत होते हैं।) जो रेलवे से भेजे जाते हैं, प्रेस पैकिंग नहीं रहती, इसलिये व्यापारिक संस्थाओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। भविष्य में इन कम्बलों को पीसगुड्स के अन्तर्गत शामिल करनेपर माल के मालिक की जिम्मेदारी बढ़ जायगी, और आवश्यकतानुसार इनका भाड़ा श्रेणी ४ या श्रेणी ४ ए, अथवा श्रेणी ६ के अनुसार निर्धारित होगा। इस सम्बन्ध में आम राय यह थी कि रेलवे को आवश्यकतानुसार कम्बलों के लिये, पीसगुड्स के लिये स्वीकृत रियायत भाड़ा, स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, और इस प्रबन्ध से कम्बलों के भाड़े के सम्बन्ध की सभी आवश्यकतायें पूरी हो जायँगी।

वाद-विवाद के पश्चात् इन्डियन रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन का निर्णय स्वीकार कर लिया गया।

कस्टम्स, मेरिन एन्ड पोर्ट कमिश्नर्स

कलकत्ता-कस्टम्स-द्वारा बिल आफ एन्ट्री पास करने में विलम्ब

१ सितम्बर १९३९ को चेम्बर ने कलकत्ता कस्टम्स के पास एक पत्र लिखा था, जिसमें बिल आफ एन्ट्री पास करने में कस्टम्स जो अनावश्यक विलम्ब करता है, उसके सम्बन्ध में आपत्ति की गई

थी। चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए कलकत्ता कस्टम्स के कलक्टर ने अपने २६ सितम्बर १९३९ के पत्र में सूचित किया कि बिल आफ एन्ट्री पास करने में कभी-कभी जो विलम्ब हो जाता है, इसका कारण यह है कि प्रायः इम्पोर्टरों के अनुरोध करने पर माल का बाज़ार-भाव जांचने के कारण विलंब होता है; पर जब कभी कस्टम्स के अधिकारियों के कारण विलम्ब होता है, तो ऐसे विलंब के लिये पोर्ट कमिश्नर्स से आदेश पाने पर सार्टिफिकेट दी जाती है, जो इम्पोर्टरों के लिये भी लाभदायक है। अन्त में कस्टम्स के कलक्टर ने चेम्बर की कमेटी से यह अनुरोध किया था कि चेम्बर को चाहिये कि इस सम्बन्ध के वास्तविक मामलों की सूचना दे, ताकि कस्टम्स इस दिशा में उचित काररवाई करे।

६ जनवरी १९४० को चेम्बर की कमेटी ने कस्टम्स के कलक्टर-के पत्र का उत्तर देते हुए बिल आफ एन्ट्री पास करने में कस्टम्स-द्वारा जो अनावश्यक विलंब किया गया था, उसके कई उदाहरण पेश किये। इस प्रकार के एक विशेष मामले के सम्बन्ध में कमेटी की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि माल कोबे से कलकत्ता भेजा गया था, और उसको स्टीमर से उतारने में ११ दिसम्बर १९३९ से १४ दिसम्बर १९३९—यानी कुल चार दिन लगे। माल की बिल आफ एन्ट्री १३ दिसम्बर १९३९ को ही कस्टम्स को दे दी गई थी। २० दिसम्बर १९३९ को कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग ने उक्त माल का मूल्य तत्कालीन बाज़ार-भाव के अनुसार निर्धारित करने का हुक्म दिया। २० दिसम्बर को ही माल का बाज़ार-भाव निश्चित हो गया। पर मूल्य-निर्धारक-विभाग ने बाज़ार-भाव देने पर २१ दिसम्बर १९३९ को उसको ग़लत बता दिया। इसलिये यह सोचकर कि माल छड़ाने में विलंब न हो, इम्पोर्टर ने मूल्य-निर्धारक-विभाग का निश्चित किया हुआ मूल्य स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने इसका प्रतिवाद भी किया। इसी

बीच बड़े दिन की बन्दी आ गयी, जिसकी वजह माल ढोलाई के लिये २७ दिसम्बर तक समय लग गया, और इसके फलस्वरूप इम्पोर्टर को पोर्ट कमिश्नर्स को ११२ रुपया २ आना गोदाम-भाड़ा देना पड़ा।

चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए कस्टम्स के कलक्टर ने सूचित किया कि उक्त मामले में १६ दिसम्बर और २० दिसम्बर के बीच कुछ विलंब अवश्य हुआ, और आवश्यक काररवाई के लिये यदि कागज़ात पेश किये गये होते, तो देरी नहीं हुई होती; पर २० दिसम्बर के बाद जो विलंब हुआ, इससे कस्टम्स आफिस का कोई संबंध नहीं। इसके अतिरिक्त कलक्टर महोदय ने यह उल्लेख किया था कि इम्पोर्टर ने गोदाम-भाड़ा बाद देने के लिये आवेदन नहीं किया था, और यदि वह भाड़ा बाद देने के लिये आवेदन करता, तो १७ दिसम्बर से २० दिसम्बर तक—चार दिन का भाड़ा बाद देना संभव था। अन्त में कलक्टर महोदय ने यह सूचित किया था कि इस समय भी इम्पोर्टर गोदाम-भाड़ा वापिस करने के लिये आवेदन कर सकता है। कस्टम्स के कलक्टर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए चेम्बर की कमेटी ने उन्हें सूचित किया कि गोदाम-भाड़ा वापिस लेने के लिये इम्पोर्टर विशेष उत्सुक नहीं हैं, बल्कि इस संबंध में आपत्ति करने का चेम्बर का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिल आफ एन्ट्री पास करने में इस तरह का अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिये, जिसकी वजह केवल गोदाम-भाड़ा ही अधिक नहीं लगेगा, बल्कि इससे अन्य कई प्रकार की क्षति भी हो सकती है। पुनः कमेटी ने इस तरह का एक अन्य दृष्टान्त पेश किया, जिसमें बिल आफ एन्ट्री पास करने में कस्टम्स ने असाधारण विलंब किया था। इम्पोर्टर ने माल बेच कर रखा था। देरी के कारण बिक्री की शर्तें रद्द हो गई, और इस बीच बाज़ार-भाव भी गिर गया, जिससे इम्पोर्टर को काफी नुकसान पड़ा।

कलकत्ता कस्टम्स को पीसगुड्स का बाज़ार-भाव देने की व्यवस्था

पीसगुड्स के इम्पोर्टरों को बिल आफ एन्ट्री में, (जो कलकत्ता कस्टम्स को दी जाती है) जापान तथा अन्य देशों से आनेवाले पीसगुड्स का थोक-भाव देने में बड़ी कठिनाई होती थी। कई चालू स्टैन्डर्ड माल का भाव निश्चित करने में भी इम्पोर्टरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। इम्पोर्टर माल का ठीक-ठीक भाव देने की पूरी चेष्टा करते थे, फिर भी कस्टम्स का मूल्य-निर्धारक-विभाग इम्पोर्टरों के दिये गये भाव को दोषपूर्ण अथवा गलत बता दिया करता था, जिसकी वजह इम्पोर्टरों को डेमरेज और गोदाम-भाड़ा के रूप में काफी नुकसान पहुंचता था। हालां कि प्रत्येक सोमवार को मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स कस्टम्स को कई स्टैन्डर्ड माल का भाव दिया करता है, पर इससे व्यापारियों की कठिनाइयां दूर नहीं हुई। यह सम्भव था कि इम्पोर्टरों को नये ढंग के माल का या ऐसे माल का जिसका कोई स्टैन्डर्ड क़ायम नहीं हो, अथवा उस माल का जो बाजार में चालू नहीं हो, ठीक-ठीक भाव निश्चित करने में कठिनाई होती हो; पर इस सम्बन्ध में कमेटी की राय यह थी कि यदि इम्पोर्टरों का दिया हुआ स्टैन्डर्ड माल का भाव ठीक नहीं रहता, तो इसी बात का कौन सा प्रमाण है कि कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग-द्वारा निश्चित किया हुआ भाव ठीक रहता है।

पीसगुड्स के इम्पोर्टरों की असुविधायें दूर करने के विचार से यह निश्चय किया गया कि चेम्बर पीसगुड्स के व्यापार से सम्बन्धित सभी संस्थाओं, चेम्बर के सदस्यों तथा गैर सदस्यों तथा कोरा, धारी धोती, कोरा वाना, रंगीन कपड़ों तथा फैन्सी कपड़ों के प्रतिनिधियों के सहयोग से, जिनमें सभी इम्पोर्टर और

कपड़े के व्यवसायी विश्वास रखते हों, और जो अपने अपने विभाग के व्यवसाय की, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हों, पूर्ण जानकारी रखते हों, और साथ ही योग्य व्यक्ति हों, एक कमेटी बनावे और घन्टा आध घन्टा के लिये प्रत्येक दिन शाम को कमेटी की बैठक भी हुआ करे, जिसमें अच्छी तरह जांच-पड़तालकर प्रति दिन स्टैन्डर्ड पीसगुड्स का भाव निर्धारित किया जाय। पुनः यह निश्चित किया गया कि जो भाव शाम को कमेटी निश्चित करे, उसका लीथू टाइप कराकर दूसरे दिन करीब १० बजे दिन को उक्त योजना में भाग लेनेवाले इम्पोर्टरों के पास भेज दिया जाय, और एक प्रति कस्टम्स के कलक्टर के पास भी भेजी जाय। अन्त में यह निश्चित किया गया कि जब योजना कार्यरूप में परिणित हो जाय, तो इसके अन्तर्गत निर्मित होनेवाली कमेटी जो भाव निर्धारित करे, इम्पोर्टर अपने माल के लिये जो बिल आफ एन्ट्री कस्टम्स आफिस में देते हैं, उसमें वही भाव लिखें।

उक्त योजना को सफल बनाने के लिये यूरोपीय, जापानी तथा भारतीय माल मंगानेवाले सभी इम्पोर्टरों को इसमें भाग लेने के लिये आमन्त्रित करने का विचार निश्चित हुआ। पुनः यह विचार किया गया कि कमेटी प्रतिदिन जो भाव निर्धारित करेगी, उससे पंचायती, अदालत, गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक्स-विभाग, तथा समाचार-पत्र भी क़ाफी लाभ उठायेंगे।

अन्त में यह निश्चय किया गया कि उक्त योजना के अनुसार जो कमेटी निर्माण होगी, उसका कार्य-संचालन के लिये इम्पोर्टरों से अलग चन्दा वसूल किया जायगा।

कमेटी ने उक्त योजना की नक़ल इस विषय से सम्बन्धित चेम्बर के सदस्यों के पास भेज कर इस पर उनकी सम्मति मांगी। यह विषय अभी तक कमेटी के विचाराधीन है।

मनिला से आनेवाले सी० एम० आर० ३ तथा एम० एम० आर० ३ का मूल्य और श्रेणी-विभाग

चेम्बर की गत साल की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है कि मनिला से आनेवाला सी० एम० आर० फाइवर पहले हेम्प के अन्तर्गत शामिल था और इसलिये उसपर १८$\frac{३}{४}$ प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी; पर पुनः इसका श्रेणी-विभाग किया गया और सी० एम० आर० ३ तथा एम० एम० आर० ३ दोनों तरह के फाइवरों का एलो फाइवर के अन्तर्गत श्रेणी-विभाग हुआ, जिसके लिये ३० प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी निर्धारित हुई। इस संवंध में चेम्बर की ओर से उल्लेख किया गया था कि वोटनी (वनस्पति-विज्ञान) के अनुसार एलो फाइवर, एगभे सिसलेनो कहलाता है, और मेगूय फाइवर, ऐगभे कैन्टला कहलाता है, और दोनों का उपयोग भी विभिन्न तरह होता है, इसलिये दोनों फाइवरों के लिये समान कस्टम्स ड्यूटी लगाना किसी भी तरह न्यायोचित नहीं। इस सम्वन्ध में कमेटी ने अपना सुझाव सेन्ट्रल वोर्ड आफ रेवेन्यू को भेजा था। सेन्ट्रल वोर्ड आफ रेवेन्यू ने चेम्बर के प्रतिनिधित्व का उत्तर देते हुए अपने २९ दिसम्बर १९३९ के पत्र में यह उल्लेख किया कि सी० एम० आर० ३ तथा एम० एम० आर० ३ दोनों ही फाइवर हेम्प नहीं कहला सकते, और टेरिफ के ४६ (५) आइटम के अनुसार दोनों तरह के फाइवरों को एलो फाइवर के अन्तर्गत शामिल करना उचित है। पुनः कमेटी ने ५ सितम्बर १९४० को कस्टम्स के कलक्टर को पत्र लिखते हुए यह उल्लेख किया था कि सी० एम० आर० ३ तथा एम० एम० आर० ३ दोनों फाइवरों का मूल्य एलो फाइवर के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो विलकुल न्यायोचित नहीं; क्योंकि दोनों ही फाइवरों की नसल एला फाइवर से विभिन्न है, इसलिये इनका मूल्य पृथक शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित करना चाहिये।

अपने २० जनवरी १९४० के पत्र में कस्टम्स के कलक्टर ने चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू के पत्र का, जिसका ज़िक्र किया जा चुका है, हवाला दिया, और सूचित किया कि पृथक शीर्षक के अन्तर्गत उक्त फाइबरों का मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

कलकत्ता-कस्टम्स-द्वारा स्वीकृत व्यापारिक बट्टा

कलकत्ता-कस्टम्स के अधिकारी ड्यूटी निर्धारित करने के लिये बाजार के थोक-भाव के अनुसार माल का मूल्य आंकते समय जो व्यापारिक बट्टा देते हैं, वह संतोषप्रद नहीं, इसलिये चेम्बर की कमेटी ने समय-समयपर कलकत्ता-कस्टम्स की इस नीति का विरोध किया है। चेम्बर की कमेटी को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि बम्बई-कस्टम्स ने ड्यूटी निर्धारित करने के लिये बाज़ार-भाव के अनुसार माल का मूल्य आंकते समय कोरे कपड़े के लिये ३ से ३$\frac{५}{८}$ प्रतिशत, छींट के लिये ५ प्रतिशत, धुलाई माल के लिये ४ प्रतिशत व्यापारिक बट्टा दिया है, लेकिन कलकत्ता-कस्टम्स ने चाहे माल किसी भी श्रेणी का हो, सब माल के लिये २ प्रतिशत व्यापारिक बट्टा दिया है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त माल बम्बई के बाज़ार में थोक-बाज़ार-भाव की दर के समान भाव से विक्री होता है; पर कलकत्ते में थोक-बाज़ार-भाव से ३ प्रतिशत बट्टा देकर विक्री होता है। इसलिये कलकत्ता-कस्टम्स के अधिकारी माल के लिये जो बट्टा देते हैं, वह बहुत कम है। अतः कस्टम्स अधिकारियों की यह नीति न्यायोचित नहीं कही जा सकती। इसलिये चेम्बर की कमेटी ने यह राय दी थी कि कलकत्ते के बाज़ार को जो सुविधायें सुलभ थीं, जिससे यह बृटिश-राज्य का द्वितीय बड़ा शहर हो सका, उससे वञ्चित हो जाने के कारण ही आज बम्बई का बाजार कलकत्ते से अपेक्षाकृत उन्नत है, और कलकत्ते के बाज़ार का विभव-

वैभव लुप्तप्राय हो चला है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाला था कि कलकत्ते के बाज़ार की अवनति के कारणों में से कलकत्ता-कस्टम्स की आपत्तिजनक नीति भी एक प्रधान कारण है।

चेम्बर की कमेटी ने उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सर्कूलर निकाला, जिसमें कलकत्ता-कस्टम्स-द्वारा होनेवाली असुविधाओं का पूर्ण विवरण प्रकाशित कराया गया था। यह सर्कूलर चेम्बर के सदस्यों में वितरण कराया गया, और इसकी एक प्रति कलकत्ता-कस्टम्स के कलक्टर के पास भी भेजी गई। इसका उत्तर देते हुए कस्टम्स के कलक्टर ने अपने १३ जनवरी १९४० के पत्र-द्वारा सूचित किया कि उनकी जानकारी के अनुसार, जैसा कि दि बंगाल चेम्बर आफ कामर्स ने स्वीकार कर लिया है, व्यवसायियों को धोती और सफेद वाना के रेडी सेलपर १॥ प्रतिशत, रंगीन तथा फैन्सी चीज़ोंपर २ प्रतिशत, वट्टा दिया जाता है, और एक्स जेटी डिलेवरी पर जो केवल फारवर्ड कन्ट्राक्ट के अन्तर्गत प्रचलित है, और जिसकी बिक्री का असेसमेन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं, कुछ ज्यादा वट्टा दिया जाता है।

कस्टम्स के कलक्टर ने अपने उक्त पत्र में यह स्वीकार किया था कि जो २ प्रतिशत वट्टा दिया जाता है यह कस्टम्स-विभाग का कोई निश्चित दस्तूर नहीं है, और इस सम्बन्ध में उन्होंने यह राय दी थी कि यह नियम इम्पोर्टरों के फायदे का है, जिसकी वजह उन्हें धोती और सफेद वाने में आधा प्रतिशत लाभ हो जाता है, जिसे वे व्यापार के दस्तूर के मुताबिक पाने के हक़दार नहीं हैं। अन्त में कस्टम्स के कलक्टर ने चेम्बर को यह सूचित किया था कि यदि बाज़ार का रेवाज़-दस्तूर बदल गया हो, या कोई दूसरी बात हो, तो चेम्बर उनके पास पुनः प्रतिनिधित्व कर सकता है, और वह इसपर सहर्ष विचार करेंगे।

६ मई १९४० को चेम्बर की कमेटी ने कस्टम्स के कलक्टर के पत्र का वृहत् उत्तर दिया। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि कस्टम्स को जो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि व्यापारियों को धोती और सफेद बानेपर १॥ प्रतिशत तथा रंगीन और फैन्सी चीज़ोंपर २ प्रतिशत बट्टा दिया जाता है, एकदम गलत नहीं है; पर यह बट्टा ६० से लेकर ९० दिन गोदाम ड्यू पर बिक्री होने से दिया जाता है। आगे चलकर कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि जब सौदे का रेडी सेल होता है, तब उसपर २॥ प्रतिशत से लेकर ३॥ प्रतिशत तक बट्टा दिया जाता है। कस्टम्स के कलक्टर की इस बात से कि २॥ प्रतिशत से ३॥ प्रतिशत तक बट्टा केवल फारवर्ड कन्ट्राक्ट की बिक्री पर ही दिया जाता है, कमेटी सहमत नहीं हुई, और उसने सूचित किया कि इस तरह का बट्टा रेडी सेलपर भी दिया जाता है, बशर्तें कि विक्रेता के पास माल पहुंचते ही खरीदार उसकी डिलेवरी ले ले। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि माल की श्रेणी के अनुसार दुकानदार अपने ग्राहकों को १॥ और २ प्रतिशत बट्टा देता है, पर बट्टा के अतिरिक्त दुकानदार को दलाली, कमीशन तथा कई अन्य खर्च भी वहन करना पड़ता है।

एक्स-जेटी डिलेवरी लेने पर जो ज़्यादा बट्टा देना पड़ता है, उस सम्बन्ध में कमेटी ने उल्लेख किया था कि एक्स-जेटी-डिलेवरी का तात्पर्य यह है कि ख़रीदार को फ़ौरन माल डिलेवरी लेना पड़ता है, और उसे गोदाम का ड्यू नहीं दिया जाता। आगे चलकर कमेटी ने यह बतलाया कि प्रत्येक दिन कितने ही ऐसे सौदे होते हैं, जिनमें ग्राहकों को २॥ से ३॥ प्रतिशत बट्टा दिया जाता है, और इस तरह की बिक्री को थोक-नक़द-बिक्री कहा जाता है।

पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि पहले भारत का व्यापार केवल युनाईटेड किंगडम के हा साथ होता था, पर जब से

भारत के बाज़ार में जापानी माल का आयात प्रारम्भ हुआ, तब से बहुत से नये रेवाज़-दस्तूर प्रचलित हो गये, जो शायद दि बंगाल चेम्बर आफ कामर्स के सदस्यों को मालूम न हों; क्योंकि वे जापानी पीसगुड्स के व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हैं।

अन्त में कमेटी ने कस्टम्स के कलक्टर को वट्टा बढ़ाने का सुझाव देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला था कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि बम्बई कस्टम्स-द्वारा जो सुविधायें बम्बई के पीसगुड्स के इम्पोर्टरों और व्यापारियों को सुलभ हैं, वैसी ही सुविधायें कलकत्ता-कस्टम्स-द्वारा कलकत्ता के पीसगुड्स के इम्पोर्टरों और व्यापारियों को भी मिलनी चाहिये, ताकि कलकत्ता के पीसगुड्स का व्यवसाय बम्बई के पीसगुड्स के व्यवसाय की प्रतियोगिता का सामना कर सके।

चेम्बर के उक्त प्रतिनिधित्व का उत्तर देते हुए कलकत्ता-कस्टम्स के कलक्टर ने अपने २५ नवम्बर १९४० के पत्र-द्वारा चेम्बर को सूचित किया कि कलकत्ता-पोर्ट में प्रचलित नियम बहुत सोच-विचार कर लागू किया गया है, और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

कस्टम्स के कलक्टर का अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के बाद कमेटी ने उक्त विषय को सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू (नई दिल्ली) के विचारार्थ भेज दिया।

ह्वार्फ रेन्ट

चेम्बर के सदस्य मेसर्स रामचन्द्र हनुमानबक्स से विना किसी दोष के अधिक ह्वार्फ रेन्ट्स (गोदाम-भाड़ा) वसूल किया गयाथा, और इस सम्बन्ध में आवश्यक काररवाई करने के लिये उन्होंने चेम्बर से अनुरोध किया था। चेम्बर की कमेटी ने इस मामले के सम्बन्ध में कलकत्ता-पोर्ट-कमिश्नर्स के साथ आवश्यक काररवाई

की, और ८ मार्च १९४० को कलकत्ता-पोर्ट के जेटी एन्ड ह्वार्फ सुपरिन्टेन्डेन्ट को एक पत्र लिखा। कमेटी ने पत्र में यह उल्लेख किया था कि उक्त फर्म का माल ६ नवम्बर १९३९ के बीच उतारा गया, और माल लानेवाली स्टीमर ४ नवम्बर १९३९ को पहुंची तथा माल के सम्बन्ध के आवश्यक कागज़ात १५ नवम्बर १९३९ को बैंक के पास पहुंचे। युद्ध छिड़ जाने के कारण कागज़ात आने में देरी हुई। चूंकि १९ और २० नवम्बर १९३९ को बन्दी थी, इसलिये इम्पोर्टर माल हटाने का बन्दोबस्त नहीं कर सका, और इसी कारण जेटी चलान २१ नवम्बर १९३९ का है। कस्टम्स का नियम-दस्तूर पूरा करके इम्पोर्टर ने २४ नवम्बर १९३९ तक माल हटा लिया। इस प्रकार जेटी चालान मिलने के बाद माल हटाने में इम्पोर्टर को तीन दिन का समय लगा, जो माल डिलेवरी लेने के लिये उचित समय कहा जा सकता है और यह समय डिलेवरी लेने के लिये पोर्ट कमिश्नर्स-द्वारा गोदाम-भाड़ा माफ देकर स्वीकृत है। पर उक्त इम्पोर्टर-फर्म से ४ पेटीपर १५ दिन का, १३ पेटीपर ९ दिन का, ६ पेटीपर ८ दिन का, अतिरिक्त गोदाम-भाड़ा, प्रथम दिन के लिये प्रति पेटी दो आने के हिसाब से और बाकी दिनों के लिये चार आना प्रति पेटी के हिसाब से वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टर को माल उठाने में अधिक विलम्ब होने के कारण चार रुपया पांच आना माल उठाई का चार्ज देना पड़ा।

यद्यपि उक्त रक़म का कुछ हिस्सा वापिस लौटाने का हुक्म दिया गया था; पर कमेटी यह सोच सकने में समर्थ नहीं हो सकी कि इस बात का विचार कर कि माल हटाने में जो देरी हुई, उसके लिये इम्पोर्टर क़सूरवार नहीं है, कुल रक़म क्यों नहीं लौटाई जाती?

१८ मार्च १९४० को पोर्ट कमिश्नर्स के टेरिफ मैनेजर ने पत्र लिखकर चेम्बर को सूचित किया कि युद्ध के कारण शिपमेन्ट के कागज़ात को कलकत्ता पहुंचने में बिलम्ब हो सकता है, जिसके

कारण माल डिलेवरी में विलम्ब होना सम्भव है, और माल का गोदाम-भाड़ा भी लग सकता है। इसके पश्चात् पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि माल के सम्बन्धित कागज़ात आने में विलम्ब होने के कारण इम्पोर्टरों को जो गोदाम-भाड़ा लगता है, उसे पोर्ट कमिश्नर्स वापिस लौटा देता है; पर साधारण गोदाम-भाड़ा चुकाने में, और अधिक वसूल किये गये गोदाम-भाड़ा वापिस करने के लिये दिये गये आवेदन-पत्र पर विचार करने में, क़ाफी समय लग जाता है; और इस विषय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों के काम की झंझट भी बढ़ जाती है, जिसको दूर करने के लिये पोर्ट कमिश्नर्स ने ऐसा प्रबन्ध किया है कि इम्पोटर्स पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उन्हें अधिक गोदाम-भाड़ा न देना पड़े। इसके लिये बैंक से माल के सम्बन्धित कागज़ात लेते समय इम्पोटरों को चाहिये कि जिस तारीख को कागज़ात कलकत्ता पहुंचे हों; उसको प्रमाणित करने के लिये बैंक से सार्टिफिकेट ले लें। सार्टिफिकेट में माल के सम्बन्धित कागज़ात के अनुसार, जिस स्टीमर में माल आया हो, उस स्टीमर का नाम, माल की छाप, परिमाण, संख्या और पूर्ण विवरण उल्लिखित रहना चाहिये। यदि किसी फर्म के काग-ज़ात बैंक के ज़रिये नहीं आये हों, तो उस विशेष दशा में, उस फर्म से पेश की गयी उक्त प्रकार की अन्य सार्टिफिकेट भी स्वीकृत की जायगी। माल-गोदाम में माल का चालान आदि जमा देने के पहले ही इम्पोर्टर को सार्टिफिकेट प्राप्त कर लेना चाहिये, और सार्टिफिकेट तथा अन्य संबंधित कागज़ात आवश्यकतानुसार डक सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा जेटी-गोदाम-सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने पेश करना चाहिये। यदि उक्त अफसर को कागज़ात देखने से सन्तोष हो जायगा, तो वह फौरन ऐसा हुक्म दे देगा, जिससे गोदाम-भाड़ा स्पेशल कन्सेशन रेट के अनुसार निर्धारित किया जायगा। यदि किसी विशेष कारणवश उक्त प्रबन्ध के अनुसार कार्य नहीं

किया गया, तो इम्पोर्टर के लिये प्रचलित हिसाब से गोदाम-भाड़ा चुकाना आवश्यक है, और इस दशा में अधिक चुकाया गया भाड़ा वापिस करने के लिये इम्पोर्टर आवेदन-पत्र दे सकता है। पोर्ट कमिश्नर्स के गोदाम से माल उठाने के अन्य नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उक्त नियम १८ मई १९४० से लागू हुआ। चेम्बर ने सर्कूलर निकाल कर इस विषय का पूर्ण विवरण इस सम्बन्ध में दिलचस्पी लेनेवाले चेम्बर के सदस्यों में वितरण कराया।

तटस्थ बन्दरगाहों में शरण लेनेवाले शत्रु-पक्षी-जहाजों पर भारतीय-इम्पोर्टरों का माल

भारत-सरकार ने अपनी २ दिसम्बर १९३९ को प्रकाशित प्रेस-सूचना में यह उल्लेख किया था कि तटस्थ बन्दरगाहों में शरण लेनेवाले शत्रु-पक्षी-जहाजों से भारतीय इम्पोर्टरों का माल प्राप्त करने के संबंध में कुछ बातचीत चली है। इस संबंध में पुनः १६ दिसम्बर १९३९ को भारत-सरकार की दूसरी प्रेस-सूचना प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि शत्रु-पक्षी-जहाजों पर आनेवाला माल प्राप्त करने के लिये लन्दन चेम्बर आफ कामर्स तथा युनाईटेड किंगडम के माल के मालिकों ने जहाजों के मालिकों से लिखा-पढ़ी की थी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि लन्दन चेम्बर आफ कामर्स समस्त बृटिश राज्य (जिसमें भारत भी शामिल है) के माल के मालिकों का माल वापिस कराने की व्यवस्था करने के लिये प्रयत्नशील है, और यदि वह इस सम्बन्ध में कारवाई करे, तो कुछ शर्तों पर जर्मनी के जहाज के मालिकों से माल वापिस करने का समझौता हो सकता है।

लन्दन चेम्बर आफ कामर्स का सुझाव स्वीकार कर लिया गया। पर शर्त यह थी कि भारतीय माल के मालिक अपना माल प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत रूप से कोई लिखा-पढ़ी न करें। प्रत्येक माल के मालिक को हिदायत दी गयी थी कि वह अपने माल का पूर्ण विवरण, जिस तटस्थ बन्दरगाह में उसका माल लिये हुए जहाज शरण ले रहा हो, उस स्थान के बृटिश राजदूत को भेज दें।

भारत-सरकार के व्यापारिक विभाग ने १६ दिसम्बर १९३९ की उक्त प्रेस-सूचना की एक प्रति चेम्बर के पास भेजते हुए चेम्बर से यह सूचित करने के लिये कि क्या चेम्बर उक्त प्रस्ताव से सहमत होगा, अनुरोध किया था। अन्त में भारत-सरकार ने १९ नवम्बर १९४० को एक प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित कराई, जिसमें यह घोषणा की गयी थी कि हिज़ मेजेस्टी गवर्नमेंट ने तटस्थ बन्दरगाह में शरण लेनेवाले इटली, फ्रान्स के जहाजों से (जर्मन जहाजों को वाद देकर) माल प्राप्त करने के लिये जैसे युनाईटेड किंगडम में प्रबन्ध किया गया है, भारत-सरकार भी उसी का अनुकरण करेगी। इस सम्बन्ध में युनाईटेड किंगडम में एक 'शत्रु-शीपिंग-क्लेम्स-कमेटी' निर्माण की गयी थी, और यह माल के प्रत्येक मालिक की इच्छा पर निर्भर था कि वह कमेटी को अपना माल वापिस लेने के लिये शत्रु-पक्ष के जहाजों के मालिकों से लिखा-पढ़ी करने के लिये अथवा युद्ध-काल तक के लिये माल छोड़ देने के लिये अधिकार दे। इसके अतिरिक्त माल के प्रत्येक मालिक से अपने क्लेम (दावा) का पूर्ण विवरण कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया गया था। हिज़ मेजेस्टी गवर्नमेंट की उक्त योजना भारत-सरकार को उचित जँची, और उसने इसे स्वीकार कर लिया। पुनः भारत-सरकार ने भारत-रक्षा-क़ानून के अन्तर्गत हुक्मनामा निकाल कर भारतीय माल के मालिकों को यह सूचित किया कि उनका माल लेकर जो शत्रु-पक्षी-इटालियन अथवा फ्रेञ्च जहाज (जर्मन जहाजों

को वाद देकर) तटस्थ वन्दरगाहों में शरण ले रहे हों, उनसे माल वापिस लेने के लिये, अथवा युद्ध-काल तक छोड़ देने के लिये लिखा-पढ़ी करने के लिये 'शत्रु-शीपिंग-क्लेम्स कमेटी' के पास अपने माल का पूर्ण विवरण देकर रिटर्न भर कर भेज दें। उक्त हुक्मनामे में किसी माल के मालिक को कोई व्यक्तिगत लिखा-पढ़ी करने की मनाही की गयी थी। इस सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाये गये थे, और चेम्बर की कमेटी को यह सूचित किया गया था कि शत्रु-सम्पत्ति-रक्षक ने इम्पोर्टरों को सूचित किया है कि वे अपने माल के लिये, जो शत्रु-पक्षी-जहाजों में लदा पड़ा हुआ है, और जिसको प्राप्त करने की कोई भी आशा नहीं है, ड्राफ्ट भुगतान दे दें, तथा माल का विल्स आफ लेडिंग वापिस कर दें। इस सम्वन्ध में चेम्वर के सदस्यों को जो जानकारी प्राप्त थी, उसको मालूम करने के लिये कमेटी ने सर्कूलर निकाल कर सदस्यों में वितरण कराया।

कलकत्ता कस्टम्स-द्वारा सूती चेक जिंघाम का मूल्य-निर्धारण

पिछले साल चेम्बर ने कलकत्ता कस्टम्स के पास, सूती चेक जिंघाम का 'सी कस्टम्स एक्ट' की धारा ३० (वी) के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित करने के लिये प्रतिनिधित्व किया था। चेम्बर के प्रतिनिधित्व के उत्तर में कस्टम्स के कलक्टर ने सूचित किया कि जवतक पीसगुड्स के वाज़ार में युद्ध की प्रतिक्रिया का असर पूर्णतया नहीं मालूम पड़ जाय, तवतक उक्त विषय के निर्णय के लिये चेम्वर को प्रतीक्षा करनी चाहिये। इसके पश्चात् कलक्टर महोदय ने यह सूचित किया था कि वह चेम्वर के सुझावों को ध्यान में रखेंगे। कलक्टर महोदय ने यह भी उल्लेख किया था कि जिन पीसगुड्स के सम्बन्ध में चेम्वर ने प्रतिनिधित्व किया है, उनके

मूल्य निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिये उन्होंने कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग को विशेष ध्यान देने की हिदायत दी है। चूंकि इस सम्बन्ध में परिस्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ, इस लिये चेम्बर ने जापानी सूती चेक जिंघाम के आयात में इम्पोर्टरों को जो असुविधायें होती थीं, उनका पूर्ण विवरण प्राप्त करने की योजना निश्चित की। कमेटी ने सर्कूलर निकाल कर जापानी सूती चेक जिंघाम मंगानेवाले चेम्बर के सदस्य इम्पोर्टरों में वितरण कराया।

बाज़ार-भाव के आधार पर पीसगुड्स का मूल्य-निर्धारण

२३ अप्रैल १९४० को कस्टम्स के कलक्टर ने चेम्बर के पास पत्र लिखकर सूचित किया था कि 'सी कस्टम्स एक्ट' की धारा ३० (ए) के अन्तर्गत ड्यूटी लगाने के लिये ननस्टैन्डर्ड छाप के पीसगुड्स का बाज़ार भाव निश्चित करने में कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग को काफी कठिनाई होती है, इसलिये यह निश्चित किया गया है कि ननस्टैन्डर्ड पीसगुड्स को बाज़ार भाव की फेहरिस्त से हटा दिया जाय, और उनका 'सी एक्ट' की धारा ३० (बी) के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित किया जाय और बाज़ार-भाव की फेहरिस्त में केवल स्टैन्डर्ड माल का ही भाव दिया जाय, जिसका 'सी' कस्टम्स एक्ट की धारा ३० (ए) के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित किया जाय। इसके पश्चात् कलक्टर महोदय ने इस सम्बन्ध में यह राय दी थी कि प्रस्तावित संशोधन से विभिन्न छाप के पीसगुड्स में कोई प्रतियोगिता आने की संभावना नहीं रहेगी। उक्त संशोधन के सम्बन्ध में चेम्बर से राय और सुझाव देने का अनुरोध किया गया था।

कस्टम्स के कलक्टर को उत्तर देते हुए चेम्बर ने यह राय दी थी कि स्टैन्डर्ड और ननस्टैन्डर्ड पीसगुड्स का पृथक-पृथक श्रेणी-

विभाग करने से स्थिति सुधरने की अपेक्षा ख़राब अधिक होगी। पुनः कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाला था कि स्टैन्डर्ड और नन-स्टैन्डर्ड पीसगुड्स का अन्तर एक बड़े गोल-गपाड़े का विषय है, और यह विशेषतः ख़रीदार की पसन्दगीपर निर्भर करता है कि वह दोनों में से कौन सी चीज़ पसन्द करेगा। आगे चलकर कमेटी की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि स्टैन्डर्ड और नन-स्टैन्डर्ड पीसगुड्स में कोई अन्तर नहीं, और एक ही तरह की बुनाई होनेपर भी बाज़ार में चालू माल स्टैन्डर्ड कहलाता है, और जो माल चालू नहीं, वह ननस्टैन्डर्ड कहलाता है। इसलिये कमेटी ने कस्टम्स की उक्त नीति का विरोध करते हुए यह उल्लेख किया था कि स्टैन्डर्ड और ननस्टैन्डर्ड माल का पृथक-पृथक श्रेणी-विभाग करने का विचार कपड़े के व्यापार के लिये बड़ा घातक सिद्ध होगा, क्योंकि जब बाज़ार में तेजी आयगी, तब तो इनभ्वायस (बीजक) के मूल्य को सुविधा मिलेगी, और जब मन्दी आयगी, तब बाज़ार के मूल्य को सुविधा मिलेगी। अतः कमेटी ने यह सुझाव दिया कि वस्तुओं की फेहरिस्त (इसकी एक प्रति चेम्बर ने अपने जबाव के साथ भेजी थी।) के मूल्य निर्धारित करने के तरीक़े में कोई भी परिवर्तन करने के पहले कस्टम्स के अधिकारिओं को चाहिये कि वे इस विषयपर चेम्बर की कमेटी के साथ विचार-विमर्श करने के लिये आवश्यकतानुसार समय दें, ताकि इम्पोर्टरों के विचार समुचित रूप से व्यक्त किये जा सकें। कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग की सुविधा के लिये चेम्बर ने जो वस्तुओं की फेहरिस्त भेजी थी, उसपर उनका बाजार-मूल्य भी उल्लिखित था।

कच्चे तिब्बतीय ऊन के निर्यात में कठिनाइयां

१५ जून १९४० को चेम्बर की कमेटी ने कलकत्ता कस्टम्स के कलक्टर के पास एक पत्र लिखा, जिसमें कच्चे तिब्बतीय ऊन के

निर्यात में कलकत्ता पोर्ट में इम्पोर्टरों को जो असुविधायें होती हैं, उनका उल्लेख किया गया था। पत्र में कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाला था कि जो तिब्बतीय ऊन कालिम्पोंग से तथा कई अन्य रेलवे स्टेशनों से शिपमेन्ट के लिये कलकत्ता पोर्ट भेजा जाता है, उसके प्रत्येक लाट से नमूना लेकर कस्टम्स उसकी जांच किया करता है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह दलील पेश की थी कि जब तिब्बतीय ऊन रेलवे से भेजा जाता है, तब रास्ते में उसमें मिलावट की गुंजाइश हरगिज नहीं हो सकती। इसलिये कमेटी ने कस्टम्स-द्वारा तिब्बतीय ऊन की परीक्षा करने का नियम अनावश्यक तथा अनुचित बतलाया था, और कस्टम्स से यह नियम हटा देने का सुझाव दिया था।. पुनः कमेटी ने इस बातपर प्रकाश डाला था कि नमूना लेकर तिब्बतीय ऊन की रसायनिक परीक्षा कर लेने के बाद भी जहाज में बोझाई करने के समय उसकी पुनः जांच की जाती है। आगे चलकर पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि जब कभी डक के प्रिभेन्टिभ अफसरों द्वारा लाट में से नमूना निकालने में विलम्ब हो जाय, और इसी बीच जहाज पोर्ट में पहुंच जाय, तो जहाज में माल बोझाई के लिये क़ाफी समय नहीं मिलने की वजह माल का निर्यात रुक जाता है। इसलिये कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि स्टीमर की एन्ट्री होते ही नमूना लेकर माल की जांच कर लेनी चाहिये, और ऐसी कोशिश की जानी चाहिये कि माल के निर्यात में विलम्ब न होने पाये। अन्त में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि जहाजों में माल के लिये स्थान की कमी रहती है, इसलिये इस बातपर ध्यान देते हुए कि माल बोझाई में शीघ्रता करनी पड़ती है, शीपिंग बिल्स पास करने में जल्दबाजी की जानी चाहिये।

कमेटी के पत्र का उत्तर देते हुए कस्टम्स के कलक्टर ने सूचित किया कि तिब्बतीय ऊन के निर्यात के नियमों के प्रश्न पर खूब

सावधानी से विचार किया गया है, और इस संबंध में जो नियन्त्रण रखा गया है, वह नहीं हटाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कि तिब्वतीय ऊन सीधे कालिम्पांग से रेलवे-द्वारा कलकत्ता आतो है, और रास्ते में उसमें किसी तरह की मिलावट की गुंजाइश नहीं, कलक्टर महोदय ने यह उल्लेख किया कि यह तिब्वतीय ऊन की असलियत का केवल एक प्रमाण है, और यह ठीक-ठीक निश्चय कर लेने के लिये कि तिब्वतीय ऊन के साथ किसी अन्य प्रकार का ऊन मिलाल कर कोई निर्यात न किया जा सके, कस्टम्स के अधिकारियों ने तिब्वतीय ऊन के ऊपर नियन्त्रण लगाया है, जिसके अनुसार तिब्वतीय ऊन की परीक्षा कर लेना आवश्यक है। आगे चलकर कलक्टर महोदय ने यह उल्लेख किया था कि चूकि जहाज में वोझाई के लिये जो माल डकों में रहता है, उसपर कस्टम्स आफिस का निरीक्षण नहीं रहता, इसलिये तिब्वतीय ऊन की पुनः जांच कर लेना आवश्यक है।

इसके पश्चात् कस्टम्स के कलक्टर ने यह सूचित किया था कि जिस जहाज में ऊन भेजना हो, उसके पोर्ट में पहुंचने के पहले ही यदि माल डक में पहुंच जाय, तो जहां माल रखा गया हो, उस स्थान का पता कस्टम्स के डिवीजन आफिस को दे दिया जाय तथा निर्यात-विभाग का परीक्षा के लिये ऊन का नमूना निकालने के लिये दिया गया हुक्मनामा पेश किया जाय, तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जहाज के पोर्ट में पहुंचने के पहले ही प्रिभेन्टिभ अफसर परीक्षा के लिये ऊन के नमूने निकाल लें। इस सम्बन्ध में लक्टर महोदय ने यह भी सूचित किया था कि स्टीमरों के पहुंचने के निश्चित दिन के दो दिन पहले ही उनकी आउटवार्ड एन्ट्री कर ली जा सकती है, और इसके पश्चात् फौरन आवश्यक काररवाई के लिये शीपिंग विल्स लिये जा सकते है। अन्त में कलक्टर महोदय ने यह उल्लेख किया था कि ऊन की

जांच करने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं होता है, और यदि शीपर, शीपिंग बिल्स पेश करने में शीघ्रता करें, और नमूने निकालने में प्रिभेन्टिभ अफसरों को मदद दें, तो कोई कारण नहीं कि इस कार्य में जो समय लगता है, वह कम न हो सके।

गंगासागर-मेला जानेवाले यात्रियों की कठिनाइयाँ

चूकि प्रत्येक साल की तरह १९४० की जनवरी मास में भी मकर संक्रान्ति के अवसर पर हज़ारों यात्रियों के गंगासागर मेले में जाने की उम्मीद थी, इसलिये यात्रियों के आराम और रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था करने के लिये चेम्बर ने मेसर्स मैकनील कम्पनी तथा अन्य जहाजी कम्पनियों को पत्र लिखा था। इस सम्बन्ध में कमेटी ने उक्त कम्पनियों को प्रत्येक जहाज में यात्रा करने के लिये एक निर्धारित संख्या के अन्दर ही टिकट बेचने का सुझाव दिया था। पुनः कमेटी ने यात्रियों के पीने के लिये बढ़िया जल रखने का प्रबन्ध करने तथा उनके आराम की समुचित व्यवस्था करने की राय दी थी। उक्त कम्पनियों-द्वारा कमेटी को यह सूचित किया गया कि गंगासागर के यात्रियों की रक्षा का उचित प्रबन्ध किया गया है, और उनके यातायात के लिये भी सन्तोषप्रद व्यवस्था की गई है।

जूट की कतरन का निर्यात और इसकी परिभाषा

चेम्बर के पास इस बात का प्रतिनिधित्व किया गया था कि जूट की कतरन के निर्यात में एक्सपोर्टरों को वड़ी असुविधायें होती हैं, और प्रायः कस्टम्स के अधिकारी इसका कच्चे जूट के मूल्य के अनुसार मूल्य निर्धारित करते हैं। इस सम्बन्ध में चेम्बर की ओर से १९ सितम्बर १९४० को कलकत्ता कस्टम्स के कलक्टर के पास एक पत्र भेजा गया। इस पत्र में कलक्टर महोदय से यह सूचित करने का अनुरोध किया गया था कि जूट की कतरन की

परिभाषा तथा विशिष्ट लक्षण क्या हैं? यह जानकारी चेम्बर इसलिये प्राप्त करना चाहता था कि जूट की कतरन और कच्चे जूट में क्या अन्तर है, और कस्टम्स इनका मूल्य किस ढंग से निश्चित करता है, यह मालूम हो जाय।

३० सितम्बर १९४० को चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए कस्टम्स के कलक्टर ने यह सूचित किया कि उक्त वस्तुओं की परिभाषा के लिये कस्टम्स-विभाग की ओर से कोई नियम नहीं बनाया गया है, और जूट तथा जूट की कतरन का अन्तर निश्चित करने के लिये कस्टम्स इस व्यवसाय में प्रचलित नियमों का पालन करता है।

कमेटी उक्त विषय के सम्बन्ध में अभी भी ध्यान दे रही है।

कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग-द्वारा गुप्त बातों का पता देना।

चेम्बर के पास इस बात का प्रतिनिधित्व किया गया था कि 'सी कस्टम्स एक्ट' की धारा ३० (ए) के अन्तर्गत पीसगुड्स की ड्यूटी निश्चित करने के लिये बाज़ार-भाव मालूम करने के समय कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग के कई व्यक्ति जनता को कई गुप्त बातें बता देते हैं। इसलिये कमेटी ने १३ सितम्बर १९४० को कलकत्ता कस्टम्स के कलक्टर के पास एक पत्र भेजा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि माल का बाज़ार-भाव जांचने के लिये कस्टम्स के लिये कपड़े के व्यवसाय से सम्बन्धिय व्यवसायियों को माल का नमूना दिखलाना आवश्यक है, किन्तु बाज़ार-भाव जानने के लिये उन्हें कई गुप्त बातों का भेद वतलाना ज़रूरी नहीं है। पुनः पत्र में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि इनभ्वायस (वीजक) का पूरा विवरण—जैसे, मूल्य, शीपरों का नाम, सी० आई० एफ०, इम्पोर्टरों-द्वारा उल्लिखित भाव तथा विल आफ एन्ट्री

के सम्बन्ध की अन्य बातें—बतलाना भी ज़रूरी नहीं है; क्योंकि व्यवसाय की गुप्त बातें बहुत महत्व रखती है, और इनका भेद खुल जानेपर इम्पोर्टरों को बहुत नुक़सान पहुंचता है। अन्त में कमेटी ने कलक्टर महोदय से इस मामले में व्यक्तिगत जांच करने का अनुरोध किया था और कस्टम्स के मूल्य-निर्धारक-विभाग को इस बात का महत्व बतलाने का सुझाव दिया था कि उसका यह कार्य बहुत ही आपत्तिजनक है, और यह अभ्यास अविलम्ब रोकना चाहिये।

१४ अक्टूबर १९४० को कमेटी के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए कस्टम्स के कलक्टर ने सूचित किया कि जांच करने पर पता चला है कि थोक-बाजार-भाव मालूम करने के लिये कस्टम्स का मूल्य-निर्धारक-विभाग व्यवसायियों को केवल माल का नमूना दिखलाता है, पर जैसा कि चेम्बर ने आक्षेप किया है, वह कोई अन्य गुप्त बात नहीं बतलाता है।

इटालियन जहाजों पर का माल

युद्ध छिड़ने के समय से कई इटालियन जहाज तटस्थ बन्दरगाहों में शरण ले रहे थे, और चेम्बर के कई सदस्य अपने माल के लिये, जो इन जहाजोंपर बोझाई हुआ था, बहुत चिन्तित हो पड़े। इसलिये चेम्बर की कमेटी ने भारत-सरकार को पत्र लिखकर यह पूछा कि माल के मालिकों को माल दिलाने के लिये कौन-सा सुगम मार्ग अवलम्बन किया जा सकता है। पत्र में चेम्बर ने अपने कई सदस्यों का माल लेकर चलनेवाले कई इटालियन जहाजों का पूरा विवरण देने के लिये भी लिखा था। चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए भारत-सरकार ने सिर्फ एक जहाज का पता-ठिकाना और पूरा विवरण दिया, और इस सम्बन्ध में यह सूचित किया कि इस जहाज से माल नहीं प्राप्त किया जा सकता, पर माल के

मालिक कलकत्ता के डायरेक्टर जेनरल आफ कमर्सियल इन्टे-लिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स के पास अपने क्लेम्स (दावे) रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि युद्ध समाप्ति के बाद इस सम्बन्ध का निवटारा हो सके। अन्त में १९ नवम्बर १९४० को प्रेस-सूचना प्रकाशित कराकर भारत-सरकार-द्वारा यह घोषणा की गई कि हिज़ मेजेस्टी गवर्नमेंट ने इटालियन तथा अन्य जहाजों से माल प्राप्त करने की युनाईटेड किंगडम में जो योजना तैयार की है, भारत-सरकार भी माल के मालिकों का माल प्राप्त करने के लिये उसी का अनुकरण करेगी। (इस विषय की चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है।)

कृषि-उत्पादनों का टेरिफ-मूल्य-निर्धारण

अपने २६ मई १९४० के पत्र में कलकत्ता कस्टम्स के निर्यात-विभाग के इन्चार्ज और कस्टम्स के असिस्टेन्ट कलक्टर ने चेम्बर को सूचित किया कि एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट १९४० के शेड्यूल के अनुसार कृषि-उत्पादनों पर टेरिफ-ड्यूटी निर्धारित करने के लिये टेरिफ-मूल्य निश्चित करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है, और चेम्बर से अनुरोध किया जाता है कि वह इन चीज़ों के बाज़ार-मूल्य के सम्बन्ध में अपने सदस्यों की राय सूचित करे। पत्र के साथ असिस्टेन्ट कलक्टर महोदय ने कृषि-उत्पादनों के पिछले ग्यारह मास के मोटा-मोटी बाज़ार-मूल्य की फेहरिस्त भी भेजी थी।

असिस्टेन्ट कलक्टर के पत्र के उत्तर में चेम्बर की कमेटी ने यह सूचित किया कि जैसे विदेशों से आनेवाली विभिन्न वस्तुओं का टेरिफ-मूल्य निश्चित करने के लिये डायरेक्टर जेनरल आफ कमर्सियल इन्टेलिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स टेरिफ-कान्फरेन्स् बुलाते हैं, वैसे ही असिस्टेन्ट कलक्टर महोदय को भी कृषि-उत्पादनों का टेरिफ-मूल्य निर्धारित करने के लिये एक कान्फरेन्स का आयोजन करना चाहिये।

पुनः असिस्टेन्ट कलक्टर महोदय ने चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए सूचित किया कि प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के पश्चात् यदि भारत-सरकार आवश्यक समझेगी, तो उक्त विषय के सम्बन्ध में टेरिफ-कान्फरेन्स का आयोजन किया जा सकता है। इस बीच चेम्बर की कमेटी को इस सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई, इसकी सूचना निर्यात-विभाग के असिस्टेन्ट कलक्टर और इन्चार्ज के पास भेज दी गई।

पुनः भारत-सरकार के डायरेक्टर जेनरल आफ कमर्सियल इन्टेलिजेन्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स ने २३ दिसम्बर १९४० को चेम्बर के पास एक पत्र भेजा। उन्होंने पत्र में चेम्बर से वस्तुओं के मूल्य की एक सूची भेजने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में डायरेक्टर जेनरल महोदय ने यह उल्लेख किया था कि वह बतौर परीक्षा भारत-सरकार के विचारार्थ वस्तुओं की एक ऐसी सूची तैयार करना चाहते हैं, जिसको सरलता से टेरिफ-मूल्य का रूप दिया जा सके। पुनः डायरेक्टर जेनरल महोदय ने यह उल्लेख किया था कि टेरिफ-मूल्य उन्हीं वस्तुओं के लिये निश्चित करने की आवश्यकता है, जो काफी चालू हों, और जो सहूलियत के साथ क्रमानुसार रखी जा सकें। इस विषय को चेम्बर की कमेटी के सम्मुख वस्तु-सूची तैयार करने के लिये और सुझाव देने के लिये रखा गया।

व्यवसायियों के साथ कलकत्ता कस्टम्स आफिस का आपत्तिजनक व्यवहार

चेम्बर का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया था कि इम्पोर्टरों को, जिन्हें कार्यवश प्रायः कस्टम्स आफिस के भाव-निर्धारक-विभाग में जाना पड़ता है, कस्टम्स के कुछ कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार के कारण बड़ी असुविधायें होती हैं। इस

आक्षेप के सम्बन्ध में चेम्बर की कमेटी ने १३ सितम्बर १९४० को कस्टम्स के कलक्टर के पास एक पत्र भेजा, जिसमें इस प्रकार के एक विशेष मामले का उल्लेख किया गया था, जिसकी जानकारी चेम्बर को प्राप्त हुई थी।

चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए कस्टम्स के कलक्टर ने सूचित किया कि वह उक्त मामले में अच्छी तरह तहकीक़ात करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस विषय में उन्हें जहांतक जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार उनका विश्वास है कि कस्टम्स के ऊपर जो दोषारोपण किया गया है वह भ्रमपूर्ण है, और न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। पुनः कलक्टर महोदय ने यह उल्लेख किया था कि यदि चेम्बर के सेक्रेटरी उनसे कस्टम्स आफिस में मुलाक़ात करें, तो वह उक्त आक्षेप के सम्बन्ध में विशेष विचार-विमर्श करना भी पसन्द करेंगे। इस विषय पर कमेटी ध्यान दे रही है।

कलकत्ता-कस्टम्स-द्वारा एक प्रतिष्ठित इम्पोर्टर पर फौज़दारी मामला।

इस वर्ष मेसर्स शान्तिलाल खरवार और डी० के० कुन्डू के विरुद्ध कलकत्ता-कस्टम्स-द्वारा भारतीय-दण्ड-विधान-धारा ४२०/१०९ के अन्तर्गत फौज़दारी मामला चलाया गया था। उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यह अभियोग लगाया गया था कि उन लोगों ने जापान से आये हुए सूती पीसगुड्स का, जान-बूझ कर भारत-सरकार को धोका देने के लिये और ठगने के लिये, कम मूल्य बताकर कस्टम्स के कलक्टर को वाजिब ड्यूटी से कम रक़म देकर कस्टम्स-विभाग से माल डिलेवरी लेने की चेष्टा की थी।

उक्त मामले के विवरण से मालूम हुआ कि बी० एम० खरवार एन्ड कम्पनी, (१६१।१, हरिसन रोड) जापान से आनेवाले सूती पीसगुड्स का बहुत बड़ा व्यवसायी है और कलकत्ता, कराची,

सूरत, बम्बई, रंगून तथा जापान में इसके ब्रांच फर्म हैं तथा अभियुक्त शान्तिलाल कम्पनी का एक हिस्सेदार है, और उसे कम्पनी के कलकत्ता ब्रांच के कार्य की देख-रेख की क्षमता प्राप्त है। दूसरा अभियुक्त डॉ० के० कुन्डू उक्त फर्म की ओर से लाइसेन्स प्राप्त सरकार है, और वह प्रायः कलकत्ता कस्टम्स में फर्म के कागज़ात फाइल करने के लिये, रेवेन्यू देने के लिये, और माल डिलेवरी लेने के लिये नियुक्त किया जाता है।

उक्त दोनों अभियुक्तों के ऊपर सूती पीसगुड्स के वास्तविक मूल्य के सम्बन्ध में मिथ्या बयान देने का अभियोग लगाया गया था।

मामले के फैसले के लिये निम्न बातों पर विचार करना था :—

(१) सम्बन्धित माल का वास्तविक मूल्य क्या है, और क्या फरियादी पक्ष इसका सबूत देने में सफल हो सका है ?

(२) क्या फरियादी पक्ष भारतीय-दण्ड-विधान-धारा ४२० के अन्तर्गत फौज़दारी मुक़दमा चलाने के लिये जिन सबूतों की दरकार पड़ती है, वे सबूत पहुंचा सका है ?

(३) यदि वास्तव में माल का मूल्य कम बतलाया गया, तो इसके लिये दोनों अभियुक्त कहां तक ज़िम्मेदार हैं ?

उक्त मामला प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश हुआ था। उन्होंने मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद फैसले में दोनों अभियुक्तों को निर्दोष करार देकर उन्हें मुक्त कर दिया। कमेटी ने मजिस्ट्रेट के फैसले की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की।

कलकत्ता पोर्ट से मलेरिया की शिकायत दूर करने का विशेष प्रबन्ध

भारत सरकार के कलकत्ता पोर्ट हेल्थ डिपार्टमेन्ट ने २३ जुलाई १९४० को इन्डियन मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जेनरल के आदेशानुसार कलकत्ता पोर्ट के मलेरिया फैलानेवाले मच्छरों

के ऊपर नियन्त्रण रखनेवाले प्रबन्ध को उत्तमतर बनाने के लिये तैयार की गई प्रस्तावित योजना की एक प्रति तथा उसके साथ इन्डिया पोर्ट्‌स एक्ट सन् १९०८ की धारा ३५ के अनुसार प्रकाशित प्रस्तावित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की एक प्रति चेम्बर के पास भेजी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया था कि कलकत्ता पोर्ट में ठहरनेवाले सभी तरह के जहाजों में मलेरिया. विषमज्वर तथा कई और ज्यादा खतरनाक बीमारियां फैलानेवाले मच्छर पैदा होते हैं, और इन्हीं मच्छरों के कारण पोर्ट में बीमारियों की शिकायत बढ़ती है। अतः प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत जहाजों में रहनेवाले मच्छरों का समूल नाश करने तथा पोर्ट हेल्थ डिपार्टमेन्ट के तेल और दवाई छिड़ककर मच्छर मारने के आम तरीक़े को क्रियाशील बनाने का प्रबन्ध किया गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिये तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार को आर्थिक सहायता देने के लिये कलकत्ता पोर्ट में ठहरनेवाले सभी तरह के जहाजोंपर 'मच्छर नियन्त्रण फीस' लगाने का प्रस्ताव किया गया था। फीस के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार की प्रस्तावित फीस की रक़म बहुत ही कम दर से निर्धारित की गई है, और इस योजना का कार्य संचालन के लिये खर्च का जो बजट तैयार किया गया है, उसके अन्तर्गत निर्धारित रक़म कलकत्ता पोर्ट में ठहरनेवाले सभी जहाजों से वसूल की जायगी। प्रस्तावित योजना जनता तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के स्वास्थ्य की उन्नति के प्रश्न को दृष्टिगत् रखते हुए तैयार की गयी थी। इस सम्बन्ध में यह भी आशा की गई थी कि कलकत्ता पोर्ट के लिये शीघ्र ही एक 'मच्छर नियन्त्रण समिति' संगठित होगी, जिसमें कलकत्ता पोर्ट से सम्बन्धित प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि का प्रतिनिधित्व रहेगा।

उक्त प्रस्तावित योजना पर चेम्बर से अपनी सम्मति शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया था। चेम्बर की कमेटी इस सम्बन्ध में विचार कर रही है।

फेल्ट हैट के लिये लाइसेन्स

एक फर्म ने चेम्बर के पास इस बात का प्रतिनिधित्व किया कि उसने हांगकांग के एक मैन्युफैक्चरर को २० दर्जन फेल्ट हैट का आर्डर दिया था, और इसका पूरा मूल्य, जो मैन्युफैचररक को चुकती करना था, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन के पास डिपोज़िट कर दिया था। पर बैंक ने ता० ३ जून १९४० का इन्डियन एक्सचेञ्ज कन्ट्रोल सर्कूलर नं० ए० डी० १७ का हवाला देते हुए सूचित किया कि हैटों के आयात पर नियन्त्रण लगाया गया है, और इम्पोर्ट लाइसेन्स प्राप्त किये विना ड्राफ्ट नहीं दिया जा सकता। इसलिये चेम्बर की कमेटी ने कस्टम्स हाउस कलकत्ता के इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर से उक्त फर्म को हैटों के लिये इम्पोर्ट लाइसेन्स मन्जूर करने का अनुरोध किया। चेम्बर के प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप फर्म को लाइसेन्स मिल गया, और इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर ने चेम्बर को इसकी सूचना दे दी। पुनः उक्त फर्म ने चेम्बर को सूचित किया कि उसे हैटों के लिये जो लाइसेन्स दिया गया है, वह केवल एक वार माल मंगाने के लिये स्वीकार किया गया है, इसलिये फर्म चाहता है कि हैटों के आयात के लिये उसे बरावर के लिये लाइसेन्स दिया जाय। चेम्बर ने इसकी सूचना इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर को दे दी। इसके उत्तर में इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोलर ने यह सूचित किया कि दस्तूर मुताविक आवेदन करने पर लाइसेन्स स्वीकृत हो सकता है, और इसके लिये जिस फार्म पर आवेदन करना पड़ता है, वह कस्टम्स हाउस के स्टाल से ख़रीदा जा सकता है।

डक से सम्बन्धित व्यवसायियों के लिये परमिट

२६ सितम्बर १९४० को कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने ६ जून १९४० को प्रकाशित हुए पुलिस नोटिफिकेशन की एक प्रति चेम्बर के पास भेजी। इस नोटिफिकेशन में डक से सम्बन्धित सभी यूरोपियन, एंग्लो इन्डियन और अन्य विदेशियों को अपनी फोटो भेजकर परमिट लेने के लिये आवेदन-पत्र भेजने की हिदायत दी गई थी। इस सम्बन्ध में कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर ने चेम्बर को सूचित किया था कि यह निश्चय किया गया है कि परमिट लेने का नियम इतना व्यापक बनाया जाय कि इसे सभी व्यवसायियों को, चाहे व्यवसायी किसी भी जाति का हो, लेना पड़े, और इसी उद्देश्य को दृष्टिगत् रखते हुए सरकार ने १० नं० स्ट्रैन्ड रोड में एक ब्यूरो स्थापित किया है, और आवेदनकारी व्यवसायियों की फोटो लेने के लिये तथा उन्हें आवश्यक परमिट मंजूर करने के लिये एक असिस्टेन्ट पुलिस-कमिश्नर की नियुक्ति की गयी है। चूंकि लोगों की अनावश्यक भीड़ कम करने के विचार से सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रेस-सूचना नहीं प्रकाशित करायी, इसलिये चेम्बर से अनुरोध किया गया था कि वह इस मामले में सरकार को सहयोग दे और डक से सम्बन्धित अपने सभी सदस्य फर्मों को उक्त विषय की सूचना दे दे।

चेम्बर ने पुलिस-कमिश्नर के उक्त पत्र की नकल इस विषय से सम्बन्धित सदस्यों में वितरण करा दी।

—:o*o:—

जूट ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री

—:o*o:—

भीगे जूट की बिक्री और चलानी पर नियन्त्रण

बङ्गाल सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने अपने ५ जनवरी १९४० के पत्र में चेम्बर को सूचित किया कि जूट का कारबार

करनेवाले व्यापारियों से समय-समयपर सरकार के पास इस बात की शिकायत आई है कि इस कारबार से सम्बन्धित बीचवाले लोग अपने लाभ की रक़म बढ़ाने के ख़्याल से बेलरों को माल बेचने के पहले इसे क़ाफी भिगा देते हैं। आगे चलकर सरकार की ओर से यह कहा गया था कि जब भीगा जूट कलकत्ते के व्यवसायियों के पास बिक्री के लिये आता है, तो यहां उसका कम मूल्य लगाया जाता है, जिससे यह धारणा होती है कि कलकत्ते के बाज़ार में जूट का भाव गिर गया है। अतः इसका परिणाम यह होता है कि गृहस्थों के पास जो उत्तम श्रेणी का जूट मौजूद रहता है, उन्हें उसे वास्तविक मूल्य से कम मूल्य में बेचने के लिये बहकाया जाता है। जहां तक सम्भव हो सके, जूट भिगाकर बेचने की प्रथा का अन्त करने के लिये तथा कम-से-कम इसपर कुछ नियन्त्रण लगाने के लिये आवश्यक काररवाई करने के विचार से सरकार ने चेम्बर से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि इसमें कहाँ तक सत्यांश है कि भिगाकर जूट बेचने के कारण जूट के आम व्यवसाय को तथा ख़ासकर जूट की खेती करनेवाले गृहस्थों को नुक़सान पहुंचता है। पुनः चेम्बर से यह राय देने का अनुरोध किया गया था कि क्या इस प्रथा का अन्त करना वांछनीय तथा सम्भव है? और यदि सम्भव है, तो इसके लिये क्या काररवाई करनी होगी?

चेम्बर की कमेटी ने उक्त विषय से सम्बन्धित चेम्बर के सदस्यों की राय लेकर, इसके आधार पर अपने विचार निश्चित कर १२ फरवरी १९४० को बंगाल सरकार के पास भेज दिये। इस सम्बन्ध में राय देते हुए कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि भिगाकर जूट बेचने से आम जूट व्यवसाय को और खासकर जूट की खेती करनेवाले गृहस्थों को नुक़सान पहुंचता है। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि यह सच बात है कि बीचवाले लोग बेलरों को जूट बिक्री करने के पहले भिगा देते हैं, और इसके फलस्वरूप निर्दोष

ग़रीब गृहस्थों को नुक़सान उठाना पड़ता है। अतः कमेटी ने यह ' दी थी कि इस प्रथा के कारण इस शिल्प को हानि पहुंचती , यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित है।

पुनः कमेटी ने यह सम्मति दी थी कि उक्त हानिकारक प्रथा का अन्त करना अत्यन्त आवश्यक है, और इस समस्या का हल होना भी सम्भव है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि कुछ प्रतिशत तरी वाद देने का नियम रखना चाहिये और निर्धारित तरी से अधिक तरी नहीं स्वीकृत होनी चाहिये। पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि नाम-मात्र फीस लेकर अलीपुर टेस्ट हाउस में तथा अन्य जूट केन्द्रों में तरी की परीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। आगे चलकर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि सरकार-द्वारा जूट में जितनी प्रतिशत तरी स्वीकृत हो उससे अधिक तरी होने से जुर्म समझा जाना चाहिये, जिसके लिये वर्तमान में कोई अदालती मामला नहीं चलाया जाना चाहिये। कमेटी ने यह सुझाव इसलिये दिया था कि अधिक तरी होनेपर खरीदार को यह अधिकार प्राप्त हो सके कि वह इस प्रकार के सभी सौदे रद्द कर सके। कमेटी इस कुप्रथा का अन्त करने के लिये क़ानूनी दन्ड देने की व्यवस्था करने के पक्ष में भी थी।

जूट और हैसियन-बाज़ार का पुनर्सङ्गठन

जूट और हैसियन के फाटका-बाज़ार के कारण इस व्यवसाय और शिल्प को क़ाफी नुक़सान हो रहा था, इसलिये इस क्षेत्र से सम्बन्धित सभी व्यवसायी चिन्तित हो उठे थे। बंगाल सरकार ने अपने ९ फरवरी १९४० के पत्र-द्वारा चेम्बर को सूचित किया कि व्यापार और श्रम-विभाग के आनरेबुल मिनिस्टर इन्चार्ज १२ फरवरी १९४० को राइटर्स विल्डिङ्ग में अपने रूम में जूट के व्यवसाय और शिल्प से सम्बन्धित व्यवसायियों के साथ एक कान्फ-

रेन्स करेंगे। इस कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये बंगाल सरकार ने चेम्बर को अपना एक प्रतिनिधि भेजने के लिये अनुरोध किया था। पुनः इस सम्बन्ध में बंगाल सरकार ने यह उल्लेख किया था कि जूट और हैसियन बाज़ार के फाटकिये फाटका के ज़रिये बाज़ार में ऐसा परिवर्तन ला देते हैं, जो जूट की खेती करनेवाले गृहस्थों के लिये तथा इस व्यवसाय और शिल्प के लिये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। अतः बंगाल प्रान्त की हित-रक्षा की दृष्टि से जूट और हैसियन के बाज़ारों में भाव निर्धारित करना बंगाल सरकार ने अत्यन्त आवश्यक समझा। बंगाल सरकार की योजना के अनुसार रार्टटर्स बिल्डिङ्ग में १२ फरवरी १९४० को इस सम्बन्ध में एक कान्फरेन्स हुई, जिसमें भाग लेने के लिये चेम्बर ने अपनी ओर से श्रीयुक्त आर० एन० गगगड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०, को प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजा। इस विषय के वाद-विवाद के सिलसिले में कान्फरेन्स में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों से सरकार की ओर से उक्त विषय के सम्बन्ध में प्रामाणिक उदाहरण पेश करने के लिये कहा गया था।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कमेटी ने अपना मेमोरेन्डम ४ मार्च १९४० को बंगाल सरकार के पास भेज दिया। मेमोरेन्डम में प्रारम्भ में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि व्यापारियों की स्वतन्त्रता के ऊपर आघात न पहुंचे, और उनके अधिकार सुरक्षित रहें, सरकार को इस सम्बन्ध में कोई भी काररवाई तभी करनी चाहिये, जब जूट और हैसियन के व्यवसायी अथवा इस व्यवसाय से सम्बन्धित कोई प्रमुख समुदाय स्वेच्छा से सरकार को इस व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई काररवाई करने का अनुरोध करे; पर इसके विपरीत सरकार को किसी भी हालत में अपने विशेषाधिकार का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिये, जिससे व्यापार के स्वाभाविक मार्ग में रुकावट

आये। पुनः कमेटी ने जूट और हैसियन के व्यवसाय के फिउचर मार्केट की उन्नति की उचित व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक बताते हुए राय दी थी कि बंगाल सरकार को चाहिये कि वह बम्बई कन्ट्राक्ट एक्ट ४ (सन् १९३२) के आधार पर क़ानूनी स्वीकृति लेकर इस तरह का विधान निर्माण करे, जिससे इस व्यवसाय से सम्बन्धित जनता के व्यापक हितों की रक्षा हो सके वर्ना इस व्यवसाय की वर्तमान प्रगति से तो यही अनुमान होता है कि फिउचर मार्केट अवनति के पथपर अग्रसर हो रहा है। आगे चलकर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि इस व्यवसाय पर सरकारी नियन्त्रण लगाने के लिये संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट १९३२ के आधार पर, जिसके अन्तर्गत अदालत में फौजदारी मामला चलाया जा सकता है, कोई क़ानून बनाने की आवश्यकता तबतक नहीं होती, जबतक इस सम्बन्ध में दीवानी क़ानून बनाया जाय, और पूर्णतया परीक्षा करने के बाद, वह निष्फल साबित हो जाय। पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि फिउचर मार्केट की रक्षा और सुविधा की समुचित व्यवस्था करने के लिये भी आवश्यक नियन्त्रण रखने की ज़रूरत है। इस सम्बन्ध में कि यदि फिउचर ट्रेड के लिये कई बाज़ार हों, तो कमेटी ने सरकार को यह राय दी थी कि वह सभी बाज़ारों की असंगठित विशृङ्खल प्रथाओं को दूर करने के लिये भी उक्त प्रकार का नियन्त्रण लगाने के लिये आवश्यक नियम-क़ानून बनाये। फिउचर मार्केट की सदस्यता के संबंध में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि सदस्य मनोनीत करने के लिये रुपये के क्वालिफिकेशन पर ही न जाकर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत किया जाय, जिससे इस व्यवसाय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों के स्वार्थों की रक्षा का समान प्रबन्ध हो सके, और—(१) उत्पादन करनेवाले (२) माल एकत्र करनेवाले (३) चालान करनेवाले (४) मैन्यु-

फैक्चर करनेवाले (५) शीपिंग करनेवाले (६) जूट की खपत करनेवाले, सभी लोगों के प्रतिनिधियों की सदस्यता स्वीकृत हो। पुनः सदस्यों के चुनाव के लिये वोट देने के संबंध में कमेटी ने यह राय दी थी कि वोट की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि उक्त व्यवसाय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके और सभी सम्बन्धित वर्गों के हितों की रक्षा की संतोषजनक व्यवस्था हो सके। इस सम्बन्ध में कमेटी ने सरकार से आवश्यक आर्डिनेन्स लगाकर नियन्त्रण रखने का सुझाव भी दिया था। पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि फिउचर मार्केट की अवनति के जो वर्तमान कारण हैं, इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों पर है, जिनको इस व्यवसाय की उन्नति-अवनति से कोई दिलचस्पी नहीं, और जो कोई नियन्त्रण न होने के कारण, फाटका के ज़रिये जल्दी-से-जल्दी धन-कुवेर वनने की चेष्टा में ही रहा करते हैं। इसके पश्चात् कमेटी ने यह राय दी थी कि फिउचर मार्केट की सदस्यता के लिये इस व्यवसाय से सम्बन्धित लोगों के अतिरिक्त इस विषय के विशेषज्ञों आदि को भी सदस्य मनोनीत करने की शर्त रखनी चाहिये। पुनः कमेटी ने यह विश्वास प्रकट किया था कि सभी सम्बन्धित क्षेत्रों के हितों की रक्षा की एक समान व्यवस्था कर फिउचर मार्केट के शासन सञ्चालन के लिये वैधानिक गठन करने से अवनति के पथपर अग्रसर होनेवाली वर्तमान परिस्थिति में सुधार होने की उम्मीद होगी। कमेटी ने २५ गांठ और ५० गांठ-वाले जूट के वार्डों को बन्द कर देने अथवा इनका ईस्ट इन्डियन जूट एक्सचेञ्ज के नियमों के आधार पर सञ्चालन करने का सुझाव दिया था। कटनी में जो १,५, और १० गांठ का काम होता है, इसको कमेटी ने एकदम वन्द कर देने की राय दी थी। पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि यदि कटनी का काम वन्द करना सम्भव नहीं हो, तो इसके ऊपर आवश्यक नियन्त्रण लगाकर इसको क़ानूनी

घोषित कर देना चाहिये, ताकि ये पुलिस से लुक-छिपकर न काम करके खुले-आम कर सकें। पुनः जूट का भाव निर्धारित करने के सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि यू० पी० और बिहार की सरकारों ने जैसे गन्ने का भाव निर्धारित किया है, उसका अनुकरण कर बंगाल सरकार को जूट उत्पादन करनेवाले अन्य प्रान्तों के सहयोग से जूट का भी भाव निर्धारित करने की व्यवस्था करनी चाहिये; पर भाव निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि इसका भीतरी बाज़ारों के भाव से तथा विदेशों के बाज़ार-भाव से बहुत ज़्यादा अन्तर न पड़े। पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि जूट के भाव की अचानक तेज़ी-मन्दी रोकने के लिये इसकी ख़रीद-बिक्री खुलेआम बाज़ार में नहीं होनी चाहिये, बल्कि उन एजेन्सियों के मार्फत होनी चाहिये, जिन्हें इसके लिये स्वीकृति तथा अधिकार प्राप्त हों। इस सिलसिले में कमेटी ने यह सुझाव भी दिया था कि जूट की नवीन श्रेणी तथा स्टैन्डर्ड क़ायम करने और नये तरीक़े के कन्ट्राक्ट फार्म आदि बनाने से फाटके की मनोवृत्ति दूर होने की सम्भावना हो सकती है। अन्त में कमेटी ने यह राय दी थी कि रैयत तथा व्यवसायियों की हित-दृष्टि से फिउचर मार्केट के क़ायदा-क़ानून तथा रेवाज़-दस्तूर में भी शीघ्र ही पूर्णरूप से संशोधन करना चाहिये, ताकि ऐसा न हो कि आवश्यक काररवाई में विलम्ब के कारण यह व्यवसाय मटियामेट हो जाय।

जूट और हैसियन का भाव निर्धारित करने के लिये कान्फरेन्स का आयोजन

चूकि जूट और हैसियन का भाव बहुत नीचे गिर गया, इसलिये परिस्थिति पर विचार करने के लिये बंगाल-सरकार ने पुनः ४ अप्रैल १९४० को राईटर्स बिल्डिङ्ग में कान्फरेन्स का आयोजन

किया। बंगाल-सरकार की ओर से कान्फरेन्स में आनरेबुल चीफ मिनिस्टर मि० ए० के० फज़लुल हक़, के अतिरिक्त सर नाज़ीमुद्दीन, मि० एच० एस० सुहरावर्दी, और मि० तमीजुद्दीन खां मिनिस्टरों ने तथा मि० मुरशेद ने भाग लिया, और सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से मि० वाकर, श्रीयुक्त हनुमानप्रसाद जी बगड़िया, मि० एम० ए० इस्पहानी, मि० आदमजी, श्रीयुक्त एम० पी० बिड़ला, श्रीयुक्त जीवनलाल जी पंडित, मि० एन० सी० घोष और श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका एटर्नी-एट-ला आदि व्यक्तियों ने भाग लिया। कान्फरेन्स में चेम्बर का प्रतिनिधित्व श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका ने किया।

उक्त कान्फरेन्स में सरकार की ओर से सार्वजनिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनसे ये प्रश्न किये गये कि जूट और हैसियन का भाव निर्धारित करना आवश्यक है या नहीं ? यदि है, तो इसके लिये कौन से साधन और उपाय काम में लाने चाहिये ? जब उपस्थित प्रतिनिधियों ने भाव निर्धारित करने की आवश्यकता स्वीकार कर ली, तो उनसे सरकार की ओर से पुनः यह राय मांगी गई कि इस व्यवसाय में सुधार करने के लिये किस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है ? इसका उत्तर देते हुए चेम्बर के प्रतिनिधि श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका ने यह सुझाव दिया कि जूट और हैसियन दोनों का कम से कम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये, और साथ ही २५ और ५० गांठवाले वाड़ो और कटनी को बन्द कर देना चाहिये। आगे चलकर श्रीयुक्त खेमका जी ने यह सुझाव दिया कि इस व्यवसाय पर नियन्त्रण रखने के लिये सरकार को आवश्यकतानुसार नियम-क़ानून बनाना चाहिये, और इस सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये इस व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से—जैसे, ईस्ट इन्डियन जूट-एसोसिएशन लिमिटेड तथा कलकत्ता एक्सचेंज

एसोसिएशन लिमिटेड—एक कमेटी निर्माण करना चाहिये। अन्त में श्रीयुक्त खेमका जी ने यह राय दी थी कि जूट की श्रेणी तथा स्टैन्डर्ड क़ायम करने के लिये एक प्रामाणिक ढंग का कन्ट्रैक्ट फार्म बनाने की भी व्यवस्था करना आवश्यक है। चेम्बर की ओर से श्रीयुक्त खेमका जी ने जो सुझाव दिये, उनकी प्रशंसा करते हुए बंगाल-सरकार के व्यापार एवं श्रम-विभाग के आनरेबुल मिनिस्टर इञ्चार्ज ने कहा कि सरकार इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देगी कि चेम्बर के सुझावों के अनुकूल कहां तक क़ाररवाई सम्भव हो सकती है।

बंगाल-सरकार-द्वारा दार्जिलिंग में जूट-कान्फरेन्स का आयोजन

बंगाल-सरकार ने ४ और ५ मई १९४० को दार्जिलिंग में तीसरी जूट कान्फरेन्स का आयोजन किया। कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये बंगाल-सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं से अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया था। इस साल की नई फसल का भाव बहुत गिर गया था, और बंगाल-सरकार इससे बहुत चिन्तित और असन्तुष्ट थी। अतः जूट की खेती करने वाले गृहस्थों के स्वार्थों की रक्षा की दृष्टि से बंगाल-सरकार जूट का भाव निर्धारित करना चाहती थी, ताकि चालू वर्ष में गृहस्थों को अपने उत्पादन के लिये ऊंचा तथा उचित मूल्य मिले। इसीलिये सरकार की ओर से उक्त कान्फरेन्स का आयोजस किया गया था। चेम्बर की ओर से कान्फरेन्स में श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका, एटर्नी-एट-ला और श्रीयुक्त रूपनारायण जी गगड़, एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०, ने भाग लिया।

कान्फरेन्स का उद्घाटन करते हुए हिज़ एक्सीलेन्सी बंगाल-गवर्नर ने अपने भाषण में बतलाया कि इस कान्फरेन्स में वाद-विवाद के लिये जो प्रश्न उपस्थित होंगे वे ये हैं:—

(१) क्या १९४० की फसल के लिये भाव निर्धारित करने के लिये विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है ?

(२) आम जूट उद्योग की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिये किस प्रकार के प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ेगी ?

आगे चलकर हिज़ एक्सीलेन्सी गवर्नर महोदय ने यह प्रकाश डाला कि उन्हें परामर्श दिया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए सरकार को जूट-व्यवसाय के सम्बन्ध में आवश्यक कारवाई करनी चाहिये अथवा उसे इस बात का सन्तोष हो जाना चाहिये कि कोई कारवाई करना आवश्यक नहीं। पुनः गवर्नर महोदय ने यह कहा कि यदि कारवाई की गयी, तो यह प्रश्न उठता है कि इसका व्यावहारिक रूप देने में जूट व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों का सहयोग कहां तक उपलब्ध हो सकेगा ?

सरकार के इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या जूट-व्यवसाय को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, चेम्बर के प्रतिनिधियों ने अपनी सम्मति देते हुए यह कहा कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि नई फसल कम से कम १ करोड़ २५ लाख गांठ होगी, और जिस हिसाब से खपत हो रही है, उस हिसाब से ९५ लाख गांठ से अधिक माल की खपत नहीं हो सकती, सरकारी हस्तक्षेप का चेम्बर सहर्ष स्वागत करेगा। इस सम्बन्ध में यह सुझाव भी दिया गया था कि एक निर्धारित सीमा से भाव का नीचे गिरना रोकने के लिये नियन्त्रण लगाते समय जितना माल खपत से अधिक हो, उसे सरकार को खरीदने का प्रबन्ध भी करना आवश्यक है। पुनः चेम्बर के प्रतिनिधियों की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि जब तक खपत होने से बचे हुए स्टाक की बिक्री के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जायगा, तब तक मूल्य निर्धारित करने का काम हाथ में लेना अच्छा नहीं

होगा; क्योंकि काम-काज का मौसम चालू होनेपर बाजार में इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके पश्चात् चेम्बर के प्रतिनिधियों ने यह राय दी कि केवल एक कम से कम मूल्य निर्धारित करने से ही आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, बल्कि सरकार को कई अन्य प्रबन्धों जैसे (१) वज़न का स्टैन्डर्ड क़ायम रखने के लिये ८० तोले का पक्का सेर चालू करना (२) बट्टा बन्द करना। (३) भीगे हुए जूट की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना (४) बम्बई में जैसे विभिन्न प्रकार की रूई की श्रेणियों का श्रेणी-विभाग किया गया है, उसी आधार पर जूट की विभिन्न श्रेणियों का स्टैण्डर्ड क़ायम करने के लिये जूट का श्रेणी-विभाग करना (५) जूट पैदा होनेवाले विभिन्न प्रमुख केन्द्रों में सुसंगठित और सुव्यवस्थित बाज़ारों की स्थापना करने के लिये एक पञ्चायती न्यायालय की स्थापना करना तथा (६) फसल तैयार होने के पहले नई फसल का अग्रिम सौदा रोकने के लिये आवश्यक नियंत्रण लगाना और अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों पर ध्यान देने की व्यवस्था करना भी अत्यन्त आवश्यक है। पुनः चेम्बर के प्रतिनिधियों ने इस बातपर भी प्रकाश डाला कि आम व्यापारिक क्षेत्र में जो पिछले दस वर्षों से मन्दी चली आ रही है, इसकी वजह जूट मिलों को काफ़ी नुक़सान पहुंचा है, और खासकर जूट की खेती करनेवाले गृहस्थों को तो बहुत ही अधिक क्षति पहुंची है। इस सम्बन्ध में आगे चलकर चेम्बर के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि जूट की विभिन्न श्रेणियों का मूल्य निर्धारित करने के साथ ही जूट से तैयार किये गये विभिन्न वस्तुओं का मूल्य भी इस हिसाव से निर्धारित करना आवश्यक है कि मिल वाले अच्छा लाभ उठा सकें। फिर चेम्बर के प्रतिनिधियों ने कहा कि चेम्बर के सदस्यों का हित इस प्रान्त (बंगाल प्रान्त) की रैयतों के साथ सम्बन्धित है, और उनकी उन्नति अवनति पर सदस्यों की उन्नति अवनति भी

निर्भर करती है तथा उनके सुख-दुःख के साथ सदस्यों का सुख-दुःख भी जड़ित है। बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग के आनरेबुल मिनिस्टर एच० एस० सुहरावर्दी ने चेम्बर के प्रतिनिधियों के सुझावों की बहुत ही प्रशंसा की, और उनके सुझाव कान्फरेन्स में भाग लेनेवाले बहुतेरे प्रतिनिधियों को भी पसन्द आये। फिर भी मूल्य निर्धारित करने के प्रस्ताव का एक पक्ष ने विरोध किया।

दार्जिलिंग-जूट-कान्फरेन्स में हुए वादविवाद के पश्चात् बंगाल-सरकार ने जूट-व्यवसाय को सुसंगठित बनाने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिये ऐसे सुझाव मांगे जो कार्यरूप में परिणत किये जा सकें, और जिनसे इस व्यवसाय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों को समान लाभ पहुंच सके। इस सम्बन्ध में बंगाल-सरकार के कृषि और उद्योग-विभाग ने ९ मई १९४० को चेम्बर के पास एक पत्र लिखा था। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि दार्जिलिंग जूट-कान्फरेन्स में भाग लेने वाले जूट-व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों-द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर पूर्ण ध्यान देने के पश्चात् बंगाल-सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह सुझाव कि सरकार को इस व्यवसाय के सम्बन्ध में तटस्थ नीति अख्तियार करना चाहिये, युक्तिसंगत नहीं। पुनः यह उल्लेख किया गया था कि कान्फरेन्स के वाद-विवाद के फलस्वरूप यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कच्चा जूट तथा जूट से तैयार की गई चीज़ों का दाम इस व्यवसाय से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये सन्तोष-जनक है। १९४० की नई फसल के लिये जूट की खेती करने वाले गृहस्थों के लाभार्थ जो उचित मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न था, उसके सम्बन्ध में उक्त पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भाव निर्धारित करने के लिये जो सरकारी हस्तक्षेप नहीं करने के लिये दलील पेश की गई है, वह सरकार को युक्तिसंगत नहीं जँची, इसलिये सरकार ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया है। आगे

चलकर पत्र में चेम्बर को सूचित किया गया था कि चूंकि बंगाल-सरकार यह नहीं पसन्द करती कि जूट तथा जूट से तैयार वस्तुओं का भाव गिरे, इसलिये उसने इस व्यवसाय से सम्बन्धित सभी श्रेणों के लाभार्थ बाज़ार की मज़बूती क़ायम रखने के लिये आवश्यक कारवाई करना निश्चित किया है। आगे चलकर पत्र में यह सूचित किया गया था कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि फिउचर मार्केट में जूट व्यवसाय से सम्बन्धित सभी श्रेणों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था हो सके, तथा वे उचित लाभ उठा सकें, और इस व्यवसाय पर फाटके का असर न पड़े; बंगाल सरकार जूट तथा हैसियन के मूल्य निर्धारित करना चाहती है। बंगाल-सरकार फिउचर मार्केट के लिये जूट का कम से कम मूल्य ६०) और अधिक से अधिक ९०) तथा हैसियन के लिये कम से कम १३) और अधिक से अधिक २१) निश्चित करना चाहती थी। पर इस सम्बन्ध में बंगाल सरकार ने कोई संशोधित प्रस्ताव नहीं रखा था, बल्कि यह सरकार की आम योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कार्यवाही थी।

आगे चलकर बंगाल-सरकार की तरफ़ से यह उल्लेख किया गया था कि जूट और हैसियन व्यवसाय के सम्बन्ध में बंगाल-सरकार ने जो योजना तैयार की है, वह उत्पादन पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से निर्माण की गई है, और यह काफ़ी दिनों के लिये लागू होगी। पुनः सरकार की ओर से यह प्रकाश डाला गया था कि अन्य विषयों के अतिरिक्त उक्त योजना निम्न-विषयों से सम्बन्ध रखेगी:—

(१) फिउचर मार्केट को सुव्यवस्थित बनाना (२) कम से कम निर्धारित मूल्य पर जितना भी जूट बिक्री के लिये आये, उसे सरकार-द्वारा खरीद करने का प्रबन्ध करना (३) जूट-मौकाम

के बाज़ारों के लिये तथा निर्यात के बाज़ारों के लिये जूट का श्रेणी-विभाग करना (४) जूट में मिसाल करना बन्द करना; ख़ास कर भिगाकर जूट बिक्री करने पर नियन्त्रण रखना।

अन्त में बंगाल-सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार की उक्त योजना केवल सामने की एक नई फसलों के लिये ही तैयार नहीं की गयी है, बल्कि इसको काफ़ी ज्यादा दिनों तक चालू रखने का विचार किया गया है।

जूट के भाव की मज़बूती क़ायम रखने की योजना

अपने २७ अप्रैल १९४० के पत्र-द्वारा इण्डियन सेन्ट्रल जूट कमेटी ने चेम्बर को सूचित किया कि उसने जूट के भाव की मज़बूती क़ायम रखने के लिये बतौर परीक्षा एक योजना तैयार की है। इण्डियन सेन्ट्रल जूट कमेटी के पत्र के साथ उसकी प्रस्तावित योजना की एक प्रति चेम्बर के पास आयी थी, और उस पर चेम्बर की राय मांगी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत जूट की स्टैन्डर्ड-श्रेणी का मूल्य स्थिर करने का प्रबन्ध किया गया था, और अन्य श्रेणियां (नन स्टैण्डर्ड ग्रेडूस) का मूल्य स्टैन्डर्ड श्रेणी से ऊंचा-नीचा रखने की व्यवस्था की गयी थी। यह निर्धारित मूल्य स्थायी रूप से चालू रखने का नियम नहीं रखा गया था, और साल-साल जूट की बोवनी के समय इसमें आवश्यक परिवर्तन करने की गुंजाइश भी रखी गयी थी। उस हालत में जब बाज़ार-मूल्य स्टैन्डर्ड-मूल्य से बढ़ जाय, यह शर्त रखी गयी थी कि जायज़ खर्च-वर्च के लिये बट्टा बाद देकर, स्टैन्डर्ड-मूल्य और बाज़ार मूल्य का अन्तर अथवा उसका एक निर्धारित भाग निश्चित कर सरचार्ज के रूप में वसूल किया जायगा। बाज़ार के मूल्य के परिवर्तन के आधार पर सरचार्ज की निर्धारित रक़म में भी आवश्यक रद्दोबदल करने की

गंजाइश रखी गयी थी। सरचार्ज से वसूल होने वाली रक़म का बाज़ार की मज़बूती के लिये उपयोग में लाने के उद्देश्य से उसे एक फन्ड में जमा करने की व्यवस्था की गयी थी। उस हालत में जब बाज़ार-मूल्य स्टैन्डर्ड-मूल्य से नीचे गिर जाय, यह शर्त रखी गयी थी कि स्टैन्डर्ड-मूल्य और बाज़ार-मूल्य का मोटा-मोटी अन्तर अथवा एक निर्धारित रक़म आर्थिक सहायता के रूप में जूट चलानी करने वालों अथवा मैन्युफैक्चर करने वालों को फन्ड से दी जायगी। इसके अतिरिक्त यह शर्त भी रखी गयी थी कि जो उत्पादन खपत होने से बच जायेगा, उसे खरीदने का भी प्रबन्ध किया जायगा, ताकि स्टैन्डर्ड-मूल्य क़ायम रह सके। बाज़ार-मूल्य इस आधार पर निर्धारित करने की व्यवस्था की गई थी कि विदेशों के खरीदारों को कच्चे जूट तथा जूट से तैयार की गई वस्तुओं का परता पड़ जाय। सामने साल के लिये मूल्य निर्धारित करने तथा फन्ड का कार्य संचालन करने का कार्य स्पेशल जूट कमीशन के सुपुर्द किये जाने की व्यवस्था की गयी थी।

बंगाल-सरकार की उक्त योजना चेम्बर की कमेटी को मान्य थी, पर यह योजना इन्डियन सेन्ट्रल जूट कमेटी-द्वारा स्थगित कर दी गयी।

जूट—आर्डिनेन्स

सन् १९३९ के शेष भाग में जूट का भाव बहुत ऊंचा उठ गया, इसलिये इस दूरदर्शी विचार से कि भाव ऊंचा देखकर गृहस्थ लोग १९४० में जूट की बहुत अधिक बोवनी न कर दें, बंगाल-सरकार ने नियन्त्रण लगाने के लिये १० फरवरी १९४० को आर्डिनेन्स घोषित कर दिया। पर चेम्बर को यह जानकारी प्राप्त हुई कि बाज़ार वाले आर्डिनेन्स का उलंघन करते हैं, इसलिये कमेटी ने बंगाल-

सरकार के पास २८ मई १९४० को तार देकर इस सम्बन्ध में उचित कारर्वाई करने का सुझाव दिया।

जूट तथा जूट से तैयारी वस्तुओं के स्टाक की जानकारी प्राप्त करने की योजना

अन्त में बंगाल-जूट-क़ानून (बंगाल एक्ट ५-१९४०) पास हो गया। इस सम्बन्ध में बंगाल-सरकार के कृषि और उद्योग-विभाग (जूट ब्रांच) ने अपने ६ अगस्त १९४० के पत्र-द्वारा चेम्बर को सूचित किया कि १९४१ की फसल के लिये क़ानून बनाने के अभिप्राय से जूट-क़ानून की धारा ९ के अनुसार सरकार के लिये जूट की बाबत आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है; जिसके लिये इस क़ानून की धारा ७ की उपधारा १ के अन्तर्गत सरकार को अधिकार प्राप्त है। पत्र में पुनः यह उल्लेख किया गया था जूट की सप्लाई का ठीक-ठीक अन्दाज लगाने के लिये पहले प्रान्त भर के जूट तथा जूट से तैयार वस्तुओं के स्टाक का पता लगाना ज़रूरी है, लेकिन सरकार का विश्वास है कि गृहस्थों के पास तथा इस व्यवसाय से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों के पास जो स्टाक रह गया है, उसका पूरा विवरण प्राप्त करना सम्भव नहीं। जूट-मिलों के पास जो स्टाक था, उसके सम्बन्ध में बंगाल-सरकार ने यह सूचित किया था कि इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये जूट मिल्स एसोसिएशन से परामर्श कर अन्य प्रकार की कारर्वाई की जायगी। आगे चल कर सरकार ने यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि जूट-व्यवसाय से सम्बन्धित कलकत्ता तथा कलकत्ता के बाहर मुफ्फ़स्सिल के सभी क्षेत्रों से जूट तथा जूट से तैयार वस्तुओं के स्टाक की जानकारी शीघ्र प्राप्त करने के लिये कौन सा सुगम मार्ग अवलम्बन किया जा सकता है। विशेषतः सरकार चेम्बर से यह जानकारी प्राप्त करना चाहती थी कि किन-किन लोगों से अथवा

किन-किन क्षेत्रों से स्टाक का रिटर्न मंगाना चाहिये तथा इसे किन-किन उपायों से सहलता से प्राप्त किया जा सकता है ? सरकार ने चेम्बर से यह सुझाव देने का अनुरोध किया था कि क्या इस तरह का खुलासा रिटर्न तैयार किया जाय, जिससे जूट-व्यवसाय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी हो जाय ? इसके पश्चात् सरकार ने चेम्बर से यह पूछा था कि रिटर्न भरकर वापिस भेजने के लिये कितने दिन का समय स्वीकृत होना चाहिये ?

बंगाल-सरकार के पत्र का उत्तर देते हुए कमेटी ने यह सूचित किया कि जूट तथा जूट से तैयार वस्तुओं का स्टाक गृहस्थों और मिलवालों के पास रहता है, और जब तक गृहस्थों से स्टाक का ठीक-ठीक अन्दाज़ न मिल जाय, तब तक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। आगे चल कर कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि गृहस्थों और जूट मिलों के अतिरिक्त बंगाल-सरकार को सभी कमर्सियल चेम्बरों से तथा इनकी सम्बन्धित संस्थाओं से अनुरोध करना चाहिये कि वे इस व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेवाले अपने सदस्यों के नाम-ठिकाने बंगाल-सरकार को लिख भेजें, और जब बंगाल सरकार को इस विषय से सम्बन्धित व्यवसायियों के नाम-ठिकाने मालूम हो जायं, तो उनके पास रिटर्न भेज देना चाहिये। इसके अतिरिक्त कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि रिटर्न का फार्म सहल होना चाहिये और उसमें बंगाल जूट रेगुलेशन एक्ट १९४० के आवश्यकतानुसार जिन-जिन बातों की जानकारी प्राप्त करनी हो, उन्हीं बातों का उल्लेख होना चाहिये। इसलिये कमेटी ने एक इस तरह का रिटर्न फार्म तैयार करने का सुझाव दिया था, जिससे सभी सम्बन्धित क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी हो सके। रिटर्न भर कर वापिस भेजने के लिये कमेटी ने रिटर्न प्राप्ति के दिन से १५ दिन का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया था।

ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्री

—:o:—

जिन्सों के भाव की मन्दी

२३ मई १९४० को चेम्बर की कमेटी ने, जिन्सों के बाज़ार में फाटकियों-द्वारा युद्ध की झूठी अफवाहें उड़ाने की वजह जो असर पड़ा था, उससे भारत-सरकार को अवगत कराने के लिये भारत-सरकार के व्यापार-सदस्य माननीन सर ए० रामास्वामी मुदालियर के पास तार भेजा। कमेटी ने उक्त तार में भारत-सरकार को यह सुझाव दिया था कि जैसे जूट और हैसियन के भावों का गिरना रोकने के लिये बंगाल-सरकार ने आर्डिनेन्स घोषित कर एक कम से कम और अधिक से अधिक मूल्य निर्धारित कर दिया है, उसी का अनुकरण कर भारत-सरकार को भी रूई, गेहूं और तीसी के भावों का गिरना रोकने के लिये आवश्यक काररवाई करनी चाहिये। पुनः कमेटी की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि जैसे कृषी-उत्पादनों के भावों का गिरना रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा अन्य देशों ने समय-समय पर आवश्यकतानुसार एक कम से कम मूल्य निर्धारित करने की नीति अवलम्बन की है, भारत-सरकार भी यदि उनका अनुकरण करे, तो यह सरकार की समयानुकूल काररवाई होगी। पुनः अपने उक्त तार को तसदीक़ करते हुए कमेटी ने ११ जून १९४० को पत्र लिखकर भारत-सरकार से अनुरोध किया था कि इस बात पर ध्यान देते हुए कि युद्ध के असर के कारण भारत के कृषक और व्यवसायियों को काफी नुक़सानी उठानी पड़ रही है, यदि भारत-सरकार जिन्सों के मूल्य गिरना रोकने के लिये उचित काररवाई नहीं करेगी, तो व्यवसाय मटियामेट हो जायगा। फिर कमेटी ने भारत-सरकार से इस सम्बन्ध में पूर्ण ध्यान देने का अनुरोध किया था।

रूई की मन्दी

४ जून १९५० को कमेटी ने बम्बई-सरकार के व्यापार-विभाग के सेक्रेटरी के पास तार देकर सूचित किया था कि अचानक रूई का भाव बहुत नीचे गिर जाने की वजह से कृषकों तथा सम्बन्धित उद्योग-धन्धों को काफी नुक़सानी उठानी पड़ रही है, इसलिये बम्बई-सरकार को चाहिये कि आगे चलकर भाव का क्रमशः नीचे गिरना रोकने के लिये वह एक कम से कम मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था करे, अथवा बम्बई का फिउचर रूई-बाज़ार बन्द कर दे।

बम्बई-सरकार के अर्थ-विभाग ने चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए सूचित किया कि बम्बई-सरकार चेम्बर के सुझावों पर ध्यान दे रही है।

चावल पर निर्यात-कर

अपने १३ मई १९५० के पत्र-द्वारा बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने चेम्बर को सूचित किया कि बंगाल पैडी एण्ड राइस इनकायरी कमेटी के निर्देश के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि यदि सरकारी बजट की स्थिति सन्तोषजनक हो तो चावल पर से निर्यात-कर हटा दिया जाय और बर्मा से यहां आनेवाले चावल के लिये कुछ शर्तें निर्धारित की जायं—जैसे (क) इन्कायरी कमेटी की रिपोर्ट के पैराग्राफ ७ में चावल के स्वीकृत आयात के परिमाण के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये, (ख) स्वीकृत परिमाण से अधिक आयात पर ड्यूटी लगाना चाहिये।

उक्त इन्कायरी कमेटी के प्रस्तावों पर राय देने के लिये चेम्बर से अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में चेम्बर ने ३ जुलाई १९५० को बंगाल-सरकार को अपनी राय भेजते हुए यह उल्लेख किया था कि चेम्बर इस बात का जोरदार समर्थन करता है कि चावल के निर्यात पर लगाने वाली ड्यूटी जल्दी से जल्दी हटा देनी चाहिये।

बर्मा के चावल के आयात के सम्बन्ध में कमेटी ने पैडी एण्ड राइस इन्क्वायरी कमेटी के सुझावों का समर्थन किया था। बर्मा के चावल के लिये स्वीकृत आयात से अधिक आयात होने पर कमेटी ने अतिरिक्त कस्टम्स ड्यूटी लगाने का सुझाव देते हुए यह उल्लेख किया था कि वर्मा में चावल की पैदावार खपत से अधिक होने के कारण बर्मा से जो चावल भारत आता है, उसका भाव बहुत सस्ता रहता है और प्रतियोगिता के कारण भारत का चावल, खास कर बंगाल का भी सस्ते भाव में बेचना पड़ता है पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि बर्मी चावल के साथ प्रतियोगिता होने के कारण भारतीय कृषकों को चावल के लिये उचित मूल्य नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है; इसलिये बर्मा से आनेवाले चावल पर अतिरिक्त कस्टम्स ड्यूटी लगाना चाहिये, ताकि भारतीय कृषकों को उनके परिश्रम के लिये उचित मूल्य मिल सके। अन्त में कमेटी की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि अतिरिक्त ड्यूटी से जो रक़म वसूल हो वह भारतीय कृषकों की स्थिति सुधारने के लिये खर्च वहन करने के लिये गवर्नमेंट को मिलनी चाहिये।

बंगाल हैन्डलूम इन्डस्ट्री

१४ मई १९४० को कमेटी ने बंगाल-सरकार के डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के पास पत्र लिखकर यह पूछा था कि क्या बंगाल इन्डस्ट्रियल सर्वे कमेटी अथवा किसी अन्य कमेटी-द्वारा वर्त्तमान बंगाल हैन्डलूम इन्डस्ट्री (बंगाल-करघा-उद्योग) का सर्वे किया गया है तथा बम्बई एकनामिक एन्ड इन्डस्ट्रियल सर्वे कमेटी के सुझावों के अनुसार इसके उत्थान के लिये आवश्यक मार्ग अवलम्बन किया गया है। चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए बंगाल-सरकार के इन्डस्ट्री-विभाग ने चेम्बर को सूचित किया कि अन्य गृह-शिल्प के

साथ-साथ बंगाल इन्डस्ट्रियल सर्वे कमेटी द्वारा बंगाल-करघा-गृह-शिल्प का भी सर्वे हो रहा है। बंगाल-सरकार का पत्र प्राप्त होने के बाद कमेटीने पुनः पत्र लिख कर यह सुझाव दिया कि हैन्डलूम इन्डस्ट्री की अच्छी तरह जांच करने के लिये एक स्पेशल सब कमेटी निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने बंगाल-सरकार को चेम्बर की ओर से पूर्ण सहयोग देने का भी आश्वासन दिया था।

दियासलाई पर शाही छाप

चेम्बर के सदस्य मेसर्स पायोनियर मैच फैक्टरी के अनुरोध से कमेटी ने दियासलाई पर जो शाही छापवाला नोट ब्रांड टेबुल रहता है और जिसके लिये सेन्ट्रल एक्साइज़ और साल्ट-विभाग आपत्ति करता है, इसके सम्बन्ध में भारत-सरकार से लिखा-पढ़ी की। इस सम्बन्ध में ४ जुलाई १९४० को नार्थ ईस्ट इन्डिया, ईस्टर्न डिवीज़न, कलकत्ता, के सेन्ट्रल एक्साइज और साल्ट-विभाग के असिस्टेन्ट कलक्टर ने मेसर्स पायोनियर मैच फैक्टरी (दमदम) के पास पत्र लिख कर सूचित किया था कि किसी फर्म द्वारा बिक्री के लिये दियासलाई के बक्स पर शाही छाप अथवा तस्वीर आदि लगाने से नाजायज़ प्रतियोगिता बढ़ती है, इसलिये भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि मैच फैक्टरियों की दियासलाई के बक्स पर चिपकाये जानेवाले लेबुलों पर इस प्रकार की छाप अथवा तस्वीर लगाना बन्द कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में कमेटी ने २३ जुलाई १९४० को सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास एक पत्र लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सर्व प्रथम सन् १९३४ में शाही छाप लेबुल का आविष्कार दि पायोनियर मैच फैक्टरी ने किया, जो एक्साइज़-विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया, और इस लेबुल के व्यवहार के लिये दि पायोनियर मैच फैक्टरी को सर्व अधिकार भी प्राप्त हुआ। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि उक्त लेबुल के

प्रचार के लिये पायोनियर मैच फैक्टरी ने बहुत रुपया खर्च किया, और फलतः भारत के कई केन्द्रों में उसकी दियासलाई काफ़ी चालू भी हुई। अन्त में कमेटी ने भारत-सरकार से इस सम्बन्ध में पुनः ध्यान देने तथा उचित विचार करने का अनुरोध किया था। कमेटी के प्रतिनिधित्व का उत्तर देते हुए सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू ने अपने १२ अक्टूबर १९४० के पत्र-द्वारा सूचित किया कि बोर्ड ने सम्बन्धित लेबुलों की जांच की है, जो दो प्रकार के हैं, जिनमें एक गोल्ड मोहर छापवाला है और दूसरा करेन्सी नोटों के ऊपर लगी हुई छाप की तरह है। आगे चलकर यह उल्लेख किया गया था कि यदि पहला लेबुल (गोल्ड मोहर) दियासलाई के बक्स पर व्यवहार में लाया जाय, तो इसके लिये बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं होगी, और इसके लिये नार्थ ईस्ट इन्डिया के सेन्ट्रल एक्साइज़ कलक्टर को आवश्यक हिदायत भी दी जा चुकी है। पुनः यह उल्लेख किया गया था कि बोर्ड कलक्टर की इस राय से कि करेन्सी नोटों की छाप की नकल कर लेबुल तैयार कर दियासलाई के बक्स पर चिपकाना वांछनीय नहीं, सहमत है; क्योंकि करेन्सी नोटों पर हिज़ मैजेस्टी दि किंग इम्परर की तस्वीर रहती है, और इसकी नकल कर लेबुल चपाने का अर्थ हुआ शाही छाप की नकल करना, जिसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

बर्मा से भारत के लिये ब्लैक वेस्ट टी का आयात

चेम्बर के एक सदस्य के अनुरोध पर कमेटी ने २४ फरवरी १९४० को भारत-सरकार के सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को एक पत्र लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ब्लैक वेस्ट टी बर्मा के सीमान्त में शो स्टेट में तैयार होती है, और रंगून से कलकत्ते के रास्ते तिब्बत भेजी जाती है, जिसके लिये पहले बहुत वर्षों तक ड्यूटी माफ़ थी, पर हाल में कलकत्ता कस्टम्स आईटम ९ (२) के

अन्तर्गत इसपर ड्यूटी लगाने लगा है। पुनः कमेटी ने भारत-सरकार से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि ब्लैक वेस्ट टी के लिये कस्टम्स-द्वारा मूल्य निर्धारण का नया नियम क्यों लागू किया गया।

कमेटी के पत्र का उत्तर देते हुए सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू ने सूचित किया कि कलकत्ता कस्टम्स के कलक्टर को ज़मीन के रास्ते वर्मा तथा वर्मा से सामुद्रिक मार्ग से कलकत्ते आनेवाली ब्लैक वेस्ट टी पर ड्यूटी लगाने की हिदायत नहीं दी गई है।

मूल्य-नियन्त्रण-नीति

मुख्य कृषि-उत्पादनों तथा मैन्युफैक्चर की हुई वस्तुओं का मूल्य नियन्त्रण करने के लिये विभिन्न प्रान्तों में विचार-विमर्श हो रहा था, और विभिन्न क्षेत्रों से भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में कई सुझाव भी दिये जा चुके थे। अपने ३१ दिसम्बर १९३९ के पत्र के साथ सरकारी एकनामिक एडभाइज़र-द्वारा तैयार किये हुए ता० ९ नवम्बर १९३९ के मूल्य-नियन्त्रण-नीति-सम्बन्धी मेमोरेन्डम की एक प्रति चेम्बर के पास भेजते हुए भारत-सरकार के व्यापार-विभाग ने सूचित किया कि मेमोरेन्डम में उल्लिखित बातें भारत-सरकार-द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में चेम्बर ने २८ जनवरी १९४० को भारत-सरकार के व्यापार-विभाग के पास एक विस्तृत पत्र भेजा। कमेटी भारत-सरकार के एकनामिक एडभाइज़र के बहुतेरे प्रस्तावों से सहमत थी। पत्र में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि मूल्य-नियन्त्रण-योजना तैयार करते समय सरकार का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि जैसे गत महायुद्ध (सन् १९१४-१८) के समय कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं होने के कारण चीज़ोंका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वैसे युद्ध के असर से इस बार भी मूल्य में अनुचित वृद्धि नहीं होने पावे। आगे चलकर

कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को चाहिये कि मूल्य-नियन्त्रण-योजना के अन्तर्गत ऐसी कारखाई नहीं होनी चाहिये कि किसी खास वर्ग-विशेष को उचित लाभ करने से भी वंचित रखा जाय। इसलिये कमेटी ने यह राय दी थी कि मूल्य-नियन्त्रण-योजना के अन्तर्गत सरकार को वस्तुओं का एक उचित मूल्य निर्धारित करना चाहिये। इस सम्बन्ध में कमेटी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि सरकार को जनता के लाभार्थ कारखाई करने के साथ-साथ वस्तुओं के उत्पादन करनेवालों तथा मैन्युफैक्चर करनेवालों के हितों की रक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिये। पुनः कमेटी ने यह सझाव दिया था कि युद्ध के पहले के मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं होगा; क्योंकि ऐसा करने से चीजों का मूल्य बहुत घटा देना पड़ेगा।

मुख्य कृषि-उत्पादनों का मूल्य-नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि युद्ध के कारण इन चीज़ों के मूल्य में उचित वृद्धि होने से भारत के किसान, जिनकी संख्या भारत में ९० प्रतिशत है, लाभ उठा रहे हैं, इसलिये सरकार को इन चीज़ों का मूल्य नियन्त्रण नहीं करना चाहिये। पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सन् १९२९ से मुख्य कृषि-उत्पादनों का भाव बहुत नीचे रहा है, और युद्ध प्रारम्भ होने पर यूरोप में कच्चे माल तथा खाद्य-पदार्थ की मांग बढ़ जाने के कारण भारतीय किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिलने लगा है, इसलिये उन्हें उचित लाभ से वंचित नहीं करना चाहिये ताकि उन्हें ऐसा सुयोग मिल सके कि वे लगातार कई साल से जो हानि उठाते आ रहे हैं, उसकी क्षति पूर्ति हो सके।

आगे चलकर कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कपड़ा जीवन के उपयोग के लिये एक अनिवार्य आवश्यक वस्तु है, इसलिये इसको मूल्य-नियन्त्रण-योजना के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव

ख़ा जा सकता है। पर इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह सुझाव दिया ग कि स्वदेशी-शिल्प को पिछले दो साल तक काफ़ी नुक़सान हुंचा है, और युद्ध प्रारम्भ होने के समय तक तो इसकी स्थिति हुत खराव हो चुकी है, इसलिये इसे यह सुअवसर देना चाहिये के यह युद्ध की परिस्थिति से लाभ उठा कर अपनी क्षति पूर्ति कर सके। पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि जिन्सों का मूल्य-नियन्त्रण कच्चे माल के भावों की घटा-चढ़ी पर विचार करते हुए करना चाहिये। अन्त में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि मूल्य-नियन्त्रण-योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न अन्य वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, इस सम्बन्ध में कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं लागू होना चाहिये, जो इन वस्तुओं के व्यापार के लिये घातक सिद्ध हो, और जिससे इस देश की जनता को असुविधा उठानी पड़े।

भारत-जापान व्यापारिक समझौता

१२ अप्रैल १९४० को कमेटी ने भारत-सरकार के व्यापार-विभाग को एक पत्र लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कमेटी का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस बात की ओर कि भारत-सरकार तथा जापान-सरकार के बीच कुछ दिनों के लिये यह समझौता हुआ है कि जापान-सरकार जापान से भारत भेजने के लिये शीपरों को प्रत्येक मास ४० करोड़ सूती पीसगुड्स मंजूर करेगी। इस सम्बन्ध में कमेटी यह जानना चाहती थी कि समझौते के मुताबिक़ जापान से आनेवाले पीसगुड्स के अन्तर्गत किस-किस क़िस्म का कितना-कितना कपड़ा (ग्रे शार्टिङ्ग, प्लेन, सफेद बाना, छींट तथा रंगीन आदि) शामिल है। कमेटी ने कई अन्य बातें भी पूछी थीं। अपने २५ मई १९४० के पत्र में भारत-सरकार के व्यापार-विभाग ने चेम्बर को सूचित किया कि भारत तथा जापान के पहले

के व्यापारिक समझौते के समय की समाप्ति के वाद जापान-सरकार भारत के लिये पीसगुड्स की रफ्तनी बढ़ायेगी। जापान-सरकार ने यह प्रस्ताव भी रखा था कि भारत-जापान व्यापारिक सन्धि को सफल वनाने के लिये एक यह भी शर्त रहनी चाहिये कि जापान से भारत भेजने के लिये जितना पीसगुड्स स्वीकृत है, १२ अप्रैल १९४० से उसका परिमाण बढ़ाना स्वीकार किया जाय। जापान-सरकार को उत्तर देते हुए भारत-सरकार ने यह सूचित किया था कि वह उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार अपनी स्वीकृति नहीं देगी; पर वह इतना विश्वास दिला सकती है कि जैसा जापान-सरकार ने विश्वास दिलाया था कि वह रूई—समझौता रद्द होने पर इससे नाजायज़ फायदा नहीं उठायेगी, और जापानी पीसगुड्स की रफ्तनी वहुत अधिक नहीं बढ़ायेगी, उसके विपरीत जापान-सरकार यदि भारत में अधिक पीसगुड्स भेजे, तो भारत-सरकार इसको नियम-विरुद्ध नहीं समझेगी।

पुनः कमेटी ने ५ जुलाई १९४० को भारत—सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि इधर भारत-जापान व्यापारिक समझौते के सम्बन्ध में जो कारखाई हो रही है, उस पर कमेटी वड़ी उत्सुकता से ध्यान दे रही है। आगे चलकर कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारत में जापानी पीसगुड्स की बढ़ती हुई रफ्तनी के सम्बन्ध में जापान-सरकार ने कोई भी कारखाई नहीं की, वल्कि इसके विपरीत बिना किसी नियन्त्रण के यहां वहुत ज़्यादा पीसगुड्स आने लगा है। पुनः कमेटी ने भारत-सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि इस वात की हर सम्भावना है कि जापान से भारत के लिये सभी तरह के पीस-गुड्स की वहुत अधिक रफ्तनी होगी; क्योंकि जापान के कपड़े मैन्युफैक्चर करनेवालों ने कपड़े का मूल्य युद्ध के पहले के मूल्य से भी घटा दिया है। पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि

जापान के कपड़े की मिलों के सूती पीसगुड्स का स्टाक बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऐसी सम्भावना है कि ये कपड़े सस्ते से सस्ते दर में भारत भेजे जायंगे। कमेटी ने यह भी उल्लेख किया था कि भारत से कच्ची रूई का जापान जाना बहुत कम हो गया है, और जापान-सरकार के साथ जो वर्तमान बन्दोबस्त है, उसके अन्तर्गत भारत से कच्ची रूई भेजने में सुविधा नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में कमेटी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि भारतीय शिल्प को मटियामेट कर जापान इधर भारत में अपना व्यवसाय बढ़ाने की फ़िक्र में है, और यदि वह भारत में बहुत ज़्यादा कपड़ा भेजना शुरू कर देगा, तो इससे बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। अन्त में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को चाहिये कि वह भारत के कपड़े के उद्योग की, जो इस समय बड़ी संकटापन्न स्थिति में है, रक्षा करने की उचित व्यवस्था करे।

जापान-अधिकृत चीन के कपड़े की मिलों के माल का भारत के लिये निर्यात

६ मई १९४० को कमेटी ने भारत-सरकार के व्यापार-विभाग के सेक्रेटरी के पास एक पत्र लिखा, जिसमें जापान-अधिकृत क्षेत्रों में स्थित चीन के कपड़े की मिलों के माल का जो भारत के लिये निर्यात होता है, उसका ज़िक्र किया गया था। पत्र में कमेटी ने अपने १२ जून १९३९ के मेमोरेन्डम का हवाला दिया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि जापान-अधिकृत चीनी-क्षेत्रों के उद्योग-धन्धे पर जापान का अधिकार हो जाने के कारण उन क्षेत्रों से चीन से भारत में बहुत ज़्यादा माल आने की उम्मीद है। पुनः मेमोरेन्डम में यह उल्लेख किया गया था कि चीन के जिन क्षेत्रों में जापान का अधिकार हो गया है, उन क्षेत्रों की वस्तुओं को भारत-जापान व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत जापानी माल सम-

क्षना चाहिये। इस सम्बन्ध में कमेटी ने उक्त पत्र में इस वात पर प्रकाश डाला था कि कमेटी को जैसा विश्वास था वैसी ही परिस्थिति आ उपस्थित हुई है और जापान-अधिकृत चीनी-क्षेत्रों से भारत में माल का आना दिनों-दिन वढ़ता ही जा रहा है। इस सम्वन्ध में कमेटी ने आगे चलकर यह उल्लेख किया था कि भारत में छींट की मांग वहुत वढ़ गयी है और इसको पूरा करने के लिये यहां के कपड़े की मिलें, जो अभी अपनी शैशवावस्था में ही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं; लेकिन चीन से भारत के वाज़ार में वहुत ज़्यादा माल आने के कारण भारतीय मिलों को काफ़ी क्षति पहुंच रही है। फिर कमेटी ने इस वात पर प्रकाश डाला था कि जापान के मिल-मालिकों-द्वारा सञ्चालित चीन के कपड़े की मिलें जापान से आनेवाले माल के स्टैण्डर्ड और श्रेणी की चीजें तैयार करने में पूर्ण सफल हुई हैं, और इनपर जापानी ट्रेड मार्क भी रहता है। इस सम्वन्ध कमेटी ने यह आशंका प्रकट की थी कि भारत-जापान व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत जापान से भारत में जितना माल भेजने की शर्त रखी गई है, इससे वंचित होने के लिये जापान पहले जापान से चीन में माल भेज सकता है, और वहां से उसे चीन का तैयार माल घोषित कर भारत में भेजने का प्रवन्ध कर सकता है। इसलिये कमेटी ने भारत–सरकार को यह सुझाव दिया था कि नवीन भारत–जापान व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत जापान से भारत भेजने के लिये जितने पीसगुड्स की स्वीकृति दी जाय, उसमें जापान-अधिकृत चीनी-क्षेत्रों के पीसगुड्स के लिये भी आवश्यक शर्त रहनी चाहिये।

भारत-वर्मा व्यापारिक नियम-आदेश १९३७

भारत-सरकार के व्यापार-विभाग ने अपनी २० जुलाई १९३९ की प्रेस-सूचना में यह उल्लेख किया था कि भारत-वर्मा व्यापारिक

नियम-आदेश के सम्बन्ध में जिस पर भारत-सरकार के सेक्रेटरी तथा बर्मा-सरकार के सेक्रेटरी में विचार-विमर्श हो रहा है, उसके पास विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं से जो तार-सम्वाद आये हैं, उन पर विचार करते हुए वह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श हो रहा है, वह केवल प्रारम्भिक कार्यवाही है। प्रेस-सूचना में पुनः यह उल्लेख किया गया था कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि भारत-सरकार के सेक्रेटरी तथा बर्मा सरकार के सेक्रेटरी व्यापारिक समझौते के लिये प्रारम्भिक बातें तै कर लें, ताकि वर्तमान नियमों के बदले नये नियम लागू करने के लिये कौन्सिल के विचारार्थ पेश किये जायं, भारत-बर्मा व्यापारिक नियम-आदेश पर विचार-विमर्श हो रहा है। आगे चलकर प्रेस-सूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि भारत-बर्मा व्यापारिक समझौते की बातचीत चलेगी, तो भारत-सरकार का अभिप्राय बिना व्यापारिक क्षेत्रों की राय लिये किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचने का नहीं है। पर एक प्रेस-सूचना से यह जानकारी प्राप्त कर कि बर्मा-सरकार ने भारत-सरकार को एक साल का अग्रिम नोटिस देकर यह ज़ाहिर किया है कि भारत-सरकार दोनों देशों के वर्तमान आयात-निर्यात-सम्बन्धी व्यापारिक समझौते के नियमों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अपना मत प्रकाश कर दे, कमेटी ने २७ मई १९४० को भारत-सरकार के व्यापार-विभाग में एक पत्र लिख कर यह पूछा था कि क्या भारत-सरकार तथा बर्मा-सरकार के बीच कोई नया व्यापारिक समझौता होने की उम्मीद है? पुनः कमेटी ने भारत-सरकार को यह सुझाव दिया था कि यदि भारत-सरकार और वर्मा-सरकार के बीच कोई नया व्यापारिक समझौता होने को हो, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के पहले भारत-सरकार को चाहिये कि वह भारत के प्रतिष्ठित व्यवसायियों तथा मैन्युफैक्चर करनेवालों की

राय ले ले। कमेटी के पत्र का उत्तर देते हुए भारत-सरकार ने अपने १ मई १९४० के पत्र में २० जुलाई १९३९ की प्रेस-सूचना का हवाला देते हुए सूचित कियो कि भारत-सरकार का ऐसा विलकुल इरादा नहीं है कि वह सभी सम्बन्धित क्षेत्रों की राय लिये विना किसी नये समझौते के लिये अन्तिम निर्णय पर पहुंचे।

इसके पश्चात् कमेटी ने भारत-बर्मा-व्यवसाय-सम्बन्धी जितने आंकड़े प्राप्त हो सके, उनका संग्रह किया और २० दिसम्बर १९४० को भारत-सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया कि कलकत्ते में १६ जनवरी १९४१ को जो भारत-बर्मा व्यापारिक नियम-आदेश के सम्बन्ध में वाणिज्य-व्यावसायिक क्षेत्रों के हितों पर विचार करने के लिये कान्फरेन्स होने वाली है, उसकी सूचना चेम्बर को प्राप्त होनी चाहिये, ताकि चेम्बर अपने सदस्यों के लाभार्थ राय देने के लिये कान्फरेन्स में भाग ले सके।

भारतीय सूती पीसगुड्स के लिये स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म

भारतीय सूती पीसगुड्स के लिये स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार करने के अभिप्राय से चेम्बर ने इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में देश के सभी व्यापारिक क्षेत्रों के मत संग्रह किये। चेम्बर की कमेटी ने इस सम्बन्ध के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक ऐसा कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार किया, जिससे वर्तमान व्यावसायिक असुविधायें दूर हो सकें। कमेटी ने इस सम्बन्ध में विशेषतः इस बात पर ध्यान दिया था कि कन्ट्रैक्ट की शर्तें ऐसी रहें, जिनकी वजह से क्रेता-विक्रेता दोनों में से किसी को भी असन्तोष न हो। स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म कमेटी ने इस अभिप्राय और उद्देश्य से तैयार किया था कि भारतीय पीसगुड्स-सम्बन्धी उद्योग-धन्धे, जो वर्षों तक खून-पसीना एक कर वर्तमान स्थिति को पहुंचाये जा सके हैं, जनता में चालू हो सकें।

इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि भारतीय उद्योग-धन्धे को उन्नतिशील बनाने के लिये बाज़ार की समस्याओं को हल करना तथा उन क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, जिनकी सहानुभूति पर यह व्यवसाय अवलम्बित है, अत्यन्त आवश्यक है। पुनः कमेटी ने यह प्रकाश भी डाला था कि यद्यपि देश में कपड़े के प्रचार तथा वितरण के लिये मिलों ने अपने चीफ एजेन्ट नियुक्त किये हैं, फिर भी इससे विशेष लाभ नहीं होता, और मिलवाले चीफ एजेन्टों के साथ इस तरह का अव्यावसायिक व्यवहार करते हैं कि उनसे तङ्ग आकर कितने ही चीफ एजेन्ट इस व्यवसाय से अलग हो रहे हैं। कमेटी की राय में जिस कन्ट्रैक्ट के अनुसार कितने ही दिनों से सौदा होता चला आ रहा है, वह उचित नहीं जंचा; क्योंकि इससे क्रेता-विक्रेता उभय पक्षों को असुविधायें होती हैं, और यह बात अनुभव से सिद्ध हो चुकी है कि जब भाव कन्ट्रैक्ट के भाव से ऊंचा हो जाता है, तो खरीदार को यदि विक्रेता माल डिलेवरी नहीं दे, तो कन्ट्रैक्ट के बहुतेरे नियमों के अनुसार उसका कुछ वश नहीं चल सकता तथा यदि खरीदार को डिलेवरी लेने के लिये कन्ट्रैक्ट में उल्लिखित समय से अधिक समय के लिये स्वीकृति नहीं दी जा सकती और न उसे कन्ट्रैक्ट रद्द करने का ही अधिकार रहता है। पुनः कमेटी ने इस सम्बन्ध में यह राय ज़ाहिर की थी कि यदि एक स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म चालू किया जाय, तो इससे कपड़े के उद्योग-धन्धे की समस्या सहज में ही हल हो सकती है; क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष बात है कि कन्ट्रैक्ट फार्म के नियमों के दोष के कारण फारवर्ड डिलेवरी की शर्तों के अनुसार खरीदार सौदा नहीं करना चाहते, और इससे कपड़े की मिलों को काफी शिकस्ती उठानी पड़ रही है। प्रचलित कन्ट्रैक्ट की शर्तों पर विचार करते हुए, जिसके अनुसार खरीदार और मिलवाले सौदा पक्का करते

हैं, कमेटी ने कन्ट्रैक्ट की त्रुटियों पर इस व्यवसाय से सम्बन्धित क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित करने का इरादा किया, इसलिये चेम्बर की एक स्पेशल सब कमेटी ने परिस्थिति की जांच कर एक नया कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार किया, और इसपर सभी सम्बन्धित क्षेत्रों की राय मांगी।

२ जनवरी १९४० को कमेटी ने बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग के पास एक पत्र लिखा। पत्र के साथ कमेटी ने नये कन्ट्रैक्ट फार्म की एक प्रति भी भेजी थी, और इस सम्बन्ध में अपना अभिप्राय और उद्देश्य भी उल्लेख किया था। चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए अपने २४ अगस्त १९४० के पत्र में बंगाल-सरकार ने सूचित किया कि इस विषय की सूचना भारत-सरकार को भेज दी गई है, और वह जो निर्णय करेगी, वह चेम्बर को सूचित कर दिया जायगा। इस बीच कमेटी ने नये कन्ट्रैक्ट फार्म की शर्तों और नियमों के सम्बन्ध में देश भर के चेम्बरों और एसोसिएशनों की राय संग्रह करने के उद्देश्य से लिखा-पढ़ी जारी रखी। यह हर्ष की बात है कि देश के सभी प्रमुख चेम्बरों से सन्तोषजनक उत्तर मिले। युनाईटेड प्रोभिन्सेज़ चेम्बर आफ कामर्स ने अपने १६ सितम्बर १९४० के पत्र में पीसगुड्स के व्यवसाय के लिये स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म बनाने की आवश्यकता पर खूब ज़ोर दिया, और उसने मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स के सुझावों और प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन किया। दि मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ युनाईटेड प्रोभिन्सेज़ ने भी स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट के सम्बन्ध में इस चेम्बर के प्रयत्न में सहयोग देने का आश्वासन दिया बशर्ते कि देश के सभी भागों के पीसगुड्स के व्यवसायी और कपड़े के मिलवाले इस प्रकार का स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म स्वीकार करें। बम्बई के मिल-ओनर्स एसोसिएशन ने इस चेम्बर के सुझावों के अनुसार स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार करने की योजना से सहमत नहीं होते हुए इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया

कि मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स द्वारा तैयार किये हुए प्रस्तावित कन्ट्रैक्ट फार्म और एसोसिएशन के स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म में तुलना करने पर यह निश्चित होता है कि चेम्बर द्वारा तैयार किये गये स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म में कई नई शर्तें हैं, जो मंजूर कर ली गई हैं, और मिलवाले उनके अनुसार काम भी करते हैं। अहमदावाद मिल ओनर्स एसोसिएशन ने यह राय दी थी कि अहमदावाद और कलकत्ता दोनों स्थानों के लिये एक ही कन्ट्रैक्ट फार्म रखना उचित नहीं होगा। अपने २० मई १९४० के पत्र में वम्बई मिल ओनर्स एसोसिएशन ने सूचित किया कि इस विषय से एसोसिएशन के हित सम्बन्धित हैं, इसलिये जव तक प्रस्तावित स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म के ऊपर एसोसिएशन कुछ रचनात्मक सुझाव न दे सके, तव तक किसी भी क्षेत्र से कोई राय क्यों न आये, उससे विशेष लाभ होने की सम्भावना नहीं। इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स। (कलकत्ता) ने एक स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म की आवश्यकता महसूस करते हुए राय दी थी कि इस प्रकार का कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार करने के लिये पहले कपड़े के व्यवसायियों और मिलवालों को कन्ट्रैक्ट फार्म की शर्तों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर एक निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता है। मुस्लिम चेम्बर आफ कामर्स ने स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए यह सुझाव दिया था कि इस प्रकार का कन्ट्रैक्ट फार्म किसी ख़ास केन्द्र के लिये ही नहीं होना चाहिये, वल्कि सार्वदेशीय होना चाहिये; क्योंकि ऐसी व्यवस्था के बिना व्यवसाय के मार्ग में काफ़ी अड़चनें आने की सम्भावना है। ग्वालियर चेम्बर आफ कामर्स ने इस चेम्बर द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावित स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म को वहुत ही पसन्द किया, और इसका ज़ोरदार समर्थन किया। विहार चेम्बर आफ कामर्स ने स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म की आवश्यकता स्वीकार करते हुए यह सुझाव दिया था कि इस प्रकार के कन्ट्रैक्ट फार्म में

ऐसी शर्तें रहनी चाहिये जो सभी सम्बन्धित क्षेत्रों को मान्य हों और यह तभी हो सकता है, जब सभी सम्बन्धित पक्ष आपस में विचार-विमर्श कर कन्ट्रैक्ट फार्म की शर्तें निश्चित करें। मारवाड़ी एसोसिएशन ने भी स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म का समर्थन करते हुए सूचित किया कि उसने इस प्रस्ताव पर सरकार को अपने विचार लिख दिये हैं।

मारवाड़ी चेम्वर आफ कामर्स ने १९४० में होनेवाले फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री के तेरहवें अधिवेशन में रखने के लिये निम्न प्रस्ताव तैयार किया:—

"फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स ओफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारतीय टैक्सटाइल, काटन और आर्टिफिसियल सिल्क मिलों और कपड़े के व्यवसायियों के वीच तथा व्यवसायियों व्यवसायियों के वीच सौदे के लिये अहमदावाद मिल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा स्वीकृत कन्ट्रैक्ट फोर्म के आधार पर एक स्टैण्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म तैयार करने के लिये आवश्यक कारखाई की जाय, ताकि भिन्न-भिन्न प्रकार के कन्ट्रैक्ट फार्मों की वजह से जो असुविधायें होती हैं, जिनसे व्यवसाय की सुदृढ़ता और उन्नति में बाधा पहुंचती है, वे असुविधायें दूर हो सकें, और व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रस्ताव को कार्यरूप में लाने की व्यवस्था करने के लिये एक इस प्रकार की योग्य कमेटी निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसमें मिलों, व्यवसायियो, और विभिन्न चेम्बरों के प्रतिनिधि शामिल किये जायं।"

पर मीटिंग में उक्त प्रस्ताव वादविवाद के लिये नहीं रखा जा सका। पुनः चेम्बर की कमेटी ने स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म का पूर्ण विवरण उल्लेख कर एक पैम्फलेट छपाया, और इसपर राय संग्रह करने के लिये देश के सभी चेम्बरों और एसोसिएशनों के पास भेजा।

अवरक का उद्योग-धन्धा

२८ सितम्बर १९४० को चेम्बर की कमेटी ने भारत-सरकार के व्यापार-विभाग के पास एक पत्र लिखा, जिसमें अवरक के उद्योग-धन्धे की शोचनीय आर्थिक परिस्थिति तथा गिरी हुई दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। इस सिलसिले में कमेटी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि इस विषय की चर्चा कमेटी के सदस्यों तथा भारत-सरकार के माननीय व्यापार-सदस्य दीवान बहादुर सर ए० रामास्वामी मुदालियर के साथ २५ सितम्बर १९४० को, जिस दिन कमेटी ने उनके साथ मुलाक़ात की थी, हो चुकी है, और माननीय सदस्य ने विश्वास दिलाया है कि इस विषय पर वे पूर्ण ध्यान देंगे और जहां तक हो सकेगा उनका विभाग चेम्बर के सुझावों पर ध्यान देगा; पर वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए भारत से जापान के लिये अवरक निर्यात करने के लिये जो नियन्त्रण लगाये गये हैं, वे कम नहीं किये जा सके। पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि युद्ध की वजह से अवरक का व्यवसाय इतना गिर गया है कि बहुतेरे खानवाले उत्पादन की खपत नहीं होने के कारण अपनी खानें बन्द किये बैठे हैं। फिर कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि यद्यपि भारत में संसार के अवरक का ७५ सैकड़ा अवरक मौजूद है; पर जब तक इस उद्योग-धन्धे की उन्नति के लिये पूरा प्रयत्न नहीं किया जायगा, तब तक स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं; और इस बात की भी आशंका है कि इस परिस्थिति से लाभ उठाकर रोडेशिया, मेडागास्कर, आर्जेन्टाइन रिपब्लिक, कनाडा, और ब्रेज़िल आदि अवरक-केन्द्र अपना व्यवसाय सुदृढ़ बना लें, और भारतीय अवरक के बाज़ारों पर अपना सिक्का जमा लें। भारतीय अवरक के लिये नये बाज़ार ढूंढ़ने में सहयोग देने के पहले कमेटी ने भारत-सरकार को

इस बात से अवगत कराना उचित समझा कि भारत से किसी भी श्रेणी का अबरक, चाहे जितनी ज़रूरत हो, प्राप्त हो सकता है, और यह सहज में ही खानों से निकाला जा सकता है। इस सिलसिले में कमेटी ने यह भी उल्लेख किया था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बृटेन के लिये अनेकों तरह के शस्त्रास्त्र निर्माण कर रहा है, और वह जो पहले संसार के अबरक के उत्पादन का ४९ सैकड़ा अबरक खरीदता था, उसे अभी उससे बहुत ज़्यादा अबरक की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त कमेटी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रद्दी अबरक और अबरक के चूर का भी प्रमुख खरीदार है; और इस तरह के माल का भारत में काफ़ी स्टाक जमा हो गया है। कमेटी ने आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के लिये अबरक की निर्यात-वृद्धि की सम्भावना प्रकट की थी। चूंकि जापान केवल अपनी साधारण आवश्यकताओं के लिये ही भारत से अबरक खरीदता है, इसलिये कमेटी ने सरकार को इस बात पर विचार करने के लिये कि युद्ध सामग्रियों के लिये जापान में कितना अबरक भारत से निर्यात करने की स्वीकृति मिल सकती है, अनुरोध किया था। पुनः कमेटी ने भारत-सरकार को यह सुझाव दिया था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नियुक्त इन्डियन ट्रेड कमिश्नर को यह हिदायत देनी चाहिये कि वह वहां के अधिकारियों को इस बात पर राज़ी करने का प्रयत्न करें कि वे भारत और कनाडा तथा मेडास्कर के अबरक के लिये पृथक-पृथक नियम नहीं लागू कर एक ही तरह का नियम रखें, और भारतीय अबरक की ड्यूटी में उचित कमी करें। कमेटी ने भारत-सरकार को आस्ट्रेलिया के इण्डियन ट्रेड कमिश्नर को भी उक्त प्रकार की हिदायत देने का सुझाव दिया था। आगे चलकर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि विदेशों में भारतीय अबरक की खपत बढ़ाने के लिये भारत-सरकार को एक अबरक-विशेषज्ञ-अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था

करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि इस प्रकार के अवरक-विशेषज्ञ-अधिकारी के लिये जो खर्च वहन करना पड़ेगा, वह सरकार को अबरक के व्यवसायियों से प्राप्त हो सकता है।

उक्त पत्र की नक़ल कमेटी ने मिनिस्ट्री आफ सप्लाई मीशन के चेयरमैन सर अलेक्ज़ेन्डर रोजर के पास भेज दी। सर अलेक्ज़ेन्डर ने अपने ५ अक्टूबर १९४० के पत्र में चेम्बर को यह सूचित किया कि उन्होंने चेम्बर के पत्र की नक़ल मीशन के सदस्यों में वितरण करा दी है, और समयानुसार इस विषय पर विचार किया जायगा।

कमेटी ने अपने मेमोरेन्डम की एक प्रति अमेरिकन कान्सलेट जेनरल, कलकत्ता, के पास भेजते हुए खास कर उनका ध्यान भारत से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजे जानेवाले अबरक पर जो अत्यन्त अधिक ड्यूटी लगती है तथा भारतीय अबरक की अपेक्षा कनाडा और मेडागास्कर के अबरक को जो नाजायज़ सुविधा मिलती है, इन बातों की ओर आकर्षित किया था। अपने २२ अक्टूबर १९४० के पत्र में अमेरिकन कान्सलेट ने चेम्बर को उत्तर देते हुए सूचित किया कि अमेरिकन कस्टम्स कई तरह के अबरक पर ४५ प्रतिशत तक ड्यूटी लगाता है, और टेरिफ शेड्यूल की जांच से पता चलेगा कि कनाडा के अबरक के लिये तीन अपवाद स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से दो तो फ्लोगोफाइट माइका के लिये हैं, जो कनाडा में होता है, लेकिन भारत में नहीं होता। पुनः कान्सलेट महोदय ने यह उल्लेख किया था कि टेरिफ शेड्यूल में मेडागास्कर से आने वाले अबरक के लिये किसी प्रकार की रिया-यत नहीं स्वीकृत हुई है। आगे चलकर कान्सलेट महोदय ने यह उल्लेख किया था कि बहुत दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार निकटवर्ती देशों के लिये कस्टम्स-सम्बन्धी विशेष सुविधायें स्वीकृत की गई हैं, और जो निकटवर्ती देश इस प्रकार का सम्बन्ध

स्थापित करे उसको कस्टम्स-द्वारा सुविधा दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में खास कर यह उल्लेख किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका-द्वारा कनाडा के अवरक के लिये जो तीन विशेष सुविधायें स्वीकृत की गई हैं, उनमें से दो तो उस प्रकार के अवरक के लिये हैं, जिसका भारत में उत्पादन नहीं होता, और तीसरी सुविधा यह है कि भारत तथा अन्य देशों के अवरक के लिये २० प्रतिशत ड्यूटी लगती है, पर कनाडा के अवरक के लिये १५ प्रतिशत कस्टम्स ड्यूटी लगती है। इसके अतिरिक्त कान्सलेट महोदय ने यह उल्लेख किया था कि पिछले दस वर्षों में अवरक का आयात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बहुत कम हुआ है। अन्त में कान्सलेट महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कई तरह के अवरक जो भारत में पैदा होते हैं, इनकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बहुत ज्यादा खपत होती है, और इस बात पर ध्यान देते हुए अमेरिका-कस्टम्स की ड्यूटी का प्रश्न विशेष महत्व नहीं रखता; क्योंकि अधिक ड्यूटी लगने पर भी अमेरिका के मैन्युफैक्चर करनेवालों को वाध्य होकर भारतीय अवरक खरीदना पड़ता है।

अमेरिका तथा जापान के लिये भारत के अवरक-निर्यात के सम्बन्ध में कमेटी ने इस क्षेत्र से सम्बन्धित अधिकारियों तथा कलकत्ता के शीपिंग कलक्टर से पत्र-व्यवहार ज़ारी रखा और यह सन्तोष की बात है कि कमेटी के परिश्रम से भारतीय अबरक के निर्यात की वहुतेरी असुविधायें दूर हो गईं।

चेम्बर के २८ सितम्बर १९४० के पत्र का उत्तर देते हुए अपने ३१ दिसम्बर १९४० के पत्र-द्वारा भारत-सरकार ने निम्न बातें सूचित कीं :—

(क) इस सम्बन्ध में न्यूयार्क-स्थित इन्डियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर को पत्र लिखा गया था, और उत्तर में उन्होंने यह सूचित किया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत तथा अन्य देशों से

आनेवाले अबरक के लिये अमेरिका के कस्टम्स के टेरिफ में एक समान नीति अवलम्बन की गई है।

(ख) इस सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया-स्थित इन्डियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर को आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं।

(ग) भारत-सरकार की नीति भारतीय-अबरक-निर्यात पर किसी भी तरह का नियंत्रण लगाने की नहीं है।

(घ) भारत-सरकार ने इस देश में जो इन्टर डोमीनियन एण्ड कोलोनियल कान्फरेन्स होनेवाली है, उसमें भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट करने की पूर्ण चेष्टा की है कि युद्ध की आवश्यकताओं के लिये भारत पर निर्भर किया जा सकता है।

(ङ) इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि चेम्बर के पत्र में उल्लिखित देशों में से बहुतेरे देश मैन्युफैक्चर का काम नहीं करते और अबरक की खपत बहुत कम होती है, भारत-सरकार को इस बात का इतमीनान नहीं होता कि यदि इन देशों में भारतीय-अबरक के लिये बाज़ार तैयार करने के उद्देश्य से एक अबरक-विशेषज्ञ नियुक्त किया जाय, तो उसके लिये भारत-सरकार को जो खर्च वहन करना पड़ेगा, उसका परता पड़ जायगा।

पूर्वीय भारतीय स्टेटों के अन्तर्गत खनिज द्रव्य

चेम्बर ने अपने सदस्यों के लाभार्थ विभिन्न पूर्वीय भारतीय स्टेटों में स्थित खनिज द्रव्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ किया। चेम्बर ने इस सम्बन्ध में सभी पूर्वीय स्टेटों को पत्र लिख कर वहां के अधिकारियों से उनके स्टेटों में पाये जानेवाले खनिज द्रव्यों का पूरा विवरण तथा खानों से माल निकालने की शर्तों आदि के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देने का अनुरोध किया। यह हर्ष की बात है कि चेम्बर के प्रयास के फलस्वरूप कई स्टेटों ने अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत पाये

जानेवाले खनिज द्रव्यों का पूर्ण विवरण चेम्बर के पास भेजा, जिसके अन्तर्गत अन्य खनिज द्रव्यों के अतिरिक्त कोयला, माइका, चाइना क्ले, फास्फाइट और फेल्सपर, ह्वाइट क्ले, रेड ओकार, फाइन क्ले, आयरन ओर, लाइम स्टोन, स्नो ह्वाइट, कान्टीविनास, कावलिन, मैंगनीज़, क्रोमाइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट और राक क्रिस्टल के नाम भी उल्लिखित थे। चेम्बर ने इस सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त करने का कार्य ज़ारी रखा, ताकि इस विषय से सम्बन्धित सदस्य लाभ उठा सकें।

यह जान कर आश्चर्य होगा कि शक्ति स्टेट में लाइम स्टोन प्राप्त हो सकता है, और स्टेट के दीवान ने चेम्बर को सूचित किया है कि १००) जमा देकर किसी एक निर्धारित केन्द्र के अन्तर्गत लाइमस्टोन का पता लगाने के लिये लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकता है, और खान का पता लग जाने पर गवर्नमेंट माइनिङ्ग मैन्युअल के नियम-क़ानून के अनुसार खान में काम करने के लिये लाइसेन्स लिया जा सकता है।

रायगढ़ स्टेट के इन्डस्ट्री और मार्केटिङ्ग अफसर ने चेम्बर को सूचित किया कि रायगढ़ स्टेट के अन्तर्गत कोयला और माइका पर्याप्त परिमाण में प्राप्त हो सकता है तथा लाइम स्टोन, डोलोमाइट, आयरन, रेड आकर, क्वार्ज़, सीमेन्ट स्टोन और कई अन्य प्रकार के खनिज द्रव्य भी हैं। इसके अतिरिक्त खरसवां स्टेट के दीवान ने चेम्बर को पत्र भेज कर सूचित किया कि खरसवां स्टेट के अन्तर्गत उत्तम श्रेणी का कापर ओर तथा माइका प्राप्त हो सकता है। पुनः आठमल्लिक दरबार ने यह सूचित किया कि उनके स्टेट के अन्तर्गत खनिज द्रव्यों के अतिरिक्त बांस तथा बहेड़े का जंगल भी है, जिसका व्यवसाय काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। सरगुजा स्टेट ने स्टेट के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाले खनिज द्रव्यों का पूर्ण विवरण भेजते हुए चेम्बर को सूचित किया कि सी० पी०

माइनिङ्ग मैन्युअल के नियम-क़ानून के अनुसार खानों का पता लगाने के लिये तथा लीज़ लेने के लिये लाइसेन्स लिये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में उदयपुर (ईस्टर्न स्टेट्स एजेन्सी), जैशपुर, मौरभंज, तालचर, पाटलहारा, बौध स्टेट, पटना स्टेट, गंगपुर स्टेट केवॅझर स्टेट, वस्तर स्टेट तथा कई अन्य स्टेटों से भी कई तरह के खनिज द्रव्यों के सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त हुई।

ख़रीदारों को माल डिलेवरी देनेके पहले पीसगुड्स के नमूने देने की व्यवस्था

सन् १९३९ की चेम्बर की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जा चुका है कि १३ अगस्त १९३९ की मीटिंग में चेम्बर की कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिये भारतीय मिलों को चाहिये कि वे लङ्काशायर और जापान के मिल-वालों की तरह ख़रीदार के साथ फारवर्ड डिलेवरी की शर्तों के अन्तर्गत जिस माल का सौदा पक्का करें, उसका नमूना माल तैयार हो जाने पर ख़रीदार को माल डिलेवरी के पहले दे दें, ताकि ख़रीदार उसकी जांच कर सके। कमेटी ने इस सम्बन्ध में सङ्गठित राय एकत्र करने के उद्देश्य से विभिन्न चेम्बरों और एसोसिएशनों से पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया।

चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए अपने १४ फरवरी १९४० के पत्र-द्वारा बंगाल चेम्बर आफ कामर्स ने सूचित किया कि इस चेम्बर का प्रस्ताव उसने अपने सदस्यों की राय संग्रह करने के लिये वितरण कराया था, और उनसे उत्तर पाने के पश्चात् उसकी स्वदेशी कपड़ा और सूत सब-कमेटी ने विचार किया कि बंगाल चेम्बर आफ कामर्स के सभी सदस्य मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स के प्रस्ताव के पक्ष में हैं तथा उसके सदस्य खरीदारों को माल डिलेवरी के पहले जांच के लिये नमूना दे देते हैं।

पिसाई अवरक का उद्योग

१६ अक्टूबर १९४० को चेम्बर की कमेटी ने भारत-सरकार के व्यापार-विभाग के पास पत्र लिख कर सरकार का ध्यान इस देश के पिसाई अवरक के उद्योग की सम्भावनाओं की ओर आकर्षित किया था। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि भारत में निम्न-श्रेणी का अवरक या रद्दी अवरक अथवा अवरकवाले पत्थर तथा खनिज-द्रव्य की वहुतायत मौजूद है, और पिसाई अवरक के उद्योग के लिये इन चीजों की खपत की वहुत अधिक सम्भावना होते हुए भी कोई उपयोगी साधन नहीं होने के कारण इनका आर्थिक उपयोग नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में कमेटी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पिसाई अवरक-सम्बन्धी टेरिफ कमीशन रिपोर्ट से निम्न बातें उद्धृत की थीं :—

"यद्यपि भीगी पिसाई एकदम इस काम का अनुभव नहीं होने पर पहले-पहल सफलता के साथ नहीं की जा सकती, फिर भी यह कोई वहुत कठिन काम नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिये वहुत अधिक पूंजी की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती। अतः इस वात को दृष्टिगत रखते हुए कि पिसाई अवरक के उद्योग के लिये भारत में आवश्यकतानुसार खनिज-द्रव्य सुलभ हो सकता है तथा वहां श्रमिकों को मज़दूरी भी वहुत कम दर से देनी पड़ती है और जूट के बोरे भी माल भरने के लिये वहुत सस्ते दाम में मिल सकते हैं, यह निश्चित है कि भारत सूखे तथा भीगे दोनों ही तरह के पिसाई अवरक की सप्लाई के लिये संसार का प्रधान केन्द्र हो सकता है। यह सम्भव है कि यदि पिसाई अवरक का मूल्य वर्तमान मूल्य से क़ाफी घटा दिया जाय, तो इस प्रकार की कई अन्य चीज़ों के वदले इसका उपयोग होना शुरू हो जाय, और इस प्रकार पिसाई अवरक के व्यवसाय के लिये विस्तृत वाज़ार तैयार हो जाय।"

कमेटी ने आगे चल कर इस बात पर प्रकाश डाला था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही एक ऐसा देश है, जहां रद्दी अवरक तथा अवरक के चूर का उपयोग होने के कारण पिसाई-अवरक-उद्योग उन्नति कर सकता है; पर वहां अबरक-उद्योग की प्रारम्भिक अवस्था में रद्दी अथवा खराब अवरक या उस अबरक का, जो बिलकुल अनुपयोगी समझ कर फेंक दिया जाता था, उपयोग नहीं किया जाता था, जैसा कि अभी भी भारत तथा अन्य देशों में किया जाता है; लेकिन वर्तमान समय में केवल रद्दी अथवा खराब अवरक तक का ही उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि पिसाई अवरक के उद्योग के लिये अबरक वाले पत्थरों का भी उपयोग होता है। पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि अवरक का चूर पिसाई के काम के लिये मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही व्यवहार में लाया जाता है, जिससे अवरक की खानों को लाभ पहुंचता है।

इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने विपुल रद्दी खनिज द्रव्यों का उपयोग कर इसे राष्ट्र की संपत्ति के रूप में परिणत किया है, कमेटी ने भारत तथा अन्य देशों के पिसाई अबरक के उपयोग के सम्बन्ध में कितने ही महत्व-पूर्ण सुझाव दिये थे, जिनके सारांश निम्न लिखित हैं :—

(१) मकान की छत के उपयोग के लिये तथा छत के ऊपर अलकतरा पोताई करने से जो लस होता है, उसको दूर करने के लिये पिसाई अवरक का व्यवहार होता है।

(२) पिसाई अवरक वाल-पेपर, पेन्ट, आकर्षक ढंग की टालियां तथा कंक्रीट आदि मैन्युफैक्चर करने के लिये व्यवहार किया जाता है।

(३) अवरक तथा अलमुनियम के पाउडर को मिलाल कर जो पेन्ट तैयार होता है, वह जिस चीज़ में लगाया जाता है, उसमें जंग नहीं पकड़ता।

(४) पिसाई अवरक दीवार के प्लास्टर के लिये व्यवहार किया जाता है।

(५) मकान की छतों के बाहरी और भीतरी भागों में पिसाई अवरक का उपयोग होता है।

(६) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में केवल मकानों की छतों के व्यवहार के लिये वहां के कुल पिसाई अवरक का ७८ प्रतिशत अवरक लगता है।

(७) वाल पेपर के उपयोग के लिये पिसाई अवरक की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

(८) पिसाई अवरक रबड़-उद्योग में बहुत ज़्यादा व्यवहार किया जाया है। खास कर आटो टायर के लिये काम में लाया जाता है। यह रबड़ के लिये बड़ा उपयोगी फीलर सिद्ध हो चुका है, और टाल्क, सिलीक्स, ऐसबेस्टस तथा अन्य सस्ते मूल्य के फीलरों की प्रतियोगिता में आ सकता है।

(९) पिसाई अवरक टायरों के ट्यूब के अन्दर लगाया जाता है, ताकि भीतर में लस न आये। रबड़ के टायरों की ढलाई करने के पहले उसमें पिसाई अवरक लगाया जाता है, तथा शिपमेन्ट के लिये टायर पैक करने के पहले उस पर अवरक का बुरादा लगाया जाता है।

(१०) खास-खास प्रकार के पेन्ट तैयार करने के लिये इस समय पिसाई अवरक का व्यवहार बहुतायत में होता है।

(११) पिसाई-अवरक पानी भरने के रबड़ के थैले के लिये भी व्यवहार होता है, जिसकी वजह से थैले में लस नहीं धरता। इसके अतिरिक्त अवरक का बुरादा लगाने से थैले बहुत आकर्षक ढंग के बनते हैं।

(१२) उक्त उपयोगों के अतिरिक्त पिसाई अवरक कई प्रकार के अन्य व्यवहारों में भी आता है, जैसे :—

(क) मोल्डेड इन्सुलेशन के उपयोग के लिये न्यूयार्क के जेनरल इलेक्ट्रीक कम्पनी-द्वारा पिसाई अवरक पर्याप्त परिमाण में व्यवहार किया जाता है।

(ख) आस्फाल्ट सिंगिल्स की सतह बनाने में पिसाई अबरक व्यवहार होता है।

(ग) क्रिसमस ट्री स्नो के लिये भी पिसाई-अबरक का उपयोग होता है।

(घ) लुब्रिकेन्ट्स के लिये पिसाई अबरक काम में लाया जाता है।

(ङ) शीशा आदि रंगने के लिये तथा कंक्रीट, स्टील फाउन्ड्री आदि के लिये भी पिसाई अबरक की ज़रूरत पड़ती है।

(च) पाइप लाइन रंगने के लिये पिसाई अबरक का प्रयोग होता है।

(छ) प्लास्टिक में विशेषता लाने के लिये अबरक का बुरादा व्यवहार किया जाता है।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कमेटी ने भारत-सरकार को यह सुझाव दिया था कि बोर्ड आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च को यह कार्य सुपुर्द करना चाहिये कि वह इस देश में पिसाई-अबरक-उद्योग प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक अन्वेषण कर सके।

चेम्बर की कमेटी ने भारत-सरकार के व्यापार-सदस्य माननीय सर ए० रामास्वामी मुदालियर से २५ सितम्बर १९४० को मुलाक़ात की थी, और अन्य विषयों के अतिरिक्त उनके साथ पिसाई अबरक-उद्योग के सम्बन्ध में भी वाद-विवाद किया था। इस सिलसिले में सदस्य महोदय ने चेम्बर को यह आश्वासन दिया था कि यदि व्यापारी-समुदाय का कोई व्यक्ति पिसाई अबरक-उद्योग भारत में प्रारम्भ करे, तो सरकार उसको सहयोग देने में पीछे नहीं हटेगी। इस व्यवसाय के लिये जो मशीनों की दरकार पड़ती है, इस सम्बन्ध में सदस्य महोदय ने यह कहा था कि आवश्यक

मशीनों की सप्लाई के लिये भारत-सरकार अमेरिका अथवा अन्य मित्र-राष्ट्रों के साथ वन्दोवस्त करने की पूरी कोशिश करेगी। सदस्य महोदय ने इस वात का भी आश्वासन दिया था कि इस विषय को वोर्ड आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च के पास भेजने के लिये चेम्वर ने जो भारत-सरकार को सुझाव दिया है, इस पर सरकार उचित विचार करेगी।

रुई की गांठों के आँकड़े संग्रह करने का प्रस्ताव

अपने २३ दिसम्वर १९३९ के पत्र के साथ बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग ने भारत-सरकार के व्यापार-विभाग के पास लिखे गये इन्डियन सेन्ट्रल काटन कमेटी, बम्बई, के सेक्रेटरी के पत्र की नक़ल चेम्वर के पास भेजते हुए इस पर चेम्बर की राय मांगी थी। उक्त कमेटी के सेक्रेटरी ने पत्र में इस व्यवसाय के श्रेणी-विभाग के आधार पर रूई की गांठों के आंकड़े संग्रह करने के लिये भारत-सरकार को आवश्यक काररवाई करने का सुझाव दिया था। इस सम्बन्ध में सेक्रेटरी महोदय ने यह प्रकाश डाला था कि वर्तमान में जो रूई की गांठों के आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित करने का तरीक़ा है, यह भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर है, और ईस्ट इन्डिया काटन एसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई, के रूई-वाड़े के विभिन्न कन्ट्रैक्टों के अन्तर्गत जो कई तरह की रूई का उल्लेख रहता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए, इस निर्णय पर पहुंचना पड़ता है कि आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित करने के वर्तमान तरीक़े से रूई सप्लाई के व्यवसाय में वहुत कम सहायता मिलती है, इसलिये आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित करने के लिये सरकार को ईस्ट इन्डियन काटन एसोसिएशन के सुझावों का अनुकरण करना चाहिये, जिसका पूर्ण विवरण पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कमेटी ने अपनी राय भेजते हुए ईस्ट इन्डिया काटन एसोसिएशन लिमिटेड-द्वारा बताये गये रूई के आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित करने के सुझाओं की प्रशंसा करते हुए भी वह इस बात से सहमत नहीं थी कि वर्तमान समय में जो रूई के आंकड़ संग्रह करने तथा प्रकोशित करने की प्रणाली है, उससे इस व्यवसाय में विशेष लाभ नहीं पहुंचता। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी थी कि यह सम्भव हो सकता है कि रूई सप्लाई के लिये ईस्ट ईन्डिया काटन एसोसिएशन लिमिटेड के विभिन्न कन्ट्रैक्टों के मुताबिक़ व्यवसाय करने में वर्तमान में प्रकाशित होनेवाले रूई के आंकड़ों से अधिक सहायता नहीं मिल सके, फिर भी इसकी उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा सकती। पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि आंकड़े संग्रह करने तथा प्रकाशित करने का तरीक़ा रूई के विभिन्न व्यावसायिक नामों के आधार पर होना चाहिये और यदि यह सम्भव नहीं हो सके, तो इन्डियन सेन्ट्रल काटन कमेटी के सुझावों के अनुकूल होना चाहिये।

युद्ध की आवश्यकताओं के लिये माल सप्लाई की व्यवस्था

व्यापारी-समुदाय के कतिपय व्यक्तियों की यह धारणा थी कि युद्ध की आवश्यकताओं के लिये भारत-सरकार के सप्लाई विभाग से स्वदेशी उद्योग-धन्धे को उचित आर्डर नहीं मिलता, इस लिये इस सम्बन्ध में चेम्बर की कमेटी ने आवश्यक कारवाई प्रारम्भ की, और यह सन्तोष की बात है कि चेम्बर के प्रयत्नों से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ।

बिल्स आफ एक्सचेञ्ज और शीपिङ्ग के काग़ज़ात

अपने १७ अप्रैल १९४० के पत्र-द्वारा कलकत्ता-एक्सचेञ्ज बैंक-एसोसिएशन ने चेम्बर को सूचित किया कि भारत के अन्य बन्दर-

गाहों तथा अन्य देशों में प्रचलित नियम के अनुसार भारत के निर्यात के शिपमेन्ट-सम्बन्धी बिल्स आफ एक्सचेञ्ज ट्रिपलिकेट रखने का नियम बनाया जायगा। आगे चलकर पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर शीपिङ्ग के काग़ज़ात भी ट्रिपलिकेट रखने का नियम बनाया जायगा। इस सिलसिले में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि यद्यपि बैंकों की आवश्यकता डुपलिकेट कापी से ही पूरी हो जाती है, फिर भी इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि युद्ध के कारण हवाई तथा सामुद्रिक दोनों ही डाकों के लिये ख़तरा रहता है, बिल्स आफ एक्सचेञ्ज ट्रिपलिकेट रहना चाहिये, ताकि विशेष आवश्यकता के लिये इसकी एक प्रति सुरक्षित रखी जा सके। बिल्स आफ एक्सचेञ्ज की ट्रिपलिकेट कापी पर ड्यूटी का बराबर-बराबर विभाग कर स्टाम्प लगाने का नियम रखा गया था। चेम्बर ने कलकत्ता एक्सचेञ्ज बैंक एसोसिएशन के पत्र की नक़ल तथा इस सम्बन्ध में सभी बातें खुलासा कर इन्हें इस विषय से सम्बन्धित सदस्यों की जानकारी के लिये वितरण कराया।

पीसगुड्स के व्यवसाय में बट्टा खाता ब्याज तथा बट्टा के नियम

पीसगुड्स के व्यवसाय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों के लाभार्थ चेम्बर की कमेटी ने बट्टाखाता ब्याज तथा बट्टा के सम्बन्ध में बाज़ार में प्रचलित निम्नलिखित नियमों का संग्रह किया।

(१) स्वदेशी पीसगुड्स की पूरी गांठ लेने पर ख़रीदार को विक्रेता को गांठ डिलेवरी के दिन के तीसरे दिन दाम चुकती कर देना चाहिये।

(२) माल डिलेवरी के तीसरे दिन दाम चुकती कर देने पर विक्रेता को खरीदार को १॥ प्रतिशत बट्टा (१२ प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से ४५ दिन का ब्याज) देना चाहिये।

(३) यदि माल डिलेवरी के तीसरे दिन खरीदार विक्रेता को माल का मूल्य चुकती नहीं कर सके, तो इस हालत में वह जितने दिन बाद मूल्य चुकती करे, उतने दिन का व्याज बट्टा के रूप में बाद मिलेगा। उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि खरीदार ने विक्रेता को माल डिलेवरी के सोलहवें दिन माल का मूल्य चुकती करे, तो उसे १२ प्रतिशत सालाना व्याज के हिसाब से शेष ३० दिन के लिये व्याज छूट मिलेगा।

(४) माल डिलेवरी के ड्यू के दिन के बाद से, यानी ४६ वें दिन से खरीदार से विक्रेता १२ प्रतिशत सालाना के हिसाब से व्याज वसूल कर सकता है। पर खरीदार और विक्रेता आपस में तै कर लें, तो व्याज की दर में अन्तर भी हो सकता है।

ट्रेड इन्कायरीज़

इस साल भारत तथा भारत-स्थित विदेशों की व्यावसायिक एजेन्सियों के अतिरिक्त चेम्बर के पास बृटिश राज्य के समस्त भागों से तथा अमेरिका और निकट पूर्व के कतिपय देशों से कितनी ही ट्रेड इन्कायरीज़ आई थीं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर सर्क्यूलर निकाल कर चेम्बर की कमेटी ने इस विषय से सम्बन्धित सदस्यों में वितरण कराया, और इस प्रकार अपने सदस्यों को पार्टियों से सीधा सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायता पहुंचाई। फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स ने भी अपने पास विदेशों से आई हुई ट्रेड इन्कायरीज़ चेम्बर के पास भेजी थीं, जिनसे अपने सदस्यों को अवगत कराने के लिये चेम्बर ने सर्क्यूलर निकाल कर वितरण कराया। विदेशों से भारत के कई फर्मों की व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा तथा आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में चेम्बर के पास इन्कायरी आई थी, और चेम्बर ने उन फर्मों तथा उनके सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने वाली विदेशी पार्टियों के बीच

सम्बन्ध स्थापित कराने में मध्यस्थ का काम किया। इस प्रकार चेम्बर के जो सदस्य एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के व्यवसाय में दिलचस्पी रखते हैं, उनका कई नई पार्टियों से सम्बन्ध स्थापित हो गया।

कोरा माल के आयात पर अतिरिक्त ड्यूटी

चेम्बर की कोरा सब कमेटी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया कि यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ होने के समय से कुछ विक्रेता खरीदारों से जापानी कोरा माल के लिये अतिरिक्त आयात-ड्यूटी मांगते हैं; हालां कि खरीद-बिक्री के कन्ट्रैक्ट की शर्तों में इस प्रकार की अतिरिक्त ड्यूटी के लिये कोई शर्त नहीं रहती। इस प्रकार की अतिरिक्त आयात-ड्यूटी प्रति पौंड पर ५ आना ३ पाई के हिसाब से जो साधारण कस्टम्स ड्यूटी वसूल की जाती है, उसको छोड़ कर अलग लगाई गई थी।

१७ जनवरी १९४० को चेम्बर की कोरा कमेटी ने उक्त विषय पर विचार करते हुए यह राय दी कि खरीदारों से जो अतिरिक्त आयात ड्यूटी मांगी जाती है, यह बिलकुल अनुचित है, और बाज़ार-दस्तूर के विरुद्ध है। पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि जब तक इस प्रकार की अतिरिक्त आयात ड्यूटी कन्ट्रैक्ट में स्वीकृत न हो, तब तक खरीदारों से विक्रेताओं को ऐसी ड्यूटी नहीं मांगनी चाहिये। इसके अतिरिक्त कमेटी ने इस सिलसिले में यह उल्लेख किया था कि दो-तीन साल पहले जब जापानी कोरा माल का भाव बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय भी खरीदारों से अतिरिक्त आयात ड्यूटी नहीं वसूल की जाती थी। आगे चल कर कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि कस्टम्स के टेरिफ में भी आयात ड्यूटी में कोई नवीन परिवर्तन नहीं हुआ है, खरीदारों से अतिरिक्त आयात ड्यूटी मांगना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अन्त में कमेटी ने इस

बात पर प्रकाश डालते हुए कि इस प्रकार की अतिरिक्त आयात-ड्यूटी से सरकारी आय का कोई सम्बन्ध नहीं, यह राय दी थी कि खरीदारों से ऐसी ड्यूटी वसूल करना बिलकुल अनुचित बात है।

इनलैण्ड बिल्स आफ एक्सचेञ्ज

चेम्बर की कमेटी ने इनलैण्ड बिल्स आफ एक्सचेञ्ज की स्टाम्प ड्यूटी घटाने के लिये भारत-सरकार के पास प्रतिनिधित्व किया था। भारत-सरकार ने चेम्बर का अनुरोध स्वीकार कर लिया और इनलैण्ड-बिल्स आफ एक्सचेञ्ज स्टाम्प ड्यूटी घटा दी।

बर्मा के पीसगुड्स के आयात-व्यवसाय के आंकड़े

चेम्बर ने अपने सदस्यों की जानकारी के लिये बर्मा के पीस-गुड्स-व्यवसाय के आंकड़े संग्रह कर सदस्यों में वितरण कराये। ये आंकड़े इस विषय से सम्बन्धित सदस्यों को भारत और बर्मा के बीच हुए पीसगुड्स के व्यवसाय से अवगत कराने के उद्देश्य से वितरण कराये गये थे।

डुपलिकेट कन्ट्रैक्ट

चेम्बर की ११ फरवरी १९४० की कमेटी-मीटिङ्ग में पीसगुड्स के व्यवसाय में प्रचलित कन्ट्रैक्ट की असुविधाओं पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह राय दी कि मिलों और इम्पोर्टरों के बीच तै होनेवाले सौदे के कन्ट्रैक्ट की डुपलिकेट कापी रहनी चाहिये, और खरीदार को सौदा करने के पहले अथवा बाद कन्ट्रैक्ट की डुपलिकेट कापी देखने का अधिकार मिलना चाहिये। पुनः कमेटी ने यह राय दी थी कि यह उचित नहीं कि विक्रेता क्रेता को कन्ट्रैक्ट की डुपलिकेट कापी देने से इन्कार करे। इस सम्बन्ध में कमेटी ने सर्कूलर निकाल कर सदस्यों में वितरण कराया।

कपड़े के बाज़ार में फाटका

चेम्बर के पास इस बात का प्रतिनिधित्व किया गया कि कपड़े के बाज़ार में कुछ कपड़े के दलाल और व्यापारी फाटका करते हैं। चेम्बर की कमेटी ने अपनी ११ फरवरी १९४० की कमेटी-मीटिङ्ग में यह प्रस्ताव किया कि कपड़े के बाजार में फाटका करना अनुचित तथा ग़ैर क़ानूनी है। इस सम्बन्ध में कमेटी ने खरीदारों को यह सलाह दी कि उन्हें चाहिये कि वे जापानी माल के तैयारी डिलेवरी सौदे के पहले कन्ट्रैक्ट में उल्लिखित गांठों की संख्या तथा अन्य विवरण प्राप्त कर लें। कमेटी ने यह राय भी दी थी कि विक्रेताओं को भी जापानी माल के तैयारी सौदे के पहले गाँठ की संख्या आदि का पूरा विवरण उल्लेख करना चाहिये।

डाक और तार

गिरीडीह और कोडरमा के लिये ट्रंक लाइन की सुविधायें

१९३९ की चेम्बर की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय डाक और तार-विभाग गिरीडीह और कोडरमा के लिये ट्रंक लाइन की सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। ११ नवम्बर १९३९ को चेम्बर की कमेटी ने भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल से मुलाक़ात की थी, और उनका ध्यान गिरीडीह और कोडरमा के लिये ट्रंक लाइन की सुविधायें देने की ओर आकर्षित कराया

था। इस सिलसिले में डायरेक्टर जेनरल महोदय से कमेटी ने यह भी पूछा था कि गिरीडीह के लिये ट्रंक लाइन की व्यवस्था करने पर कम से कम कितनी सालाना आय की गारण्टी देनी पड़ेगी? कोडरमा के सम्बन्ध में कमेटी ने डायरेक्टर जेनरल महोदय से यह पूछा था कि क्या भारतीय डाक और तार-विभाग कोडरमा में ट्रंक लाइन के लिये एक्सचेञ्ज स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगा?

१९३९ के दिसम्बर महाने में बिहार और उड़ीसा सर्किल के पोस्ट मास्टर जेनरल ने चेम्बर को सूचित किया कि ट्रंक लाइन के लिये प्रत्येक साल ३३५०) की सरकारी आय की गारण्टी देनी पड़ेगी, और यह गारण्टी लगातार दस साल तक के लिये होगी। पुनः इस सम्बन्ध में उन्होंने यह सूचित किया था कि ट्रंक लाइन निर्माण के लिये सरकार को जो व्यय करना पड़ेगा, उस पर विचार कर गारण्टी की रक़म में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

१९३९ के जुलाई महीने में भारतीय डाक और तार-विभाग के डिप्टी चीफ इञ्जीनियर ने चेम्बर को सूचित किया कि कोडरमा में ट्रंक टेलीफोन स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है।

५ जून १९४० को पत्र लिख कर कमेटी ने भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर से यह सूचित करने का अनुरोध किया कि क्या गिरीडीह के लिये ट्रंक लाइन की सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय हो सका है? पुनः कमेटी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि युद्ध-जनित परिस्थितियों के कारण गिरीडीह और कोडरमा के लिये ट्रंक लाइन की अत्यन्त अधिक आवश्यकता है।

अपने ५ अगस्त १९४० के पत्र-द्वारा भारतीय डाक और तार-विभाग के डिप्टी-चीफ इञ्जीनियर ने चेम्बर को सूचित किया कि

कोडरमा में ट्रंक लाइन स्थापित करने के लिये न कोई खरीदार तैयार है, और न सालाना सरकारी आय की कोई निर्धारित गारण्टी देने के लिये ही तैयार है, इसलिये इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही नहीं अग्रसर हो सकती। उन्होंने यह भी सूचित किया था कि ऐसी आशा है कि डिरीडीह के लिये ट्रंक लाइन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में बिहार और उड़ीसा सर्किल के पोस्ट मास्टर जेनरल ने चेम्बर को अलग पत्र लिख कर आवश्यक सूचना दे दी होगी।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कमेटी अभी भी पूर्णरूप से ध्यान दे रही है।

ट्रंक टेलीफोन की दर में कमी करने का सुझाव

११ नवम्बर १९३९ को चेम्बर की कमेटी ने भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल से मुलाक़ात करते हुए उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि ट्रङ्क टेलीफोन में बात-चीत करने के लिये जिस आदमी से बात-चीत करनी रहती है, उसे यदि लाइन पर बुलाया जाता है, तो इसके लिये २५ प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा चार्ज है। आगे चल कर कमेटी ने उक्त प्रकार के अतिरिक्त चार्ज की दर में कमी करने का सुझाव दिया था।

अपने १० मई १९४० के पत्र-द्वारा तार-विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जेनरल ने चेम्बर को सूचित किया कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि ट्रंक लाइन पर किसी आदमी को बात-चीत करने के लिये बुलाने पर अतिरिक्त समय और श्रम लगता है, २५ प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज अनुचित नहीं कहा जा सकता, और फलतः इसमें कमी करने का प्रस्ताव भी नहीं रखा जा सकता।

दिवाली के अवसर पर बड़ाबाजार पोस्ट आफिस में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का सुझाव

२९ अक्टूबर १९४० को कमेटी ने बड़ाबाजार पोस्ट आफिस के पोस्ट मास्टर को पत्र लिख कर दिवाली के समय पर अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने का सुझाव देते हुए यह उल्लेख किया था कि चूंकि दिवाली ३० अक्टूबर १९४० को पड़ेगी, इसलिये ३० और ३१ अक्टूबर दो दिनों के लिये इस अवसर पर जो धन्यवाद पत्रों तथा साधारण पत्रों का बाहुल्य रहता है, उनको वितरण करने में शीघ्रता करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति बहुत ज़रूरी है।

बैंकाक होकर जापान के लिये हवाई-डाक भेजने की व्यवस्था

चेम्बर का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया कि बैंकाक और जापान के बीच हवाई-सम्बन्ध स्थापित किया गया है, और इस मार्ग से होकर ८ से १२ दिन के भीतर हवाई-डाक जापान से कलकत्ते पहुंच जाती है; पर कलकत्ते से सुदूरपूर्व के लिये जो 'हवाई-डाक जाती है, वह सिंगापुर या हांग-कांग तक तो हवाई-मार्ग से जाती है, और उसके बाद सामुद्रिक मार्ग से भेजी जाती है, जिसकी वजह जापान पहुंचने में उसको १४ से २० दिन तक समय लग जाता है। यह जानकारी प्राप्त होने के बाद चेम्बर की ओर से डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल के पास ५ दिसम्बर १९४० को एक पत्र भेजा गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि जो भारतीय व्यवसायी जापान के साथ व्यवसाय करते हैं, उनकी सुविधा के लिये भविष्य में कलकत्ते से जापान के लिये बैंकाक होकर हवाई-डाक भेजने की व्यवस्था करनी चाहिये।

अपने १८ दिसम्बर १९४० के पत्र-द्वारा भारतीय डाक और तार-विभाग के असिस्टेन्ट डिप्टी डायरेक्टर जेनरल ने चेम्बर के उक्त पत्र के उत्तर में यह सूचित किया कि भारतीय डाक और तार-विभाग थाईलैण्ड और जापान के बीच के हवाई-मार्ग के प्रयोग के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

कमेटी ने उक्त विषय के सम्बन्ध में आवश्यक काररवाई जारी रखी।

विदेश भेजे जाने वाले तारों में सांकेतिक पता देने की व्यवस्था करने का सुझाव

चेम्बर की १९३९ की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जा चुका है कि विदेश भेजे जाने वाले तारों में जो सांकेतिक पता देने का नियम था, वह वर्तमान यूरोपीय महायुद्ध आरम्भ होने के साथ ही रद्द कर दिया गया, और इसलिये कमेटी ने इस सम्बन्ध में भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल का ध्यान आकर्षित कराने के लिये १९ दिसम्बर १९३९ को उनके पास एक पत्र लिखा। इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि यूरोपीय युद्ध आरम्भ होने के साथ ही विदेश भेजे जाने वाले तारों पर सांकेतिक पता लिखने का नियम हटा कर तार पाने वाले और भेजने वाले का पूरा नाम-ठिकाना उल्लेख करने का नियम ज़ारी किया गया, जिससे विदेशों से कारबार करने वाले भारतीय व्यवसायियों को अनावश्यक असुविधायें होने लगीं और साथ ही साथ व्यर्थ का अतिरिक्त खर्च भी पड़ने लगा। अतः व्यवसायियों की असुविधायें दूर करने के उद्देश्य से कमेटी ने भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल के पास उक्त पत्र लिखा।

चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए भारतीय तार-विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जेनरल ने अपने ४ जनवरी १९४० के पत्र-द्वारा

सूचित किया कि वर्तमान सम्बन्धित नियन्त्रण-आदेश के नियमों के अन्तर्गत विदेश भेजे जाने वाले तारों में सांकेतिक पता लिखने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। पुनः डिप्टी डायरेक्टर जेनरल महोदय ने यह उल्लेख किया था कि विदेश भेजे जाने वाले तारों में पूरा पता देने का नियम भारत के चीफ सेन्सर-द्वारा जारी किया गया है।

पुनः कमेटी ने ९ जनवरी १९४० को भारत के चीफ सेन्सर के पास पत्र लिखा, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि व्यवसायियों के सुभीते के लिये विदेश भेजे जाने वाले तारों में पाने वाले और भेजने वाले का सांकेतिक पता देने के नियम के साथ-साथ यह नियम भी रखा जाय कि तार पाने वाले और भेजने वाले का पूरा नाम-पता दिया जा सके। भारत के अन्तर्गत रहने वाले तारों के सम्बन्ध में कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि जब तारों में तार का पता (टेलिग्राफिक ऐड्रेस) दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में टेलीग्राफ आफिस को कोई दिक्कत नहीं पड़ सकती; क्योंकि उसके रिकार्ड में तार पाने वाले का पता मौजूद रहता है। आगे चलकर कमेटी ने इस सिलसिले में यह उल्लेख किया था कि तारों में सांकेतिक पता देने से सफलता पूर्वक युद्ध-संचालन में कोई भी अड़चन आने की सम्भावना नहीं हो सकती। पुनः कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि तार पाने वाले और भेजने वाले का पूरा नाम-ठिकाना उल्लेख करने के नियम के साथ यह नियम रखना भी आवश्यक है कि इस हालत में नाम-ठिकाना के लिये सिर्फ एक शब्द का चार्ज स्वीकार किया जाय।

चेम्बर के पत्र का उत्तर देते हुए भारत के चीफ टेलीग्राफ सेन्सर ने अपने १६ जनवरी १९४० के पत्र-द्वारा सूचित किया कि भारत से बाहर भेजे जाने वाले तारों में रजिस्टर्ड तार-पता नहीं उल्लेख किया जा सकता। पुनः इस सम्बन्ध में उन्होंने यह उल्लेख किया था

कि ऐसा प्रतिबन्ध समस्त बृटिश साम्राज्य के लिये लागू है, और जब तक इसको हटाने के लिये पारस्परिक समझौता न हो जाय, तब तक विदेश भेजे जाने वाले तारों में रजिस्टर्ड तार-पता देने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त चेम्बर का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित कराया गया था कि १ जनवरी १९४० से जो तारों पर नियन्त्रण लगाया गया था, वह हटा दिया गया है, और बेन्टली सेकन्ड और बेन्टली कम्प्लीट फ्रेज़ कोड्स व्यवहार किये जा सकते हैं। अन्तमें चेम्बर को यह सूचित किया गया था कि इस सम्बन्ध में जो अन्य परिवर्तन होंगे, उसकी सूचना जनता को दे दी जायगी।

ट्रंक टेलीफोन की दर में रियायत करने का प्रस्ताव

११ नवम्बर १९३९ को जब कमेटी ने भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल से मुलाक़ात की थी, तो उनको यह सुझाव दिया था कि ट्रंक-टेलीफोन करने पर जो चार्ज लगता है, उसके लिये यदि तीन मिनट से अधिक समय लगे, तो प्रथम तीन मिनट के लिये निर्धारित चार्ज का आधा चार्ज लगना चाहिये। उत्तर में डायरेक्टर जेनरल महोदय ने यह कहा कि डाक और तार-विभाग सम्भवतः इस प्रकार के सुझावों पर विचार नहीं कर सकता; क्योंकि ऐसे सुझावों को कार्यरूप में लाने से ट्रंक टेलीफोन लाइन काफ़ी देर तक बझी रहेगी।

२१ दिसम्बर १९३९ को भारतीय डाक और तार-विभाग ने एक प्रेस-सूचना प्रकाशित कराई, जिसमें यह घोषित किया गया था कि भारत-सरकार ने ट्रंक काल के लिये एक विशेष प्रकार का काल चालू करना निश्चित किया है, जो "प्राईवेट इनलैण्ड ट्रंक काल" कहलायेगा, और तार भेजने के लिये जो एक्सप्रेस तार-प्रणाली है, उसी ढंग का होगा। आगे चलकर यह उल्लेख किया

गया था कि इस प्रकार के अर्जेन्ट ट्रंक काल के लिये साधारण ट्रंक काल से जल्दी लाइन मिल जायगी, चाहे वह साधारण काल प्राईवेट हो या आफिसियल। इसके पश्चात् यह उल्लेख किया गया था कि अर्जेन्ट ट्रंक काल के लिये जितनी देर तक ट्रंक टेलीफोन का प्रयोग किया जायगा, उतने समय के लिये साधारण ट्रंक काल से दूना चार्ज लिया जायगा। प्रेस-सूचना में यह भी बताया गया था कि युद्ध प्रारम्भ होने के समय से ट्रंक टेलीफ़ोन का बहुत अधिक व्यवहार होने लगा, और इस वजह से लाइन देने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती थी, जिसको दूर करने के लिये अर्जेन्ट ट्रंक काल प्रणाली क़ायम की गई। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख किया गया था कि १९३९ के अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर महीनों में ट्रंक काल करने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इन महीनों में क्रमशः ३४२५८, तथा ६०९०२ और ३२००० काल जिन लोगों से बातचीत करने के लिये किये गये, वे टेलीफोन लाइन पर आ नहीं सके, इसलिये जो लोग ट्रंक टेली-फ़ोन से बातचीत करने के लिये शीघ्र लाइन चाहते हैं, उनको सुविधा देने के लिये अर्जेन्ट ट्रंक काल की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ट्रंक लाइन से बातचीत करनेवालों की भीड़ कम करने के लिये सरकार ने जो ८ बजे रात से लेकर ८ बजे दिन तक के लिये ट्रंक टेलीफोन के लिये साधारण दर से आधी दर के हिसाब से चार्ज लिया जाता है, यह समय घटा कर १ जनवरी १९४० से १० बजे रात से लेकर ६ बजे दिन तक कर देने का निश्चय किया था। इस सिलसिले में यह उल्लेख किया गया था कि ट्रंक टेलीफोन की लाइन देने में शीघ्रता करने के उद्देश्य से ही सरकार ने ट्रंक टेलीफोन-प्रणाली में रद्दोबदल करना निश्चित किया है, और वह अनुकूल परिस्थिति हो जाने पर इस पर पुनः विचार करेगी।

१६ जनवरी १९४० को कमेटी ने भारतीय डाक और तार-विभाग के डायरेक्टर जेनरल को पत्र लिख कर इस बात पर प्रकाश डाला था कि कमेटी उनके इस विचार से कि ट्रंक काल के लिये प्रारंभ के तीन मिनट के बाद के प्रथम तीन मिनट की दर में कमी करने से बातचीत करने वालों की संख्या बहुत बढ़ जायगी, सहमत नहीं है। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि यदि कमेटी के सुझाव के मुताबिक़ ट्रंक टेलीफोन की दर में कमी कर दी जाय, तो इससे व्यवसायी-समुदाय ट्रंक लाइन का बहुत ज़्यादा व्यवहार करेगा। इस सिलसिले में कमेटी ने यह भी उल्लेख किया था कि ट्रंक टेलीफोन की दर में कमी करने पर जनता को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही ऐसी व्यवस्था करने पर डाक और तार-विभाग की आमदनी भी बढ़ जायगी।

"अर्जेन्ट प्राईवेट इनलैण्ड ट्रंक काल" प्रणाली क़ायम करने के जो कारण बतलाये गये थे, वे भी कमेटी को मान्य नहीं थे। कमेटी इस बात से भी सहमत नहीं थी कि ट्रंक टेलीफोन की दर बढ़ा देने से बातचीत करने वालों की संख्या घट जायगी। इस नियम को कि ट्रंक काल की साधारण दर से आधी दर के हिसाब से चार्ज लगने के समय को, जो ८ बजे रात से ८ बजे दिन तक के लिये निर्धारित किया गया है, घटा कर १० बजे रात से ६ बजे दिन तक कर दिया जायगा, कमेटी ने बहुत ही असुविधाजनक बतलाते हुए यह राय दी थी कि इस प्रकार के नियम से जनता को कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिये कमेटी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि सरकार को चाहिये कि इस विषय पर पुनः विचार करे, और आधा चार्ज लगने वाले समय को पहले की तरह ८ बजे रात से ८ बजे दिन तक के लिये कर दे।

चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए डिप्टी डायरेक्टर जेनरल (फाईनेन्स) ने अपने १५ फरवरी १९४० के पत्र के साथ चेम्बर के

पास २१ दिसम्बर १९३९ को प्रकाशित हुई प्रेस-सूचना की नक़ल भेजी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ट्रंक काल के समय-सम्बन्धी नियम में जो परिवर्तन किया गया है, वह कुछ ही काल के लिये है, और इसको वतौर परीक्षा कम से कम तीन मास चालू रखकर इस पर पुनः विचार किया जायगा।

व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने का सुझाव

चेम्बर के पास यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि विहार के कुछ ट्रेड एसोसिएशन कलकत्ते से व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने की आवश्यकता पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन उनको यह सुविधा नहीं मिल रही है; क्योंकि कलकत्ते से व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट नहीं होता, हालां कि वम्बई, दिल्ली और अन्य रेडियो-स्टेशनों से ब्राडकास्ट होता है। इसलिये चेम्बर की कमेटी ने ३ जनवरी १९४० को कलकत्ता आल इन्डिया रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर के पास पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि कलकत्ता रेडियो स्टेशन से कलकत्ते के वाज़ार का व्यापार-समाचार ब्राड-कास्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। इस सिलसिले में आगे चलकर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि कलकत्ते का व्यापार-समाचार अन्य रेडियो स्टेशनों के व्यापार-समाचार ब्राड-कास्ट करने के समय के पहले या पीछे ब्राड करना चाहिये; ख़ासकर वम्बई-व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने के समय के पहले या पीछे। इस सिलसिले में कमेटी ने यह सुझाव भी दिया था कि व्यवसायी-समुदाय कलकत्ते से जूट, गनी, हैसियन, पीस-गुड्स, गेहूं, तीसी, चीनी, सोना, चाँदी के भाव और फारेन एक्सचेंज के भाव का ब्राडकास्ट सुनने के लिये विशेष उत्सुक रहेगा।

चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए आल इन्डिया रेडियो के कलकत्ता स्टेशन के डायरेक्टर ने अपने ९ जनवरी १९४० के

पत्र-द्वारा चेम्बर को सूचित किया कि कलकत्ते से व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने का प्रश्न आल इन्डिया रेडियो, दिल्ली के समाचार-सम्पादक के विचाराधीन है।

पुनः कमेटी ने १२ जनवरी १९४० को आल इन्डिया रेडियो, दिल्ली, के समाचार-सम्पादक का पत्र लिखकर कलकत्ता रेडियो स्टेशन से व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। इस सिलसिले में कमेटी ने यह भी उल्लेख किया था कि जव पहले आल इन्डिया न्यूज़ कलकत्ता रेडियो स्टेशन से बंगला में ब्राडकास्ट होता था, तो वहां से कलकत्ते का व्यापार-समाचार भी ब्राडकास्ट होता था, लेकिन जब से दिल्ली रेडियो स्टेशन बंगला में आल इन्डिया न्यूज़ ब्राडकास्ट करने लगा है, कलकत्ते से व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट होना बन्द हो गया है।

चेम्बर के उक्त पत्र का उत्तर देते हुए आल इन्डिया रेडियो, दिल्ली, के समाचार-सम्पादक ने अपने १७ जनवरी १९४० के पत्र-द्वारा सूचित किया कि दिल्ली रेडियो स्टेशन से बाज़ार-भाव ब्राडकास्ट करने की व्यवस्था नहीं की गयी है, और कलकत्ता रेडियो स्टेशन से व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा तथा इसके लिये चेम्बर को आल इन्डिया रेडियो, कलकत्ता के डायरेक्टर के पास अपने विचार प्रकट करने चाहिये। इसलिये पुनः कमेटी ने कलकत्ता आल इन्डिया रेडियो स्टेशन से कलकत्ते का बाज़ार-भाव ब्राडकास्ट करने का सुझाव दिया। इसके उत्तर में कलकत्ता रेडियो डायरेक्टर ने अपने ५ फरवरी १९४० के पत्र-द्वारा सूचित किया कि ६ बजे शाम के पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से कलकत्ते का व्यापार-समाचार ब्राडकास्ट करने के सम्बन्ध में काफ़ी जाँच-पड़ताल और वादविवाद के पश्चात् भारत-सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि इस प्रकार

का समाचार ब्राडकास्ट आम जनता के लिये विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, तथा इसकी वजह से डाक और तार-विभाग की आय में घाटा पहुंचता है। आगे चलकर डायरेक्टर महोदय ने कमेटी को यह भी सूचित किया था कि कलकत्ता रेडियो स्टेशन से ६ बजे शाम के बाद बाज़ार-भाव ब्राडकास्ट करने के प्रश्न पर भारत-सरकार विचार कर रही है, और उसके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

कमेटी ने उक्त विषय की कारवाई जारी रखी।

म्युनिसिपैलिटी, ट्राफिक एवं पुलिस

साइकिल-रजिस्ट्री की व्यवस्था

पिछले कई वर्षों से कलकत्ते में साइकिल-चोरी की शिकायत अधिकाधिक बढ़ती जा रही है, और यह बात अनुभव से सिद्ध हो चुकी है कि साइकिलों की कोई विशेष प्रामाणिक पहचान नहीं होने के कारण पुलिस को अभियुक्तों का पता लगाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये साइकिल-चोरी बन्द करने के उद्देश्य से कलकत्ता-पुलिस-विभाग ने साइकिलों की रजिस्ट्री करने की व्यवस्था की। इस प्रकार की साइकिल-रजिस्ट्री के लिये आठ आना फीस निर्धारित की गई थी, और रजिस्ट्री के लिये कोई अनिवार्य नियम नहीं रखा गया था; बल्कि यह साइ-किल रखने वालों की इच्छा पर निर्भर था कि वे चाहें तो अपनी साइकिलें रजिस्ट्री करावें। रजिस्ट्री की पहचान के लिये साइकिल के हैण्डिल बार में एक सांकेतिक प्लेट लगा देने की व्यवस्था की गई थी। इस सांकेतिक प्लेट के दो भाग बनाये गये

थे। नीचे का भाग ऐसा था कि बराबर साइकिल में लगा रहे, और ऊपर का भाग जब ज़रूरत हो, साइकिल से अलग किया जा सके। यह व्यवस्था इसलिये की गई थी कि जब कोई आदमी अपनी साइकिल से प्लेट का ऊपरी भाग निकाल कर कहीं साइकिल छोड़ दे, तो उसे यदि कोई अन्य आदमी ले जाय, तो पुलिस उसे रोक कर आवश्यक पूछ-ताछ कर सके।

उक्त योजना ट्राफिक एडभाइज़री बोर्ड-द्वारा मंजूर कर ली गई। इस सम्बन्ध में बोर्ड में चेम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्रीयुक्त किशोरीलाल जी ढांढनियां के सुझाव बोर्ड-द्वारा मंजूर कर लिये गये।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर ने चेम्बर के पास कितनी ही सूचनायें भेजते हुए उन्हें चेम्बर से अपने सदस्यों में वितरण कराने तथा साइकिल रखनेवालों से अपनी साइकिलें रजिस्ट्री कराने की हिदायत देने का अनुरोध किया था। उक्त सूचनाओं में साइकिल-रजिस्ट्री के सम्बन्ध में हिदायतें दी गई थीं। कमेटी ने कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर को सूचित किया कि चेम्बर साइकिल-चोरी बन्द करने के कार्य में पुलिस-अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देगा। चेम्बर ने साइकिल-रजिस्ट्री के सम्बन्ध में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और बंगला में प्रकाशित कितनी ही सूचनायें सदस्यों में वितरण करायीं।

कलकत्ते के नये मकानों की सीढ़ियों के दोष

चेम्बर का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराया गया था कि कलकत्ते में कितने ही ऐसे नये मकान बनते हैं, जिनकी सीढ़ियां बिना घेरे के रहती हैं जिसकी वजह से आदमियों के गिरने का ख़तरा बना रहता है। इसलिये कमेटी ने इस सम्बन्ध में पुलिस तथा कार्पोरेशन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया। पुनः

चेम्बर की ओर से कलकत्ता कार्पोरेशन के कौंसिलर श्रीयुक्त आनन्दी लाल जी पोद्दार तथा श्रीयुक्त रूपनारायण जी गगड़ एम० ए, बी० काम०, बी० एल० ने डिप्टी पुलिस कमिश्नर (हेड क्वार्टर्स) से मुलाक़ात की थी। श्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्दार ने कलकत्ता-कार्पोरेशन में भी इस विषय का प्रतिनिधित्व किया था।

बड़ेबाज़ार में यातायात की सुव्यवस्था करने का सुझाव

कई वर्षों से बड़े बाज़ार में पैदल चलने वालों तथा गाड़ी वालों के यातायात की भीड़ के कारण जनता को बड़ी ही असुविधायें होती चली आ रही थीं, इसलिये कमेटी ने कलकत्ता-पुलिस-अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। इस सम्बन्ध में कमेटी ने २९ मार्च १९४० को पुलिस-कमिश्नर को एक पत्र लिखा था, जिसके उत्तर में कमिश्नर महोदय ने चेम्बर को सूचित किया कि ट्राफिक-पुलिस के उपयोग के लिये (१) विवेकानन्द रोड और सेन्ट्रल एवेन्यू (२) हरिसन रोड और सेन्ट्रल एवेन्यू (३) विवेकानन्द रोड और सर्कूलर रोड तथा (४) हरिसन रोड और सर्कूलर रोड मोड़ो पर ड्रम रखने की व्यवस्था की गई है। पुनः कमेटी ने कलकत्ता-पुलिस की इस कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए यह सुझाव दिया कि कई अन्य प्रमुख मोड़ों पर भी—जैसे; (१) हरिसन रोड और स्ट्रैण्ड रोड (२) हरिसन रोड और चितपुर (३) काटन स्ट्रीट और कलाकर स्ट्रीट एक्सटेन्शन तथा (४) कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट और चितपुर रोड—ड्रम रखने की व्यवस्था करनी चाहिये। उत्तर में अपने २३ अप्रैल १९४० के पत्र-द्वारा कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर ने चेम्बर को सूचित किया कि ड्रम तैयार किये जा रहे हैं, और उन्हें चेम्बर-द्वारा बताये गये

मोड़ों पर रखने की व्यवस्था की जायगी। इस सम्बन्ध में पुलिस-कमिश्नर महोदय ने यह भी सूचित किया था कि हरिसन रोड और स्ट्रैण्ड रोड तथा हरिसन रोड और चितपुर दोनों ही मोड़ों पर ट्राम गाड़ियों को पास करने के लिये कान्स्टेबुलों को इधर-उधर घूमते रहना पड़ता है, इसलिये इन मोड़ों पर ड्रम रखने की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सकता।

पुनः कमेटी ने पुलिस–अधिकारियों को बड़े बाज़ार की सड़कों में गाड़ियों के ठहरने वाले स्थानों को सफेद रंग से रंगकर सांकेतिक लाइन बनाने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। उत्तर में पुलिस-कमिश्नर ने कमेटी को सूचित किया कि परीक्षा करने के उद्देश्य से १० मई १९४० को बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड और 'नो पार्किङ्ग' स्थानों की पहचान के लिये दो गैलन रंग खर्च कर सांकेतिक लाइनें बनाई गयीं, लेकिन सड़कें बराबर नहीं होने के कारण और कंकड़ पिटाई होने के कारण ४८ घंटे के भीतर ही मिट गई। इसलिये पुलिस-विभाग प्रत्येक दूसरे दिन लाइन बनाने के लिये रंग ख़र्च करने में असमर्थ है; पर बड़ेबाज़ार की सड़कों में 'पार्किङ्ग' की पहचान के लिये अन्य साधन के उपयोग का प्रबन्ध किया जा रहा है।

कमेटी ने पुलिस-विभाग का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित किया था कि ट्राम गाड़ियों के सामने से होकर आगे निकलने की चेष्टा करने के कारण बसवाले प्रायः दुर्घटना कर बैठते हैं। उत्तर में पुलिस-कमिश्नर ने कमेटी को सूचित किया कि बसों की वजह से होनेवाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई आम उपाय काम में नहीं लाया जा सकता, पर इस तरह की दुर्घटना करनेवाले बस ड्राइभरों के सम्बन्ध में पूरा विवरण प्राप्त होने पर पुलिस उचित काररवाई करेगी।

गौरी—माता की पूजा का जुलूस

कमेटी ने गौरी-माता की पूजा का जुलूस निकालने की आज्ञा देने के लिये कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर से अनुरोध किया था। उत्तर में पुलिस-कमिश्नर ने कमेटी का सूचित किया कि गौरी-माता की पूजा के अवसर पर १० अप्रैल और ११ अप्रैल १९४० को ६ बजे शाम से लेकर १० बजे रात तक के लिये गाने-बजाने के साथ जुलूस निकालने की स्वीकृति दे गयी है, और इसके लिये लाइसेन्स की ज़रूरत नहीं है बशर्ते कि जुलूस बड़ावोज़ार, जोड़ासांकू, और जोड़ावागान के ही इलाकों के अन्तर्गत रहे। पुनः पुलिस—कमिश्नर महोदय ने यह हिदायत दी थी कि जहाँ तक सम्भव हो सके, जलूस में भाग लेनेवालों को मसज़िद के सामने से होकर जाना बचाना चाहिये।

कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट के आस-पास चोरी की शिकायत

कमेटी का ध्यान कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट के आस-पास होने वाली चोरियों और डकैतियों की ओर आकर्षित हुआ। यह मुहल्ला इतना खतरनाक सिद्ध हो चुका है कि रात को कौन कहे दिन-दहाड़े भी यहां चोरी, डकैती तथा पाकेटमारी के अपराध होते रहते हैं। इसलिये जनता की जान और माल की सुरक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कमेटी ने १७ मई १९४० को कलकत्ता—नार्थ-डिवीजन के डिप्टी-पुलिस-कमिश्नर को पत्र लिखकर इस बात पर प्रकाश डाला था कि कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट के आस-पास का मुहल्ला काफ़ी उन्नतिशील बन गया है, और इसके अन्तर्गत कलकत्ते के कितने ही संभ्रान्त लोगों ने अपने रहने के लिये मकान

भी बनवा लिये हैं। पुनः कमेटी ने यह उल्लेख किया था कि प्रत्येक दिन सवेरे कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट से होकर सम्भ्रान्त-परिवार के स्त्री-पुरुष गंगा-स्नान के लिये यातायात करते हैं, और बद-माशों के संगठित दल के लोग इनकी चीजें हड़पने की ताक में इधर-उधर खड़ा रहते हैं। अन्त में कमेटी ने पुलिस-कमिश्नर को यह सुझाव दिया था कि सम्बन्धित मुहल्ले की जनता की जान और माल की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये एक अनुभवी सी० आई० डी आफिसर तथा कुछ कान्स्टेबुलों की नियुक्ति आवश्यक है।

कमेटी के प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप पुलिस-अधिकारियों ने कमेटी के कई सुझावों के अनुसार कालीकृष्ण टैगोर स्ट्रीट के आस-पास की जनता के लाभार्थ आवश्यक व्यवस्था की है।

नूरमल लोहिया लेन में यातयात की व्यवस्था

नूरमल लोहिया लेन में यातायात की वजह से काफ़ी भीड़ रहा क़रती है, और यह कलकत्ते के पीसगुड्स-व्यवसाय का एक प्रमुख केन्द्र है। चूंकि प्रायः रास्ता जाम रहने के कारण नूरमल लोहिया लेन के दुकानदारों को बहुत ही असुविधायें होती थीं, इसलिये कमेटी के पास इस सम्बन्ध में बराबर कुछ न कुछ शिकायत आती ही रहती थी। कमेटी ने आवश्यक जाँच-पड़ताल कर लेन के भीतर यातायात पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से इस ओर कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर का ध्यान आकर्षित किया। कमेटी ने इस सम्बन्ध में अन्य सुझावों के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर महोदय को निम्न सुझाव भी दिये थे :—

(१) केवल एक तरफ से गाड़ियों के जाने के लिये जो ६ बजे शाम तक समय निर्धारित किया गया है, इसको ९ बजे रात तक बढ़ा देना चाहिये।

(२) ठीक-ठीक नियमानुकूल व्यवस्था करने के लिये ९ बजे दिन से ९ बजे रात तक नूरमल लोहिया लेन और आर्मेनियन स्ट्रीट के मोड़ पर एक ट्राफिक कान्स्टेबुल नियुक्त करना चाहिये।

(३) कोई बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ठेलागाड़ी अथवा अन्य प्रकार की गाड़ियाँ सिवा माल बोझाई करने अथवा उतारने के अतिरिक्त पन्द्रह मिनट से अधिक समय के लिये लेन के अन्दर खड़ी नहीं रहनी चाहियें।

(४) किसी भी बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी ठेलागाड़ी अथवा अन्य गाड़ियों को जब तक लेन के अन्तर्गत स्थित किसी फर्म-द्वारा पास नहीं मिले, तब तक लेन के भीतर प्रवेश करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये।

(५) मोटर लारियों-द्वारा ऊपर से गांठ फेंकने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये, और गाँठें नीचे से ढालवां-तख्ते के ज़रिये उतारने की हिदायत दी जानी चाहिये।

कमेटी को पुलिस-विभाग के २३ मई १९४० के पत्र से मालूम हुआ कि कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर ने कमेटी के निम्न सुझावों को मंजूर कर लिया है :—

(१) गाड़ियों के एक तरफ से प्रवेश करने के लिये जो ९ बजे दिन से ६ बजे शाम तक समय स्वीकृत है, उसे बढ़ाकर ९ बजे दिन से ९ बजे रात तक कर देना चाहिये।

(२) यह देखने के लिये कि नियम की अदूली ठीक-ठीक होती है; आवश्यक कान्स्टेबुल की नियुक्ति होनी चाहिये।

(३) माल चढ़ाने-उतारने के अतिरिक्त १५ मिनट ने अधिक समय से अधिक किसी भी गाड़ी को लेन के भीतर ठहरने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये।

(४) सभी मोटर—लारियों—द्वारा माल ढालुवां तख्ते के जरिये नीचे से उतारे जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

कमेटी के इस सुझाव के सम्बन्ध में कि जिन गाड़ियों को लेन में स्थित फर्मों के पास मौजूद हों, केवल उन्हीं गाड़ियों को लेन के भीतर प्रवेश करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये, कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर ने खेद प्रकट करते हुए सूचित किया था कि कलकत्ता में इस प्रकार की व्यवस्था करने की चेष्टा पहले की जा चुकी है, जिसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी।

वादमें पुलिस-कमिश्नर महोदय ने चेम्बर को यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या चेम्बर नूरमल लोहिया लेन, क्रास स्ट्रीट और आर्मेनियन स्ट्रीट के अन्तर्गत मोटर-लारियों से माल उतारने के लिये ढालवां तख्ते सप्लाई करने की व्यवस्था कर सकेगा; क्योंकि मोटर लारीवाले प्रायः तख्ता नहीं रखते। इस सम्बन्ध में डिप्टी पुलिस कमिश्नर (हेड क्वार्टर) से मुलाकात करने के लिये कमेटी ने चेम्बर की ओर से कलकत्ता कार्पोरेशन के कौन्सिलर श्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्दार और श्रीयुक्त आर० एन० गग्गड़ एम० ए०, वी० काम०, वी० एल०, को नियुक्त किया। पुनः कमेटी ने पुलिस-कमिश्नर को यह सचित किया कि ढालवां तख्ता देने की व्यवस्था करने के लिये चेम्बर से न कह कर मोटर लारीवालों को इस प्रकार के तख्ते रखने की हिदायत दी जानी चाहिये; क्योंकि रास्ते में यातायात करनेवाले लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व क़ानूनन मोटर लारी के मालिकों पर रहता है।

कमेटी को उत्तर देते हुए कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने सूचित किया कि इस प्रकार का कोई भी क़ानून नहीं है कि मोटर लारीवाले माल उतारने के लिये तख्ते का व्यवहार करें। आगे चलकर पुलिस कमिश्नर महोदय ने यह सुझाव दिया था कि माल के मालिकों को माल उतारने के लिये अपनी तरफ से मजदूर रख कर तख्तों के प्रयोग की व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे काफी सहूलियत होने की संभावना है। इस विषय पर कमेटी पूर्ण ध्यान दे रही है।

कलकत्ता-ट्राम के भाड़े में वृद्धि

३० मार्च १९४० को कमेटी ने कलकत्ता-ट्राम-कम्पनी को पत्र लिख कर इस बात पर प्रकाश डाला था कि प्रस्तावित ट्राम-भाड़ा बढ़ाने की वजह से मध्यवित श्रेणी के लोगों को बड़ा धक्का पहुंचेगा; क्योंकि ये लोग प्रायः ट्राम का व्यवहार किया करते हैं। इसके पश्चात् कमेटी ने कम्पनी से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया था।

कमेटी के पत्र का उत्तर देते हुए अपने ४ अप्रैल १९४० के पत्र-द्वारा कलकत्ता-ट्राम-कम्पनी के एजेन्ट ने कमेटी को यह सूचित किया कि ट्राम कम्पनी मूल भाड़े की दर में कोई वृद्धि न कर ऐसी व्यवस्था कर रही है कि केवल इस श्रेणी के टिकट की दर बढ़ाई जाय, जो बहुत सस्ता पड़ता है। इस सम्बन्ध में आगे चलकर एजेन्ट महोदय ने यह उल्लेख करते हुए कि विशेष कारणवश कम्पनी ने भाड़े की दर बढ़ाना निश्चित किया है, कम्पनी के भाड़ा बढ़ाने के निर्णय में परिवर्तन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी।

यज्ञ-महोत्सव के अवसर पर पुलिस का प्रबन्ध

वर्तमान युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की विजय की कामना करते हुए मारवाड़ी-समाज ने कलकत्ते में प्रार्थना तथा कई अन्य धार्मिक समारोहों की वृहत् योजना की थी। इस अवसर पर एक यज्ञोत्सव की भी व्यवस्था की गई थी। बड़ेबाजार में चेम्बरवाले मकान के पास के प्लाट नं० ३० से लेकर ३५ (कलाकर स्ट्रीट एक्सटेन्सन) के अन्तर्गत १० जून १९४० से लेकर लगातार दस दिनों तक यज्ञ-महोत्सव हुआ। इस अवसर पर स्वयंसेवकों की व्यवस्था के अतिरिक्त कमेटी ने स्पेशल पुलिस कान्स्टेबुलों की नियुक्ति आवश्यक समझ कर पुलिस-कमिश्नर को पत्र लिख कर

उचित प्रवन्ध करने का अनुरोध किया था। कमेटी ने पुलिस-कमिश्नर महोदय से यज्ञ-स्थान के निकटवर्ती मोड़ों से केवल एक तरफ से यातायात करने का वन्दोवस्त करने का सुझाव देते हुए मोड़ां की निगरानी करने के लिये एक ट्राफिक-पुलिस-इन्स-पेक्टर और स्पेशल कान्स्टेवुलों को नियुक्त करने का सुझाव दिया था। पुलिस-कमिश्नर महोदय ने कमेटी के सुझावों को स्वीकार करते हुए उचित प्रवन्ध की व्यवस्था की।

चेम्बर ने यज्ञ-कार्य में पूर्ण योग-दान दिया, और यह प्रसन्नता की वात है कि यज्ञ-महोत्सव वड़ी धूमधाम से निर्विघ्न समाप्त हुआ।

प्रमुख मोड़ों पर कान्स्टेबुलों की नियुक्ति

२९ जुलाई १९४० को पत्र लिखकर कमेटी ने कलकत्ता-पुलिस-कमिश्नर का ध्यान जदुलाल मल्लिक रोड और जोगेन कविराज रोड के मोड़ पर जो कई महीनों से हमेशा दुर्घटनायें होती चली आ रही थीं, इस ओर आकर्षित कराया। पुलिस-कमिश्नर-महादय से कमेटी ने उक्त सड़कों के मोड़ पर ट्राफिक कान्स्टेवुल नियुक्त करने का सुझाव दिया था। उत्तर में खेद प्रकट करते हुए पुलिस-कमिश्नर महोदय ने कमेटी को सूचित किया कि कान्स्टे-वुलों की कमी के कारण वह कमेटी के सुझाव के अनुसार सम्व-न्धित मोड़पर कान्स्टेवुल नियुक्त करने में असमर्थ हैं।

११० नं० क्रास स्ट्रीट वाले मकान में सफाई की व्यवस्था

कमेटी के पास इस वात की शिकायत आई थी कि ११० नं० क्रास स्ट्रीट वाले मकान के मालिक की ओर से मकान के पेशाव-खानों तथा पाखानों की सफाई की उचित व्यवस्था नहीं की जाती। कमेटी ने इसकी सूचना कलकत्ता-कार्पोरेशन का दे. दी,

और कार्पोरेशन के सेक्रेटरी ने कमेटी को सूचित किया कि सम्बन्धित मकान-मालिक के गुमाश्ते को मकान में सफाई रखने के लिये आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं।

कलकत्ता-कार्पोरेशन का चुनाव

कलकत्ता-कार्पोरेशन के चुनाव में जो उम्मेदवार बड़ेबाज़ार के इलाक़े से खड़े हुए थे, उन लोगों ने चुनाव में मदद देने के लिये चेम्बर से अनुरोध किया। चेम्बर ने इनमें से कई उमेदवारों का पक्ष समर्थन किया और सफल उमेदवारों को बधाई देते हुए उनसे यह आशा प्रकट की कि कलकत्ता-कार्पोरेशन के सर्व प्रथम मेयर स्वर्गीय श्रीयुक्त सी० आर० दास ने कार्पोरेशन के लिये जो नागरिक आदर्श स्थापित किया है, उससे उनको सर्वदा प्रेरणा मिलती रहेगी। चुनाव में जिन सफल उमेदवारों का पक्ष चेम्बर ने समर्थन किया उनके नाम हैं, मेसर्स गोकुलदास जी मोहता, श्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्दार, श्रीयुक्त मोहनलाल जी मक्कड़, श्रीयुक्त प्रभुदयाल जी हिम्मतसिंहका, श्रीयुक्त मदनमोहन जी बर्मन और श्रीयुक्त प्रभांशुकुमार जी सेठ।

कार्पोरेशन के कूड़ा-टबों की सफ़ाई करने का सुझाव

कमेटी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराया गया कि बड़ेबाज़ार में कूड़ा-टबों के भीतर तथा उनके चारों तरफ कूड़ा-कर्कट जमा रहता है, और कार्पोरेशन की ओर से धुलाई-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह शिकायत दूर नहीं होती, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। चेम्बर की म्युनिसिपल सब-कमेटी ने इस सम्बन्ध में पूरी जाँच-पड़ताल कर बड़ेबाज़ार के कौन्सिलरों को इस विषय से अवगत कराया। यह संतोष की बात है कि बड़ेबाज़ार के कई कौन्सिलरों ने चेम्बर की म्युनिसिपल सब कमेटी

को पूर्ण सहयोग दिया, और इस सम्वन्ध में उन्होंने कार्पोरेशन अधिकारियों को आवश्यक सुझाव दिये। कमेटी यह चाहती थी कि वड़ेवाज़ार में और अधिक कूड़ा-टव रखने की व्यवस्था होनी चाहिये, और कार्पोरेशन-द्वारा कूड़ा साफ करने का उचित प्रवन्ध होना चाहिये। कमेटी ने यह सुझाव भी दिया था कि कार्पोरेशन-द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य-सम्वन्धी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये, और उन्हें इस वात की हिदायत दी जानी चाहिये कि वे निर्धारित समय में कूड़ा फेंकें। शहर की सफाई के सम्वन्ध में कमेटी की ओर से कितने ही अन्य सुझाव भी दिये गये थे। इस विषय पर एक विस्तृत मेमोरैन्डम तैयार करने के लिये कमेटी ने आवश्यक संग्रह एकत्र किया। कमेटी इस सम्वन्ध में पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है।

विदेशी शराब की दुकान खोलने का प्रयास

कमेटी को यह जान कर वड़ा खेद हुआ कि ६० नं० अपर चितपुर रोड में विदेशी शराव की दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये कमेटी ने २१ अक्टूवर १९४० को कलकत्ता एकसाइज़-लाइसेन्सिङ्ग वोर्ड के प्रेसिडेन्ट को पत्र लिख कर यह सूचित किया था कि जिस स्थान पर विदेशी शराव की दुकान खोलने का वन्दोवस्त किया जा रहा है, उसके आस-पास का मुहल्ला वहुत घना वसा हुआ है, और जिस मकान में दुकान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, उसकी चारों तरफ वहुतेरे संभ्रान्त लोग रहते हैं। पुनः कमेटी ने इस वात पर प्रकाश डाला था कि जिस स्थान पर शराव की दुकान खोलने का प्रस्ताव किया गया है, वह कई मन्दिरों तथा स्कूलों से क़रीव है, और यदि उस स्थान पर दुकान खोलने की स्वीकृति दे दी जायगी, तो वहुतेरे लोग शराव पीने की वुरी आदत में फंस जायंगे।

कमेटी को कलकत्ता-एकसाइज़-कलक्टर से यह जान कर कि ६० नं० अपर चितपुर रोड में जो विदेशी शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव किया गया था, वह स्वीकृत नहीं हुआ, बड़ी ही प्रसन्नता हुई।

ए० आर० पी०

युद्ध-विस्तार के कारण यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि भारत में हवाई-आक्रमण से सतर्क रहने के लिये व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में बंगाल-सरकार ने कलकत्ते तथा कलकत्ते से बाहर के लिये विस्तृत योजना तैयार की। अधिकारियों-द्वारा ए० आर० पी० संगठन में सहयोग देने के लिये चेम्बर से अनुरोध किया गया था। कमेटी ने इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग दिया।

१३ सितम्बर १९४० को बंगाल-सरकार ने चेम्बर के पास ए० आर० पी० के सम्बन्ध में एक पत्र भेजा था। पत्र के साथ ए० आर० पी० आदेश-सम्बन्धी नोटिफिकेशन की एक नक़ल भी आई थी। इस सम्बन्ध में बंगाल-सरकार ने कमेटी से ए० आर० पी० अधिकारियों को सहयोग देने का अनुरोध किया था। पुनः बंगाल-सरकार की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि वर्तमान योजना के अन्तर्गत यदि हवाई-आक्रमण की सम्भावना संभव जान पड़ेगी, तो किसी भी समय विशेष परिस्थिति घोषित की जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थिति के समय के लिये जनता के लिये बंगाल-सरकार ने कई हिदायतें प्रकाशित कराई थीं। इन हिदायतों के अन्तर्गत रोशनी के सम्बन्ध में यह हिदायत दी गई थी कि आवश्यकता पड़ते ही कई आपवादों के अतिरिक्त बाहर की सभी रोशनियाँ बुझा देनी चाहियें, और मकानों के भीतर की रोशनियों को इस बन्दोबस्त से जलाना चाहिये कि प्रकाश बाहर से नहीं दिखाई पड़े। इस बात को दृष्टिगत रखते

हुए कि इस प्रकार की विशेष परिस्थिति लगातार हफ्तों अथवा महीनों तक ज़ारी रह सकती है, बंगाल-सरकार ने यह सुझाव दिया था कि रोशनी के सम्बन्ध में पहले से ही उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिये, ताकि रात के समय आफिसों में काम-काज करने में सहूलियत हो। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि विशेष परिस्थिति घोषित होने पर बनावटी रोशनी से काम चलाया जा सकता है, और फौज़ी अधिकारियों ने इस दिशा में उचित काररवाई की है। आगे चलकर सरकार की ओर से यह उल्लेख किया गया था कि फौज़ी-अधिकारियों ने जिस प्रकार की रोशनी की व्यवस्था की है, उसी प्रकार की व्यवस्था सरकारी तथा अन्य ख़ास-ख़ास आफिसों में भी की जा सकती है। पुनः सरकार ने यह सुझाव भी दिया था कि इस बात पर विचार करते हुए कि बनावटी रोशनियों के प्रकाश से रात को काम करना मुश्किल हो जायगा, आफिसों का काम-काज रात होने के पहले ही बन्द कर देने की व्यवस्था की जा सकती है। अन्त में सरकार ने चेम्बर से उक्त नोटिफिकेशन की नक़ल अपने सदस्यों में वितरण कराने का अनुरोध किया था।

कमेटी ने बंगाल-सरकार के पत्र के उत्तर में सूचित किया कि चेम्बर की ओर से सरकार के सुझावों पर अमल करने के लिये सदस्यों को आवश्यक सलाह दे दी गई है। सरकार की ओर से जो यह सुझाव दिया गया था कि जहां खतरे की अधिक संभावना हो, आफिसों में बनावटी रोशनी से काम चलाया जा सकता है, कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को चाहिये कि वह ए० आर० पी० के चीफ एअर रेड वार्डनों आदि प्रमुख अफसरों को हिदायत दे कि वे अपने-अपने इलाक़ों की जनता को रोशनी नियंत्रण तथा अन्धाकुप्प के सम्बन्ध में सभी जानने योग्य बातें बतलावें।

१६ सितम्बर १९४० को पब्लिक रिलेशन्स सब कमेटी के आनरेरी सेक्रेटरी मि० जी० डबलू० टायसन ने भारतीय-रक्षा-विधान की धारा ५१ तथा धारा ५२ के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये बंगाल-सरकार के नोटिफिकेशन की एक प्रति कमेटी के पास भेजी थी। इस नोटिफिकेशन में कलकत्ते तथा कलकत्ते के पड़ोस के औद्योगिक क्षेत्रों में शत्रु–विमान–आक्रमण की आशंका होने पर विशेष परिस्थिति घोषित किये जाने पर लागू होनेवाले नियमों का उल्लेख किया गया था। चेम्बर से उक्त नोटिफिकेशन को अपने सदस्यों में वितरण कराने का सुझाव दिया गया था। कमेटी ने नोटिफ़िकेशन का हिन्दी रूपान्तर अपने सदस्यों में वितरण कराया।

६ नवम्बर १९४० को बंगाल-सरकार ने ए० आर० पी० की अन्धाकुप्प-योजना की परीक्षा करने के लिये कलकत्ते तथा कलकत्ते के पड़ोस में रात के १०॥ बजे से लेकर ११॥ बजे तक समय निर्धारित किया। विमान-आक्रमण-सुरक्षा-समिति के चेयरमैन तथा प्रेसिडेन्सी डिवीजन के कमिश्नर मि० एन० भी० एच० साइमन्स ने चेम्बर से अपने सदस्यों से अपने अधिकारवाले मकानों में अन्धाकुप्प परीक्षा को सफल बनाने का उचित प्रबन्ध करने का सुझाव देने के लिये अनुरोध किया था। कमेटी ने ६ नवम्बर १९४० को कलकत्ते में होनेवाली अन्धाकुप्प परीक्षा को सफल बनाने में बंगाल–सरकार को सहयोग देने के लिये मि० साइमन्स की हिदायतें अपने सदस्यों में वितरण कराईं।

बंगाल-सरकार ने ३ नवम्बर १९४० को चेम्बर के पास एक पत्र भेजा, जिसमें कलकत्ते तथा कलकत्ते के निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के मकानो को विस्फोटकीय बमों से बचाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया गया था कि कलकत्ता-कार्पोरेशन के पड़ोस

के इलाकों के औद्योगिक क्षेत्रों में दमकलों तथा आग बुझाने के साधनों की व्यवस्था की गई है; पर इससे विस्फोटकीय बमों के गिरने से जो आग लगेगी, उसको बुझाना सम्भव नहीं हो सकता। विस्फोटकीय बमों की वजह से जो आग लगने की सम्भावना हो सकती है, उससे सुरक्षित रहने के लिये बंगाल-सरकार ने कलकत्ता फायर-ब्रिगेड के चीफ आफिसर की राय लेकर एक नोट तैयार किया था, जिसमें इस प्रकार की आग से बचने के सर्वोत्तम उपायों का पूर्ण विवरण उल्लिखित था। इस नोट में प्रत्येक मकान-मालिक को अपने-अपने मकानों की सुरक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया था। इसलिये बंगाल-सरकार ने चेम्बर को अपने सदस्यों से यह सुझाव देने के लिये कि विस्फोट-कीय बमों से सुरक्षित रहने के लिये जल्दी से जल्दी सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, अनुरोध किया था। कमेटी ने बंगाल-सरकार के सुझावों के अनुसार विस्फोटकाय बमों से सुरक्षित रहने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सर्कूलर निकाल कर सदस्यों में वितरण कराया। सर्कूलर में कमेटी ने समस्त सदस्यों से बंगाल-सरकार के सुझावों पर अमल करने का अनुरोध किया था।

कमेटी ने ए० आर० पी० कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमन से प्राप्त हिदायतों के सम्बन्ध में सर्कूलर निकाल कर सदस्यों में वितरण कराया, और इस प्रकार ११ नवम्बर १९४० को कलकत्ते में जो अन्धाकुप्प-परीक्षा हुई थी, उसमें बंगाल-सरकार को सहयोग दिया। इस सम्बन्ध में जो नागरिक स्वयंसेवकों का पैरेड हुआ था, जिसकी जांच हिज़ एक्सिलेन्सी वाईस राय १७ दिसम्बर १९४० को कर चुके थे, उसमें भाग लेने के लिये चेम्बर के सदस्यों को आमन्त्रित किया गया था। पैरेड देखने के लिये चेम्बर की ओर से २० सदस्य उपस्थित थे।

चेम्बर ने अपने आफिस के अन्तर्गत बड़ाबाज़ार इलाक़े के चीफ़ एयर रेड वार्डेन के आफिस के लिये स्थान दिया। श्रीयुक्त किशोरीलाल जी ढांढनियां ने बड़ाबाज़ार के चीफ एयर रेड वार्डेन की हैसियत से जनता की काफ़ी सेवा की, लेकिन अचानक बीमार हो जाने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। विमान-आक्रमण से सतर्क रहने के सम्बन्ध में कमेटी ने बड़ेबाज़ार की जनता को शिक्षा देने का बहुत ही अच्छा प्रबन्ध किया था, और कमेटी के कार्यों की बड़ी ही प्रशंसा हुई। चेम्बर के हाल में ए० आर० पी० के सम्बन्ध में योग्य शिक्षकों-द्वारा लेक्चर दिलाने का प्रबन्ध किया गया था; और कितने ही लेक्चर दिये गये। बड़ाबाज़ार इलाके में ए० आर० पी० के कितने ही सिविक गार्ड, स्वयंसेवक और आफ़िसर चेम्बर के सदस्य हैं।

२१ जुलाई १९४० का कलकत्ते के मेयर मि० ए० आर० सिद्दीक़ी से मुलाक़ात करने के लिये चेम्बर के अवैतनिक संयुक्त मंत्री श्रीयुक्त पीताम्बर लाल जी अग्रवाल-द्वारा एक चाय-पार्टी दी गई। इस अवसर पर कलकत्ता नार्थ डिवीज़न के डिप्टी-पुलिस-कमिश्नर मि० के० एफ़० सोभान भी उपस्थित थे। मि० सोभान ने सिविक गार्ड और ए० आर० पी० के संगठन का महत्व बतलाते हुए इस सम्बन्ध में सहयोग देने के लिये जनता से अपील की। बड़ेबाज़ार के चीफ एयर रेड वार्डेन श्रीयुक्त किशोरीलाल जी ढांढनियां ने बड़ेबाज़ार की ए० आर० पी०-सम्बन्धी कार्यवाहियों से उपस्थित सज्जनों को अवगत कराया।

सुरक्षित-स्थान

२१ जून १९४० को कलककत्ता-पुलिस-कमिश्नर ने चेम्बर को पत्र लिखकर यह पूछा था कि क्या चेम्बर यह आवश्यक समझता है कि युद्ध में कलकत्ते के जिन महत्वपूर्ण स्थानों का खतरे की

सम्भावना है, उन्हें 'सुरक्षित-स्थान' घोषित कर दिया जाय। पुलिस-कमिश्नर के पत्र का अभिप्राय उल्लेख कर सर्कूलर निकाल कर कमेटी ने सदस्यों में वितरण कराया

हबड़ा स्टेशन पर मारवाड़ी यात्रियों की गिरफ्तारी

सिक्के एकत्र कर कलकत्ते के वाहर ले जाने के अभियोग में कई मारवाड़ी सज्जनों और महिलाओं को १९४० के जुलाई माह के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में हवड़ा स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। इस सम्वन्ध में इस रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लेख किया जा चुका है कि उक्त गिरफ्तारी के सिलसिले में १७ जुलाई १९४० को हवड़े के मजिस्ट्रेट के पास चेम्बर की ओर से एक डेपुटेशन भेजा गया था, और इस डेपुटेशन ने उनसे अभियुक्त व्यक्तियों की वावत वाद-विवाद किया था। वाद-विवाद से जो निष्कर्ष निकला, उसके सम्वन्ध में स्थिति खुलासा करने के लिये सर्कूलर निकाल कर कमेटी ने सदस्यों में वितरण कराया। पुनः कमेटीने यात्रियों के पास अधिक सिक्के नहीं पाने पर उनके वक्स सील कर, उन्हें इस सम्वन्ध में सर्टिफिकेट देने की भी व्यवस्था की थी। कमेटी की ओर से स्टेशन पर स्वयंसेवक भी नियुक्त किये गये थे, ताकि यात्रियों को अनावश्यक तक़लीफें नहीं उठानी पड़ें। चेम्बर के साहाय्य से वहुतेरे यात्रियों ने लाभ उठाया, और २३ अगस्त १९४० को हवड़ा-पुलिस-सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कमेटी को सूचित किया कि आवश्यकता से अधिक सिक्के ले जाने के अभियोग में जो सन्दिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने का नियम था, वह हवड़ा स्टेशन के लिये लागू नहीं रहेगा। इस सम्वन्ध में यह वात विशेष उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोग में जितने पुरुष और महिलायें गिरफ्तार हुई थीं, चेम्बर के प्रयास से वे सभी मुक्त कर दिये गये।

१४३ नं० काटन स्ट्रीट के सामने के फुटपाथ में सुधार करने का सुझाव

१८ मार्च १९४० को कमेटी ने कलकत्ता-कार्पोरेशन के चीफ एक्सक्युटिव आफिसर को पत्र लिखकर उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराया था कि १४३ नं० काटन स्ट्रीट (चेम्बर कार्यालय वाला मकान) के सामने का फुटपाथ हमेशा बेमरम्मत रहता है, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में असुविधा होती है और मकान में आने-जाने वालों को भी कठिनाई होती है। पुनः कमेटी ने पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला था कि फुटपाथ की सतह भी बड़ी ख़राब हालत में रहती है, और स्थानीय दुकानदार कूड़ा-कर्कट फेंककर काफ़ी गन्दगी फैला देते हैं। कमेटी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करने के लिये सम्बन्धित वार्ड-कौंसिलरों तथा सार्वजनिक अधिकारियों को भी अनुरोध किया था। इस विषय में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि फुटपाथ सीमेन्ट होना चाहिये और इसकी सफाई की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कलकत्ता-कार्पोरेशन-द्वारा चेम्बर को यह सूचित किया गया था कि सम्बन्धित फुटपाथ बनाने के सिलसिले में कलकत्ता इम्प्रूभमेन्ट ट्रस्ट की स्कीम ६२ में ज़िक्र किया चुका है, जो कार्पोरेशन के पास हाल में ही आई है। पुनः यह उल्लेख किया गया था कि इम्प्रूभमेन्ट ट्रस्ट को कलकत्ता-कार्पोरेशन-द्वारा सम्बन्धित फुटपाथ बनाने का अनुरोध कर दिया गया है। पर यह खेद का विषय है कि कार्पोरेशन के अधिकारियों ने कमेटी के अन्य सुझावों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अभी तक स्थिति में उचित सुधार नहीं हो सका।

बड़ाबाज़ार में यातायात की सुव्यवस्था

२९ मार्च १९४० को कमेटी ने कलकत्ता के आटोमोबिल-एसोसियेशन बंगाल के सेक्रेटरी के पास पत्र लिख कर उनका ध्यान बड़ेबाज़ार में यातायात के लिये सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आकर्षित कराया था। चूंकि इस सम्बन्ध में बड़ाबाज़ार अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिये कमेटी ने स्थिति में आवश्यक सुधार करने के लिये सेक्रेटरी महोदय से इस इलाके के लिये इस विषय के अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करने का सुझाव दिया था। पुनः कमेटी की ओर से यह सुझाव भी दिया गया था कि ए० ए० बी० को चाहिये कि वह अन्य इलाकों की तरह बड़ेबाज़ार में भी मुख्य-मुख्य मोड़ों पर नोटिस बोर्ड और अन्य प्रकार के पोस्टर चिपकाने की व्यवस्था करे।

विविध

रुई, सूत और कपड़े की परीक्षा

सन् १९३९ में इन्डियन सेन्ट्रल काटन कमेटी ने कलकत्ते के लिये चेम्बर को अपना एजेन्ट नियुक्त किया। इस सम्बन्ध में ८ दिसम्बर १९३९ को सर्कूलर नं० ४३ निकाल कर कमेटी ने काटन-मिल के व्यवसायियों तथा सदस्यों को सूचित किया कि वे रूई, सूत और कपड़े की परीक्षा इस चेम्बर की मार्फत करा सकते हैं।

इन्डियन सेन्ट्रल काटन कमेटी की टेकनोलोजिकल लेबोरेटरी-द्वारा सर्वे कराने के लिये चेम्बर से कितने ही व्यापारियों ने आवेदन किया था। इन व्यापारियों के माल के नमूने उक्त टेकनो-

लेन-देन में पाई बाद देने के लिये व्यवसायियों में पारस्परिक समझौते की ज़रूरत है। आगे चल कर यह उल्लेख किया गया था कि ६ पाई से लेकर १२ पाई तक १ आना मान लेना होगा, और ६ पाई से कम होने पर उसे हिसाब में नहीं जोड़ना होगा। पुनः इस सिलसिले में यह खुलासा किया गया था कि पाई बाद देने का नियम किसी हिसाब की पूरी रक़म के ही लिये होना चाहिये और इसको सैकड़े आदि के हिसाब के आधार पर नहीं होना चाहिये।

इस चेम्बर की कमेटी से उक्त विषय से अपने स्थानीय तथा देश के अन्य भागों के सदस्यों से अवगत कराने के लिये अनुरोध किया गया था, ताकि उक्त प्रस्ताव का व्यवसायियों में अधिक से अधिक प्रचार हो, और यदि आम राय इसे क़ानून का रूप देने के पक्ष में हो, तो इस दिशा में उचित काररवाई की जा सके। फलतः कमेटी ने बंगाल चेम्बर ओफ कामर्स का प्रस्ताव अपने सदस्यों की राय लेने के लिये वितरण कराया। सदस्यों से उत्तर पाने के बाद कमेटी ने २४ फरवरी १९४० को बंगाल-चेम्बर आफ कामर्स के पास अपनी सम्मति भेज दी। कमेटी की राय में उक्त प्रस्ताव से कोई भी लाभ होने की सम्भावना नहीं थी। इस सम्बन्ध में जो क्लर्कों के काम की झंझट की बावत उल्लेख किया गया था, इस पर कमेटी की यह राय थी कि प्रस्ताव में उल्लिखित पाई बाद देने का नियम बनाने से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। कमेटी का ऐसा निर्णय इसलिये था कि पाई बाद देने का नियम किसी हिसाब की पूरी रक़म से सम्बन्धित था, और सैकड़े आदि के आधार पर नहीं था। चूंकि ऐसे नियम के प्रचलन से कई तरह की असुविधायें आने की सम्भावना थी, और यह छोटे-मोटे व्यवसायियों और व्यक्ति-विशेष के लिये हानिकारक सिद्ध होता, इसलिये कमेटी को कम आशा थी कि इस प्रस्ताव

पर पारस्परिक समझौता हो सकता है। कमेटी इस प्रस्ताव को क़ानून का रूप देने के पक्ष में भी नहीं थी; क्योंकि इस कार्यवाही से खुदरा व्यवसायियों को बहुत क्षति पहुंचने की सम्भावना थी, और खुदरा तथा थोक-व्यवसायी परस्पर इस प्रकार सम्बन्धित हैं कि दोनों के लिये अलग-अलग नियम रखना सम्भव नहीं हो सकेगा। पुनः कमेटी ने इस सम्बन्ध में इस बात पर प्रकाश डाला था कि बहुतेरे हिन्दुस्तानी फर्म बही-खाते में पाई के आधार पर हिसाब नहीं रख कर पैसे के आधार पर रखते हैं, इसलिये यदि प्रस्तावित नियम चालू किया गया, तो इससे कई तरह की कठिनाइयां आ उपस्थित होंगी। इस सिलसिले में कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि व्यवसायी-वर्ग ६ पाई से अधिक होने पर १ आना तथा ६ पाई से कम होने पर उसको बाद देने के नियम की अपेक्षा १$\frac{1}{2}$-पाई से ३ पाई तक १ पैसा या पाव आना तथा ४$\frac{1}{2}$ पाई से ६ पाई तक २ पैसा या आध आना और ७$\frac{1}{2}$ पाई से लेकर १२ पाई तक ४ पैसा या १ आना मानने को तैयार होगा। और इस सिलसिले में कमेटी ने यह उल्लेख किया किया था कि यदि उसके सुझाव के अनुसार पारस्परिक समझौते से कोई नियम बनाया जाय, तो इसका प्रचलन सम्भव हो सकता है; क्योंकि पाई तथा अधेले की चलन भारत के सभी भागों में नहीं है, ताकि इन्हें भँजाया जा सके।

१९४१ की मनुष्य-गणना

भारत-सरकार के होम-डिपार्टमेन्ट द्वारा प्रकाशित कराई गई, आठवीं अखिल भारतीय मनुष्य-गणना १९४१ के सम्बन्ध का प्रेस-सूचना चेम्बर के पास आई थी। इस प्रेस-सूचना में यह उल्लेख किया गया था कि १९४१ में होनेवाली आठवीं अखिल भारतीय मनुष्य-गणना में, लोगों का पेशा, काम-काज का विवरण, बेकारी, शिक्षित लोगों की बेकारी तथा अस्थाई काम-काज आदि

की पूरी जांच-पड़ताल १९४१ की वसन्त ऋतु में सेन्सस कमिश्नर मि० डबलू० डबलू० यीट्स-द्वारा की जायगी। प्रेस-सूचना में सरकार की ओर से २२ प्रश्न उल्लेख किये गये थे।

कमेटी ने सदस्यों को आवश्यक सुझाव देने के लिये एक सेन्सस सब कमेटी निर्माण कर इस विषय को उसके सुपुर्द कर दिया।

श्री श्री सत्यनारायण जी का जुलूस

श्री श्री सत्यनारायण जी स्टेट के सेवाइत तथा ट्रस्टी कुमार श्री गंगाधर जी बागला ने चेम्बर को पत्र लिखकर सूचित किया कि श्री श्री सत्यनारायण जी का वार्षिक जुलूस १२ सितम्बर १९४० को निकलेगा, और इस अवसर पर जुलूस गङ्गा के किनारे थोड़ी देर के लिये रोक कर जुलूस में भाग लेने वाले सर्व-साधारण को प्रार्थना करनी पड़ेगी। पुनः उक्त पत्र में चेम्बर से अपने सदस्यों को जुलूस में भाग लेने के लिये सूचित कर देने का अनुरोध किया गया था। कमेटी ने इस विषय की सूचना अपने समस्त सदस्यों को दे दी।

कलकत्ता में हुन्डी चुकाने का नियम

इन्डियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (कराची) ने चेम्बर से कलकत्ते में प्रचलित हुन्डी पेश करने तथा चुकाने के नियम के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की थी, जिसके उत्तर में कमेटी ने निम्न बातें उल्लेख कीं:—

(१) किसी भी दिन किसी भी समय ६ बजे शाम के पहले, जिसके नाम पर हुन्डी काटी गई हो, उसके पास चुकती करने के लिये पेश कर छोड़ दी जा सकती है। लेकिन ६ बजे शाम के बाद हुन्डी नहीं पेश की जा सकती।

(२) जिसके नाम पर हुन्डी काटी गई हो, वह यदि उसे स्वीकार कर ले; तो हुन्डी का रुपया पानेवाले के पास किसी भी दिन ५ वजे शाम के पहले हुन्डी वापिस भेज देनी चाहिये। इसके पश्चात् हुन्डी का रुपया पाने वाले को रुपया वसूल करने के लिये जिसके नाम पर हुन्डी काटी गई हो, उसके पास अपना आदमी भेज देना चाहिये। जिसके नाम पर हुन्डी काटी गई हो, वह यदि रुपया पानेवाले के पास ५ वजे दिन के बाद हुन्डी वापिस भेजे, तो उसे पानेवाले के पास साथ-साथ रुपया भी भेज देना चाहिये।

(३) जिसके नाम पर हुन्डी काटी गई हो, वह हुन्डी पाने के दिन से लेकर ५ दिन तक इसे अटका सकता है।

(४) उपर्युक्त समय में से छुट्टी के दिन अथवा रविवार बाद नहीं दिये जाते।

युद्ध-सम्बन्धी अफवाहों से आतंक

इस रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लेख किया जा चुका है कि युद्ध के सम्बन्ध में झूठी अफवाहें फैलने के कारण जनता में भारी आतंक फैल गया जिससे बहुत से लोग सिक्के जमा करने लगे और कलकत्ते के बाहर भी जाने लगे। इस सम्बन्ध में कमेटी ने जनता तथा विशेषतः सदस्यों का त्रास दूर करने के उद्देश्य से झूठी अफवाहों का खण्डन करने के लिये कितने ही बुलेटिन निकाल कर वितरण कराये। कमेटी ने इन बुलेटिनों में आतंकित जनता से निर्भय होकर रहने का अनुरोध किया था। इस सम्बन्ध में कमेटी ने सदस्यों से आवश्यकता से अधिक सिक्के रखने की मनाही की थी। पर कमेटी को यह महसूस हुआ कि सिक्कों की कमी के कारण व्यवसाय चलाने में कठिनाई उपस्थित होगी, इसलिये उसने इस सम्बन्ध में सरकार तथा रिज़र्व बैंक के पास प्रतिनिधित्व किया। कमेटी के प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप रिज़र्व बैंक ने करेन्सी को

चेम्बर को प्रतिदिन ३५००० रुपये के सिक्के तथा रेज़गी व्यवसायियों तथा चेम्बर के सदस्यों में वितरण करने के लिये हिदायत दे दी। चेम्बर के प्रयास से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। चेम्बर को इस सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक ने जो मदद की इसके लिये उसके मैनेजर महोदय को १६ जुलाई १९४० को पत्र लिख कर धन्यवाद दिया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कमेटी ने सिक्के वितरण करने के लिये चार स्थानों पर प्रबन्ध किया, और यह हर्ष की बात है कि सभी स्थानों पर सिक्के वितरण करने का समुचित प्रबन्ध रहा, और सिक्के लेने के लिये प्रतिदिन ६०० से लेकर ८०० तक व्यवसायी जमा होते थे।

कमेटी ने सदस्यों को युद्ध-सम्बन्धी ठीक-ठीक समाचार देने के लिये, तथा झूठी अफवाहों से सतर्क रहने का अनुरोध करने के लिये एक स्पेशल सब-कमेटी बनाई। युद्ध की परिस्थिति से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं से सदस्यों को अवगत कराने का कार्य भी उक्त स्पेशल सब-कमेटी के सुपुर्द था। इस सम्बन्ध में स्पेशल बुलेटिन निकालने तथा समय समय पर सभायें करने का भी प्रबन्ध किया गया था। इस स्पेशल एडभाइज़री कमेटी के सदस्य थे सर्वश्री (१) गुरुदेव जी खेमानी (२) पीताम्बरलाल जी अग्रवाल (३) आर० एन० गग्गड़ (४) खेतसीदास जी हरलालका (५) मोतीलाल जी केड़िया (६) गौरीशङ्कर जी गायनका और (७) किशोरीलाल जी ढांढनियाँ। इस दिशा में इस स्पेशल सब-कमेटी की कार्यवाहियों की जनता तथा सम्बन्धित अधिकारियों ने बड़ी ही प्रशंसा की।

कलकत्ता ब्लाईंड रिलीफ कैम्प १९४०

कलकत्ते के मेयर महोदय द्वारा संगठित ब्लाईंड रिलीफ कैम्प १९४० के अवैतनिक मंत्रियों ने १८ अक्टूबर १९४० को इस संस्था में सहायता देने के लिये कलकत्ते के कई सुप्रतिष्ठित

व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से प्रकाशित अपीलें चेम्बर के पास भेजी थीं। यह कैम्प ३ नवम्बर १९४० को खुला, और यह हर्ष की बात है कि विख्यात देश सेवक और इस चेम्बर के सदस्य राय बहादुर सेठ सुखलालजी कर्नानी ने इस कैम्प के लिये मेयर को अपने २०९ नं० सर्कूलर रोड वाले नये मकान का नीचे का समूचा तल्ला अर्पण कर दिया। इस फण्ड में सहायता देने के लिये कमेटी ने उक्त अपीलें अपने सदस्यों में वितरण करायीं।

इलेक्ट्रिक स्वीचों के सम्बन्ध में सरकारी हिदायतें

इलेक्ट्रिक स्वीचों के सम्बन्ध में प्रकाशित बंगाल सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग की हिदायतों की ओर कमेटी का ध्यान आकर्षित हुआ। इन हिदायतों के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक स्वीचों को इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स (१९३७) की धारा ५१ के अनुसार लाइभ वायर के ऊपर रखने की हिदायत के अतिरिक्त कई अन्य हिदायतें भी उल्लिखित थीं। ये हिदायतें अंग्रेजी, बंगला और उर्दू में प्रकाशित हुई थीं, इसलिये कमेटी ने ३० नवम्बर १९४० को बंगाल सरकार को पत्र लिख कर इस बात पर प्रकाश डाला कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि कलकत्ते के बहु-संख्यक नागरिक विशेष कर बड़ाबाजार इलाके की जनता केवल हिन्दी जानते हैं, उक्त हिदायतें हिन्दी में भी प्रकाशित होनी चाहियें। पुनः कमेटी ने बंगाल सरकार को यह सुझाव दिया था कि भविष्य में उक्त प्रकार की सभी मुख्य हिदायतें अन्य भाषाओं के अतिरिक्त हिन्दी में भी प्रकाशित होनी चाहियें।

चेम्बर का कौन्सल-जेनरलों का सहयोग

सदा की भांति इस रिपोर्ट के साल भी कलकत्ता स्थित विभिन्न देशों के कौन्सल-जेनरलों का सहयोग चेम्बर को प्राप्त हुआ, जिससे भारत तथा विदेशों के साथ व्यवसाय करने में

सुविधायें मिलीं। साधारण काम काज की सुविधा तथा व्यापारिक जानकारी प्राप्त होने के अतिरिक्त कई कौन्सल जेनरलों के ज़रिये विदेशों से चेम्बर के पास कई ट्रेड इनक्वारीज भी आयी थीं, और सम्बन्धित सदस्यों ने इससे काफ़ी लाभ उठाया।

युद्ध के लिये धन-संग्रह का प्रयत्न

१ अगस्त १९४० को ब्रिटिश वार-सेविंग्स मुभमेन्ट के अवैतनिक मन्त्री महोदय ने चेम्बर के पास एक पत्र भेजा, जिसके साथ कई सर्कूलर भी आये थे। इन सर्कूलरों में 'रुपी डिफेन्स लोन्स' का पूर्ण विवरण उल्लिखित था। चेम्बर से सर्कूलरों को अपने सदस्यों में वितरण कराने का अनुरोध किया गया था। कमेटी ने इन सर्कूलरों को अपने सदस्यों में वितरण कराया।

१८ सितम्बर १९४० को युद्ध-फण्ड तथा युद्ध-उप-समिति के अवैतनिक मंत्री ने चेम्बर के पास पत्र लिखते हुए सूचित किया कि युद्ध में ब्रिटेन की विजय के लिये पूर्णरूप से सक्रिय सहायता देने तथा युद्ध-प्रयत्नों को बढ़ाने के उद्देश्य से कलकत्ते में एक प्रतिनिधि समिति का निर्माण किया गया है, और इसके प्रेसिडेन्ट हिज़ एक्सिलेन्सी बंगाल गवर्नर हैं। इस सम्बन्ध में चेम्बर से चन्दा एकत्र कर युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहायता पहुंचाने का अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र पर कमेटी ने पूर्णरूप से ध्यान दिया।

श्रमिकों के जीविका-निर्वाह के व्यय के सम्बन्ध में जांच

बंगाल-सरकार के आदेशानुसार बोर्ड आफ एकनामिक इन्कायरी-बंगाल ने इस प्रान्त के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करनेवाले श्रमिकों के परिवारों के जीविका-निर्वाह के लिए जो प्रत्येक परिवार को आम खर्च पड़ता है, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये आवश्यक जांच-पड़ताल करने का निश्चय

किया। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि श्रमिक अपनी जीविका-निर्वाह के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बन सकें, वैज्ञानिक तरीक़े पर एक व्यय-सम्बन्धी सूची तैयार करने की योजना निश्चित की गई थी। उक्त बोर्ड के चेयरमैन ने ४ जुलाई १९४० को चेम्बर के पास एक पत्र भेजा था। इस पत्र के साथ उक्त योजना के कार्यक्रम का विवरण भी चेम्बर के पास आया था, और प्रस्तावित जांच के सम्बन्ध में चेम्बर से सुझाव मांगा गया था। कुछ समय के लिये बोर्ड का कार्य-क्रम इस प्रान्त के ५ मुख्य औद्योगिक केन्द्रों की श्रमिक-आबादी के ५००० परिवारों का खर्च तथा इस सम्बन्ध में अन्य जानने-योग्य बातों की जानकारी प्राप्त करने के कार्य तक सीमित रखा गया था। इस कार्य के लिये जगदल, बजबज, बौरिया, आसनसोल, बर्नपुर, कुल्टी, हबड़ा और नारायनगंज, प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों को चुना गया था। यह जांच उक्त बोर्ड की एक उप-समिति के सुपुर्द की गई थी। इस उप-समिति के चेयरमैन थे बंगाल-लेबर-कमिश्नर और सदस्य थे प्रोफेसर पी० सी० महलनबीस, डाक्टर ए० एन० मल्लिक, डाक्टर जे० सी० सिनहा और उक्त बोर्ड के सेक्रेटरी। प्रस्तावित जांच के सम्बन्ध में बोर्ड ने चेम्बर से सहयोग देने का अनुरोध किया था।

नेशनल सर्विस लेबर ट्रिब्यूनल

१९ जुलाई १९४० को नेशनल सर्विस लेबर ट्रिब्यूनल के लेबर कमिश्नर तथा चेयरमैन ने इसकी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चेम्बर के पास एक नोट भेजा था। नेशनल सर्विस (टेकनिकल परसोनेल) आर्डिनेन्स १९४० गज़ट आफ इण्डिया के असाधारण संस्करण में २९ जून १९४० को प्रकाशित हुआ था, और इसी के बाद लागू कर दिया गया। इस आर्डिनेन्स के लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रमुख कारखानों तथा अस्त्र-शस्त्र निर्माण होनेवाले

कारखानों के लिये कल-पुर्ज़ें का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ तैयार करना था। यह आर्डिनेन्स १८ साल से लेकर ५० साल की आयु की केवल ब्रिटिश प्रजा के लिये लागू था। बंगाल में इसका शासन सञ्चालन एक नेशनल सर्विस लेवर ट्रिब्यूनल के सुपुर्द था; जिसकी देख-रेख के लिये चार सरकारी आफिसर नियुक्त किये गये थे। इस ट्रिब्यूनल ने आर्डिनेन्स-सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर दिया। ट्रिब्यूनल का आफिस १२ नं० हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता (देवार हाउस) में स्थित था। ट्रिब्यूनल के एक्स-आफिसियो बंगाल के लेवर कमिश्नर थे। उक्त आर्डिनेन्स के अनुसार ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत किसी भी फैक्टरी का जो भारत-सरकार-द्वारा राष्ट्र के महत्व का कार्य करनेवाली घोषित की जा चुकी थी अथवा घोषित की जा सकती थी "नोटिफायड फैक्टरी" नामकरण किया गया था। आर्डिनेन्स के नियम के अनुसार कोई भी 'नोटिफायड फैक्टरी' किसी 'नोटिफायड फैक्टरी' के कल-पुर्ज़ें का काम जानने वाले व्यक्ति को छोड़ कर अन्य किसी भी फैक्टरी के इस प्रकार के व्यक्ति को अपने काम के लिये नियुक्त करने के उद्देश्य से आवश्यक आदेश देने के लिये ट्रिब्यूनल के पास आवेदन कर सकती थी। इस सम्बन्ध में गवाही-शहादत लेने के लिये ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की क्षमता प्राप्त थी। यह ट्रिब्यूनल गवाहों को उपस्थित होने का आदेश दे सकता था। यह ट्रिब्यूनल छोटे-से-छोटे वर्क-शाप में काम करनेवाले कल-पुर्ज़ें-सम्बन्धी जानकारी रखनेवाले व्यक्ति के सम्बन्ध में भी आवश्यक पूछ-ताछ कर सकता था। ट्रिब्यूनल इस बात की भी जांच कर सकता था कि किसी कारखाने में काम करनेवाला कल-पुर्ज़ें की जानकारी रखनेवाला व्यक्ति 'नोटिफायड फैक्टरी' में काम करने के उपयुक्त है या नहीं। ट्रिब्यूनल किसी 'नोटिफायड फैक्टरी' के अतिरिक्त किसी भी अन्य फैक्टरी में काम करनेवाले कल-पुर्ज़ें के

विशेषज्ञ व्यक्ति को आवश्यकता होने पर किसी 'नोटिफ़ायड फैक्टरी' में काम करने का आदेश दे सकता था। पर इस प्रकार का कोई भी आदेश देने के पहले ट्रिब्यूनल को इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल कर लेना आवश्यक था, और मालिक अथवा कर्मचारी में से किसी के द्वारा कोई आपत्ति करने पर उसकी सुनवाई कर उचित निर्णय करने का नियम था। किन्तु एक 'नोटिफ़ायड फैक्टरी' से दूसरी 'नोटिफायड फैक्टरी' में किसी कल-पुर्जे के विशेषज्ञ को भेजने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को था।

उक्त आर्डिनेन्स और नोट पर कमेटी ने पूर्ण ध्यान दिया।

बारहवीं इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स

भारत सरकार ने फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़ से १६ और १७ दिसम्बर १९४० को लखनऊ में होनेवाली बारहीं इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये अपने एक प्रतिनिधि का नाम पेश करने के लिये अनुरोध किया था। फेडरेशन ने २९ अगस्त १९४० को चेम्बर के पास पत्र लिख कर कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये जो उसने चुनाव की व्यवस्था की थी, उसके लिये अपनी ओर से एक प्रतिनिधि का नाम पेश करने का अनुरोध किया था। पुनः २६ सितम्बर १९४० को फेडरेशन ने अपनी विभिन्न सदस्य संस्थाओं की ओर से जो प्रतिनिधियों के नाम पेश किये गये थे, उसका उल्लेख कर चेम्बर से यह पूछा था कि यह किस व्यक्ति को वोट देना पसन्द करेगा। कमेटी ने श्रीयुत्त लाला पद्मपत सिंघानिया को वोट देना निश्चित किया, और इसकी सूचना फेडरेशन को दे दी गयी। अन्त में चनाव होने पर श्रीयुक्त पद्मपत सिंघानिया फेडरेशन की ओर से उक्त इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये चुने गये।

फेडरेशन ने १५ अक्टूबर १९४० को पत्र लिख कर चेम्बर को सूचित किया कि इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स के बारहवें अधिवेशन में वाद-

विवाद के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो विषय निश्चित किया है, उस सम्बन्ध में भारत सरकार के व्यापार विभाग ने प्रान्तीय सरकारों को सूचना दे दी है। केन्द्रीय सरकार ने वाद-विवाद के लिये निम्न विषयों को निश्चित किया था:—

(१) बोर्ड आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च

(२) हैन्डलूम वीभिङ्ग इन्डस्ट्री

(३) इन्डस्ट्रियल रिसर्च कौन्सिल के पांचवें अधिवेशन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में

(४) इम्पीरियल सेरिकल्चरल कमेटी की छठवीं मीटिङ्ग की कार्यवाहियों की विवरण पत्रिका

(५) ऊन-उद्योग-समिति की पांचवी मीटिङ्ग की कार्यवाहियों की विवरण पत्रिका

सन् १९२१ में हुई पहली इन्डस्ट्रीज़ कान्फरेन्स के सभापति सर थामस हालैण्ड द्वारा प्रकट किये गये विचारों के अनुसार इस प्रकार की कान्फरेन्सों का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न प्रान्तों की औद्योगिक कठिनाइयों का अध्ययन कर समस्त देश की औद्योगिक उन्नति के लिये एक समान नीति कायम करने की व्यवस्था करना। पहले उक्त कान्फरेन्स में कई प्रान्तीय औद्योगिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वाद-विवाद भी होता था, और भारत सरकार का औद्योगिक विभाग केवल औद्योगिक जानकारी रखने वाला विभाग समझा जाता था, जिसके जरिये एक प्रान्त के औद्योगिक अनुभवों से अन्य प्रान्त के डायरेक्टरों को अवगत कराया जा सकता था, ताकि वे इससे अपने अपने क्षेत्रों के औद्योगिक कार्यक्रम सञ्चालन करने में समर्थ हो सकें।

भारत-सरकार ने फेडरेशन को पत्र लिख कर यह भी सूचित किया था कि कान्फरेन्स के चेयरमैन का अनुरोध है कि यदि फेडरेशन की ओर से कान्फरेन्स में भाग लेनेवाला प्रतिनिधि कान्फ-

रेन्स के कायक्रम के अन्तर्गत कोई भी मुख्य विषय कान्फरेन्स में विचारार्थ पेश करना चाहे, तो इसके लिये सहर्ष स्वीकृति दी जा सकती है। फेडरेशन ने इस आदेश के अनुसार निम्न प्रस्ताव कान्फरेन्स में पेश करने के लिये भेजा, जिसको वाद-विवाद के लिये रखने के लिये कान्फरेन्स के चेयरमैन ने स्वीकृति दे दी :—

(क) युद्ध प्रारम्भ होने के समय से सरकार को युद्ध-सामग्री सप्लाई करने के सम्बन्ध में भारत-सरकार को जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उस पर विचार करते हुए, और सुरक्षा के लिये प्रमुख युद्ध-सामग्रियों की सप्लाई के सम्बन्ध में इस देश की लाचारी को महसूस करते हुए यह कान्फरेन्स भारत-सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस देश में 'डिफ़ेन्स इन्डस्ट्रीज़' स्थापित करने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच-पड़ताल करे।

(ख) यह कान्फरेन्स राय देती है कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रमुख उद्योगों को भारतीय अधिकार के अन्दर लाया जाय, सरकार को एक स्पष्ट औद्योगिक नीति घोषित करनी चाहिये, और औद्योगिक सफलता के लिये 'टेकनिकल' साहाय्य करना चाहिये तथा माल सप्लाई की गारण्टी देकर अथवा रक्षात्मक नीति से काम लेकर या अन्य प्रकार से भारतीय उद्योगों को निश्चित आर्थिक सहायता देने का आश्वासन देना चाहिये।

श्रीयुक्त लालापद्मपत जी सिंघानिया ने उक्त कान्फरेन्स की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जो अपनी रिपोर्ट दी, वह इस चेम्बर के पास भी भेजी गयी थी। फेडरेशन के उक्त प्रस्ताव के दोनों भाग पृथक पृथक कान्फरेन्स द्वारा स्वीकृत कर लिये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्स का २६ वां अधिवेशन

२८ फरवरी १९४० को भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराई, जिसमें यह उल्लेख किया गया था, कि अन्त-

राष्ट्रीय लेबर कान्फरेन्स का २६ वां अधिवेशन ५ जून १९४० को जेनेवा में होगी, और इसकी कार्य-क्रम सूची में केवल एक ही विषय रखा जायगा। यह विषय, "सार्वजनिक अधिकारियों, इम्प्लायर्स आर्गनिजेशनों तथा वर्कर्स आर्गेनिजेशनों में पारस्परिक समझौते के तरीके" था। इम्प्लायर्स आर्गेनिज़ेशनों से सरकार ने उक्त कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये अपनी ओर से एक प्रतिनिधि भेजने का आदेश दिया था। चूंकि कान्फरेन्स के विचारार्थ एक ही विषय रखा जाने को था, इसलिये भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रतिनिधियों के साथ उनके सलाहकार भेजने की आवश्यकता नहीं महसूस होती।

७ मार्च १९४० को बङ्गाल-सरकार ने उक्त प्रेस-विज्ञप्ति की एक नक़ल चेम्बर के पास भेजते हुए यह अनुरोध किया था कि यदि इस सम्बन्ध में चेम्बर की ओर से कोई सुझाव देना आवश्यक समझा जाय, तो यह बंगाल-सरकार के व्यापार और श्रम-विभाग के ज़रिये भेजा जाना चाहिये।

पुनः फेडरेशन ने ६ मार्च १९४० को चेम्बर के पास पत्र लिख कर सूचित किया कि इण्डियन इम्प्लायरों की ओर से जेनेवा में होने वाली कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये एक प्रतिनिधि का नाम चुनने का काम वह शीघ्र ही अपने हाथों में लेगा। पुनः फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में चेम्बर से जल्दी-से-जल्दी अपनी राय देने का अनुरोध किया था। भारतीय इम्प्लायरों की ओर से कान्फरेन्स में प्रतिनि-धित्व करने के लिये चेम्बर ने श्रीयुक्त दुर्गाप्रसाद जी खेतान का नाम पेश किया। पर खेतान जी ने खेद प्रकट करते हुए कान्फरेन्स में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की। अन्त में फेडरेशन ने चेम्बर को सूचित किया कि आल इन्डिया आर्गेनिज़ेशन आफ इन्डस्ट्रियल इम्प्लायर्स की सम्मति लेकर भारतीय इम्प्लायरों की ओर से जेनेवा-कान्फरेन्स में भाग लेने के लिये कानपुर के श्रीयक्त

एच० जी० मिश्र को प्रतिनिधि चुना गया था, पर यूरोपीय युद्ध की वजह से कान्फरेन्स स्थगित कर दी गई।

इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री का १३ वां वार्षिक अधिवेशन

इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री का १३ वां वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में ३० और ३१ मार्च १९४० को हुआ था। २ जनवरी १९४० को पत्र लिख कर फेडरेशन ने चेम्बर से अनुरोध किया था कि यदि चेम्बर अधिवेशन में पेश करने के लिये प्रस्ताव रखना चाहे, तो कार्य-क्रम में उल्लेख करने के लिये चेम्बर अपने प्रस्तावों के ड्राफ्ट फेडरेशन के आफिस में १२ फरवरी १९४० के पहले भेज सकता है।

कमेटी ने उक्त अधिवेशन में पेश करने के लिये अपने प्रस्ताव का ड्राफ्ट ९ फरवरी १९४० को फेडरेशन के पास भेज दिया। इस प्रस्ताव का उल्लेख 'भारतीय सूती पीसगुड्स के लिये स्टैन्डर्ड कन्ट्रैक्ट फार्म' शीर्षक के अन्तर्गत इस रिपोर्ट में अन्यत्र किया जा चुका है। पुनः २ जनवरी १९४० को फेडरेशन ने उक्त अधिवेशन में भाग लेने के लिये अपने प्रतिनिधियों के नाम २६ फरवरी १९४० के पहले लिख भेजने के लिये चेम्बर से अनुरोध किया था। चेम्बर ने अपनी ओर से अधिवेशन में भाग लेने के लिये सर्व श्री सुन्दर लाल जी डागा, मंगतूराम जी जैपुरिया, मदन लाल जी खेमका को प्रतिनिधि नियुक्त किये।

फेडरेशन ने उक्त अधिवेशन में पेश करने के लिये ये प्रस्ताव मंजूर किये :—(१) युद्ध-सामग्री की खरीद (२) मूल्य-नियन्त्रण (३) शीपिङ्ग (४) भारत-सरकार-द्वारा निर्मित नये पदों पर योग्य भारतीयों को नियुक्त करना (५) निर्यातपर नियन्त्रण (६) टेरिफ पालिसी (७) औद्योगिक अन्वेषण और उद्योग तथा अन्वेषण में निकटतम

सम्बन्ध स्थापित करना (८) प्रवासी भारतीयों की मुसीबत तथा (९) कच्चे-माल के आयात की ड्यूटी वापिस लौटाना।

सर्वे-सर्टिफिकेट

पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी चेम्बर ने व्यापारिक वस्तुओं के सर्वे का काम अपने हाथों में लिया, और वस्तुओं की परीक्षा कर सम्बन्धित व्यापारियों को इस सम्बन्ध में सर्टिफिकेट ज़ारी किया। चेम्बर की इस व्यवस्था से बहुतेरे व्यवसायी लाभ उठा रहे हैं।

सर्टिफिकेट आफ ओरीजिन

सन् १९३९ की चेम्बर की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जा चुका है कि विदेश भेजे जाने वाली सभी वस्तुओं के लिये जो ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत उत्पन्न होती हैं, चेम्बर सर्टिफिकेट आफ ओरीजिन देता है। इस रिपोर्ट वाले वर्ष में भी बहुतेरे सदस्यों ने इस सम्बन्ध में चेम्बर से पर्याप्त लाभ उठाया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख कर देना उचित है कि यह सर्टिफिकेट आफ ओरीजिन इन्टरनेशनल कनवेन्शन-द्वारा कस्टम्स में देने के लिये निश्चित किया गया है, और चेम्बर-द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट संसार के सभी देशों में मान्य है।

इस रिपोर्टवाले साल में भी चेम्बर-द्वारा बहुतेरे सर्टिफिकेट आफ ओरीजिन ज़ारी किये गये, और वे विदेश के सभी देशों में स्वीकृत हुए।

शीपमेन्ट में विलम्ब होने के सम्बन्ध में सर्टिफिकेट

शीपमेन्ट में विलम्ब होने पर इस प्रकार के विलम्ब के सम्बन्ध में आवश्यक जांच-पड़ताल कर चेम्बर सदस्यों को सर्टिफिकेट देता है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट से बहुतेरे सदस्यों ने चेम्बर से लाभ उठाया है।

चेम्बर का पंचायती विभाग

चेम्बर के पंचायती विभाग की स्थापना जब से हुई है, तब से इसने कितने ही झमेले तै किये हैं। यह पंचायती विभाग चेम्बर में आनेवाले झमेले की जांच करने तथा सम्बन्धित पक्षों में आपसी समझौता कराने तथा झमेले का फैसला करने के उद्देश्य से क़ायम किया गया है। पिछले साल की चेम्बर की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है कि झमेले का फैसला करने के लिये विभिन्न उद्योग-धन्धे की पूर्ण जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को पंचायती विभाग में सदस्य रखा गया था। व्यापारी समुदाय की सुविधा के लिये बहुत कम फीस लेकर चेम्बर द्वारा झमेला देखा जाता है।

चेम्बर में आनेवाली रिपोर्टें तथा पत्र-पत्रिकायें

भारत सरकार के विभिन्न विभागों, बंगाल सरकार, हिज़-मेजेस्टीज़ ट्रेड कमिश्नर, पब्लिसिटी आफिसर, डायरेक्टर जेनरल आफ कमर्सियल इन्टेलिजेन्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स् तथा अन्य संस्थाओं से चेम्बर के पास जो पब्लिकेशन तथा आंकड़ों के सम्बन्ध में रिपोर्टें भेजी गयी थीं, उन्हें चेम्बर ने सधन्यवाद स्वीकार किया। कमेटी के पास विदेशों के कौन्सल जेनरलों तथा विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं ने जो अपने अपने देशों की व्यापारिक, अर्थ-शास्त्र-सम्बन्धी तथा औद्योगिक समस्याओं के विषय में उपयोगी तथा जानने योग्य साहित्य भेजे, इसके लिये भी कमेटी कृतज्ञता प्रकाश करती है। भारत के जिन व्यापारिक चेम्बरों तथा एसोसिएशनों ने चेम्बर के पास अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टें तथा अन्य साहित्य भेजे, चेम्बर उनकी भी आभारी है।

चेम्बर के साथ अन्य संस्थाओं का सहयोग

चेम्बर को अपनी सम्बद्ध संस्थाओं, मारवाड़ी मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (दार्जिलिंग), कोडरमा माइका माइनिङ्ग एसोसिएशन, कलकत्ता टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, कलकत्ता ह्वीट एण्ड सीड्स एसोसिएशन, से काफ़ी सहयोग मिला। कलकत्ते तथा बाहर की अन्य व्यापारिक संस्थाओं ने भी आवश्यकतानुसार उद्योग-धन्धे-सम्बन्धी मामलों में चेम्बर को सहयोग दिया है। इन संस्थाओं में से बंगाल चेम्बर आफ कामर्स, बङ्गाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्स, मुसलिम चेम्बर आफ कामर्स आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कमेटी इन सभी संस्थाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करती है।

आर्थिक सहायता

चेम्बर के साल-भर के आय-व्यय का हिसाब तथा वैलेन्स शीट (वर्ष समाप्ति ३१ दिसम्बर १९४०) इस रिपोर्ट में आगे दिया गया है। इस सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता नहीं कि चेम्बर के सदस्यों के चन्दे से ही आर्थिक सहायता मिली है, और इन्हीं के सहयोग तथा सौजन्यता से चेम्बर आज अपनी वर्तमान उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सका है।

—०✻०—

मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता

के

आय व्यय का हिसाब (ता० १ जनवरी १९४० से ता० ३१ दिसम्बर १९४० तक)

आय		व्यय	
४६७६)	श्रीमासिक चंदाखाते जमा	३०३९=)॥	वेतनखाते नावें
	४१४१) सन् १९४० में प्राप्त	१२१३।-)॥	भाड़ाखाते नावें
	५३५) बकाया	८२९।≡)॥॥	छपाई व स्टेशनरी खाते नावें
२५)	एफिलियेशन फीसखाते जमा	२८४)	टेलीफोन खाते नावें
१७१९)	विशेष चन्दाखाते जमा	३२।≢)॥	विजली खाते नावें
५४४।।।-)	फीस प्राप्त	१९८।-)॥	चिट्ठी व तार खाते नावें
	२९४) सर्वे फीस खाते जमा	६८।=)॥	ट्रेवलिंग खर्च खाते नावें
	१९८।।।-) आर्बिट्रेशन फीस खाते जमा	१५०)	फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री को एफिलियेशन फीस दी गयी
	५२) विविध	७८९।।।)	सन् १९३९ की अंग्रेजी व हिन्दी रिपोर्ट खाते नावें
१५४।≡)	नुकसान रहा	१७५।।।)॥	फुटकर खर्चखाते नावें
		२१८।।≡)	सन १९३९ के खर्च खाते नावें
			४९२।।।≡) व्यय हुआ
			२७४) गतवर्ष के आय-व्यय के हिसाव के अनुसार वाद दिया
		११९।।≡)॥॥	छीजत खाते नावें
७११९।)		७११९।)	

मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता

का

Balance Sheet

(३१ दिसम्बर १९४०)

१४५२॥=)॥। बढ़ती खाते जमा (surplus a/c)
  १६०७-)॥। गत वर्ष का
  १५४।≡) आय-व्यय के हिसाब में नुकसान रहा सो बाद दिया
२२३॥≡)॥ चुकाना बाकी रहा
  २००) भाड़ा
  १९=) टेलीफोन खर्च
  ४॥-)॥ विजली खर्च
५२४) सन १९४१ का अग्रिम चन्दा प्राप्त
२०) उचंती खाते

२२२०॥=)।

९८९।-)। फर्नीचर एण्ड फिटिंग्स
  ५४६॥≡) गत वर्ष का
  ६५०) चालू वर्ष का

  ११९६॥≡)
  ८७॥≡) छीजत ता० ३१-१२-३९ तक } बाद देकर
  ११९॥=)॥। चालू वर्ष } बाद देकर

  ९८९।-)।
१००) पेशगी भाड़ा दिया
८३३) चन्दा खाते बाकी रहा
  २२९) सन् १९३९ का बाकी
  ६९) सन् १९३९ का उचंती
  ५३५) सन् १९४० का बाकी

---

  ८३३)
२९८।-) रोकड़ पोते बाकी
  २२३=)। सेंट्रलबैंक आफ इंडिया लि० के नावें
  ७५=)॥। नगदी

२२२०॥=)।

मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता

की

सम्बद्ध संस्थाओं की नामावली

१ कोडारमा माइका माइनिंग एसोसिएशन, कोडरमा,

२ कलकत्ता टिम्बर मर्चेण्ट्स एसोसिएशन,
६७।२०, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता

३ कलकत्ता ह्वीट एण्ड सीड्स एसोसिएशन (तीसी बाड़ा)
१४९, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता

४ मारवाड़ी मर्चेण्ट्स एसोसिएशन, दार्जिलिंग

मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता

के

सार्वजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधियों क नामावली

(ता० ३१-१०-४१ तक)

संस्थाओं के नाम	प्रतिनिधि
१ एक्सपोर्ट एडभाइज़री कौंसिल की कलकत्ता पोर्ट कमेटी	श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका एटर्नी-एट-ला सभापति—श्रीयुक्त सेठ श्री मंगतू-राम जी जैपुरिया के एवज़ में प्रतिनिधित्व किया ।
२ बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा प्रान्तों के लिये निर्मित प्रोविन्शियल एड-भाइज़री कमेटी फार वार-सप्लाइज़	श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका एटर्नी-एट-ला
३ बंगाल टेक्सटाइल इन्स्टी-ट्यूट, श्रीरामपुर की प्रबन्ध-कारिणी समिति—	श्रीयुक्त श्यामाप्रसाद जी जैपुरिया
४ रेलवे और व्यापारिक संस्था-ओं के प्रतिनिधियों की इन्फार्मल मीटिंग्स्	श्रीयुक्त रूपनारायण जी गगगड़ एम० ए०, बी० काम०, बी० एल० ,, किशोरीलाल जी ढांढनियां ,, पीताम्बरलाल जी अग्रवाल
५ बंगाल नागपुर रेलवे की लोकल एडभाइज़री कमेटी	श्रीयुक्त मदनलाल जी खेमका एटर्नी-एट-ला

६ रेलवे रेट्स एडभाइज़री कमेटी—	श्रीयुक्त मंगतूराम जी जपुरिया
	,, शिवकिसन जी भट्टर
	,, गदाधर जी बगड़िया
	,, बैजनाथजी भिवानीवाला
	,, हरखराज जी लोढ़ा
७ तारकेश्वर स्टेट मैनेजमेंट कमेटी—	श्रीयुक्त रूपनारायण जी गग्गड़ एम० ए०, बी० काम०, बी० एल०,
८ कलकत्ता-कार्पोरेशन के कमर्शियल म्युज़ियम और स्वास्थ्य-प्रचार-विभाग की सलाहकार समिति—	श्रीयुक्त राधाकृष्ण जी नेवटिया, 'विशारद'
९ भिज़िटिंग कमेटी आफ दि मेडिकल कालेज, ग्रूप आफ हास्पिटल्स—	श्रीयुक्त सीताराम जी केड़िया
१० भिज़िटिंग कमेटी आफ दि कैम्पबेल हास्पिटल—	श्रीयुक्त राधाकृष्ण जी नेवटिया, 'विशारद'
११ बंगाल मूल्य-नियंत्रण सलाहकार समिति—	श्रीयुक्त रामनाथ जी बगड़िया
१२ बंगाल वेटेरिनरी कालेज मैनेजमेंट कमेटी—	श्रीयुक्त राधाकृष्ण जी नेवटिया 'विशारद'
१३ कलकत्ता ट्राफिक एडभाइज़री बोर्ड—	श्रीयुक्त आनन्दीलाल जी पोद्दार
१४ कलकत्ता पिञ्जरापोल सोसाइटी—	श्रीयुक्त गंगाधर जी नेवटिया